
इकाई-1 उत्तराखंड अर्थव्यवस्था की विशेषताएं (Characteristics of Uttarakhand Economy)

- 1.1 प्रस्तावना (Introduction)
- 1.2 उद्देश्य (Objectives)
- 1.3 उत्तराखंड: सामान्य परिचय (Uttarakhand: General Introduction)
- 1.4 उत्तराखंड अर्थव्यवस्था: मुख्य विशेषताएँ (Uttarakhand Economy: Salient Features)
 - 1.4.1 आर्थिक प्रगति सम्बन्धी विशेषताएँ (Economic Progress Related Characteristics)
 - 1.4.2 कृषि सम्बन्धी विशेषताएँ (Agriculture Related Characteristics)
 - 1.4.3 उद्योगों सम्बन्धी विशेषताएँ (Industries Related Characteristics)
 - 1.4.4 अधोसंरचना सम्बन्धी विशेषताएँ (Infrastructure Related Characteristics)
 - 1.4.5 जनांकिकीय विशेषताएँ (Demographic Characteristics)
 - 1.4.6 पर्यटन सम्बन्धी विशेषताएँ (Tourism Related Characteristics)
 - 1.4.7 प्राकृतिक संसाधनों सम्बन्धी विशेषताएँ (Natural Resources Related Characteristics)
 - 1.4.8 अन्य विशेषताएँ (Other Characteristics)
- 1.5 अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)
- 1.6 सारांश (Summary)
- 1.7 शब्दावली (Glossary)
- 1.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answer for Practice Questions)
- 1.9 संदर्भ ग्रन्थ सूची (Reference/Bibliography)
- 1.10 सहायक / उपयोगी पाठ्य सामग्री (Useful/Helpful Text)
- 1.11 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

1.1 प्रस्तावना (Introduction)

उत्तराखंड अर्थव्यवस्था की संरचना से सम्बन्धित यह प्रथम इकाई है। एक अर्थव्यवस्था उन सभी संस्थाओं, व्यवहारों व परम्पराओं से मिलकर बनती है जिनकी सहायता से मनुष्यों की भौतिक आवश्यकताओं की सन्तुष्टि हेतु संसाधनों के उपयोग का सामूहिक प्रयास किया जाता है। किसी अर्थव्यवस्था का रूप निर्धारित करने में भूत व वर्तमान, दर्शन, संस्कृति, व्यक्तियों के आदर्श व दृष्टिकोण, उनकी इच्छायें, भौगोलिक विशेषतायें व प्राकृतिक संसाधन, प्रयास व त्रुटियाँ, आदि तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक अर्थव्यवस्था की विशेषताओं की जानकारी उस अर्थव्यवस्था के विकास नियोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को इंगित करती अनेक सूचनायें केन्द्र व राज्य सरकार के विभिन्न प्रकाशनों, अनेक विद्वानों की पुस्तकों व उनके लेखों में तथा आधुनिक युग के सशक्त माध्यम इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। प्रस्तुत इकाई में उत्तराखंड राज्य की इन्हीं विशेषताओं को प्रस्तुत किया गया है। इस इकाई के अध्ययन के बाद आप उत्तराखंड अर्थव्यवस्था को सामान्य दृष्टि से समझ सकेंगे।

1.2 उद्देश्य (Objectives)

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के बाद आप -

- ✓ समझ सकेंगे कि उत्तराखंड अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषतायें कौन-सी हैं?
- ✓ उत्तराखंड अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के सामान्य तथ्यों को बता सकेंगे।
- ✓ यह समझ सकेंगे कि उत्तराखंड अर्थव्यवस्था के लिए कौन-सी विशेषताएँ सकारात्मक और कौन-सी नकारात्मक हैं?

1.3 उत्तराखंड: एक सामान्य परिचय (Uttarakhand: General introduction)

आप जानते हैं कि 9 नवम्बर, 2000 ई0 को भारत के 27वें राज्य व 10वें हिमालय राज्य के रूप में उत्तरांचल का उदय हुआ। नाम संबंधी विवाद के चलते वर्ष 2006 में संसद में पारित विधेयक पर 3 जनवरी, 2007 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाने के बाद इस राज्य का नाम उत्तराखंड हो गया।

इस राज्य के उत्तर में चीन व पूर्व में नेपाल राष्ट्र स्थित हैं। भारत में इसकी सीमायें पश्चिम में हिमाचल प्रदेश तथा दक्षिण में उत्तर प्रदेश की सीमाओं से मिलती हैं। प्रशासनिक दृष्टि से राज्य में दो मंडल - गढ़वाल व कुमाऊँ हैं। गढ़वाल मंडल में कुल सात जिले- चमोली, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल व उत्तरकाशी हैं जबकि कुमाऊँ मंडल में छः जिले- अल्मोड़ा, बागेश्वर, चम्पावत, नैनीताल, पिथौरागढ़ व ऊधमसिंह नगर हैं। राज्य के अर्थ व सांख्यिकी निदेशालय (सांख्यिकी डायरी 2021-22) के अनुसार, इस राज्य में 110 तहसील, 95 विकास खण्ड, 662 न्याय पंचायत, 7796 ग्राम पंचायत, 9 नगर निगम, 42 नगर पालिका परिषद्, 52 नगर पंचायत व 9 कैंटोनमेंट बोर्ड हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, इस राज्य में 16793 ग्राम (जिसमें 15745 बसे हुए) हैं। प्रशासनिक बोलचाल में, उत्तराखंड उन आठ राज्यों में से एक है जो भारत में सशक्त कार्य समूह (EAG अर्थात् Empowered Action Group) राज्य कहलाते हैं।

1.4 उत्तराखंड अर्थव्यवस्था: मुख्य विशेषताएँ (Uttarakhand Economy: Salient Features)

उत्तराखंड अर्थव्यवस्था देश की अर्थव्यवस्था के समान ही है। यह न तो पूर्णतया पूँजीवादी और न ही पूर्णतया समाजवादी है बल्कि एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसका अर्थ है कि कुछ क्षेत्रों (जैसे- ऊर्जा, सिंचाई आदि) में सरकारी नियोजन, अधिकांश क्षेत्रों (कृषि, व्यापार आदि) में बाजार तंत्र (माँग, पूर्ति व कीमत की परस्पर क्रिया पर आधारित) तथा कुछ क्षेत्रों (शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार आदि) में दोनों के माध्यम से आर्थिक व्यवस्था संचालित होती है। आर्थिक नियोजन की दृष्टि से यहाँ विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली है। जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों के मध्य विषमताओं को दूर करना है। इस उद्देश्य के लिए प्रदेश की आर्थिक योजना का लगभग 50 प्रतिशत जिला योजना के लिए आबंटित किया जाता है।

कृषि, वन संसाधन, खनिज संसाधन, जल-शक्ति, उद्योग, वास्तविक सम्पदा, योग व आयुर्वेद, मेले व पर्व, मठ-मन्दिर व आश्रम, पर्यटन व इससे जुड़े व्यवसाय उत्तराखंड अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार हैं। अब आगे के अध्ययन में आप राज्य की अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताओं को वर्गीकृत रूप में समझ सकेंगे।

1.4.1 आर्थिक प्रगति सम्बन्धी विशेषताएँ (Economic Progress Related Characteristics)

राज्य में स्थापना के समय से ही आर्थिक विकास की ऊँची दर पाये जाने की प्रवृत्ति है। आर्थिक विकास दर के आधार पर उत्तराखंड का देश में तीसरा स्थान है। **उत्तराखण्ड उत्कर्ष की ओर, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग (2010) एवं आर्थिक सर्वेक्षण (2022-23)** के अनुसार प्रदेश की आर्थिक विकास दर वर्ष 2000 में 2.9 प्रतिशत थी जबकि वर्ष 2010 में यह बढ़कर 9.5 प्रतिशत हो गई जबकि कोविड महामारी के प्रभाव से यह वर्ष 2020-21 में ऋणात्मक (-5.38 प्रतिशत) हो गई थी। उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2000 में 15,000 थी जोकि 2010 में ₹42,000 हो गई थी जबकि कोविड काल में (वर्ष 2021-22) बढ़कर ₹1,96,282 हो गई।

यहाँ यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि अन्य प्रदेशों की भाँति इस प्रदेश में भी आर्थिक विकास सभी क्षेत्रों में समान नहीं हुआ है। विशेषकर मैदानी व पर्वतीय क्षेत्रों में विकास की दृष्टि से भिन्नता पायी जाती है। **सब्यसाची** द्वारा प्रस्तुत एक अध्ययन में अधोसंरचना व रहन-सहन के संकेतकों के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर व नैनीताल जिलों के आर्थिक विकास का स्तर अन्य पर्वतीय जिलों के विकास स्तर से बहुत अधिक है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रवार हिस्सेदारी की दृष्टि से आप सारणी 1.1 से स्पष्ट कर सकते हैं कि उत्तराखंड में प्राथमिक क्षेत्र की भागीदारी पहले की तुलना में घटी है, साथ ही वर्ष 2021-22 में यह अन्य क्षेत्रों की तुलना में भी सबसे कम है। द्वितीयक क्षेत्र की भागीदारी पहले की तुलना में बढ़ी है और अब वर्ष 2021-22 में यह तीनों क्षेत्रों में पहले स्थान पर है। तृतीयक क्षेत्र की भागीदारी पहले की तुलना में घटी है अब वर्ष 2021-22 में यह दूसरे स्थान पर है। यहाँ यह विशेष रूप से जानने योग्य बात है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्रों की सापेक्षिक स्थिति प्रदेश में व्यावसायिक संरचना व विकास की अवस्था को दर्शाता है। आय की दृष्टि से प्राथमिक क्षेत्र पर कम निर्भरता व द्वितीयक क्षेत्र का बढ़ता (सर्वोच्च) योगदान तथा तृतीयक क्षेत्र का योगदान राज्य में आर्थिक विकास की उच्च अवस्था का प्रतीक होता है।

सारणी 1.1 - उत्तराखंड के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों की हिस्सेदारी (प्रतिशत में)

क्षेत्र	उत्तराखंड के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों की हिस्सेदारी (प्रतिशत में)		
	वर्ष 1999-2000	वर्ष 2009-10	वर्ष 2021-22*
प्राथमिक क्षेत्र	30.10	16.97	12.36

द्वितीयक क्षेत्र	18.79	33.86	46.21
तृतीयक क्षेत्र	51.11	49.17	41.43

स्रोत: *अर्थ एवं सांख्यिकीय निदेशालय (2023), आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23, उत्तराखण्ड सरकार, पृ०2

1.4.2 कृषि सम्बन्धी विशेषताएँ (Agriculture Related Characteristics)

राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। केन्द्रीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोटेक सिंह अहलूवालिया के अनुसार राज्य के 70 प्रतिशत व्यक्तियों की आजीविका कृषि या उससे जुड़े क्षेत्रों पर आधारित है। (स्रोत: हिन्दुस्तान, 12 अप्रैल, 2011, देहरादून, पृष्ठ 2) आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, यहाँ की 70 प्रतिशत ग्रामीण आबादी आजीविका हेतु कृषि एवं सम्बंधित क्षेत्रों पर निर्भर है। पर्वतीय क्षेत्रों में खेतों की सीढ़ी-नुमा संरचना का पाया जाना राज्य में कृषि की मुख्य विशेषता है। यहाँ दो प्रकार की खेती पायी जाती है - मैदानी व पर्वतीय। मैदानी क्षेत्रों में खेती के लिए प्रायः आधुनिक तरीके व पर्वतीय क्षेत्रों में परम्परागत तरीके प्रयोग में लाये जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में, कृषि उत्पादन के लिए आधुनिक तकनीक व आदाओं (inputs) का अपनाया जाना सम्भव नहीं है। मैदानी खेती पर हरित क्रान्ति का स्पष्ट प्रभाव है जबकि पर्वतीय खेती भू-क्षरण (land degradation) की समस्या से ग्रस्त है। वैसे तो पूरे प्रदेश में ही 85 प्रतिशत भूमि भू-क्षरण (Land degradation) की समस्या से ग्रसित है। उत्तराखण्ड में वर्ष 2020-21 में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल ((Cultivated area) 60,01,553 हेक्टेयर) में से शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल का 11.5 प्रतिशत (6,20,629 हेक्टेयर) है।

सारणी 1.2 से स्पष्ट है कि यदि उत्तराखण्ड में कृषि क्षेत्र की विकास दर की तुलना राष्ट्रीय दर से की जाये तो आप पायेंगे कि राज्य की कृषि विकास दर राष्ट्रीय दर से बहुत कम है। परन्तु रोचक विशेषता यह है कि वर्ष 1999-2000 की तुलना में वर्ष 2008-2009 में राज्य की कृषि विकास दर में वृद्धि हुई है जबकि राष्ट्रीय कृषि विकास दर (Growth Rate) में भारी गिरावट हुई है।

सारणी 1.2 - कृषि क्षेत्र में राष्ट्रीय विकास दर से उत्तराखण्ड में विकास दर की तुलना (प्रतिशत में)

वर्ष	राष्ट्रीय कृषि विकास दर	उत्तराखण्ड में कृषि विकास दर
1999-2000	4.9	0.44
2008-2009	1.6	0.7
*2021-22	3.0	3.87

(स्रोत: हिन्दुस्तान, 12 अप्रैल, 2011, देहरादून, पृ० 2; *आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23)

सारणी 1.3 से हमें स्पष्ट होता है कि वर्ष 2021-22 में प्राथमिक क्षेत्र की GDP में प्रचलित मूल्यों पर वृद्धि दर 3.54 प्रतिशत है जिसमें कृषि क्षेत्र की 2.85 प्रतिशत, पशुपालन की 7.04 प्रतिशत, वानिकी की 2.40 प्रतिशत, मत्स्य पालन की 7.36 प्रतिशत तथा खनन एवं उत्खनन की 7.76 प्रतिशत वृद्धि दर है। वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्यों के आधार पर कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 3.87 प्रतिशत है जिसमें कृषि क्षेत्र की 2.36 प्रतिशत, पशुपालन की 6.81 प्रतिशत, वानिकी की 2.48 प्रतिशत, मत्स्य पालन की 7.36 प्रतिशत तथा खनन एवं उत्खनन की 5.98 प्रतिशत वृद्धि दर है।

सारणी 1.3 स्थिर मूल्यों (2011-12) तथा प्रचलित मूल्यों पर प्राथमिक क्षेत्र के विभिन्न उप-खंडों के GDP के अनुमान तथा वृद्धि दरें

प्राथमिक क्षेत्र	प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2021-22		वर्ष 2021-22	स्थिर मूल्यों पर (आधार वर्ष 2011-12) वर्ष 2021-22	
	कुल मूल्य वर्द्धन (₹करोड़ में)	वृद्धि दर (प्रतिशत में)	प्रतिशत अंश	कुल मूल्य वर्द्धन (₹करोड़ में)	वृद्धि दर (प्रतिशत में)
1. कृषि (Agriculture)	13,387	2.85	43.13	7,839	2.36
2. पशुपालन (Animal Husbandry)	6,668	7.04	21.48	4,037	6.81
3. वानिकी एवं लट्टा बनाना (Forestry and Latha Making)	8,498	2.40	27.38	3,851	2.48
4. मत्स्य पालन (Fishries)	75	7.36	0.24	54	7.36
5. खनन तथा उत्खनन (Mining & Quarrying)	2,410	1.99	7.76	2,834	5.98
कुल प्राथमिक क्षेत्र	31,038	3.54	100	18,614	3.87

स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय (2023), देहरादून पृ0 21

बाजार दबावों के कारण पर्वतीय क्षेत्रों की परम्परागत कृषि पर आत्मनिर्भरता कम होती जा रही है। मैदानी क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले कृषि पदार्थों पर पर्वतीय व्यक्तियों की निर्भरता बढ़ती जा रही है। राज्य के हिमालय की तराई से बर्फ की पहाड़ियों तक फैला होने के कारण जलवायु में अत्यधिक विविधता पायी जाती है। इसलिए यहाँ जैव-विविधता भी अधिक है। उत्तराखण्ड कृषि जलवायु की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा वर्गीकृत जोन-9 और जोन-14 का भाग है।

प्रदेश में अनाज, दालों, तिलहन, गन्ना फसलों के अतिरिक्त अनेक प्रकार की साग-सब्जियाँ, मसालें, फूल-फल व जड़ी-बूटियाँ उत्पादित किये जाते हैं। सारणी 1.4 से स्पष्ट किया जा सकता है कि प्रदेश में अनाज सर्वाधिक क्षेत्रफल में उगाये जाते हैं। इसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से गन्ना का स्थान है। दालों व तिलहन के बुआई क्षेत्रफल का स्थान क्रमशः तीसरा व चौथा है। प्रमुख अनाजों में महुआ सर्वाधिक क्षेत्र में उगाया जाता है। दालों में बुआई क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान उड़द का, दूसरा स्थान कुल्थी (गहथ) का व तीसरा स्थान मसूर का है। प्रमुख तिलहन फसलों में सरसों का बुआई क्षेत्रफल पहले स्थान पर व सोयाबीन का बुआई क्षेत्रफल दूसरे स्थान पर है।

उत्पादकता की दृष्टि से गेहूँ की उत्पादकता पहले स्थान पर, चावल की उत्पादकता दूसरे स्थान पर एवं मक्का की उत्पादकता तीसरे स्थान पर है। चौथे स्थान पर सांवा (झंगोरा) की उत्पादकता है।

सारणी 1.4-वर्ष 2021-22 में प्रदेश की प्रमुख फसलों की उत्पादकता व उनका बुआई क्षेत्रफल

फसल	उत्पादकता (क्विंटल प्रति हेक्टेयर)	बुआई क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	फसल	उत्पादकता (क्विंटल प्रति हेक्टेयर)	बुआई क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
अनाज	25.52	7,29,029	दालें	10.72	59,174
चावल	27.84	2,56,782	उड़द	12.01	13,189
गेहूँ	28.96	2,97,899	मसूर	8.75	9,448
जौ	14.64	20,266	मटर	9.22	5,735
मक्का	24.88	21,254	गहथ (कुल्थी)	10.57	12,224
मँडुआ	14.78	85,880	राजमा	11.86	5,884
सांवा (झंगोरा)	16.03	40,814	चना	7.90	576
अन्य अनाज		6,134	भट्ट (काला सोयाबीन)	11.98	7,983
तिलहन	9.33	28,372	अन्य दालें		4,135
लाही और सरसों	8.33	18,815	अन्य फसलें		
तिल	2.64	2,178	गन्ना	904.33	92,077
मूंगफली	15.11	503	प्याज	140.76	4,248
सोयाबीन	13.80	6,843			

स्रोत: उत्तराखण्ड एक दृष्टि में 2021-22, Directorate of Economics and Statistics, Dehradun, page 8-9

अर्थ व सांख्यिकी निदेशालय (सांख्यिकी डायरी 2021-22) के अनुसार, प्रदेश की कृषि में क्रियात्मक जोतों के आकार की दृष्टि से वर्ष 2015-16 में 659 हजार जोतें सीमान्त जोतें (01 हेक्टेयर से कम), 149 हजार लघु जोतें (1.0-2.0 हेक्टेयर), 73 हजार अर्द्ध-मध्यम व मध्यम जोतें (2.0-10 हेक्टेयर) व 888 जोतें बड़ी जोतें (10 हेक्टेयर से अधिक) थी। विशेष बात यह है कि उक्त वर्ष में सीमान्त जोतों का क्षेत्रफल 284 हजार हेक्टेयर, लघु जोतों का क्षेत्रफल 206 हजार हेक्टेयर, अर्द्ध-मध्यम व मध्यम जोतों का क्षेत्र 234 हजार हेक्टेयर एवं बड़ी

जोतों का क्षेत्रफल 23 हजार हेक्टेयर था। जो इस बात को दर्शाता है कि संख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से, प्रदेश में सीमांत जोतें सर्वाधिक हैं।

पर्वतीय क्षेत्रों में परम्परागत फसलों की अधिकता है। यहाँ पर रासायनिक खादों का प्रयोग भी बहुत कम होता है। साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में यन्त्रीकरण भी अधिक नहीं किया जा सकता है। इसके बावजूद भी खाद्यान्न उत्पादन के मामले में उत्तराखंड आत्मनिर्भर है और कृषि एवं बागवानी से जुड़े उद्योगों में लगभग पाँच लाख लोगों को रोजगार दिया जा रहा है।

1.4.3 उद्योगों सम्बन्धी विशेषताएँ (Industries Related Characteristics)

यद्यपि उत्तराखंड के अधिकाँश भाग में पर्वत होने के कारण पहले उद्योगों की दृष्टि से अधिक विकास नहीं हो सका था, अब उत्तराखंड के उद्योग प्रदेश के आर्थिक ढाँचे का महत्वपूर्ण आधार हैं। उत्तराखंड में उद्योग मुख्य रूप से ऊधमसिंहनगर, हरिद्वार, देहरादून व नैनीताल में स्थापित हैं। फैक्ट्री एक्ट-1948 के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में प्रदेश में पंजीकृत फैक्ट्रियों की संख्या 3,002 थी जिसमें 3,33,496 श्रमिक कार्यरत थे। वर्ष 2018-19 में प्रदेश में खादी उद्योग व ग्रामोद्योग इकाईयों की संख्या 644 (3,662 कार्यरत श्रमिक) तथा लघु उद्योग इकाईयों की संख्या 73,961 (3,82,431 कार्यरत श्रमिक) थी। राज्य गठन के समय इन उद्योगों में पूंजी निवेश 95 करोड़ था। वर्ष 2002 में उत्तराखंड के औद्योगीकरण की गति तेज करने के लिए सरकारी उपक्रम के रूप में स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (State Infrastructure & Industrial Development Corporation of Uttarakhand Ltd) अस्तित्व में आया। सिडकुल एकल खिड़की (Single Window) सुविधा प्रदान करने के लिए मॉडल एजेन्सी के रूप में भी कार्य करता है। इस समय प्रदेश में सात एकीकृत औद्योगिक आस्थान (Integrated Industrial Estate) हैं जो कि हरिद्वार, पंतनगर, कोटद्वार, देहरादून, सेलाकुई, काशीपुर और सितारगंज में स्थापित हैं। परिणामस्वरूप उत्तराखंड की औद्योगिक विकास दर जो वर्ष 2001-02 में 1.9 प्रतिशत थी, वर्ष 2010-11 में बढ़कर 26 प्रतिशत हो गई। वर्ष 2021-22 में औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि दर (प्रचलित मूल्य पर) 12.18 प्रतिशत है। राज्य में उद्योगों व सरकार के बीच समन्वय का कार्य करने के लिए व औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 'कुमाऊँ गढ़वाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज' (Kumaon Garhwal Chamber of Commerce and Industries) महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

जनवरी 2003 में केन्द्र सरकार द्वारा उत्तराखंड के लिए दिए गए टैक्स हॉलीडे पैकेज (Tax Holiday Package) से आकर्षित होकर अनेक प्रमुख फर्मों ने उत्तराखंड में अपनी इकाईयाँ स्थापित की, यद्यपि इससे पहले उत्तराखंड में हरिद्वार के रानीपुर क्षेत्र में भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड (Bharat Heavy Electricals Limited) पहले ही स्थापित हो चुका था। वर्तमान में उत्तराखंड की ऑटोमोबाइल हब (Automobile Hub) व फार्मा सिटी (Pharma City) के रूप में पहचान बन चुकी है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, वर्ष 2022 तक उत्तराखंड में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (Micro Small and Medium Enterprises) की 77,997 औद्योगिक इकाईयाँ तथा वृहद (Large) की 329 औद्योगिक इकाईयाँ स्थापित हैं जिनमें क्रमशः ₹15,733 करोड़ व ₹37,957 करोड़ का पूंजी निवेश हुआ है।

उत्तराखण्ड के औद्योगीकरण में खाद्य प्रसंस्करण बायोटेक्नोलॉजी कृषि व सम्बन्धित, हस्तशिल्प, मिनरल वाटर, इलैक्ट्रानिक्स, इत्यादि से सम्बन्धित उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उत्तराखण्ड में अनेक प्रकार के ग्रामीण व कुटीर उद्योग भी हैं। जिनमें जूता-चप्पल उद्योग, दियासलाई उद्योग, गुड़ व खाण्डसारी उद्योग, ऊनी शॉल व अन्य वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग, मधुमक्खी पालन उद्योग आदि प्रमुख हैं।

सारिणी 1.5 से स्पष्ट है कि वर्ष 2021-22 में द्वितीयक क्षेत्र की GDP में वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर 8.80 प्रतिशत है। जिसमें विनिर्माण की वृद्धि दर 6.71 प्रतिशत, विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाओं की 13.34 प्रतिशत तथा निर्माण की 8.80 प्रतिशत वृद्धि दर है। वर्ष 2021-22 में प्रचलित मूल्यों के आधार पर द्वितीयक क्षेत्र की GDP में वृद्धि दर 12.41 प्रतिशत है। जिसमें विनिर्माण का वृद्धि दर 10.06 प्रतिशत, विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाओं की 15.71 प्रतिशत तथा निर्माण की 21.40 प्रतिशत वृद्धि दर है।

सारिणी-1.5: स्थिर मूल्यों (2011-12) तथा प्रचलित मूल्यों पर द्वितीयक क्षेत्र के विभिन्न उप-खंडों के GDP के अनुमान तथा वृद्धि दरें

द्वितीयक क्षेत्र	प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2021-22		वर्ष 2021-22 प्रतिशत अंश	स्थिर मूल्यों पर (आधार वर्ष 2011-12) वर्ष 2021-22	
	कुल मूल्य वर्द्धन (₹करोड़ में)	वृद्धि दर (प्रतिशत में)		कुल मूल्य वर्द्धन (₹करोड़ में)	वृद्धि दर (प्रतिशत में)
1. विनिर्माण (Manufacturing)	85,797	10.06	73.93	69,739	6.71
2. विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएँ (Electricity, gas, water supply and other utility services)	8,913	15.71	7.68	7,187	13.34
3. निर्माण (Construction)	21,345	21.40	18.39	15,077	17.15
उप योग द्वितीयक क्षेत्र	1,16,055	12.41	100	92,003	8.80
औद्योगिक क्षेत्र (Industrial Area)	1,18,465	12.18		94,837	8.71

स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय (2023), देहरादून पृ0 22

1.4.4 अधोसंरचना सम्बन्धी विशेषताएँ (Infrastructure Related Characteristics)

अधोसंरचना मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं-सामाजिक व आर्थिक। सामाजिक अधोसंरचना में शिक्षा व स्वास्थ्य से सम्बन्धित अधोसंरचना को सम्मिलित किया जाता है, जबकि आर्थिक अधोसंरचना में संचार व यातायात, ऊर्जा, वित्तीय आदि सम्मिलित किये जाते हैं। ये अधोसंरचनाएँ आर्थिक विकास के लिए आधारभूत होती हैं।

प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अधोसंरचनाओं की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए विभिन्न क्षेत्रों की अधोसंरचनाओं के सम्बन्ध में आगे संक्षेप में कुछ तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं।

❖ **शिक्षा के क्षेत्र में - (वर्ष 2020-21 की स्थिति के आधार पर)**

(1) (बेसिक व महाविद्यालयी शिक्षा) स्कूल व कॉलेजों की संख्या - 22,511; (2) (उच्च शिक्षा) स्नातक व स्नातकोत्तर महाविद्यालय की संख्या- 140; केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या - 01; राज्य विश्वविद्यालय - 10; निजी विश्वविद्यालय- 11; डीम्ड विश्वविद्यालय- 03; आईआईटी- 01; (3) (व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI)की संख्या - 86, प्राविधिक शिक्षण संस्थान (Polytechnic)- 71; शिक्षा प्रशिक्षण के जिला संस्थानों की संख्या - 13; प्रदेश में देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, भारतीय वानिकी संस्थान, नैनीताल में आर्यभट्ट अनुसंधान संस्थान, मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री अकादमी, ऊधमसिंहनगर में जी.बी. पंत विश्वविद्यालय, रूड़की में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, काशीपुर में भारतीय प्रबंधन संस्थान जैसे विशिष्ट शैक्षिक संस्थाएँ स्थापित हैं। विशेष बात यह है कि उत्तराखंड के शिक्षा हब में बदलने के बावजूद आवश्यकता की दृष्टि से इस अधोसंरचना में और अधिक सुधार किये जाने की आवश्यकता है।

❖ **स्वास्थ्य व परिवार कल्याण के क्षेत्र में - (वर्ष 2021-22 की स्थिति के आधार पर)**

प्रदेश में जिला अस्पतालों की संख्या- 13; जिला महिला अस्पतालों की संख्या- 07; बेस अस्पतालों की संख्या- 03; उप जिला चिकित्सालयों की संख्या- 21; प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या- 577; सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या- 80; आयुर्वेदिक व यूनानी अस्पतालों की संख्या - 549; होम्योपैथिक अस्पतालों व औषधालय की संख्या- 111; महिला व बाल कल्याण केन्द्रों की संख्या- 02; व उपकेन्द्रों की संख्या- 1896; इसके अतिरिक्त प्रदेश में संचल चिकित्सा व्यवस्था (आपातकालीन सेवा-108) भी उपलब्ध है। वर्ष 2022-23 तक कुल 1,820 उपकेन्द्रों को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर में उच्चिकृत किया जा चुका है।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में यहाँ योग व आयुर्वेद के प्रचलन को देखते हुए उत्तराखंड 'आयुष प्रदेश' कहलाता है। परन्तु जनसंख्या व पर्वतीय क्षेत्र में चिकित्सा व स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह अधोसंरचना भी अपर्याप्त है।

❖ **ऊर्जा के क्षेत्र में - (वर्ष 2021-22 की स्थिति के आधार पर)**

अनेक छोटी-बड़ी जल-विद्युत परियोजनाओं व ऊर्जा उत्पादन की अपार सम्भावनाओं के कारण यह प्रदेश 'ऊर्जा-प्रदेश' कहलाता है। प्रदेश में विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता वर्ष 2021-22 में 1,322.596 मेगावाट थी, जिसके द्वारा 5,157.27 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन किया गया। जो कि प्रदेश के विद्युत उपभोग 11,432.589 मिलियन यूनिट से कम है। विद्युत की दृष्टि से उत्तराखंड अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक अच्छी स्थिति में है। प्रदेश में लगभग सभी क्षेत्रों में बिजली की सुविधा उपलब्ध है। उत्तराखंड में अनेक नदियों पर बड़े व छोटे बाँध बने हुए हैं। इनमें टिहरी बाँध सबसे बड़ा है, जिससे वर्ष 2006 में बिजली का

उत्पादन प्रारम्भ हुआ। उत्तराखंड में विद्युत उत्पादन व वितरण के लिए उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (Uttarakhand Power Corporation Limited) संस्था कार्य करती है।

❖ **यातायात व संचार के क्षेत्र में - (वर्ष 2021-22 की स्थिति के आधार पर)**

प्रदेश की पर्वतीय प्रकृति होने के कारण यहाँ सड़क यातायात मुख्य है। उत्तराखंड में हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैण्ड जैसे पर्वतीय व सीमान्त प्रदेशों की तुलना में सड़कों की लम्बाई कम है। वर्ष 2021-22 में लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुरक्षित सड़कों में 2,068 किलोमीटर लम्बे राष्ट्रीय मार्ग, 5,833.45 किलोमीटर लम्बे राज्य मार्ग, 3,794.48 किलोमीटर लम्बी मुख्य जिला सड़कें, 2,507 किलोमीटर लम्बी अन्य जिला सड़कें तथा ग्रामीण सड़कों की लम्बाई 2,58,55,026 किलोमीटर थी।

प्रदेश में सड़क परिवहन मुख्य रूप से उत्तराखंड परिवहन निगम, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (JnNURM), गढ़वाल मंडल ओनर्स यूनियन लिमिटेड (G.M.O.U.Ltd.) व कुमाऊँ मंडल ओनर्स यूनियन लिमिटेड (K.M.O.U.Ltd.) द्वारा संचालित किया जाता है। सड़क यातायात में विभिन्न निजी पर्यटन एजेन्सियों के निजी वाहन व टैक्सियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है।

सड़क यातायात के अतिरिक्त रेल परिवहन व वायु परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध है। प्रदेश में देहरादून, हरिद्वार व काठगोदाम प्रमुख रेल स्टेशन हैं, जबकि जौलीग्राण्ट प्रदेश का प्रमुख एयरपोर्ट है।

संचार की दृष्टि से उत्तराखंड में भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) व अन्य निजी संस्थाओं के टेलीफोन नेटवर्क का जाल बिछा हुआ है।

❖ **वित्तीय क्षेत्र में - वर्ष 2021-22 में प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की 1,388 शाखायें, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 287 शाखायें, अन्य निजी बैंकों की 400 शाखायें, 11 जिला सहकारी बैंक व इनकी 287 शाखायें कार्य कर रही थी।**

❖ **प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में - प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अग्रणी स्थान रखता है। विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से कम्प्यूटर शिक्षा के लिए 'शिखर' व 'आरोही' परियोजनायें चलायी जा रही हैं तथा साथ ही यहाँ ई-गवर्नेंस पर बल दिया जा रहा है। विश्व की पहली माइक्रोसॉफ्ट आई.टी. अकादमी देहरादून में स्थापित की गई है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, वर्तमान में 21,962 कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पंजीकृत है जिसमें से 10,112 सी.एस.सी. ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं के लिए अधिकृत है। स्टेट डाटा सेंटर से 84 विभागों से ई-डिस्ट्रिक्ट, ई-ऑफिस, सीएम डैश बोर्ड, ई-गेटपास सिस्टम आदि जैसी लगभग 129 एप्लीकेशन होस्ट कर संचालित की जा रही है।**

1.4.5 जनांकिकीय विशेषताएँ (Demographic Characteristics)

आप इस तथ्य से परिचित होंगे कि उत्तराखंड राज्य की स्थापना के बाद वर्ष 2001 में हुई जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या 84,89,349 थी। यह उस समय भारत की कुल जनसंख्या का 0.83 प्रतिशत थी। परन्तु वर्ष 2011 में हुई जनगणना के अनंतिम परिणामों के अनुसार राज्य की जनसंख्या 1,00,86,292 हो गई जो भारत की कुल जनसंख्या (1,21,01,93,422) का 0.83 प्रतिशत है। यह जानने योग्य तथ्य है कि कुल जनसंख्या की दृष्टि से भारत के सभी राज्यों में उत्तराखंड 19वें स्थान पर है। राज्य सृजन के पश्चात् उत्तराखंड में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर (18.81 प्रतिशत) भारत की औसत दर (17.68 प्रतिशत) से अधिक है। परन्तु

विशेष बात यह है कि दशक 2001-2011 में उत्तराखण्ड राज्य की जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर (1.77 प्रतिशत) दशक 1991-2001 में दर (1.87 प्रतिशत) की तुलना में कम रही।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखण्ड में जनसंख्या घनत्व 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है जो कि भारत के कुल औसत (382) से बहुत कम है। इस औसत के कम होने का प्रमुख कारण पर्वतीय क्षेत्रों में कम जनसंख्या का पाया जाना है।

प्रदेश में प्रभावी साक्षरता दर जो वर्ष 2001 में 71.62 प्रतिशत थी, वर्ष 2011 में बढ़कर 79.95 प्रतिशत हो गई। परन्तु साक्षरता की स्थिति के आधार पर प्रदेश सम्पूर्ण देश में 14वें स्थान से खिसककर 16वें स्थान पर आ गया है। यह साक्षरता दर सम्पूर्ण भारत में वर्ष 2001 में 64.83 प्रतिशत थी जो वर्ष 2011 में 74.04 प्रतिशत हो गई।

लिंगानुपात की दृष्टि से राज्य में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर 963 स्त्रियाँ पायी गई, जो कि सम्पूर्ण भारत के लिंगानुपात 943 स्त्रियाँ प्रति 1000 पुरुष से अधिक है। यह जानने योग्य तथ्य है कि लिंगानुपात की दृष्टि से भारत के सभी राज्यों में उत्तराखण्ड 13वें स्थान पर है।

1.4.6 पर्यटन सम्बन्धी विशेषताएँ (Tourism Related Characteristics)

पर्यटन व इससे जुड़ी गतिविधियाँ इस राज्य की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार हैं। उत्तराखण्ड में विभिन्न प्रकार की पर्यटन गतिविधियाँ हैं। इनमें मुख्य हैं - अवकाश, धार्मिक, साहसिक, प्रकृति व वन्य जीवन।

- ❖ **अवकाश पर्यटन** - बर्फबारी के आकर्षण, प्राकृतिक सौन्दर्य व ग्रीष्म काल में ठंडे मौसम पाये जाने के कारण मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून, रानीखेत, पिथौरागढ़, आदि स्थल अवकाश के दौरान पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र हैं।
- ❖ **धार्मिक पर्यटन** - देवताओं के धाम के रूप में प्रसिद्ध यह राज्य ऐसी विशेषताओं को भी समेटे हुए है जो धार्मिक पर्यटन से सम्बन्धित हैं। राज्य में चार धाम (बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमनोत्री) यात्रा व अनेक मैदानी (हरिद्वार, ऋषिकेश, पिरान-कलियर आदि) व पर्वतीय धार्मिक स्थलों (हेमकुण्ड साहेब, नीलकण्ठ आदि) की यात्रा यहाँ के पर्यटन व्यवसाय का आधार है। राज्य में नियमित रूप से आयोजित होने वाले अनेक बड़े व छोटे मेले तथा पर्व जहाँ एक ओर धार्मिक व सांस्कृतिक छटा बिखरते हैं, वहीं दूसरी ओर उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था को व्यावसायिक दृष्टि से गति भी प्रदान करते हैं। मेलों व पर्वों के दौरान पर्यटकों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है।
- ❖ **साहसिक पर्यटन** - रिवर-राफ्टिंग, स्कीइंग, ट्रैकिंग, पैरा ग्लाइडिंग आदि साहसिक खेल प्रदेश के पर्यटन में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हाल के वर्षों में, बर्फ पर स्कीइंग के लिए औली एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के रूप में उभरा है। अलकनन्दा नदी में रिवर-राफ्टिंग पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है।
- ❖ **प्रकृति व वन्य जीवन पर आधारित पर्यटन** - प्रदेश में प्रकृति व वन्य जीवन पर आधारित पर्यटन भी प्रमुख है। बड़ी संख्या में पर्यटक जिम कार्बेट पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी आदि स्थलों की यात्रा करते हैं। अर्थ व सांख्यिकी निदेशालय (उत्तराखण्ड एक दृष्टि में 2021-22) के अनुसार, वर्ष 2021-22 के दौरान प्रदेश के कुल 327 पर्यटक (तीर्थो सहित) स्थलों पर भारतीय पर्यटकों की संख्या 200.18 लाख व विदेशी पर्यटकों की संख्या 0.15 लाख थी जबकि राष्ट्रीय पार्कों व वन्य-जीव विहारों में वर्ष 2021-22 के दौरान भारतीय पर्यटकों की संख्या 4,38,693 व विदेशी पर्यटकों की संख्या 16,884 थी। एक अध्ययन के आधार पर केन्द्रीय योजना

आयोग ने पाया है कि घरेलू पर्यटकों की संख्या के आधार पर उत्तराखंड हिमालयी राज्यों में प्रथम स्थान पर तथा देश के सभी राज्यों में सातवें स्थान पर है।

1.4.7 प्राकृतिक संसाधनों सम्बन्धी विशेषताएँ (Natural Resources Related Characteristics)

प्राकृतिक संसाधनों में मुख्य रूप से भूमि, वन, जल, मत्स्य, खनिज आदि को सम्मिलित किया जाता है। इस राज्य का कुल भूमि क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर है। हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर तथा देहरादून व नैनीताल के कुछ भागों को छोड़कर शेष क्षेत्र पर्वतीय है। राज्य का लगभग 86 प्रतिशत भाग पर्वतीय (क्षेत्रफल 46,035 वर्ग किलोमीटर) तथा शेष भाग मैदानी होने के कारण यह राज्य प्रमुख रूप से पर्वतीय है। अधिकांश भू-भाग पर्वतीय होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में ना तो कृषि उत्पादन के लिए आधुनिक तकनीक व आदाओं(Input) का अपनाया जाना सम्भव है और ना ही बड़े उद्योगों को स्थापित किया जा सकता है।

प्रदेश में लगभग 63.51 प्रतिशत भाग (क्षेत्रफल 38,116 वर्ग किलोमीटर) अभिलेखित वन क्षेत्र है, जबकि हरित आवरण केवल 45.7 प्रतिशत है। शेष क्षेत्र बर्फ से ढका हुआ, बुग्यालों के अधीन, चट्टानी बलुवी नदी तट, जलमग्न होने के कारण वनों से आच्छादित नहीं है। वनों के कारण उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था वन सम्पदा से भरपूर है। वन क्षेत्र सभी को प्राण वायु भी देता है। इसलिए प्रदेश में इतने भू-भाग के वन क्षेत्र होने के कारण उत्तराखंड का पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान है। इतना होते हुए भी, विकास की अंधी दौड़ के कारण वनों के अत्याधिक कटान से प्रदेश में भू-क्षरण की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है।

राज्य में बर्फीले क्षेत्रों के कारण हिम-नद भी पाये जाते हैं। ये हिम-नद राज्य की उन प्रमुख नदियों के स्रोत हैं जो निरन्तर जल प्रवाह बनाये रखते हैं।

प्रदेश में नदियों, नहरों, झीलों व तालाबों के पाये जाने के कारण ट्राउट, बुचवा, मुले आदि मछलियाँ पायी जाती हैं। इस कारण यहाँ मत्स्य-पालन अर्थव्यवस्था का एक मुख्य आधार है।

खनिज संसाधन प्राकृतिक होते हैं। आप यह जानते होंगे कि खनिजों के बिना अनेक औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं हो सकता। यद्यपि यहाँ खनिजों की उपलब्धता बहुत अधिक नहीं है, तथापि कुछ खनिज प्रचुर मात्रा में अवश्य पाये जाते हैं। फॉस्फोराइट, जिप्सम, चूना-पत्थर, मैग्नेसाइट, सोप स्टोन, बेराइट्स, एंडालूसाइट, रॉक फास्फेट, सेलखड़ी, ताँबा, लौह अयस्क, डोलोमाइट, शिलाजीत, संगमरमर आदि यहाँ के प्रमुख खनिज हैं। इन सबके अतिरिक्त रोड़ा, बजरी, रेता व पत्थर भी वन खनिज के रूप में उपलब्ध होते हैं। देहरादून में भारतीय खान ब्यूरो का प्रादेशिक कार्यालय भी है।

1.4.8 अन्य विशेषताएँ (Other Characteristics)

उत्तराखंड में वर्ष 2005 से आवासीय व व्यावसायिक दोनों प्रकार की वास्तविक सम्पदा की लगातार मांग बढ़ने के कारण वास्तविक सम्पदा क्षेत्र से जुड़े व्यवसाय की आशातीत प्रगति हुई है। इसका एक प्रमुख कारण भारत में विदेशों से अ-निवासी भारतीयों (NRI) का आगमन भी है। इस क्षेत्र में उत्पन्न समृद्धि से आकर्षित होकर भूमि का विकास करने वाली अनेक कम्पनियों व भवन निर्माताओं ने उत्तराखंड में भूमि को क्रय करना आरम्भ किया है। ये कम्पनियाँ ऐसी आवासीय कॉलोनी व व्यावसायिक काम्प्लेक्स का भी विकास करती

हैं जिसमें लगभग सभी सुविधायें होती हैं। इस कारण, प्रदेश में क्रेता व विक्रेता के मध्य लेन-देन हेतु वास्तविक सम्पदा के मध्यस्थ कारोबारियों की संख्या बहुत बढ़ गई है।

अनेक कारणों से विकास न हो पाने के कारण पर्वतीय ग्रामीण क्षेत्रों से परिवारों का रोजगार की तलाश में मैदानी क्षेत्रों को स्थानान्तरण होता है।

इस राज्य के विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों से बहुत से व्यक्तियों द्वारा सुरक्षा बलों में रोजगार प्राप्त करने की प्रवृत्ति के कारण यहाँ की अर्थव्यवस्था का एक भाग मनीआर्डर से प्राप्त आय पर आधारित हो गया।

1.5 अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)

बहुविकल्पीय प्रश्न -

1. उत्तराखंड में कृषि व उससे जुड़े क्षेत्रों में आजीविका के लिए निर्भर रहने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत है-

- (1) 82 प्रतिशत (2) 65 प्रतिशत (3) 67 प्रतिशत (4) 70 प्रतिशत

2. वर्ष 2010-11 में उत्तराखंड में औद्योगिक विकास दर थी-

- (1) 24 प्रतिशत (2) 32 प्रतिशत (3) 51 प्रतिशत (4) 26 प्रतिशत

सत्य-असत्य बताइए -

1. उत्तराखंड के कृषि क्षेत्र की विकास दर राष्ट्रीय दर से कम है। (सत्य/असत्य)
2. मैदानी जिलों के आर्थिक विकास का स्तर पर्वतीय जिलों के स्तर से अधिक है। (सत्य/असत्य)

रिक्त स्थान भरिए -

1. वर्ष 2021-22 में उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति आय है।
2. उत्तराखंड में सबसे बड़ा बाँध है।

1.6 सारांश (Summary)

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप जान चुके हैं कि उत्तराखंड अर्थव्यवस्था एक मिश्रित व विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था है। मुख्य रूप से इस पर्वतीय राज्य में प्रति व्यक्ति आय अधिक होने के बावजूद विकास के लाभ पर्वतीय क्षेत्रों को कम मिले हैं। व्यावसायिक संरचना उद्योग व सेवा क्षेत्रों के पक्ष में है। अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार कृषि में अनेक मुख्य फसलें हैं। अधिकतर जोतों का आकार छोटा है। प्रदेश में अनेक छोटे-बड़े उद्योगों हैं यद्यपि ये मैदानी क्षेत्रों में ही अधिक स्थापित हुए हैं। इस ऊर्जा व आयुष प्रदेश में विविध प्रकार के प्राकृतिक संसाधन हैं जिसमें वन, जल व खनिज प्रमुख हैं। प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पर्यटन है। यातायात, संचार, ऊर्जा, बैंकिंग, शिक्षा व स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में विशाल अधोसंरचना विकसित की जा रही है। देवताओं के निवास कहे जाने वाले इस प्रदेश में धार्मिक यात्रायें व मेले अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करते हैं। सम्पूर्ण देश की तुलना में प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर अधिक होते हुए भी जनसंख्या घनत्व राष्ट्रीय स्तर से कम है परन्तु साक्षरता दर अधिक है। जनसंख्या वास्तविक सम्पदा के क्षेत्र में आशातीत प्रगति हुई है। रोजगार की तलाश में सुरक्षा बलों में जाने व मैदान की ओर स्थानान्तरण करने से पर्वतीय अर्थव्यवस्था अभी भी मनीआर्डर अर्थव्यवस्था कहलाती है। इस इकाई के अध्ययन से आप प्रदेश की अर्थव्यवस्था की आधारभूत विशेषताओं की व्याख्या कर सकेंगे।

1.7 शब्दावली (Glossary)

- उत्तरांचल - विश्व भर के उत्तर जिसके आंचल में हैं उसे उत्तरांचल कहते हैं।

- उत्तराखंड - देश का वह खण्ड या भाग जो देश के उत्तर में स्थित है। (**Sanskrit:** उत्तराखंडम्, *Uttarâkhandam*, **Hindi:** उत्तराखंड *Uttarâkhand*)
- सशक्त कार्य समूह राज्य (**EAG states**) - राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। शेष सभी राज्य व संघ शासित प्रदेश गैर-सशक्त कार्य समूह राज्य (**Non-EAG states**) कहलाते हैं।
- प्राथमिक क्षेत्र: इसमें कृषि, वानिकी, मछली पालन व खनन सम्मिलित होते हैं।
- द्वितीयक क्षेत्र: इसमें विनिर्माण, निर्माण, विद्युत, गैस व जल आपूर्ति सम्मिलित होते हैं।
- तृतीयक क्षेत्र: इसमें परिवहन, भंडारण व संचार, व्यापार, होटल व रेस्तराँ, बैंकिंग व बीमा, वास्तविक सम्पदा, भवन व व्यापार सेवाओं का स्वामित्व, लोक प्रशासन तथा अन्य सेवाएँ सम्मिलित होते हैं।
- सकल घरेलू राज्य उत्पाद - राज्य की भौगोलिक सीमाओं के अन्दर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अन्तिम वस्तुओं व सेवाओं का मौद्रिक मूल्य।

1.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answer for Practice Questions)

बहुविकल्पीय प्रश्न:

(1) 70 प्रतिशत, (2) 26 प्रतिशत,

सत्य/असत्य:

(1) सत्य, (2) सत्य,

रिक्त स्थान की पूर्ति:

(1) ₹196282, (2) टिहरी बाँध,

1.9 संदर्भ ग्रन्थ सूची (Reference/Bibliography)

- Aggarwal, S.P. (ed.) (1995), *Uttarakhand: Past, Present and Future*, Concept Publishing Company, New Delhi
- Deewan, M.L. & Jagdish Bahadur (eds.) (2005), *Uttaranchal: Vision and Action Programme*, Concept Publishing Company, New Delhi
- Mehta, G.S. (1999), *Development of Uttarakhand: Issues and Perspectives*, APH Publishing Corporation, New Delhi
- Pangtey, Yatendra Singh and others (2011), *Uttarakhand at a Glance 2010-11*, Directorate of Economics and Statistics, Dehradun
- *Uttarakhand at a Glance 2021-22*, Directorate of Economics and Statistics, Dehradun
- Pant, J.C. (2001), *Uttaranchal: A perspective; Bureaucratic Constrains vs Health, Population and Development*, India Literacy Board, Lucknow

- Planning Commission, Government of India (2009), *Uttaranchal Development Report*, Academic Foundation, New Delhi
- Sati, V.P. & Kamlesh Kumar (2004), *Uttaranchal: Dilemma of Plenties and Scarcities*, Mittal Publications, New Delhi
- अग्रवाल, चन्द्र मोहन (सम्पादक) (2004), *उत्तराखंड के सानिध्य में*, इंडियन पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, दिल्ली
- उत्तराखंड शासन (2010), *उत्तराखंड: उत्कर्ष की ओर*, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, देहरादून
- उत्तराखंड शासन (2010), *नई सोच, नई दिशा*, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, देहरादून उत्तराखंड सरकार, मुख्यमंत्री उत्तराखंड की अनुपम पहल
- http://censusindia.gov.in/2011-prov-results/data_files/Figures_At_Glance.pdf
- http://www.censusindia.gov.in/2011-prov-results/data_files/Data_Sheet_prov_popu_tot_2011.pdf
- <http://des.uk.gov.in/files/pdf/uttarakhand%20at%20a%20glance%20english.pdf>
- <http://des.uk.gov.in/upload/contents/File-5.pdf>
- http://www.mohfw.nic.in/NRHM/Documents/High_Focus_Reports/Uttarakhand%20Report.pdf
- <http://www.mapsofindia.com/uttarakhand/government/economy.html>
- <http://www.uttaranchalbiz.com/why-uttarakhand/infrastructure/>
- <http://www.mapsofindia.com/uttarakhand/government/real-estate.html>
- <http://www.mapsofindia.com/uttarakhand/government/mineral-resources.html>
- <http://www.mapsofindia.com/uttarakhand/government/industry.html>
- <http://www.mapsofindia.com/uttarakhand/government/agriculture.html>
- <http://www.mapsofindia.com/uttarakhand/government/fishing.html>
- <http://www.mapsofindia.com/uttarakhand/government/tourism.html>
- <http://www.im4change.org/docs/99605NCLUSIVE%20GROWTH%20IN%20HILL%20REGIONS%20%20PRIORITIES.PDF>
- Statistical Diary 2021-22, Directorate of Economics and Statistics (2023), Dehradun

1.10 सहायक / उपयोगी पाठ्य सामग्री (Useful/Helpful Text)

- ठाकुर, सुदीप व अन्य (सम्पादक) (2010), *उत्तराखंड उदय: एक दशक की यात्रा* (2000 से 2010), अमर उजाला पब्लिकेशन्स लिमिटेड, नोएडा
- बलूनी, विद्या दत्त, *उत्तराखंड: एक सम्पूर्ण अध्ययन*, अरिहन्त पब्लिकेशन्स (इ) प्रा लि, मेरठ
- पाण्डेय, अशोक कुमार, *उत्तरांचल: सम्पूर्ण अध्ययन*, उपकार प्रकाशन, आगरा
- सविता मोहन (2007), *उत्तराखंड: समग्र अध्ययन*, तक्षशिला प्रकाशन, नई दिल्ली

1.11 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

1- उत्तराखंड अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

2- उत्तराखंड अर्थव्यवस्था की सकारात्मक व नकारात्मक विशेषताओं की व्याख्या कीजिए।

इकाई-2 मानवीय संसाधन एवं जनसंख्या (Human Resources And Population)

- 2.1 प्रस्तावना (Introduction)
- 2.2 उद्देश्य (Objectives)
- 2.3 मानवीय संसाधन, जनसंख्या व आर्थिक विकास (Human Resources, Population and Economic Development)
- 2.4 जनांकिकीय विशेषताएँ (Demographic Features)
 - 2.4.1 जनसंख्या का आकार, वृद्धि दर तथा वितरण (Size of Population, Growth Rate and Distribution)
 - 2.4.2 लिंगानुपात (Sex Ratio)
 - 2.4.3 जनसंख्या घनत्व (Population Density)
 - 2.4.4 साक्षरता दर (Literacy Rate)
 - 2.4.5 जन्म दर व मृत्यु दर (Birth Rate and Death Rate)
- 2.5 मानवीय संसाधनों का विकास, जनसंख्या नियन्त्रण व परिवार कल्याण हेतु अपनाये जा रहे उपाय (Measures Adopted for Development of Human Resources, Population Control and Family Welfare)
- 2.6 अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)
- 2.7 सारांश (Summary)
- 2.8 शब्दावली (Glossary)
- 2.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answers for Practice Questions)
- 2.10 संदर्भ ग्रन्थ सूची (Reference/Bibliography)
- 2.11 सहायक / उपयोगी पाठ्य सामग्री (Useful/Helpful Text)
- 2.12 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

2.1 प्रस्तावना (Introduction)

उत्तराखंड अर्थव्यवस्था की संरचना से सम्बन्धित यह द्वितीय इकाई है। इससे पहले की प्रथम इकाई में आप प्रदेश अर्थव्यवस्था की विशेषताओं की सामान्य जानकारी प्राप्त कर चुके हैं।

एक प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए कुशल मानवीय संसाधन बहुत ही आवश्यक हैं। आप जानते हैं कि एक अर्थव्यवस्था में मानव समुदाय के लिए उपयोगी वस्तुओं, सेवाओं तथा सुविधाओं की माँग व पूर्ति में सन्तुलन स्थापित करने, तदनुरूप मानवीय संसाधनों की आवश्यकता व उपलब्धता में सामंजस्य हेतु उस क्षेत्र की जनसंख्या से सम्बन्धित विशेषताओं को जानना आवश्यक है। यहाँ आगे इन्हीं विशेषताओं का विश्लेषण किया गया है। तथा साथ ही प्रदेश में जनसंख्या से जुड़ी समस्याओं व नीतियों का उल्लेख भी किया गया है।

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप सामान्य दृष्टि से उत्तराखंड की जनसंख्या संरचना को समझ सकेंगे। आप यह भी समझ सकेंगे कि यह संरचना किस प्रकार विकास में सहायक अथवा बाधक है। आप इससे जुड़ी कुछ समस्याओं व नीतियों को भी जान सकेंगे।

2.2 उद्देश्य (Objectives)

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के बाद आप -

- ✓ मानवीय संसाधन, जनसंख्या व आर्थिक विकास के मध्य सम्बन्ध को समझा सकेंगे।
- ✓ समझा सकेंगे कि उत्तराखंड की प्रमुख जनांकिकीय विशेषताएँ कौन सी हैं?
- ✓ जनसंख्या से जुड़ी समस्याओं का विश्लेषण कर सकेंगे।
- ✓ यह बता सकेंगे कि प्रदेश में इन समस्याओं का किस प्रकार निदान किया जा रहा है?

2.3 मानवीय संसाधन, जनसंख्या व आर्थिक विकास (Human Resource, Population And Economic Development)

आप जानते हैं कि आर्थिक विकास के लिए प्राकृतिक व मानवीय दोनों संसाधन बहुत आवश्यक हैं। प्राकृतिक संसाधनों के विषय में आप अगली इकाई में अध्ययन करेंगे।

मानवीय संसाधन (Human Resource) की उपलब्धता ज्ञात करते समय केवल संख्या ही नहीं बल्कि उनके शिक्षा का स्तर व उत्पादकता को भी ध्यान में रखना होता है। एक क्षेत्र में, आर्थिक विकास की गति को तेज करने में उच्च कोटि के मानवीय संसाधन (मानवीय पूँजी) बहुत सहायक होते हैं। आप यह भी जानते हैं कि एक क्षेत्र की आबादी इस बात को निर्धारित करती है कि उस क्षेत्र में कितनी ऐसी वस्तुओं व सेवाओं की आवश्यकता है जिससे उस आबादी के सभी व्यक्तियों की आवश्यकताओं को सन्तुष्ट किया जा सके। यह आवश्यकताएँ खाद्यान्न, आवास, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य व चिकित्सा, यातायात व संचार व आदि से सम्बन्धित हो सकती हैं। जितनी अधिक आबादी होती है, उतनी ही अधिक वस्तुओं व सेवाओं की आवश्यकता भी होती है। यहाँ तक कि वस्तुओं, सेवाओं व आबादी में बच्चों, जवानों व वृद्धों तथा पुरुषों व महिलाओं की संख्या आवश्यकताओं के ढाँचे का निर्धारण करती है।

सभी जानते हैं कि बढ़ती आबादी विकास के एक भाग को खा जाती है। इसका अर्थ यह भी है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर भी आबादी के बढ़ने पर प्रति व्यक्ति आय में या तो कमी हो सकती है या बहुत थोड़ी वृद्धि हो सकती है। यह इस बात पर निर्भर होगा कि विकास की तुलना में जनसंख्या में कितनी वृद्धि होती है। यदि जनसंख्या की वृद्धि दर, विकास की दर से अधिक है तो प्रति व्यक्ति आय में कमी होगी।

आबादी के निरन्तर बढ़ते रहने से खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कम हो जाती है जिससे जनता का गरीब वर्ग कुपोषण का शिकार हो जाता है। आबादी के बढ़ने के कारण कृषि योग्य भूमि का आवासीय उपयोग होने लगता है।


जनसंख्या वृद्धि के कारण श्रम बाजार में भी श्रम की पूर्ति बढ़ने लगती है। परिणामस्वरूप, शीघ्र ही बेरोजगारी फैल जाती है। बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए विकास के अतिरिक्त प्रयास करने पड़ते हैं। इससे प्राकृतिक संसाधनों का तो अधिक दोहन करना ही पड़ता है, साथ ही अन्य आर्थिक संसाधन भी व्यर्थ होने लगते हैं।

ऐसा नहीं है कि जनसंख्या की प्रत्येक वृद्धि हानिकारक होती है। सामान्यतया: अनुकूलतम बिन्दु से अधिक जनसंख्या ही विकास में बाधाएँ उत्पन्न करती है। जनसंख्या वृद्धि के साथ अनेक वस्तुओं की माँग बढ़ने से बाजार का विस्तार होता है जो विकास में सहायक है। साथ ही, श्रम-शक्ति बढ़ने से उत्पादन में वृद्धि होती है। यदि उचित शिक्षा व स्वास्थ्य कार्यक्रमों से मानवीय संसाधनों को कुशल बनाया जा रहा है तो उस क्षेत्र में आर्थिक विकास की गति और अधिक बढ़ायी जा सकती है।

अब आपको उत्तराखंड की जनसंख्या की कुछ विशेषताओं को बताया जाएगा।

2.4 जनांकिकीय विशेषताएँ (Demographic Features)

आप जानते हैं कि हमारे देश में जनांकिकीय विशेषताओं को जानने के लिए प्रत्येक दस वर्ष बाद भारत सरकार द्वारा जनगणना की जाती है। नवीनतम जनगणना मार्च, 2011 में सम्पन्न की जा चुकी है एवं भारत के महारजिस्ट्रार एवं आयुक्त द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2011 को देश स्तर पर तथा निदेशक, उत्तराखंड द्वारा दिनांक 02 अप्रैल, 2011 को राज्य के जिलेवार अनन्तिम जनसंख्या आँकड़ों को जारी किया गया। इन आँकड़ों की कुछ सीमाएँ के होते हुए भी, सम्पूर्ण भारत से तुलना करते हुए उत्तराखंड के लिए इन्हीं अनन्तिम आँकड़ों व गत जनगणना के आँकड़ों को चयनित आधार पर सारणियों में प्रस्तुत किया गया है ताकि सारणियों का अवलोकन कर आप उत्तराखंड की जनांकिकीय विशेषताओं को जान सकें।



यहाँ यह उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड राज्य का सृजन वर्ष 2000 में होने के कारण प्रदेश की जनांकिकीय विशेषताओं को जानने के लिए केवल दो जनगणना- 2001 व 2011 की जनगणना को आधार बनाना ही पर्याप्त होगा। दशकीय आधार पर दशक 2001-2011 की तुलना दशक 1991-2001 से की जा सकती है।

2.4.1 जनसंख्या का आकार, वृद्धि दर तथा वितरण (Size of Population, Growth Rate and Distribution)

आप इस तथ्य से परिचित होंगे कि उत्तराखंड राज्य की स्थापना के बाद वर्ष 2001 में हुई जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या 84,89,349 थी। यह उस समय भारत की कुल जनसंख्या (1,02,87,37,436) का 0.83 प्रतिशत थी। परन्तु वर्ष 2011 में हुई जनगणना के अनन्तिम परिणामों के अनुसार राज्य की जनसंख्या

1,00,86,292 हो गई जो भारत की कुल जनसंख्या (1,21,08,54,977) का 0.83 प्रतिशत बनी हुई है। यह जानने योग्य तथ्य है कि कुल जनसंख्या की दृष्टि से भारत के सभी राज्यों में उत्तराखंड 19वें स्थान पर है। सारणी 2.1 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हुई जनगणनाओं के आधार पर सम्पूर्ण भारत से तुलना करते हुए उत्तराखंड की जनसंख्या की प्रतिशत दशकीय वृद्धि दरों को दर्शाया गया है।

सारणी 2.1 - सम्पूर्ण भारत (EAG व Non-EAG राज्यों में वर्गीकरण सहित) व उत्तराखंड की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दरें (प्रतिशत में)

दशक	दशकीय वृद्धि दरें (प्रतिशत में)			उत्तराखंड
	भारत			
	सम्पूर्ण	EAG राज्य	Non-EAG राज्य / संघ शासित प्रदेश	
1951-1961	21.64	19.91	23.0	22.57
1961-1971	24.8	23.01	26.17	24.42
1971-1981	24.66	25.43	24.08	27.45
1981-1991	23.86	25.12	22.92	24.23
1991-2001	21.54	24.99	18.90	20.41
2001-2011*	17.68	20.92	14.99	18.81

(स्रोत: C. Chandramouli (2011), *Census of India 2011-Provisional Population Totals: Paper 1 of 2011, India Series 1, Office of the Registrar General & Census Commissioner, India, Page 48-54 and 164-165*); *Statistical Diary 2021-22, DES Uttarakhand, Govt. of Uttarakhand, page 9

सारणी 2.1 से यह तो आप स्पष्ट कर ही सकते हैं कि राज्य सृजन के पश्चात् उत्तराखंड में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर गैर-सशक्त कार्य समूह राज्यों की तुलना में तो अधिक है ही, साथ में यह दर भारत की औसत दर से भी अधिक है। परन्तु सारणी 2.2 के आधार पर विशेष बात यह है कि दशक 2001-2011 में उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर (1.77 प्रतिशत) जबकि 1991-2001 दशक में दर (1.87 प्रतिशत) की तुलना में कम रही।

सारणी 2.2 - सम्पूर्ण भारत व उत्तराखंड की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दरें (दशक 1991-2001 व 2001-2011 के दौरान)

अवधि	औसत वार्षिक घातांकीय वृद्धि दर (Average Annual Exponential Growth Rate) (प्रतिशत में)	
	भारत	उत्तराखंड
दशक 1991-2001	1.97	1.87
दशक 2001-2011	1.64	1.77

(स्रोत: C. Chandramouli (2011), Census of India 2011-Provisional Population Totals: Paper 1 of 2011, India Series 1, Office of the Registrar General & Census Commissioner, India, Page 54)

उत्तराखण्ड में दो मैदानी (हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर), दो पर्वतीय-मैदानी (देहरादून, नैनीताल) व शेष नौ जिले पर्वतीय हैं। प्रदेश की लगभग आधी से अधिक जनसंख्या हरिद्वार, देहरादून व ऊधमसिंह नगर में रहती है। सभी 9 पर्वतीय जिलों में रहने वाली जनसंख्या का प्रदेश की कुल जनसंख्या से प्रतिशत वर्ष 2001 की तुलना में 2011 में घटा है जो पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों की ओर स्थानान्तरण को दर्शाता है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे - पर्वतीय क्षेत्रों में अत्यन्त कठिन व विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ, भू-स्खलन व भू-क्षरण की अत्यधिक समस्या, अच्छे रोजगार व व्यवसाय के बहुत कम अवसर, कठिन कृषि व बहुत कम उद्योग, स्वास्थ्य व चिकित्सा, यातायात, पेय जल आदि सुविधाओं का बहुत कम होना। प्रदेश के विभिन्न पर्वतीय व मैदानी जिलों में जनसंख्या वितरण को जानने के लिए सारणी 2.3 व 2.4 में प्रदेश में जिलेवार जनसंख्या वितरण व वृद्धि दरों को दर्शाया गया है।

सारणी 2.3 - उत्तराखण्ड में जिलेवार जनसंख्या वितरण (वर्ष 2001 व 2011)

जिला	वर्ष 2001			वर्ष 2011		
	व्यक्ति	कुल से प्रतिशत	स्थान क्रम	व्यक्ति	कुल से प्रतिशत	स्थान क्रम
हरिद्वार	1447187	17.04	1	1890422	18.74	1
देहरादून	1282143	15.10	2	1696694	16.82	2
ऊधमसिंह नगर	1235614	14.55	3	1648902	16.35	3
नैनीताल	762909	8.99	4	954605	9.46	4
पौड़ी गढ़वाल	697078	8.21	5	687271	6.81	5
अल्मोड़ा	632866	7.45	6	622285	6.17	6
टिहरी गढ़वाल	604747	7.24	7	618931	6.14	7
पिथौरागढ़	462289	5.45	8	483439	4.79	8
चमोली	370359	4.36	9	391605	3.88	9
उत्तरकाशी	295013	3.48	10	330086	3.27	10
बागेश्वर	247163	2.91	11	259898	2.58	11
चम्पावत	224542	2.64	13	259648	2.57	12
रूद्रप्रयाग	227439	2.68	12	242285	2.40	13
उत्तराखण्ड	8489349	100.00		10086292	100	

(स्रोत: अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय (2023), सांख्यिकीय डायरी 2021-22, उत्तराखण्ड सरकार, पृ० 9)

सारणी 2.4 - उत्तराखंड में जिलेवार जनसंख्या दशकीय प्रतिशत वृद्धि दर (दशक 1991-2001 व 2001-2011)

जिला	जनसंख्या की दशकीय प्रतिशत वृद्धि दर (Decadal Percentage Growth Rate of Population)			
	1991-2001	स्थान क्रम	2001-2011	स्थान क्रम
ऊधमसिंह नगर	33.60	1	33.45	1
देहरादून	25.00	4	32.33	2
हरिद्वार	28.70	3	30.63	3
नैनीताल	32.72	2	25.13	4
चम्पावत	17.60	6	15.63	5
उत्तरकाशी	23.07	5	11.89	6
रूद्रप्रयाग	13.43	9	06.53	7
चमोली	13.87	8	05.74	8
पिथौरागढ़	10.95	10	04.58	9
बागेश्वर	09.28	11	04.18	10
टिहरी गढ़वाल	16.24	7	2.35	11
अल्मोड़ा	03.67	13	-01.28	12
पौड़ी गढ़वाल	03.91	12	-01.41	13
उत्तराखंड	20.41		18.81	
सम्पूर्ण भारत	21.54		17.64	

(स्रोत: अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय (2023), सांख्यिकीय डायरी 2021-22, उत्तराखंड सरकार, पृ० 17)

जनसंख्या का ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में वितरण प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की आर्थिक प्रगति को दर्शाता है। एक सीमा तक अधिक नगरीय क्षेत्रों का होना अधिक प्रगति का सूचक माना जा सकता है। सामान्य रूप से ग्रामों की तुलना में नगरों में बहुत अधिक विकसित बाजार, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि की अधिक सुविधाएँ तथा रोजगार व व्यवसाय के अधिक अवसर होने के कारण व्यक्ति ग्रामों से नगरों की ओर जाने की प्रवृत्ति रखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड की ग्रामीण जनसंख्या कुल जनसंख्या के 69.77 प्रतिशत तथा नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या की 30.23 प्रतिशत थी, जबकि देश की ग्रामीण जनसंख्या कुल जनसंख्या की 68.85 प्रतिशत तथा नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या की 31.15 प्रतिशत थी। सारणी 2.5 में वर्ष 2001 तथा 2011 में उत्तराखंड के विभिन्न जिलों की नगरीय व ग्रामीण जनसंख्या का कुल जनसंख्या से प्रतिशत दिया गया है जिससे आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि उत्तराखंड के उदय के समय क्या स्थिति थी एवं वर्तमान में नगरीकरण की स्थिति कैसी है?

सारणी 2.5 - उत्तराखंड व विभिन्न जिलों में जिले की कुल जनसंख्या से वर्ष 2001 व 2011 में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत

जिला	वर्ष 2001 में नगरीय जनसंख्या (प्रतिशत में)	वर्ष 2011* में नगरीय जनसंख्या (प्रतिशत में)	जिला	वर्ष 2001 में नगरीय जनसंख्या (प्रतिशत में)	वर्ष 2011* में नगरीय जनसंख्या (प्रतिशत में)
उत्तरकाशी	08	7.36	पिथौरागढ़	13	14.40
चमोली	14	15.17	अल्मोड़ा	09	10.1
टिहरी-गढ़वाल	10	11.33	नैनीताल	35	38.94
देहरादून	53	55.52	ऊधमसिंहनगर	33	35.58
पौड़ी गढ़वाल	13	16.40	बागेश्वर	03	3.49
रूद्रप्रयाग	01	4.10	चम्पावत	15	14.77
हरिद्वार	31	36.66	कुल	26	30.23

(स्रोत: Planning Commission, Government of India (2009), Uttarakhand Development Report, Academic Foundation, New Delhi, पृ० 80; *अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय (2023), सांख्यिकीय डायरी 2021-22, उत्तराखंड सरकार, पृ० 18)

धर्म के आधार पर वितरण की दृष्टि से उत्तराखंड में हिन्दुओं की बहुत अधिकता है। वर्ष 2001 तथा 2011 के आधार पर प्रदेश की जनसंख्या का धर्म के आधार पर वितरण को सम्पूर्ण देश की स्थिति से तुलना करते हुए दर्शाया गया है।

सारणी 2.6- वर्ष 2001 तथा 2011 के अनुसार भारत तथा उत्तराखंड में धर्म के आधार पर जनसंख्या का कुल से प्रतिशत

धर्म	उत्तराखंड				कुल से प्रतिशत			
	मैदानी जनपद		पर्वतीय जनपद		उत्तराखंड		भारत	
	2001	2011	2001	2011	2001	2011	2001	2011
हिन्दू	20.94	23.00	64.02	59.97	84.96	82.97	80.45	79.80
मुस्लिम	8.63	10.12	3.29	3.83	11.92	13.95	13.46	14.23
इसाई	0.08	0.37	0.24	0.27	0.32	0.37	2.34	2.30
सिक्ख	1.87	1.79	0.63	0.56	2.50	2.34	1.86	1.72

बौद्ध	0.02	0.01	0.12	0.14	0.14	0.15	0.77	0.70
जैन	0.04	0.03	0.07	0.06	0.11	0.09	0.41	0.37
अन्य व अवर्णित धर्म	0.02	0.04	0.03	0.09	0.05	0.13	0.71	0.90
समस्त	31.6	35.36	68.4	64.91	100	100	100	100

(स्रोत: अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय (2023), सांख्यिकीय डायरी 2021-22, उत्तराखण्ड सरकार, पृ० 14)

2.4.2 लिंगानुपात (Sex-Ratio)

लिंगानुपात से आपको प्रति हजार पुरुष, स्त्रियों की संख्या की जानकारी मिलती है। बदलता लिंगानुपात विवाह व बच्चों की संख्या को तो प्रभावित करता ही है, साथ ही इससे अनेक प्रकार के सामाजिक व नैतिक परिवर्तन भी होते हैं। घटता लिंगानुपात स्त्रियों के प्रति भेदभाव को दर्शाता है। सारणी 2.7 में देश के साथ तुलना करते हुए प्रदेश में जिलेवार लिंगानुपात को दर्शाया गया है जिससे आप प्रदेश में लिंगानुपात सम्बन्धी विशेषताओं को जान सकते हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि पर्वतीय जिलों में प्रति हजार पुरुष स्त्रियों की संख्या अधिक होने का प्रमुख कारण इन क्षेत्रों से पलायन, पुरुषों का सेना आदि में रोजगार के लिए बाहर जाना है।

सारणी 2.7 - उत्तराखण्ड में जिलेवार लिंगानुपात - वर्ष 2001 व 2011

जिला	स्त्रियों की संख्या प्रति हजार पुरुष (Number of Women per Thousand Men)			
	वर्ष 2001	स्थान क्रम	वर्ष 2011	स्थान क्रम
अल्मोड़ा	1145	1	1139	1
रूद्रप्रयाग	1115	2	1114	2
पौड़ी गढ़वाल	1106	3	1103	3
बागेश्वर	1106	4	1090	4
टिहरी गढ़वाल	1049	5	1078	5
पिथौरागढ़	1031	6	1020	6
चमोली	1016	8	1019	7
चम्पावत	1021	7	980	8
उत्तरकाशी	0941	9	958	9
नैनीताल	0906	10	934	10
ऊधमसिंह नगर	0902	11	920	11
देहरादून	0887	12	902	12

हरिद्वार	0865	13	880	13
उत्तराखंड	0962		963	
सम्पूर्ण भारत	0933		943	

(स्रोत: अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय (2023), सांख्यिकीय डायरी 2021-22, उत्तराखंड सरकार, पृ० 22)

2.4.3 जनसंख्या घनत्व (Population Density)

जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर औसत जनसंख्या को दर्शाता है। इसके आधार पर क्षेत्र विशेष में जनसंख्या के संकेन्द्रण व उसके कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं को समझने में सहायता मिलती है। जिन क्षेत्रों में शिक्षा, यातायात, संचार, बैंकिंग, स्वास्थ्य व पेय जल आदि की सुविधाएँ अधिक होती हैं तथा रोजगार व व्यापार के अवसर अधिक होते हैं, वहीं पर यह घनत्व अधिक होता है। यह घनत्व उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में बहुत कम व मैदानी जिलों में बहुत अधिक है। सारणी 2.8 में प्रदेश में जिलेवार जनसंख्या घनत्व को दर्शाया गया है।

सारणी 2.8 - उत्तराखंड में जिलेवार जनसंख्या घनत्व - वर्ष 2001 व 2011

जिला	जनसंख्या घनत्व (व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर)			
	वर्ष 2001	स्थान क्रम	वर्ष 2011	स्थान क्रम
हरिद्वार	613	1	801	1
ऊधमसिंह नगर	486	2	649	2
देहरादून	415	3	549	3
नैनीताल	179	5	225	4
अल्मोड़ा	201	4	198	5
टिहरी गढ़वाल	166	6	170	6
चम्पावत	127	8	147	7
पौड़ी गढ़वाल	131	7	129	8
रूद्रप्रयाग	115	9	122	9
बागेश्वर	110	10	116	10
पिथौरागढ़	065	11	068	11
चमोली	046	12	049	12
उत्तरकाशी	037	13	041	13
उत्तराखंड	159		189	
सम्पूर्ण भारत	325		382	

(स्रोत: अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय (2023), सांख्यिकीय डायरी 2021-22, उत्तराखंड सरकार, पृ० 21)

2.4.4 साक्षरता दर (Literacy Rate)

साक्षरता दर की सहायता से क्षेत्र विशेष में मानवीय संसाधनों की योग्यता की प्रारम्भिक स्थिति ज्ञात होती है। यह दर जितनी अधिक होती है, क्षेत्र के विकास में उतनी ही सहायता मिलती है। प्रदेश में प्रभावी साक्षरता दर जो वर्ष 2001 में 71.62 प्रतिशत थी, वर्ष 2011 में बढ़कर 78.82 प्रतिशत हो गई। परन्तु साक्षरता की स्थिति के आधार पर प्रदेश सम्पूर्ण देश में 14वें स्थान से खिसककर 16वें स्थान पर आ गया है। यह साक्षरता दर सम्पूर्ण भारत में वर्ष 2001 में 64.83 प्रतिशत थी जो वर्ष 2011 में 74.04 प्रतिशत हो गई। प्रदेश की साक्षरता दर देश की औसत साक्षरता दर से अधिक तो है परन्तु प्रदेश की स्त्रियों की साक्षरता दर पुरुषों की साक्षरता दर की तुलना में अभी भी कम है। सारणी 2.9 में प्रदेश की जिलेवार पुरुष व महिलाओं की साक्षरता दरों को दर्शाया गया है।

सारणी 2.9 - उत्तराखंड में जिलेवार प्रभावी साक्षरता दर - वर्ष 2001 व 2011

जिला	प्रभावी साक्षरता दर (प्रतिशत में)					
	वर्ष 2001			वर्ष 2011		
	व्यक्ति	पुरुष	स्त्रियाँ	व्यक्ति	पुरुष	स्त्रियाँ
देहरादून	78.99	85.87	71.20	84.2	89.4	78.5
नैनीताल	78.36	86.32	69.55	83.9	90.1	77.3
चमोली	75.43	89.66	60.49	82.7	93.4	72.3
पिथौरागढ़	75.95	90.06	62.60	82.2	92.7	72.3
पौड़ी गढ़वाल	77.49	90.91	60.70	82	92.7	72.6
रूद्रप्रयाग	73.65	89.81	59.57	81.3	93.9	70.4
अल्मोड़ा	73.64	89.19	60.56	80.5	92.9	69.9
चम्पावत	71.29	87.27	54.18	79.8	91.6	68
बागेश्वर	70.42	87.67	56.98	80	92.3	69
उत्तरकाशी	65.71	83.60	46.70	75.8	88.8	62.4
टिहरी गढ़वाल	66.73	85.33	49.42	76.4	89.8	64.3
हरिद्वार	63.75	73.83	52.09	73.4	81	64.8
ऊधमसिंह नगर	64.86	75.22	53.35	73.1	81.1	64.4
उत्तराखंड	71.61	83.28	59.63	78.8	87.4	70
सम्पूर्ण भारत	64.83	75.26	53.67	74.04	82.14	65.46

(स्रोत: अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय (2023), सांख्यिकीय डायरी 2021-22, उत्तराखंड सरकार, पृ० 100)

2.4.5 जन्म दर व मृत्यु दर (Birth Rate and Death Rate)

जन्म दर व मृत्यु दर के मध्य अन्तर का जनसंख्या पर प्रभाव पड़ता है। जन्म दर प्रति हजार जनसंख्या जन्में बच्चों की संख्या है जबकि मृत्यु दर प्रति हजार जनसंख्या मृत्युओं की संख्या है। सामान्यतया: जन्म दर, मृत्यु दर से अधिक रहती है। जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर के तेजी से घटने से जनसंख्या विस्फोट की

सम्भावना होती है। सामान्य रूप से ऊँची जन्म दर के प्रमुख कारण हैं - विवाह की अनिवार्यता का होना, कम उम्र में विवाह का होना, बड़े परिवार को आर्थिक सुरक्षा का आधार मानना, धार्मिक व सामाजिक कारणों से पुत्र की अनिवार्यता होना, अशिक्षा के कारण सन्तान को ईश्वरीय देन मानना, गर्म जलवायु का होना, निम्न जीवन स्तर का होना इत्यादि। मृत्यु दर में तेजी से कमी के प्रमुख कारण हैं - शिक्षा, स्वास्थ्य व चिकित्सा सुविधाओं में अधिक विस्तार, जीवन स्तर में वृद्धि, विवाह की आयु में वृद्धि, मनोरंजन के साधनों में वृद्धि, नगरों का विस्तार, घातक रोगों व महामारियों में भारी कमी इत्यादि। उत्तराखंड में जन्म दर व मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से कम है। इन दरों को सारणी 2.10 की सहायता से देखा जा सकता है।

सारणी 2.10 - वर्ष 2009 एवं 2020 में उत्तराखंड में अशोधित जन्म दर, अशोधित मृत्यु दर व (एस0आर0एस0 आँकड़े)

(प्रति हजार जनसंख्या)

	क्षेत्र 2009			क्षेत्र 2020*		
	ग्रामीण	नगरीय	कुल	ग्रामीण	नगरीय	कुल
अशोधित जन्म दर (Crude Birth Rate)	20.6	16.3	19.7	17	15.6	16.6
अशोधित मृत्यु दर (Crude Death Rate)	6.9	5.1	6.5	6.7	5.1	6.3

(स्रोत: Pangtey, Yatendra Singh and others (2011), Uttarakhand at a Glance 2010-11, Directorate of Economics and Statistics, Dehradun, पृष्ठ 3; *अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय (2023), उत्तराखंड एक दृष्टि में 2021-22, उत्तराखंड सरकार, पृ० 06)

2.5 मानवीय संसाधनों के विकास, जनसंख्या नियन्त्रण व परिवार कल्याण हेतु अपनाये जा रहे उपाय (Measures Adopted for Development of Human Resources, Population Control and Family Welfare)

प्रदेश में स्वस्थ व सुशिक्षित मानवीय संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाने, जनसंख्या को नियन्त्रित करने व परिवार कल्याण में वृद्धि के लिए अनेक प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों में से कुछ का संक्षिप्त उल्लेख निम्न है -

1. शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए विद्यालयों की संख्या में सुधार किया गया है, स्कूलों में शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने के साथ ही अधिक धनराशि की व्यवस्था की जा रही है। इस सुधार को सारणी 2.11 से देखा जा सकता है-

सारणी 2.11- वर्ष 2001-02, 2010-11 व 2020-21 में उत्तराखंड में विभिन्न प्रकार के विद्यालयों की संख्या

	संख्या		
	वर्ष 2001-02	वर्ष 2010-11	वर्ष 2020-21*
प्राथमिक शिक्षा	13594	15644	13422

जूनियर हाईस्कूल	3461	4295	5288
हाईस्कूल	674	1099	3801
इंटरमीडिएट स्कूल	879	1371	

(स्रोत: उत्तराखण्ड शासन (2010), उत्तराखण्ड उत्कर्ष की ओर, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, देहरादून, पृष्ठ 5
*अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय (2023), उत्तराखण्ड एक दृष्टि में 2021-22, उत्तराखण्ड सरकार, पृ० 17)

- इसके अतिरिक्त प्रदेश में उच्च शिक्षण संस्थाओं का लगातार विकास किया जा रहा है। आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, अनेक निजी विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों तथा इंजीनियरिंग, राजकीय मेडिकल कॉलेज, राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय, राजकीय पैरामेडिकल संस्थान जैसी प्राविधिक संस्थाओं की या तो स्थापना की जा चुकी है या स्थापना हेतु कार्यवाही की जा रही है ताकि प्रदेश के विकास के लिए अधिकाधिक कुशल मानवीय संसाधन उपलब्ध हो सकें।
- स्वास्थ्य सेवाओं में क्रान्तिकारी कदम उठाये हुए उत्तर भारत में पहले व देश में तीसरे राज्य के रूप में जीवन रक्षा के लिए 108 आपातकालीन चिकित्सा सेवा प्रारम्भ की गई है।
- राज्य गठन के समय 1525 उपकेन्द्र, 23 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 235 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की तुलना में अब ये बढ़कर क्रमशः 1896, 80 व 577 हो गए हैं।
- ग्रामीण जन-जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए अटल आदर्श ग्राम योजना, स्मार्ट हेल्थ कार्ड, स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरण योजना, आयुष ग्राम योजना आदि को चलाया जा रहा है। उत्तराखण्ड के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, उत्तराखण्ड में 43 लाख गोल्डन कार्ड बने हैं जो राष्ट्रीय औसत से 3 गुना अधिक है।
- बी.पी.एल. परिवारों को नन्दा देवी कन्या योजना के अन्तर्गत कन्या जन्म के बाद बालिका के पक्ष में 5,000 रुपये तथा गौरा देवी कन्याधन योजना के अन्तर्गत इंटरमीडिएट उत्तीर्ण बालिकाओं को 25,000 रुपये की धनराशि देने की व्यवस्था की जा रही है ताकि समाज में बालिकाओं की स्थिति में समानता आ सके, भ्रूण हत्या रुक सके तथा बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन मिल सके।
- जन्म दर को नियन्त्रित करने के लिए परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न साधनों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। उत्तराखण्ड की सांख्यिकीय डायरी 2021-22 के अनुसार, वर्ष 2021-22 में नसबन्दी कराने वाले व्यक्तियों की संख्या 10,670 थी, लूप निवेशन का प्रयोग करने वालों की संख्या 34,126, सी.सी. यूजर्स की संख्या 47,587 व ओ.पी. यूजर्स की संख्या 24,941 थी।
- परिवार को स्वेच्छा से नियन्त्रित करने वाले सरकारी कर्मचारियों को प्रति माह वित्तीय प्रेरणा दी जाती है।

सारांश रूप में, मानवीय संसाधनों के विकास व परिवार कल्याण हेतु स्वस्थ व शिक्षित प्रदेश बनाने के लिए अनेक तात्कालिक व दीर्घकालिक योजनाओं को लागू किया जा रहा है।

2.6 अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)

एक शब्द/वाक्य में उत्तर दीजिए-

- वर्ष 2011 में उत्तराखण्ड के किस जनपद की जनसंख्या सर्वाधिक है?
- वर्ष 2011 में उत्तराखण्ड के किस जनपद की जनसंख्या सबसे कम है?

सत्य/असत्य बताइए-

- (1) दशक 1991-2001 की तुलना में दशक 2001-11 में उत्तराखंड के जनसंख्या की वृद्धि दर में कमी हुई है।
- (2) दशक 2001-11 में उत्तराखंड की जनसंख्या वृद्धि दर भारत की जनसंख्या वृद्धि दर की तुलना में कम है।

2.7 सांराश (Summary)

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप यह जान चुके हैं कि मानवीय संसाधन, जनसंख्या व आर्थिक विकास में गहरा सम्बन्ध है। विकास के लिए जनसंख्या की अधिकता घातक है तो अनुकूलतम बिन्दु से नीचे रहने पर सहायक भी है। देश की नवीनतम जनगणना, 2011 व इससे पिछली जनगणना, 2001 की सहायता से प्रदेश की अनेक जनांकिकीय विशेषताओं का पता चलता है। जनसंख्या का आकार, वृद्धि, वितरण, लिंगानुपात, घनत्व व साक्षरता दर पर्वतीय व मैदानी जिलों के मध्य असमानता को दर्शाते हैं। नगरीकरण पर्वतीय क्षेत्रों से मैदान की ओर स्थानान्तरण प्रदेश की जनांकिकीय विशेषताओं को विशिष्ट बनाते हैं। प्रदेश के मानवीय संसाधनों को शिक्षा व स्वास्थ्य की दृष्टि से कुशल बनाने व जनसंख्या की वृद्धि को नियन्त्रित करने के लिए सरकार द्वारा अनेक प्रकार की योजनाओं को संचालित किया जा रहा है।

2.8 शब्दावली (Glossary)

- लिंगानुपात - प्रति हजार पुरुष स्त्रियों की संख्या।
- जनसंख्या घनत्व - प्रति वर्ग किलोमीटर औसत जनसंख्या।
- प्रभावी साक्षरता दर - यह दर 7 वर्ष व इससे अधिक आयु के साक्षरों की संख्या को इसी आयु वर्ग की कुल जनसंख्या से भाग देने के बाद 100 से गुणा करने के पश्चात् प्राप्त होती है।
- अशोधित जन्म दर - यह दर एक वर्ष में वर्ष के मध्य औसत जनसंख्या से कुल जन्में शिशुओं की संख्या भाग देने के बाद 1000 से गुणा करने के पश्चात् प्राप्त होती है।
- अशोधित मृत्यु दर - यह दर एक वर्ष में जनसंख्या से कुल मृत्युओं की संख्या को भाग देने के बाद 1000 से गुणा करने के पश्चात् प्राप्त होती है।

2.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answer for Practice Questions)

एक शब्द में उत्तर:

- (1) हरिद्वार, (2) रूद्रप्रयाग,

सत्य/असत्य:

- (1) सत्य, (2) असत्य,

2.10 संदर्भ ग्रन्थ सूची (Reference/Bibliography)

- Aggarwal, S.P. (ed.) (1995), **Uttarakhand: Past, Present and Future**, Concept Publishing Company, New Delhi
- Dewan, M.L. & Jagdish Bahadur (eds.) (2005), **Uttaranchal: Vision and Action Programme**, Concept Publishing Company, New Delhi

- Mehta, G.S. (1999), **Development of Uttarakhand: Issues and Perspectives**, APH Publishing Corporation, New Delhi
- Pangtey, Yatendra Singh and others (2011), **Uttarakhand at a Glance 2010-11**, Directorate of Economics and Statistics, Dehradun
- **Uttarakhand at a Glance 2021-22**, Directorate of Economics and Statistics, Dehradun
- Planning Commission, Government of India (2009), **Uttarakhand Development Report**, Academic Foundation, New Delhi
- Sati, V.P. & Kamlesh Kumar (2004), **Uttaranchal: Dilemma of Plenties and Scarcities**, Mittal Publications, New Delhi
- उत्तराखंड शासन (2010), **उत्तराखंड उत्कर्ष की ओर**, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, देहरादून
- उत्तराखंड शासन (2010), **नई सोच, नई दिशा**, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, देहरादून
- उत्तराखंड सरकार, **मुख्यमंत्री उत्तराखंड की अनुपम पहल**
- जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तराखंड (2011), **भारत की जनगणना-2011**, प्रेस कान्फ्रेंस दिनांक 2 अप्रैल, 2011, देहरादून
- अर्थ एवं सांख्यिकीय निदेशालय (2023), **सांख्यिकीय डायरी 2021-22**, उत्तराखंड सरकार
- http://censusindia.gov.in/2011-prov-results/data_files/Figures_At_Glance.pdf
- http://www.censusindia.gov.in/2011-prov-results/data_files/Data_Sheet_prov_popu_tot_2011.pdf
- <http://des.uk.gov.in/files/pdf/uttarakhand%20at%20a%20glance%20english.pdf>
- <http://des.uk.gov.in/upload/contents/File-5.pdf>
- http://www.censusindia.gov.in/2011-prov-results/data_files/uttarakhand/ppt_figures_press_rel.pdf
- Statistical Diary 2021-22, Directorate of Economics and Statistics (2023), Dehradun

2.11 सहायक/उपयोगी पाठ्यसामग्री (Useful / Helpful Text)

- ठाकुर, सुदीप व अन्य (सम्पादक) (2010), **उत्तराखंड उदय: एक दशक की यात्रा (2000 से 2010)**, अमर उजाला पब्लिकेशन्स लिमिटेड, नोएडा
- बलूनी, विद्या दत्त, **उत्तराखंड एक सम्पूर्ण अध्ययन**, अरिहन्त पब्लिकेशन्स (इ) प्रा लि, मेरठ
- पाण्डेय, अशोक कुमार, **उत्तराँचल; सम्पूर्ण अध्ययन**, उपकार प्रकाशन, आगरा

- सविता मोहन (2007), उत्तराखंड समग्र अध्ययन, तक्षशिला प्रकाशन, नई दिल्ली

2.12 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

- 1- वर्ष 2001 के साथ वर्ष 2011 की तुलना करते हुए उत्तराखंड की जनांकिकीय विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
- 2- उत्तराखंड के पर्वतीय व मैदानी जिलों की जनांकिकीय विशेषताओं की तुलना कीजिए।
- 3- 100 शब्दों में टिप्पणी लिखिए -
 - (क) जनसंख्या व आर्थिक विकास में सम्बन्ध।
 - (ख) पर्वतीय क्षेत्रों से जनसंख्या के पलायन की समस्या।
 - (ग) उत्तराखंड में स्वास्थ्य व परिवार कल्याण कार्यक्रम।
 - (घ) उत्तराखंड में साक्षरता की स्थिति।
 - (ङ) उत्तराखंड में जनसंख्या घनत्व की स्थिति।

इकाई-3 प्राकृतिक संसाधन (Natural Resources)

- 3.1 प्रस्तावना (Introduction)
- 3.2 उद्देश्य (Objectives)
- 3.3 प्राकृतिक संसाधन- अर्थ, प्रकार व आर्थिक विकास से सम्बन्ध (Natural Resources - Meaning, Types and Relationship to Economic Development)
- 3.4 प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता (Availability of Natural Resources)
 - 3.4.1 भूमि संसाधन (Land Resource)
 - 3.4.2 वन संसाधन (Forest Resource)
 - 3.4.3 जल व मत्स्य संसाधन (Water & Fisheries Resources)
 - 3.4.4 खनिज संसाधन (Mineral Resources)
- 3.5 प्राकृतिक संसाधनों की समस्याएँ (Problems of Natural Resources)
- 3.6 प्राकृतिक संसाधनों हेतु सरकारी नीतियाँ व कार्यक्रम (Government Policies & Programmes for Natural Resources)
- 3.7 अभ्यास प्रश्न (Practice Question)
- 3.8 सारांश (Summary)
- 3.9 शब्दावली (Glossary)
- 3.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answers of Practice Question)
- 3.11 संदर्भ ग्रन्थ सूची (Reference / Bibliography)
- 3.12 सहायक / उपयोगी पाठ्य सामग्री (Useful / Helpful Text)
- 3.13 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

3.1 प्रस्तावना (Introduction)

उत्तराखंड अर्थव्यवस्था की संरचना से सम्बन्धित यह तृतीय इकाई है। इससे पहले प्रथम इकाई में आप उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की विशेषताओं व द्वितीय इकाई में मानवीय संसाधनों व जनसंख्या के विषय सामान्य जानकारी प्राप्त कर चुके हैं।

किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए मानवीय संसाधनों व मानव-निर्मित पूँजी के साथ-साथ वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों की भी आवश्यकता होती है। यद्यपि प्रकृति द्वारा दिए गए उपहारों का उस क्षेत्र विशेष में होना विकास के लिए अनिवार्य शर्त नहीं है, फिर भी उस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का प्रचुर मात्रा में पाया जाना विकास के लिए वरदान तो है ही। ये प्राकृतिक संसाधन भूमि, वन, जल व खनिज आदि के रूप में पाये जाते हैं। किसी भी क्षेत्र में उपलब्ध पर्याप्त भूमि, कृषि के लिए विभिन्न प्रकार की उपजाऊ मिट्टियाँ व अच्छी जलवायु, पर्याप्त वन क्षेत्र, वनों में विविध प्रकार के उत्पाद, नदियाँ व झीलों व खनिजों के पाये जाने पर उस क्षेत्र का विकास तेजी से हो सकता है। यहाँ आगे, उत्तराखंड में उपलब्ध इन्हीं संसाधनों के विषय में बताया गया है। साथ ही, इनसे जुड़ी समस्याओं, नीतियों व कार्यक्रमों का उल्लेख भी किया गया है।

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप उत्तराखंड में प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, विशेषताओं व इनसे जुड़ी समस्याओं, नीतियों व कार्यक्रमों को जान सकेंगे।

3.2 उद्देश्य (Objectives)

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के बाद आप -

- ✓ प्राकृतिक संसाधन का अर्थ, प्रकार व इनका आर्थिक विकास से सम्बन्ध को समझा सकेंगे।
- ✓ समझा सकेंगे कि उत्तराखंड में प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता की स्थिति क्या है?
- ✓ इन संसाधनों से जुड़ी समस्याओं का विश्लेषण कर सकेंगे।
- ✓ यह बता सकेंगे कि उत्तराखंड में इन संसाधनों के दोहन से जुड़ी समस्याओं के निराकरण हेतु राज्य सरकार की नीतियाँ व कार्यक्रम क्या हैं?

3.3 प्राकृतिक संसाधन- अर्थ, प्रकार व आर्थिक विकास से सम्बन्ध (Natural Resources- Meaning, Types and Relationship with Economic Development)

प्राकृतिक संसाधनों में प्रकृति प्रदत्त उन सभी उपहारों को सम्मिलित किया जाता है जिनका मनुष्य अपने उपयोग के लिए दोहन कर सकता है। प्रमुख रूप से भूमि, वन, जल, मत्स्य व खनिज आदि प्रकृति प्रदत्त उपहार प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं।

प्राकृतिक संसाधनों का दोहन मनुष्य ज्ञात तकनीक व अपने श्रम द्वारा करता है। ऐसा न किए जाने पर ये संसाधन निष्क्रिय ही रहते हैं। जिन संसाधनों की जानकारी मनुष्यों को होती है, वे 'ज्ञात संसाधन' कहलाते हैं। भू सतह का आकार, स्थलाकृति, जलवायु, वर्षा, वनों से आच्छादित क्षेत्र व खोजे गये खनिज 'ज्ञात संसाधन' कहलाते हैं। परन्तु अनेक संसाधनों के विषय में मनुष्यों को जानकारी नहीं होती है। इन 'अज्ञात संसाधनों' की खोज में मनुष्य लगातार प्रयास करता है।

नवीनीकरण होने या न होने के आधार पर प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं - एक वे संसाधन होते हैं जिनका लगातार नवीनीकरण होता रहता है, जैसे भूमि, वन जल व मत्स्य। दूसरे वे संसाधन होते हैं जिनका नवीनीकरण नहीं होता है अर्थात् लगातार उपयोग होते रहने से ये संसाधन समाप्त हो जाते हैं, जैसे खनिज व खनिज तेल।

आर्थिक विकास की प्रक्रिया में वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए इन प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। यदि किसी देश अथवा प्रदेश में ये संसाधन आवश्यकता से कम मात्रा में पाये जाते हैं तब

इनके आयात द्वारा ही आर्थिक विकास किया जा सकता है। इसका यह अर्थ है कि प्राकृतिक संसाधनों का बहुत अधिक मात्रा में होना विकास के लिए अच्छा तो है परन्तु इन साधनों के कम होने पर आयात द्वारा इस समस्या को सुलझाया जा सकता है।

आप जानते हैं कि अधिक भूमि, विविध प्रकार की उपजाऊ मिट्टियाँ, अनुकूल जलवायु व जल कृषि फसलों के अधिक उत्पादन के लिए अति आवश्यक हैं। जल की पर्याप्त उपलब्धता कृषि उत्पादन के साथ पेय जल की समस्या को भी हल करने में सहायक है। नदियों में प्रवाहित जल से हम विद्युत का भी उत्पादन कर सकते हैं। वनों से हमें प्राकृतिक सौन्दर्य, अनेक प्रकार के वन्य जीव, प्राण वायु, ईंधन, इमारती लकड़ी, जड़ी-बूटियाँ व अन्य उत्पाद प्राप्त होते हैं, भू-क्षरण रुकता है, पशुओं को चारा मिलता है तथा जलवायु समशीतोष्ण हो जाती है। खनिजों की उपलब्धता उद्योगों के विकास को भी बढ़ावा देती है। खनिजों की विविधता व अधिकता क्षेत्र की समृद्धि को बढ़ाने में सहायक है। एक अर्थ में यह कहा जा सकता है कि प्राकृतिक संसाधनों से अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, आदि का विकास होता है जिससे क्षेत्र में रोजगार व आय में वृद्धि होती है। पर यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है कि आर्थिक विकास की गति को बहुत तीव्र करने के लिए इन संसाधनों का अत्यधिक दोहन अनेक प्रकार की समस्याओं को जन्म देता है। इन समस्याओं में प्रमुख हैं - भूमि का बंजर होना, भू-क्षरण, जलवायु में विनाशकारी परिवर्तन, बाढ़, सूखा, उपजाऊ मिट्टियों की कमी, इत्यादि। इसलिए प्राकृतिक संसाधनों के लगातार अधिक विदोहन से आर्थिक विकास की गति में दीर्घकाल में सतत वृद्धि नहीं की जा सकती है।

3.4 प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता (Availability of Natural Resources)

प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से उत्तराखंड एक समृद्ध प्रदेश है। प्रदेश में उपलब्ध विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों - भूमि, वन, जल, मत्स्य, खनिजों की स्थिति को आप निम्नलिखित वर्णन से जान सकते हैं-

3.4.1 भू संसाधन (Land Resources)

उत्तराखंड 53,483 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ, एक छोटा राज्य है। भूमि क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का 18वां सबसे बड़ा राज्य है। इसकी स्थलाकृति अत्यन्त विविध व कठिन है। हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर तथा देहरादून व नैनीताल के कुछ भागों को छोड़कर शेष क्षेत्र पर्वतीय है। राज्य का लगभग 86 प्रतिशत भाग पर्वतीय (क्षेत्रफल - 46,035 वर्ग किलोमीटर) तथा शेष भाग मैदानी है। यहाँ एक ओर ऊँचे पर्वत, वहीं दूसरी ओर गहरी घाटियाँ भी हैं। अनेक हिमनद, गहरी नदियाँ व तेज गति से बहती धाराएँ हैं। बर्फीली चोटियों के साथ गर्म मैदानी स्थल हैं।

भू-संरचना, धरातल की ऊँचाई, आदि के आधार पर प्रदेश को निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है- तराई, भावर व शिवालिक (संयुक्त औसत धरातलीय ऊँचाई - 300 से 3,000 मीटर), हिमाचल (औसत धरातलीय ऊँचाई - 2,000 से 3,000 मीटर), हिमाद्रि (औसत धरातलीय ऊँचाई - 3,000 से 7,600 मीटर)। शिवालिक, हिमाचल व हिमाद्रि भागों को मिलाकर यह भाग कुमाऊँ हिमालय कहलाता है। शिवालिक के दक्षिण में निचले चपटे व गहरे क्षेत्र को दून कहते हैं। विश्व की सर्वोच्च पर्वत शिखरों में से कुछ इस प्रदेश में पाये जाते हैं। इनमें से प्रमुख हैं - नन्दा देवी (7,817 मीटर), कामेट (7,756 मीटर), बद्रीनाथ (7,138 मीटर)।

उत्तराखंड की जलवायु शीतोष्ण है। तापमान में मौसमी परिवर्तन बहुत हैं परन्तु ये उष्ण कटिबन्धीय मानसून से भी प्रभावित होते हैं। दिसम्बर व जनवरी माह प्रायः बहुत ठंडे होते हैं जबकि मई व जून बहुत गर्म माह हैं। शीत ऋतु में यह तापमान कुछ क्षेत्रों में शून्य से भी बहुत कम हो जाता है। जुलाई से सितम्बर माह तक दक्षिण-पश्चिम मानसून सक्रिय रहने के कारण इस अवधि में बाढ़ व भूस्खलन की समस्या रहती है।

भू उपयोग की दृष्टि से यदि वर्ष 2020-21 के आँकड़ों को देखा जाये तो आप पायेंगे कि प्रदेश में भूमि के कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल (60,01,553 हेक्टेयर) में 63.51 प्रतिशत वन क्षेत्र, 5.65 प्रतिशत कृषि योग्य बेकार

भूमि, 1.52 प्रतिशत परती भूमि, 4.15 प्रतिशत ऊसर व खेती के अयोग्य भूमि, 3.14 प्रतिशत खेती के अतिरिक्त अन्य उपयोग में आने वाली भूमि, 3.46 प्रतिशत स्थायी चरागाह व अन्य चराई की भूमि, 6.56 प्रतिशत अन्य वृक्षों, झाड़ियों आदि की भूमि व 10.34 प्रतिशत शुद्ध बोयी गई भूमि है।

कृषि में विभिन्न प्रकार की फसलों के उत्पादन की दृष्टि से विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का होना आवश्यक होता है। ये मिट्टियाँ भूमि का ऊपरी भाग होती हैं तथा इनकी संरचना जलवायु व धरातलीय दशा से प्रभावित होती है। चट्टानों के टूटने व क्षरण होने तथा वनस्पतियों के सड़ने व गलने की लगातार क्रिया से इसका निर्माण व विकास होता रहता है। सामान्य रूप से जहाँ जल का बहाव तेज होता है, वहाँ इसकी परत कम मोटी है। परन्तु जहाँ जल का बहाव धीमा होता है, वहाँ मिट्टी का निक्षेपण अधिक होने से इसकी परत मोटी होती है।

उत्तराखण्ड की स्थलाकृति अत्यन्त जटिल होने के कारण विभिन्न क्षेत्रों की मिट्टियों में भिन्नता पायी जाती है। यहाँ प्रायः टरशरी, क्वाटर्ज, ज्वालामुखी, दोमट व भूरी मिट्टियाँ पायी जाती हैं। टरशरी मिट्टी हल्की, रेतीली व छिद्रमय होती है तथा शिवालिक व दून घाटी में पायी जाती है। क्वाटर्ज मिट्टी शैल, क्वाटर्ज इत्यादि शैलों का उपजाऊ मिश्रण है तथा नैनीताल के भीमताल में पायी जाती है। ज्वालामुखी मिट्टी ग्रेनाइट व डोलोराइट से युक्त होती है तथा पर्वतीय ढालों पर पायी जाती है। दोमट मिट्टी हल्की चिकनी व चूना, लौह युक्त होती है। कृषि कार्यों के लिए बहुत उपयोगी यह मिट्टी शिवालिक पहाड़ियों के निचले ढालों व दून घाटी में पायी जाती है। नैनीताल, मसूरी, चकराता आदि क्षेत्रों में पाई जाने वाली भूरी मिट्टी चूना युक्त होने के कारण अधिक उपजाऊ नहीं है।

3.4.2 वन संसाधन (Forest Resources)

उत्तराखण्ड में लगभग 63.51 प्रतिशत भाग (क्षेत्रफल- 38,116.62 वर्ग किलोमीटर) अभिलेखित वन क्षेत्र है, जबकि हरित आवरण केवल 45.7 प्रतिशत है। शेष क्षेत्र बर्फ से ढका हुआ, बुग्यालों के अधीन, चट्टानी बलुवी नदी तट, जलमग्न होने के कारण वनों से आच्छादित नहीं है। वनों के कारण उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था वन सम्पदा से भरपूर है। प्रदेश के वनों में विविध प्रकार की वनस्पतियाँ व वन्य जीव पाये जाते हैं। ये वन गंगा, यमुना व शारदा नदियों के उद्गम स्थल भी हैं। वनों से हमें प्रकाष्ठ, ईंधन की लकड़ी, रेज़िन (लीसा), जड़ी-बूटियाँ व अन्य महत्त्वपूर्ण उत्पाद प्राप्त होते हैं। इन वन क्षेत्रों से सभी को प्राण वायु मिलती है तथा साथ ही पारिस्थितिकीय व पर्यावरण संतुलन बनाये रखने में सहायता मिलती है। इसलिए प्रदेश में इतने भू-भाग के वन क्षेत्र होने के कारण उत्तराखण्ड का पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान है।

उत्तराखण्ड सरकार के वन विभाग के अनुसार उत्तराखण्ड में निम्न पाँच प्रकार के वन हैं-

1-तराई भाभर के वन, 2-तराई भावर के मिश्रित वन, 3-वाह्य हिमालय के वन, 4-मध्य हिमालय के वन, 5-आन्तरिक हिमालय के वन।

- ❖ तराई भावर के वन - उत्पादन वानिकी हेतु हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर व नैनीताल जिलों के दक्षिणी भागों में पाये जाने वाले 600 मीटर तक की ऊँचाई वाले इन वनों में तेजी से बढ़ने वाली प्रजातियों जैसे यूकेलिप्टस, पॉपलर आदि का रोपण किया जाता है। इन क्षेत्रों की नदियों के आसपास शीशम तथा खैर के प्राकृतिक व कृत्रिम वन पाये जाते हैं। इन वनों का उपयोग प्रायः औद्योगिक कार्यों के लिए होता है।
- ❖ तराई भावर के मिश्रित वन - मुख्य रूप से प्रदेश के देहरादून वन प्रभाग, नैनीताल जिले के विभिन्न वन प्रभाग, लैंसडाउन वन प्रभाग व चम्पावत वन प्रभाग के दक्षिणी भाग में 600 से 1,500 मीटर तक की ऊँचाई वाले इन वनों में प्रमुख रूप से साल व सहयोगी प्रजातियों के साथ कोमल काष्ठ के वृक्ष (सेमल, एलेन्थस, हल्दू, बाँस आदि) मिलते हैं।

- ❖ **वाह्य हिमालय के वन** - उत्तराखंड में पूर्व से पश्चिम तक चकराता, मसूरी, टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ आदि वन प्रभागों में फैले 1,500 से 2,000 मीटर तक की ऊँचाई वाले इन वनों में चीड़, मेहल, आंवला, तुन आदि वृक्षों की प्रजातियाँ मिलती हैं।
- ❖ **मध्य हिमालय के वन** - चकराता, टौन्स, उत्तरकाशी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, बागेश्वर आदि वन प्रभागों में पाये जाने वाले 2,000 से 2,500 मीटर तक की ऊँचाई वाले इन वनों में बांज व सहयोगी प्रजातियाँ, रिंगाल व देवदार के वृक्ष मिलते हैं।
- ❖ **आन्तरिक हिमालय के वन** - ये वन प्रदेश के उत्तरी भाग में पाये जाते हैं। 2,500 से 3,000 मीटर तक की ऊँचाई वाले वृक्ष-युक्त वनों में स्पूस, कैल, बुरांश आदि वृक्ष पाये जाते हैं। इनमें बुरांश प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। वृक्ष रेखा के ऊपर 3,000 मीटर से अधिक ऊँचाई वाले वृक्ष विहीन वन बुग्यालों में विभिन्न प्रकार की घास की प्रजातियाँ व जड़ी-बूटियाँ मिलती हैं।

ऊँचाई व जलवायु के आधार पर प्रदेश के वनों को निम्न भागों में भी वर्गीकृत किया जा सकता है - उपोष्ण कटिबन्धीय वन, उष्ण कटिबन्धीय शुष्क वन, उष्ण कटिबन्धीय आर्द्र पतझड़ वन, कोणधारी वन, पर्वतीय शीतोष्ण वन, उप-अल्पाइन व अल्पाइन वन, अल्पाइन झाड़ियाँ तथा घास के मैदान।

वैधानिक स्थिति के आधार पर वर्ष 2009-10 तथा 2018-19 में प्रदेश में वनों की स्थिति को सारणी 3.1 में दर्शाया गया है।

सारणी 3.1 उत्तराखंड में वैधानिक स्थिति के आधार पर वनों की स्थिति वर्ष 2009-10 व 2018-19

वन श्रेणी	इकाई	2009-10	2018-19*
1-आरक्षित वन	वर्ग किमी	24643	26547
(क)-वन विभाग के नियंत्रण में	वर्ग किमी	24261	24264.6
(ख)-वन पंचायतों में पूर्ण रूप में दर्ज	वर्ग किमी	348	2248.34
(ग)-अन्य सरकारी अभिकरणों के नियंत्रण में	वर्ग किमी	34	34.01
2-संरक्षित वन	वर्ग किमी	9885	154.02
(क)-वन विभाग के नियंत्रण में	वर्ग किमी	99	98.61
(ख)- वन विभाग के नियंत्रण में अवर्गीकृत व विशाल वन	वर्ग किमी	55	55.41
(ग)-नागरिक व सोयम वन: राजस्व विभाग के नियंत्रण में	वर्ग किमी	4769	4768.7
(घ)- नागरिक व सोयम वन: वन पंचायतों के नियंत्रण में	वर्ग किमी	4962	4961.85
3-निजी वन (नगरपालिका व छावनी इत्यादि के नियंत्रण में)	वर्ग किमी	123	123.51

(स्रोत: Pangtey, Yatendra Singh and others (2011), *Uttarakhand at a Glance 2010-11*, Directorate of Economics and Statistics, Dehradun, पृष्ठ 11-12; *अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय (2023), *उत्तराखंड एक दृष्टि में 2021-22*, उत्तराखंड सरकार, पृ० 24-25)

प्रदेश के मैदानी भागों से हिमालय तक फैले वनों में कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 14.36 प्रतिशत भाग 6 राष्ट्रीय उद्यानों, 7 वन्य जीव विहारों (Wildlife Sanctuary), 4 संरक्षण आरक्षित (Conservation Reserve) व 1 जीवमंडल आरक्षित (Biosphere Reserve) के रूप में संरक्षित क्षेत्र हैं। इन उद्यानों, विहारों व संरक्षण आरक्षित के नाम निम्न हैं -

- ❖ **राष्ट्रीय उद्यान :** 1-कार्बेट (देश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान), 2-नन्दा देवी (विश्व धरोहर स्थल), 3-फूलों की घाटी (विश्व धरोहर स्थल), 4-राजाजी, 5-गंगोत्री, 6-गोविन्द

इनमें नन्दादेवी जीवमंडल रिजर्व भी है। इनमें 'फूलों की घाटी' में पाये जाने वाला 'ब्रह्मकमल' प्रदेश का राजकीय पुष्प है।

- ❖ **वन्य जीव विहार:** - 1-गोविन्द, 2-केदारनाथ, 3-अस्कोट, 4-सोनानदी, 5-बिनसर, 6-मसूरी, 7-नंधौर
- ❖ **संरक्षण आरक्षित:** 1-झिलमिल, 2-आसन, 3-पवलगढ़, 4-नैनादेवी
- ❖ **जीवमंडल रिज़र्व:** 1-नन्दा देवी

उत्तराखंड में वन्य जीवों की दृष्टि से स्तनधारियों की 102, पक्षियों की 600, उभयचर की 19, सरीसृप की 70, मछलियों की 124 प्रजातियाँ पायी जाती हैं। इनमें बाघ, एशियाई हाथी, गुलदार, हिम तेन्दुआ, कस्तूरी मृग (राजकीय वन्य जीव), मोनाल (राजकीय पक्षी), आदि प्रमुख हैं। सांराश रूप में आप यह कह सकते हैं कि उत्तराखंड जैव विविधता पूर्ण प्रदेश है।

3.4.3 जल व मत्स्य संसाधन (Water and Fisheries Resources)

जल संसाधनों की आवश्यकता घरेलू (पीने व स्वच्छता के लिए), कृषि (सिंचाई), उद्योग, आदि में उपयोग के लिए होती है। इन जल संसाधनों की आवश्यकता सभी क्षेत्रों के लिए अपरिहार्य विद्युत उत्पादन के लिए भी होती है। उत्तराखंड में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में होने के कारण यहाँ जल विद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है।

उत्तराखंड में भूगर्भीय जल (Groundwater) के अतिरिक्त हिमनद, नदियाँ, नहरों, तालों व झीलों का बाहुल्य है। ऊँचे हिमालय के पर्वतों से टकराकर मानसूनी हवायें प्रदेश में व्यापक वर्षा करती हैं। फलस्वरूप, यह प्रदेश देश का बहुत बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। भारत सरकार के योजना आयोग की उत्तराखंड डेवलपमेंट रिपोर्ट (Uttarakhand Development Report) के अनुसार, प्रदेश में वर्षा से प्रति वर्ष (लगभग 100 दिनों के सक्रिय मानसून के आधार पर) जल की औसत प्राप्ति 94.62 बी.सी.एम. है। इसमें से 17.5 प्रतिशत वाष्पीकृत होकर उड़ जाता है, 29.55 प्रतिशत भूमि द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, 15.45 प्रतिशत भूगर्भ में छन कर चला जाता है व केवल 37.50 प्रतिशत ही नदियों में प्रवाहित होता है।

हिमनद प्रदेश की उन प्रमुख नदियों के स्रोत हैं जो निरन्तर जल प्रवाह बनाये रखती हैं। प्रदेश के प्रमुख हिमनद हैं - गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, चैराबाड़ी, पिण्डारी, कफनी आदि।

प्रदेश में नदियों का जाल बिछा होने के कारण यहाँ अपार जल संसाधन है। इन नदियों के कारण उत्तराखंड में जल प्रवाह क्षेत्र अति विशाल है। प्रदेश की प्रमुख नदियाँ हैं- गंगा, यमुना, शारदा, गोमती, भागीरथी, अलकनन्दा, मन्दाकिनी, भिलंगना, कोसी, रामगंगा, टोंस, सरयू, पिण्डर, धौलीगंगा, सौंग।

जल के प्रमुख स्रोत के रूप में यहाँ अनेक ताल व झीलें हैं। यह प्रदेश झीलों व तालों के लिए प्रसिद्ध है। उत्तराखंड के कुछ प्रमुख ताल व झीलें हैं - नैनीताल, भीमताल, देवरीताल, मोहनताल, बेनीताल, सुखाताल, सिद्धताल, केदारताल, कागभुसुंडी ताल, शत्रुताल, वासूकी ताल, मालवा ताल, गिरीताल, सतोपंथ ताल, सहस्रताल, हेमकुण्ड लोकपाल, रूपकुण्ड, टिहरी झील, द्रोण सागर, गाँधी सागर आदि।

उत्तराखंड में नदियों, नहरों, झीलों व तालाबों के पाये जाने के कारण इण्डियन ट्राउट, बुचवा, मुले आदि मछलियाँ पायी जाती हैं। ये मछलियाँ अनेक व्यक्तियों के लिए खाद्यान्नों का विकल्प हैं।

3.4.4 खनिज संसाधन (Mineral Resources)

खनिज संसाधन प्राकृतिक होते हैं। आप यह जानते हैं कि खनिजों के बिना अनेक औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं हो सकता। अतः राज्य की अर्थव्यवस्था में खनिज संसाधनों की बहुत अधिक भूमिका है। यद्यपि यहाँ खनिजों की उपलब्धता बहुत अधिक नहीं है, तथापि कुछ खनिज प्रचुर मात्रा में अवश्य पाये जाते हैं।

सारणी 3.2 - उत्तराखण्ड के विभिन्न जिलों में पाये जाने वाले प्रमुख खनिज

जिला	पाये जाने वाले प्रमुख खनिज
चमोली	फास्फोराइट, जिप्सम, चूना-पत्थर
देहरादून	मैग्नेसाइट, सोप स्टोन, बेराइट्स, एंडालूसाइट, रॉक फास्फेट, सेलखड़ी, चूना-पत्थर, ताँबा, लौह अयस्क, डोलोमाइट, संगमरमर, फास्फोराइट
हरिद्वार	फास्फोराइट
पौड़ी गढ़वाल	मैग्नेसाइट, सोप स्टोन, चूना-पत्थर, ताँबा, लौह अयस्क, संगमरमर, फास्फोराइट, एस्बेस्टस
रुद्रप्रयाग	फास्फोराइट
टिहरी गढ़वाल	मैग्नेसाइट, सोप स्टोन, रॉक फास्फेट, सेलखड़ी, चूना-पत्थर, ताँबा, लौह अयस्क, डोलोमाइट, संगमरमर, फास्फोराइट, एस्बेस्टस, जिप्सम
उत्तरकाशी	फास्फोराइट
अल्मोड़ा	सेलखड़ी, ताँबा, फास्फोराइट, एस्बेस्टस, चाँदी
चम्पावत	फास्फोराइट
नैनीताल	मैग्नेसाइट, सोप स्टोन, सीसा, चूना-पत्थर, ताँबा, लौह अयस्क, फास्फोराइट
पिथौरागढ़	सेलखड़ी, चूना-पत्थर, ताँबा, फास्फोराइट, संगमरमर, जिप्सम
ऊधमसिंह नगर	फास्फोराइट

(स्रोत: बलूनी, विद्या दत्त, उत्तराखण्ड एक सम्पूर्ण अध्ययन, अरिहन्त पब्लिकेशन्स (इ) प्रा लि, मेरठ, पृष्ठ 39-42)

सारणी 3.2 में दिये गये खनिजों के अतिरिक्त भी अन्य खनिज यहाँ पाये जाते हैं। ये हैं - अभ्रक, ग्रेफाइट, शिलाजीत, पारा, सोना, गन्धक, आदि। प्रदेश में यूरेनियम के भी संकेत प्राप्त हुए हैं। इन सबके अतिरिक्त रोड़ा, बजरी, रेता व पत्थर भी वनों के उप-खनिज के रूप में उपलब्ध होते हैं जिनका प्रयोग निर्माण उद्योग, कांच निर्माण उद्योग, सड़क निर्माण व जल संशोधन में किया जाता है।

3.5 प्राकृतिक संसाधनों की समस्याएँ (Problems of Natural Resources)

बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व जीवन-स्तर में सुधार हेतु आर्थिक विकास की प्रक्रिया में प्राकृतिक संसाधनों का अधिकाधिक दोहन आवश्यक होता है। परन्तु इन संसाधनों के असंतुलित दोहन से अनेक प्रकार की विकराल समस्याएँ भी उत्पन्न होती जा रही हैं। कुछ प्रमुख समस्याएँ निम्न हैं -

1. वन सम्पदा के अत्याधिक दोहन से वन क्षेत्र कम होते जा रहे हैं। परिणामस्वरूप पर्यावरण में परिवर्तन होने से भूस्खलन, भूक्षरण, बाढ़ जैसी घटनाएँ बढ़ती जा रही हैं, हिमनद सिकुड़ते जा रहे हैं। नदियों में जल प्रवाह भी घटता जा रहा है।
2. विभिन्न स्थानों पर जल विद्युत परियोजनाओं के स्थापित होने से वहाँ पारिस्थितिकीय परिवर्तन तो हुए ही हैं, साथ ही वहाँ बसे हुए परिवारों का विस्थापन भी हुआ है।
3. अनियंत्रित पर्यटन के कारण अनेक स्थलों पर पर्यावरणीय संकट उत्पन्न हो गया है।
4. चरागाहों के लगातार उपयोग से भूमि बंजर होती जा रही है।

5. वनों में मानव के बढ़ते हस्तक्षेप के कारण वनाग्रियों की घटनाएँ तो हो ही रही हैं, साथ में वन्य जीवों व मानवों के मध्य संघर्ष भी बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण वन्य जीवों की कुछ प्रजातियाँ लुप्त होने की कगार पर हैं।
6. वैश्विक तापमान के बढ़ने से मानसून में भारी परिवर्तन आ रहे हैं। वर्ष 2010 में प्रदेश में हुई रिकार्ड-तोड़ भारी वर्षा से भारी तबाही हुई।
7. भूगर्भीय जल के अधिक प्रयोग के कारण इस जल के स्तर में लगातार कमी आ रही है।
8. खनिजों का लगातार दोहन करने से कई क्षेत्रों के पर्यावरण में असन्तुलन पैदा हो गया है।
9. कुल मिलाकर, यदि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के साथ इनका समुचित संरक्षण व संवर्द्धन ना किया जाये तो दीर्घकाल में मानव जीवन संकट में पड़ जायेगा।

3.6 प्राकृतिक संसाधनों हेतु सरकारी नीतियाँ व कार्यक्रम (Government Policies & Programmes for Natural Resources)

इस भाग में, विभिन्न प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के साथ इनका समुचित संरक्षण व संवर्द्धन हेतु प्रदेश सरकार के नीतिगत निर्णयों व कार्यक्रमों का संक्षिप्त उल्लेख किया गया है।

वन संसाधनों के लिए नीति व कार्यक्रम - प्रदेश की वन नीति वर्ष 1988 में भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय वन नीति के प्राविधानों के अधीन है। इस नीति के मूल उद्देश्य हैं -

1. पर्यावरणीय स्थिरता व पारिस्थितिकीय संतुलन को सुनिश्चित करना;
2. जैव विविधता व वन्य जीवों के संरक्षण व संवर्द्धन की रणनीति व कार्य योजना तैयार कर उसे क्रियान्वित करना;
3. वनों व सभी प्रकार की वनस्पतियों का संरक्षण, संवर्द्धन व वैज्ञानिक तथा विवेकपूर्ण प्रबन्धन द्वारा विकास करना;
4. अवनत व रिक्त वन भूमि तथा नदियाँ, झीलों, जलाशयों के जलागम क्षेत्र में वनीकरण, जल व भूमि संरक्षण योजनाओं के निरूपण व क्रियान्वयन के द्वारा बाढ़ व सूखे के प्रकोप तथा सिल्ट भराव में कमी लाने के प्रयास करना;
5. वन क्षेत्र व वृक्षों की उत्पादकता में वृद्धि के उपाय करना;
6. ग्रामीण निर्बल वर्ग के लोगों की ईंधन की लकड़ी, चारा, लघु वन उपज व इमारती लकड़ी की स्थानीय घरेलू माँग की पूर्ति हेतु आवश्यकता व उपलब्धता के बीच के अन्तर में कमी लाने के प्रयास करना;
7. प्रकाष्ठ व अन्य वन उपज के कुशल उपयोग के साथ ही इनके वैकल्पिक साधनों के उपयोग के प्रयासों द्वारा जैविक दबाव में कमी लाना;
8. वनस्पति आवरण को अक्षुण्ण (intact) रखते हुए वानिकी व पारिस्थितिकीय पर्यटन जैसे कार्यक्रमों के द्वारा स्थानीय स्वरोजगार तथा गरीबी उन्मूलन के अवसर प्रदान करने के प्रयास करना;
9. वनों व स्थानीय जन समुदाय के बीच उपयोगी सम्बन्ध पुनर्स्थापित (restore) करने तथा वानिकी में जन सहभागिता प्राप्त करने के उद्देश्य से वन पंचायत व्यवस्था का सुदृढीकरण, संयुक्त वन प्रबन्धन तथा पारिस्थितिकीय विकास के कार्य वृहत स्तर पर करना जिसमें महिलाओं को विशेष भूमिका दिया जाना सम्मिलित है।

आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उत्तराखण्ड के वन विभाग द्वारा अनेक योजनाएँ/कार्यक्रम कार्यान्वित किये जा रहे हैं। इनमें से कुछ निम्न हैं -

1. **बागान योजनाएँ** - बहुउद्देशीय वृक्षारोपण, वनों की अग्नि से सुरक्षा, विश्व खाद्य कार्यक्रम, अधिक उच्च प्राणि उद्यान व वन चेतना/मनोरंजन केन्द्रों की स्थापना।
2. **भूमि व जल संरक्षण योजनाएँ** - सिविल व सोयम वनों में भूमि संरक्षण व वनीकरण, टिहरी बाँध के जलागम क्षेत्रों में भूमि संरक्षण व वनीकरण, रामगंगा के जलागम क्षेत्रों में नदीघाटी परियोजना (केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित), सिन्धु गंगा बेसिन के बाढग्रस्त क्षेत्रों में समेकित जलागम प्रबंध (केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित), समेकित परती भूमि विकास योजना (केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित)।
3. **अन्य योजनाएँ** - नन्दादेवी बायोस्फेयर रिजर्व की स्थापना, प्राजेक्ट टाईगर, प्राजेक्ट एलीफैन्ट, गूजर पुनर्वास कार्यक्रम, मानव-वन्य जन्तु संघर्ष से क्षति होने पर अनुदान व्यवस्था, संरक्षित क्षेत्रों में जन सहभागिता हेतु ईको विकास कार्यक्रम, ईको-टूरिज्म कार्यक्रम, जैविक ईंधन के लिए जैट्रोफा के विकास का कार्यक्रम, बांस व जड़ी-बूटी आदि के वनीकरण कार्यक्रम।

अन्य संसाधनों से सम्बन्धित कुछ नीतियाँ व कार्यक्रम -

1. आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, वर्षा जल संरक्षण योजना के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में जलकुंड निर्माण (10 हजार लीटर क्षमता) -15, (20 हजार लीटर क्षमता) - 87, (25 हजार लीटर क्षमता)- 5, (1 लाख लीटर क्षमता)- 16, (2.5 लाख लीटर क्षमता)- 6 एवं भूमि जल संरक्षण कार्य- 41 किए गए। Exact Copied from Economic Survey 22-23
2. आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, वर्ष 2014-15 में उत्तराखण्ड वन संसाधन परियोजना (जायका पोषित) प्रारंभ की गई जिसकी कुल लागत 807 करोड़ रुपए है। इस परियोजना के अंतर्गत 8 वर्ष में 750 वन पंचायतों के 37,500 हेक्टेयर (50 हेक्टेयर प्रति वन पंचायत) क्षेत्र में पर्यावरण की बहाली (Eco-restoration) का कार्य किया गया।
3. आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, राज्य में मत्स्य पालन हेतु उपलब्ध जल क्षेत्रों में अंतर्गत नदियों के रूप में 2686 कि०मी०, वृहद जलाशयों के रूप में 20,587 हेक्टेयर, प्राकृतिक झीलों के रूप में 297 हेक्टेयर तथा तालाब/टैंक एवं पोखरों के रूप में लगभग 879.79 हेक्टेयर जल क्षेत्र उपलब्ध है। 'प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना' के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में 48.79 करोड़ के प्रोजेक्ट स्वीकृत हुए हैं।
4. उत्तराखण्ड शासन की घोषित खनन नीति के अनुसार राज्य के वन क्षेत्रों में खनिजों के उत्खनन का कार्य उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा तथा राजस्व क्षेत्रों में गढ़वाल मण्डल विकास निगम व कुमाऊँ मण्डल विकास निगम द्वारा किया जाता है। राज्य में एक खनिज निधि भी है जिसमें राजस्व का 5 प्रतिशत मुख्य खनिजों से व 5 प्रतिशत उप-खनिजों से एकत्रित करके जमा कराया जाता है। देहरादून में भारतीय खान ब्यूरो का प्रादेशिक कार्यालय है।
5. अमृत सरोवर के निर्माण के अंतर्गत राज्य में 15 अगस्त 2022 तक 133 अमृत सरोवरों का निर्माण किया गया है। भारतीय वन सर्वेक्षण (Forest Survey of India) की 2021 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के वनावरण में 2 वर्ग कि.मी. की वृद्धि दर्ज की गई है।

3.7 अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)

रिक्त स्थान भरिए-

1. उत्तराखंड में लगभगप्रतिशत भाग मैदानी है।
2. उत्तराखंड का सर्वोच्च पर्वत शिखर.....है।

सत्य/असत्य बताइए-

1. जल संसाधनों का नवीनीकरण होता है।
2. खनिज संसाधन प्रकृति की देन नहीं है।

बहुविकल्पीय प्रश्न-

1. निम्न में से कौन सा संसाधन प्राकृतिक है?

(अ) वन

(ब) खनिज

(स) जल

(द) उपर्युक्त सभी

3.8 सारांश (Summary)

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप यह जान चुके हैं कि प्राकृतिक संसाधनों की आर्थिक विकास में भूमिका तो है परन्तु अनिवार्यता नहीं। साथ ही विकास के लिए इन संसाधनों के अधिक दोहन से उनके प्रकार की समस्याएँ भी उत्पन्न होती हैं। उत्तराखंड में भूमि संरचना कठिन अवश्य है परन्तु वन, जल व खनिज आदि प्राकृतिक संसाधन प्रचुरता में पाये जाते हैं। यहाँ ऊँचे हिमाच्छादित पर्वत शिखरों के साथ गहरी घाटियाँ व मैदान हैं। अनेक प्रकार के वनों के पाये जाने से उत्तराखंड जैव विविधता से भरपूर है। इनमें से कुछ स्थल राष्ट्रीय उद्यानों व वन्य जीव विहारों के रूप में संरक्षित हैं। यहाँ अनेक हिमनद, नदियाँ, ताल व झीलें हैं जो जल के प्रमुख स्रोत हैं, साथ में विद्युत उत्पादन में भी सहायक हैं। प्रदेश में अनेक प्रमुख खनिज भी पाये जाते हैं। वनों से भी कुछ उप-खनिज प्राप्त होते हैं। इन प्राकृतिक संसाधनों के लगातार दोहन से अनेक प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न होती जा रही हैं। इनके निराकरण के लिए प्रदेश सरकार अपनी नीतियों के अनुसार विभिन्न कार्यक्रम संचालित करती है ताकि प्रदेश का सतत् विकास हो सके।

3.9 शब्दावली (Glossary)

- प्राकृतिक संसाधन - मानव के लिए प्रकृति प्रदत्त सभी उपहार।
- ज्ञात संसाधन - जिन संसाधनों की जानकारी मनुष्यों को होती है
- अज्ञात संसाधन - जिन संसाधनों के विषय में मनुष्यों को जानकारी नहीं होती है।
- नवीनीकरण होने योग्य प्राकृतिक संसाधन - प्रकृति में जिनका लगातार नवीनीकरण स्वयं होता रहता है।
- नवीनीकरण न होने योग्य प्राकृतिक संसाधन - प्रकृति में जिनका नवीनीकरण नहीं होता है अर्थात् लगातार उपयोग होते रहने से ये संसाधन समाप्त होते जाते हैं।

3.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answer for Practice Questions)

रिक्त स्थान भरिए

- (1) 14, (2) नन्दा देवी,

सत्य/असत्य

- (1) सत्य, (2) असत्य,

बहुविकल्पीय प्रश्न

(1) द,

3.11 संदर्भ ग्रन्थ सूची (Reference / Bibliography)

- Aggarwal, S.P. (ed.) (1995), *Uttarakhand: Past, Present and Future*, Concept Publishing Company, New Delhi
- Dewan, M.L. & Jagdish Bahadur (eds.) (2005), *Uttaranchal: Vision and Action Programme*, Concept Publishing Company, New Delhi
- Mehta, G.S. (1999), *Development of Uttarakhand: Issues and Perspectives*, APH Publishing Corporation, New Delhi
- Pangtey, Yatendra Singh and others (2011), *Uttarakhand at a Glance 2010-11*, Directorate of Economics and Statistics, Dehradun
- *Uttarakhand at a Glance 2021-22*, Directorate of Economics and Statistics (2023), Dehradun
- Pant, J.C., (2001), *Uttaranchal: A perspective; Bureaucratic Constraints vs Health, Population and Development*, India Literacy Board, Lucknow
- Planning Commission, Government of India (2009), *Uttarakhand Development Report*, Academic Foundation, New Delhi
- Mathur, Raj B., ed. (2011), *Uttarakhand, Encycopaedia Britannica Ultimate Reference Suite*, Encyclopaedia Britannica, Chicago
- Sati, V.P. & Kamlesh Kumar (2004), *Uttaranchal: Dilemma of Plenties and Scarcities*, Mittal Publications, New Delhi
- अग्रवाल, चन्द्र मोहन (सम्पादक) (2004), *उत्तरांचल के सानिध्य में*, इंडियन पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, दिल्ली
- उत्तराखंड शासन (2010), *उत्तराखंड उत्कर्ष की ओर*, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, देहरादून
- उत्तराखंड शासन (2010), *नई सोच, नई दिशा*, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, देहरादून
- उत्तराखंड सरकार, *मुख्यमंत्री उत्तराखंड की अनुपम पहल*
- <http://des.uk.gov.in/files/pdf/uttarakhand%20at%20a%20glance%20english.pdf>
- <http://des.uk.gov.in/upload/contents/File-5.pdf>
- <http://www.mapsofindia.com/uttarakhand/government/economy.html>
- <http://www.mapsofindia.com/uttarakhand/government/mineral-resources.html>
- <http://www.mapsofindia.com/uttarakhand/government/fishing.html>

- www.uttarakhandforest.org/hindi/h_uavan.htm
- www.uttarakhandforest.org/hindi/content/vanniti1.htm
- www.uttarakhandforest.org/hindi/content/vaniki1.htm
- www.uttarakhandforest.org/hindi/content/vanyajivsan2.htm
- www.ua.nic.in/geomining.uk.gov.in
- *Statistical Diary 2021-22*, Directorate of Economics and Statistics (2023), Dehradun

3.12 सहायक / उपयोगी पाठ्य सामग्री (Useful / Helpful Text)

- ठाकुर, सुदीप व अन्य (सम्पादक) (2010), *उत्तराखण्ड उदय: एक दशक की यात्रा (2000 से 2010)*, अमर उजाला पब्लिकेशन्स लिमिटेड, नोएडा
- बलूनी, विद्या दत्त, *उत्तराखण्ड एक सम्पूर्ण अध्ययन*, अरिहन्त पब्लिकेशन्स (इ) प्रा लि, मेरठ
- पाण्डेय, अशोक कुमार, *उत्तराँचल: सम्पूर्ण अध्ययन*, उपकार प्रकाशन, आगरा
- सविता मोहन (2007), *उत्तराखण्ड समग्र अध्ययन*, तक्षशिला प्रकाशन, नई दिल्ली

3.13 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

- 1 - आर्थिक विकास व प्राकृतिक संसाधनों के मध्य सम्बन्ध की विवेचना कीजिए।
- 2 - उत्तराखण्ड में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का संक्षिप्त उल्लेख करते हुए इनके विदोहन से उत्पन्न प्रमुख समस्याओं पर प्रकाश डालिए।
- 3 - उत्तराखण्ड में प्राकृतिक संसाधनों के संवर्द्धन व संरक्षण के लिए किये जा रहे सरकारी प्रयासों का वर्णन कीजिए।
- 4 - निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए -

(अ) उत्तराखण्ड में जल संसाधन	(ब) उत्तराखण्ड में वन संसाधन
(स) उत्तराखण्ड में खनिज संसाधन	(द) उत्तराखण्ड में भूमि संसाधन

इकाई-4 अधोसंरचना (Infrastructure)

- 4.1 प्रस्तावना (Introduction)
- 4.2 उद्देश्य (Objective)
- 4.3 अधोसंरचना - अर्थ, प्रकार व आर्थिक विकास से सम्बन्ध (Infrastructure - Meaning, Types and Relationship with Economic Development)
- 4.4 आर्थिक अधोसंरचना (Economic Infrastructure)
- 4.5 सामाजिक अधोसंरचना (Social Infrastructure)
- 4.6 अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)
- 4.7 सारांश (Summary)
- 4.8 शब्दावली (Glossary)
- 4.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answer for Practice Questions)
- 4.10 संदर्भ ग्रन्थ सूची (Reference/Bibliography)
- 4.11 सहायक / उपयोगी पाठ्य सामग्री (Useful/Helpful Text)
- 4.12 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Question)

4.1 प्रस्तावना (Introduction)

उत्तराखंड अर्थव्यवस्था की संरचना से सम्बन्धित यह चतुर्थ इकाई है। इससे पहले की प्रथम इकाई में आप प्रदेश की अर्थव्यवस्था, द्वितीय इकाई में प्रदेश के मानवीय संसाधनों व जनसंख्या तथा तृतीय इकाई में प्रदेश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के विषय सामान्य जानकारी प्राप्त कर चुके हैं।

मनुष्यों की आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन में मानवीय संसाधनों को शिक्षित एवं स्वस्थ बनाने, यातायात, संचार, विद्युत, तकनीकी ज्ञान, वित्त, आदि से सम्बन्धित अधोसंरचनाओं की प्रमुख भूमिका होती है। प्रस्तुत इकाई में उत्तराखंड में उपलब्ध इन्हीं अधोसंरचनाओं के विषय में बताया गया है।

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप उत्तराखंड में उपलब्ध विभिन्न प्रकार की अधोसंरचनाओं की स्थिति को जान सकेंगे।

4.2 उद्देश्य (Objective)

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के बाद आप -

- ✓ अधोसंरचनाओं का अर्थ, प्रकार व इनका आर्थिक विकास से सम्बन्ध को समझा सकेंगे।
- ✓ उत्तराखंड में उपलब्ध आर्थिक व सामाजिक अधोसंरचनाओं की वर्तमान स्थिति को समझा सकेंगे।
- ✓ प्रदेश में इन अधोसंरचनाओं के विकास से जुड़ी समस्याओं को सामान्य रूप से समझ सकेंगे।
- ✓ साथ ही इन अधोसंरचनाओं के विकास के लिए अपनाये जा रहे उपायों को सामान्य रूप से जान सकेंगे।

4.3 अधोसंरचना - अर्थ, प्रकार व आर्थिक विकास के साथ सम्बन्ध (Infrastructure - Meaning, Types and Relationship with Economic Development)

यह सर्वविदित है कि हम सभी की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रमुख माध्यम कृषि व उद्योग हैं। इन क्षेत्रों में किये जा रहे उत्पादन के लिए अनेक आधारभूत संरचनाएँ आवश्यक हैं - जैसे कृषि में उत्पादन के लिए तकनीकी ज्ञान, सिंचाई, विद्युत, वित्त, यातायात आदि की आवश्यकता होती है तथा उद्योगों में भी उत्पादन तकनीकी ज्ञान, वित्त, विद्युत, कुशल मानवीय संसाधन, यातायात व संचार आदि के बिना सम्भव नहीं है। इन संरचनाओं में यातायात व संचार, सिंचाई, ऊर्जा, तकनीकी ज्ञान, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त आदि क्षेत्रों में मानव द्वारा निर्मित उस पूँजी को सम्मिलित किया जाता है जिसकी सहायता से कृषि व उद्योग में उत्पादन किया जाता है। इसी मानव निर्मित पूँजी को 'अधोसंरचना' अथवा 'अवसंरचना' कहते हैं। ये अधोसंरचनाएँ आर्थिक विकास के लिए अति आवश्यक होती हैं।

अधोसंरचना मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं- सामाजिक व आर्थिक। 'सामाजिक अधोसंरचना' में शिक्षा व स्वास्थ्य से सम्बन्धित अधोसंरचना को सम्मिलित किया जाता है, जबकि 'आर्थिक अधोसंरचना' में तकनीकी ज्ञान, संचार व यातायात, ऊर्जा, सिंचाई, वित्त, आदि से सम्बन्धित अधोसंरचना को सम्मिलित किया जाता है। अधोसंरचनाओं को 'भौतिक' व 'वित्तीय' वर्गों में भी विभाजित किया जा सकता है।

आप जानते हैं कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दीर्घकाल में वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में लगातार वृद्धि होती है तथा साथ में अनुकूल संरचनात्मक परिवर्तन भी होते हैं। परन्तु इस विकास के लिए जब कृषि व उद्योगों में उत्पादन का प्रयास किया जाता है तब ये प्रयास उन विभिन्न अधोसंरचनाओं के बिना फलीभूत नहीं होते जिनका उल्लेख पहले किया जा चुका है। विभिन्न राष्ट्रों/क्षेत्रों के विकास का अध्ययन करने पर पता चलता है कि प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता विकास में सहायक तो है परन्तु विकास की प्रक्रिया बहुत तीव्र तभी होती है जब

1. उत्पादन फलन में सुधार लाने के लिए उस राष्ट्र/क्षेत्र में तकनीकी ज्ञान लगातार उन्नत हो रहा हो।

2. साख उपलब्ध कराने के लिए कुशल वित्तीय संस्थाओं की लगातार स्थापना हो रही हो।
3. उत्पत्ति के साधनों व वस्तुओं की गतिशीलता के लिए तथा त्वरित सूचनाओं का आदान-प्रदान करने के लिए यातायात व संचार के क्षेत्र में क्रान्तिकारी विकास हो रहा हो।
4. घरेलू, कृषि, उद्योगों व अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विद्युत का उत्पादन किया जा रहा हो, इसके लिए बहुउद्देशीय परियोजनाओं की स्थापना की गई हो।
5. साथ ही मानवीय संसाधनों को कुशल बनाने के लिए अच्छी शिक्षा व चिकित्सा सुविधाओं को प्रदान करने के लिए पूँजी का निर्माण किया गया हो।

सांराश में यह कहा जा सकता है कि वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए सहयोगी क्षेत्रों में उन्नत प्रकार की मानव निर्मित पूँजी अर्थात् अधोसंरचनाओं की स्थापना व विकास अति आवश्यक है। इन अधोसंरचनाओं के बिना आर्थिक विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है।

4.4 आर्थिक अधोसंरचना (Economic Infrastructure)

आर्थिक अधोसंरचना में यातायात व संचार, सिंचाई व ऊर्जा, वित्त, विज्ञान व प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में निर्मित मानवीय पूँजी को सम्मिलित किया जाता है। उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय ये अधोसंरचनाएँ अधिक नहीं थी। समय के साथ केन्द्र सरकार व प्रदेश सरकार के प्रयासों से इनका विकास हुआ। इन अधोसंरचनाओं के विकास में सरकार के साथ निजी सहभागिता का लगातार बढ़ाना अधोसंरचनाओं के क्षेत्र को सरकारी नियन्त्रणों से निकालकर बाजार पर आधारित बनाने का प्रयास है। उत्तराखंड में अधोसंरचना के विकास के लिए सरकार द्वारा उत्तराखंड राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (State Industrial Development Corporation of Uttarakhand Limited) की स्थापना की गई है। प्रस्तुत भाग में उपलब्ध समकों के आधार पर प्रदेश में विभिन्न आर्थिक अधोसंरचनाओं की स्थिति को जानने का प्रयास किया गया है।

- ❖ **यातायात** - यातायात में प्रमुख रूप से सड़क, रेल, हवाई व जल यातायात को सम्मिलित किया जाता है। प्रदेश की पर्वतीय प्रकृति होने के कारण यहाँ सड़क यातायात मुख्य है। सड़क यातायात हेतु प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, मुख्य जिला सड़कें, अन्य जिला सड़कें व ग्रामीण सड़कें पायी जाती हैं। इनका निर्माण व अनुरक्षण विभिन्न विभागों द्वारा किया जाता है। प्रदेश के अर्थ व सांख्यिकीय निदेशालय के अनुसार वर्ष 2021-22 में विभिन्न विभागों द्वारा अनुरक्षित सड़कों की लम्बाई आगे सारणी 4.1 में दी गई है।

यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड में हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैण्ड जैसे पर्वतीय व सीमान्त प्रदेशों की तुलना में सड़कों की लम्बाई कम है। प्रदेश में सड़क यातायात मुख्य रूप से उत्तराखंड परिवहन निगम, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन(JNNURM), गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड (G.M.O.U.Ltd) व कुमाऊँ मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड (K.M.O.U.Ltd) द्वारा संचालित किया जाता है। सड़क यातायात में विभिन्न निजी पर्यटन एजेन्सियों के निजी वाहन व टैक्सियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है।

सारणी 4.1 वर्ष 2009-10 व 2021-22 में विभिन्न विभागों द्वारा अनुरक्षित सड़कों की लम्बाई

विभाग/संस्था जिसके द्वारा सड़क का अनुरक्षण किया जाता है	सड़क का प्रकार	सड़क की लम्बाई (किलोमीटर में)	
		2009-10	2021-22*
लोक निर्माण विभाग (PWD)	राष्ट्रीय राजमार्ग	1375.76	2068
	राज्य मार्ग	1575.50	5833.45

	मुख्य जिला मार्ग	567.88	3794.48
	अन्य जिला मार्ग	6827.14	2507.01
	ग्रामीण सड़कें	12375.68	25855.26
	एल.वी सड़कें	1100.65	399
बी. आर. टी. एफ. (B.R.T.F.)	कुल सड़कें	1273.81	1013
जिला पंचायत		745.56	2705.78
शहरी स्थानीय निकाय व अन्य		1928.48	5928.85
सिंचाई विभाग		741	741
गन्ना विभाग		803	933.079
वन विभाग		3256	3769.76

(स्रोत: Pangtey, Yatendra Singh and others (2011), Uttarakhand at a Glance 2010-11, Directorate of Economics and Statistics, Dehradun, पृष्ठ 11; *अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय (2023), उत्तराखंड एक दृष्टि में 2021-22, उत्तराखंड सरकार, पृ० 23)

राज्य में सड़क यातायात को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश सरकार पुल व सड़कों का जाल बिछाने का लगातार प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग, रिंग रोड व ओवर ब्रिज सरकार की प्राथमिकताओं में हैं। इसके साथ ही गांवों में सड़कों को जोड़ने के अभियान के अन्तर्गत पुलों व सड़कों के नियोजित विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार किए गये हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि यातायात सम्बन्धी अधोसंरचना के विकास के लिए सार्वजनिक-निजी-सहभागिता (Public-Private Partnership- PPP) आधार को प्रेरित किया जा रहा है। उत्तराखंड डेवलपमेंट रिपोर्ट (Uttarakhand Development Report) के अनुसार, ऐसा करने के तीन विशिष्ट कारण हैं-

1. सार्वजनिक संसाधन सीमित हैं;
2. तेजी से बेहतर सड़कों को बनाने के लिए अच्छे तकनीकी कौशल की आवश्यकता होती है;
3. सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र के पास अधिक श्रेष्ठ व कुशल प्रबन्धकीय तकनीक होती है।

सड़क यातायात के अतिरिक्त रेल परिवहन व वायु परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध है। रेल यातायात मुख्यतः मैदानी व पादगिरि तक ही सीमित है। प्रदेश में रेल नेटवर्क की लम्बाई 345 किलोमीटर है तथा इसके प्रमुख स्टेशन देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार लक्सर, रुड़की, कोटद्वार, काशीपुर, ऊधमसिंह नगर, हल्द्वानी, रामनगर, काठगोदाम आदि हैं। उत्तराखंड की विषम परिस्थितियों के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में रेल यातायात अभी तक विकसित नहीं हो सका है।

उत्तराखंड में वायु यातायात अत्यन्त सीमित है। जौलीग्राण्ट एवं पंतनगर प्रदेश के एकमात्र ऐसे प्रमुख एयरपोर्ट हैं जिसको नियमित उड़ानों के लिए विकसित किया जा रहा है। प्रत्येक जिले में हेलीपैड भी विकसित किए जा रहे हैं। यात्रा सीजन में पर्यटकों व तीर्थयात्रियों की सुविधा हेतु श्री केदारनाथ के लिए निजी हेलीकाप्टर आपरेटर्स के सहयोग से नियमित सेवा का परिचालन किया जा रहा है।

- ❖ **संचार** - आधुनिक युग की ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्थाओं में यह सिद्ध हो चुका है कि उन्नत संचार व्यवस्था से गरीबी को दूर करने में सहायता मिलती है। प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के

कारण विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में संचार सुविधाओं का विस्तारीकरण अत्यन्त कठिन कार्य है। संचार की दृष्टि से उत्तराखंड में बी.एस.एन.एल. व अन्य निजी संस्थाओं जैसे रिलायंस, एयरटेल, आइडिया, जिओ, वोडाफोन आदि के टेलीफोन, मोबाइल व इंटरनेट सेवा के नेटवर्क का जाल बिछा हुआ है। विशेषकर, पर्वतीय क्षेत्रों में बी.एस.एन.एल. दूरसंचार का पर्याय बना हुआ है। भारत सरकार का डाक-तार विभाग व निजी कूरियर (Courier) कम्पनियाँ जैसे फ्रूट फ्लाईट, ब्लेज़ फ्लैश आदि विभिन्न प्रकार की डाक सेवाओं को प्रदान करने का कार्य कर रही हैं। वर्ष 2021-22 में प्रदेश के अर्थ व सांख्यिकीय निदेशालय के अनुसार प्रमुख डाक व संचार सेवाओं की स्थिति को सारणी 4.2 में दर्शाया गया है।

सारणी 4.2 - वर्ष 2009-10 व 2021-22 में उत्तराखंड में प्रमुख डाक व संचार सेवाओं की स्थिति

विवरण	संख्या	
	2009-10	2021-22*
डाकघर	2715	2722
टेलीफोन एक्सचेंज	459	343
तारघर	4	-
पी.सी.ओ.	10216	360
बी.एस.एन.एल. द्वारा टेलीफोन कनेक्शन (डब्ल्यू.एल.एल सहित)	379226	33340
बी.एस.एन.एल. द्वारा मोबाइल फोन	984397	1572784

(स्रोत:-Pangtey, Yatendra Singh and others (2011), Uttarakhand at a Glance 2010-11, Directorate of Economics and Statistics, Dehradun पृष्ठ 11; * अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय (2023), उत्तराखंड एक दृष्टि में 2021-22, उत्तराखंड सरकार, पृ० 23)

मोबाइल फोन, ब्रॉडबैंड, 4-जी तथा 5-जी सेवाओं के आ जाने से संचार सेवाओं में क्रान्ति आ चुकी है। भूमिगत लाईनों को बिछा कर संचार सेवाओं को प्रदान करना अब एक विकल्प ही है। सड़कों की टूट-फूट, उनको काटकर पेयजल, सीवर आदि की पाइप लाईन डालने के कारण बी.एस.एन.एल. द्वारा प्रदान की जाने वाली संचार सेवाओं में बाधाएँ उत्पन्न होती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 3-फेज विद्युत की सुविधा सामान्य न होने से इन क्षेत्रों में टेलीफोन एक्सचेंज के निर्माण व विस्तारीकरण में बाधा होती है। यहाँ यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि इसके विकल्प के प्रचलित होते जा रहे मोबाइल फोन के संचालन के लिए आवश्यक टावर की बहुत संख्या में स्थापना से टावर के आसपास रेडियेशन से मानव स्वास्थ्य को खतरा बढ़ जाता है।

❖ **विज्ञान व सूचना प्रौद्योगिकी** - प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अग्रणी स्थान रखता है। विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से कम्प्यूटर शिक्षा के लिए 'शिखर' व 'आरोही' परियोजनायें चलायी जा रही हैं तथा साथ ही यहाँ ई-गवर्नेंस पर बल दिया जा रहा है। विश्व की पहली माइक्रोसॉफ्ट आई.टी. अकादमी देहरादून में स्थापित की गई है।

प्रदेश में विज्ञान के प्रचार व प्रसार के लिए झाझरा (देहरादून) में 'विज्ञान धाम' स्थापित किया जा रहा है। बायोटेक्नोलॉजी को प्रोत्साहन देने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माउंटेन बायोलाॅजी का 7 प्रयोगशालाओं सहित बायोटेक भवन हल्दी (पंतनगर) में स्थापित किया गया है एवं जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड तथा विज्ञान काउंसिल का गठन किया गया है। उत्तराखंड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र (यूसैक) द्वारा राज्य प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन तंत्र का गठन किया गया है तथा अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित ग्राम संसाधन केन्द्रों की

स्थापना प्रस्तावित है। राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी का समुचित लाभ समस्त विभागों और उनकी क्षेत्रीय इकाईयों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य क्षेत्रीय विस्तार नेटवर्किंग (स्वान) स्थापित किया गया है।

❖ **वित्त** - बैंक व गैर-बैंक वित्तीय संस्थाओं के विस्तार का आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। ये वित्तीय संस्थाएँ जनता से उनकी बचतों को एकत्रित कर विकास के क्षेत्रों में निवेशकों को धन उपलब्ध कराती हैं। प्रदेश में अनेक प्रकार की वित्तीय संस्थाएँ कार्य करती हैं। वर्ष 2021-22 में प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की 1388 शाखायें, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 287 शाखायें, अन्य निजी बैंकों की 400 शाखायें, 11 जिला सहकारी बैंक व इनकी 287 शाखायें तथा 698 प्रारंभिक कृषि ऋण सहकारी समितियाँ कार्य कर रहे थे।

❖ **सिंचाई** - कृषि फसलों के अच्छे उत्पादन के लिए नियमित रूप से समय पर वर्षा का होना आवश्यक होता है। समय पर प्राकृतिक वर्षा न होने पर मानव द्वारा विकसित सिंचाई साधनों की आवश्यकता होती है। इन साधनों में नहर, नलकूप, कुआँ, हौज, गूल, हाइड्रम आदि को सम्मिलित किया जाता है।

वर्ष 2020-21 में उत्तराखंड में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 3,21,576 हेक्टेयर है जिसमें नहर द्वारा सिंचित 66,546 हेक्टेयर, नलकूप द्वारा सिंचित 2,27,204 हेक्टेयर, अन्य कुओं द्वारा सिंचित 2,27,204 हेक्टेयर, तालाब द्वारा सिंचित 84 हेक्टेयर तथा अन्य साधनों द्वारा सिंचित 21,815 हेक्टेयर क्षेत्र है। वर्ष 2020-21 में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल से 51.81 प्रतिशत है। वर्ष 2021-22 में प्रदेश के अर्थ व सांख्यिकीय निदेशालय के अनुसार प्रदेश में प्रमुख सिंचाई अधोसंरचना की स्थिति को सारणी 4.3 में दर्शाया गया है-

सारणी 4.3 - वर्ष 2009-10 व 2021-22 में उत्तराखंड में प्रमुख सिंचाई अधोसंरचना की स्थिति

विवरण	इकाई	संख्या	
		2009-10	2021-22*
नहरों की लम्बाई	किलोमीटर	11081	12377
लिफ्ट नहरों की लम्बाई	किलोमीटर	201	598.54
गूल	किलोमीटर	23715	31609
नलकूप (राज्य)	संख्या	981	1658
पम्प सेट (बोरिंग/फ्री बोरिंग)	संख्या	54361	56565
हौज	संख्या	29507	41085
हाइड्रम	संख्या	1493	1433

(स्रोत: Pangtey, Yatendra Singh and others (2011), Uttarakhand at a Glance 2010-11, Directorate of Economics and Statistics, Dehradun, पृष्ठ 5; *अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय (2023), उत्तराखंड एक दृष्टि में 2021-22, उत्तराखंड सरकार, पृ० 11)

इन सिंचाई साधनों के साथ अनेक ओवर हैड टैंकों का निर्माण, जल क्षरण के निदान हेतु व शहरी क्षेत्रों में सड़कों को चौड़ा करने के उद्देश्य से अधिकाँश नहरों को भूमिगत किया जाना, जलाशयों का निर्माण, पर्वतीय क्षेत्रों में मिनी नलकूप की स्थापना, चाल-खाल आदि का पुनरोद्धार व मैदानी क्षेत्रों में रिचार्ज साफ्ट, आदि प्रस्तावित है।

❖ **ऊर्जा** - अनेक छोटी-बड़ी जल-विद्युत परियोजनाओं व ऊर्जा उत्पादन की अपार सम्भावनाओं के कारण यह प्रदेश 'ऊर्जा-प्रदेश' कहलाता है। प्रदेश में, वर्तमान में 23 लघु जल विद्युत परियोजनाओं का चलाया

जा रहा है। 8 परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। प्रदेश में विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता वर्ष 2021-22 में 1,322.59 मेगावाट थी जिसके द्वारा 5,157.27 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन किया गया, जो कि प्रदेश के विद्युत उपभोग 11,432.59 मिलियन यूनिट वाट से कम है। विद्युत की दृष्टि से उत्तराखंड अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक अच्छी स्थिति में है। प्रदेश में लगभग सभी क्षेत्रों में बिजली की सुविधा उपलब्ध है। उत्तराखंड में अनेक नदियों पर बड़े व छोटे बाँध बने हुए हैं। इनमें टिहरी बाँध सबसे बड़ा है। जिससे वर्ष 2006 में बिजली का उत्पादन प्रारम्भ हुआ। उत्तराखंड में विद्युत ट्रांसमिशन व वितरण के लिए उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड संस्था कार्य करती है।

बड़े बाँधों से विद्युत उत्पादन तो बढ़ता है, परन्तु अनेक प्रकार की समस्या भी उत्पन्न होती हैं। प्रदेश में इन बाँधों से वहाँ के निवासियों के विस्थापन की समस्या व क्षेत्र में पारिस्थितिकीय समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं। उत्तराखंड में तीव्र रिक्टर पैमाने पर भूकम्प आने की सम्भावना के कारण इन बाँधों के टूटने से भयंकर विनाश हो सकता है।

4.5 सामाजिक अधोसंरचना (Social Infrastructure)

वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए केवल भौतिक पूँजी ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि कुशल मानवीय संसाधनों की भी बहुत आवश्यकता होती है। इन मानवीय संसाधनों के विकास के लिए उच्च कोटि की शिक्षा व स्वास्थ्य सम्बन्धी मानव निर्मित पूँजी की आवश्यकता होती है। इस सामाजिक अधोसंरचना में निवेश के लिए विशेषकर पिछड़े व सामाजिक प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में तात्कालिक मौद्रिक लाभ की तुलना में अधिक लागत पाये जाने के कारण निजी क्षेत्रों की तुलना में सरकारी क्षेत्र ही निवेश करते हैं। इसके बावजूद इन अधोसंरचनाओं के विकास में निजी क्षेत्रों द्वारा निवेश किया जा रहा है। प्रस्तुत भाग में उपलब्ध समकों के आधार पर प्रदेश में सामाजिक अधोसंरचनाओं की स्थिति को जानने का प्रयास किया गया है।

- ❖ **शिक्षा** - प्रदेश के विकास के लिए यह आवश्यक है कि सभी को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। शिक्षा का विकास करना केन्द्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार का भी कर्तव्य भी है। प्रदेश में प्रत्येक स्तर की शिक्षा के लिए विभिन्न प्रकार की संस्थाओं का जाल फैला हुआ है। ये शिक्षण संस्थाएँ मैदानी क्षेत्रों के साथ दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में भी पायी जाती हैं। प्रदेश में स्थित शिक्षा सम्बन्धी अधोसंरचना को सारणी 4.4 में दर्शाया गया है।

सारणी 4.4 - वर्ष 2009-10 व 2020-21 में उत्तराखंड में स्थित शिक्षा सम्बन्धी अधोसंरचना

क्रम संख्या	विवरण	संख्या	
		2009-10	2020-21*
1.	बेसिक/सेकेण्डरी शिक्षा के स्कूल/कॉलेज	22,379	22,511
	(अ) जूनियर बेसिक	15,644	13,422
	(ब) सीनियर बेसिक	4,296	5,288
	(स) हाई स्कूल / इण्टरमीडिएट	2,439	3,801
2.	उच्च शिक्षा की संस्थाएँ	122	
	(अ) डिग्री/पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज	106	140
	(ब) केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1	1
	(स) राज्य विश्वविद्यालय	6	10

	(द) निजी विश्वविद्यालय	5	11
	(य) डीम्ड विश्वविद्यालय	4	3
	(र) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT)	1	1
	(व) भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM)	-	1
3.	व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा		
	(अ) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI)	106	86
	(ब) प्राविधिक शिक्षण संस्थाएँ (Polytechnic)	37	71
	(स) शिक्षा प्रशिक्षण की जिला संस्थाएँ	13	13

(स्रोत: Pangtey, Yatendra Singh and others (2011), Uttarakhand at a Glance 2010-11, Directorate of Economics and Statistics, Dehradun पृष्ठ 8-9; * अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय (2023), उत्तराखंड एक दृष्टि में 2021-22, उत्तराखंड सरकार, पृ० 17-18)

दूरस्थ शिक्षा के लिए हल्द्वानी में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। प्रदेश में देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, भारतीय वानिकी संस्थान, नैनीताल में आर्य भट्ट अनुसंधान संस्थान, मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री अकादमी, पंतनगर (जिला ऊधमसिंहनगर) में गोविन्द बल्लभ पंत कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, रूड़की में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, काशीपुर में भारतीय प्रबंधन संस्थान जैसी विशिष्ट शैक्षिक संस्थाएँ भी स्थापित हैं। इनके अतिरिक्त, प्रदेश में अनेक निजी विश्वविद्यालय अपनी पहचान बना रहे हैं। विशेष बात यह है कि सरकार के प्रयासों से उत्तराखंड के शिक्षा हब में बदलने के बावजूद आवश्यकता की दृष्टि से इस अधोसंरचना में और अधिक सुधार किये जाने की आवश्यकता है।

- ❖ **स्वास्थ्य** - मनुष्यों को स्वस्थ व दीर्घायु बनाने के लिए भारत में चिकित्सा, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण सुविधाओं का अत्याधिक प्रसार हुआ है जिनके कारण उत्तराखंड सहित सम्पूर्ण देश में मृत्यु दर में तो कमी हुई है, साथ में मानवीय संसाधनों की कुशलता में भी वृद्धि हुई है। प्रदेश में इसके लिए 'आयुष' का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। इसलिए उत्तराखंड 'आयुष प्रदेश' भी कहलाता है। प्रदेश में चिकित्सा व स्वास्थ्य सम्बन्धी अधोसंरचना को सारणी 4.5 में दर्शाया गया है।

सारणी 4.5 - वर्ष 2020-21 में प्रदेश में चिकित्सा व स्वास्थ्य सम्बन्धी अधोसंरचना

क्रम संख्या	विवरण	संख्या
अ.	राज्य एलोपैथिक अस्पताल व डिस्पेंसरी	
	(1) जिला अस्पताल	13
	(2) उप जिला चिकित्सालय	21
	(3) पी.एच.सी. / अतिरिक्त पी.एच.सी.	577
	(4) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	80
	(5) राज्य एलोपैथिक अस्पताल	322
	(6) सरकारी अस्पतालों में बिस्तर	8277

	अन्य स्वास्थ्य इकाइयाँ	573
स.	आयुर्वेदिक व यूनानी अस्पताल	
	(1) आयुर्वेदिक अस्पताल	544
	(2) यूनानी अस्पताल	5
द.	होम्योपैथी अस्पताल/डिस्पैन्सरी	111

(स्रोत: Pangtey, Yatendra Singh and others (2011), Uttarakhand at a Glance 2010-11, Directorate of Economics and Statistics, Dehradun पृष्ठ 9; अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय (2023), उत्तराखंड एक दृष्टि में 2021-22, उत्तराखंड सरकार, पृ० 17-18)

इस अधोसंरचना के अतिरिक्त प्रदेश में संचल चिकित्सा व्यवस्था (आपातकालीन सेवा-108) भी उपलब्ध है। ऋषिकेश के पास 'एम्स' की भी स्थापना की गई है। हल्द्वानी, देहरादून, श्रीनगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, हरिद्वार और रुद्रपुर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई है परन्तु जनसंख्या व पर्वतीय क्षेत्र में चिकित्सा व स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह अधोसंरचना भी अपर्याप्त है।

4.6 अभ्यास प्रश्न (Practice Question)

रिक्त स्थान भरिए-

- उत्तराखंड में विद्युत के ट्रांसमिशन व वितरण के लिए सरकार द्वारा.....की स्थापना की गई।
- उत्तराखंड में अधोसंरचना के विकास के लिए सरकार द्वारा.....की स्थापना की गई।

सत्य/असत्य बताइए-

- भौतिक अधोसंरचना मानव निर्मित पूँजी नहीं है।
- शिक्षण संस्थाएँ सामाजिक अधोसंरचना का भाग होती हैं।

बहुविकल्पीय प्रश्न-

- उत्तराखंड में वर्ष 2021-22 में राज्य नलकूपों की संख्या थी -
(अ) 781 (ब) 981 (स) 1007 (द) 1658
- उत्तराखंड में वर्ष 2021-22 में नहरों की कुल लम्बाई थी -
(अ) 9071 किलोमीटर (ब) 10008 किलोमीटर (स) 12377 किलोमीटर (द) इनमें से कोई नहीं

4.7 सारांश (Summary)

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप यह जान चुके हैं कि विभिन्न अधोसंरचनाओं की आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आर्थिक व सामाजिक अधोसंरचनाएँ विभिन्न क्षेत्रों में वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक हैं। प्रदेश में ये अधोसंरचनाएँ यातायात व संचार, वित्त, सिंचाई व ऊर्जा, विज्ञान व प्रौद्योगिकी, शिक्षा व स्वास्थ्य आदि सुविधाओं के रूप में उपलब्ध हैं। विभिन्न रिपोर्ट व सूचनाएँ यह दर्शाती हैं कि प्रदेश में इन अधोसंरचनाओं का विकास किया जा रहा है परन्तु इनकी स्थिति अभी औसत ही है। अनेक प्रकार की समस्याएँ इन अधोसंरचनाओं के विकास में बाधाएँ बनी हुई हैं। विभिन्न अधोसंरचनाओं के विकास के लिए केन्द्र सरकार के साथ प्रदेश सरकार भी निर्धारित नीति के अन्तर्गत अनेक प्रकार के कार्यक्रम संचालित

करती है। प्रदेश की जटिल भौगोलिक स्थिति व संसाधनों की कमी के कारण इन अधोसंरचनाओं के विकास में सरकारी प्रयासों के साथ निजी क्षेत्र से भी सहयोग लिया जा रहा है।

4.8 शब्दावली (Glossary)

- **अधोसंरचना** - मानव निर्मित पूँजी जिसकी सहायता से कृषि व उद्योग में वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन किया जाता है।
- **सामाजिक अधोसंरचना** - शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में मानव निर्मित पूँजी जिसकी सहायता से शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं में परिमाणात्मक व गुणात्मक रूप से वृद्धि की जाती है।
- **आर्थिक अधोसंरचना** - तकनीकी ज्ञान, संचार व यातायात, ऊर्जा, सिंचाई, वित्त, आदि क्षेत्रों में मानव निर्मित पूँजी
- **'आयुष'** - आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध व होम्योपैथी का संक्षिप्त संकेताक्षर (अंग्रेजी में)

4.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answers for Practice Question)

रिक्त स्थान

(1) उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, (2) उत्तराखंड राज्य इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सत्य/असत्य

(1) असत्य, (2) सत्य,

बहुविकल्पीय प्रश्न

(1) द, (2) स

4.10 संदर्भ ग्रन्थ सूची (Reference / Bibliography)

- Aggarwal, S.P. (ed.) (1995), Uttarakhand: Past, Present and Future, Concept Publishing Company, New Delhi
- Dewan, M.L. & Jagdish Bahadur (eds.) (2005), Uttaranchal: Vision and Action Programme, Concept Publishing Company, New Delhi
- Mehta, G.S. (1999), Development of Uttarakhand: Issues and Perspectives, APH Publishing Corporation, New Delhi
- Pangtey, Yatendra Singh and others (2011), Uttarakhand at a Glance 2010-11, Directorate of Economics and Statistics, Dehradun
- Uttarakhand at a Glance 2021-22, Directorate of Economics and Statistics (2023), Dehradun
- Pant, J.C., (2001), Uttaranchal: A perspective; Bureaucratic Constraints vs Health, Population and Development, India Literacy Board, Lucknow

- Planning Commission, Government of India (2009), Uttarakhand Development Report, Academic Foundation, New Delhi
- Sati, V.P. & Kamlesh Kumar (2004), Uttaranchal: Dilemma of Plenties and Scarcities, Mittal Publications, New Delhi
- अग्रवाल, चन्द्र मोहन (सम्पादक) (2004), उत्तरांचल के सानिध्य में, इंडियन पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, दिल्ली
- उत्तराखंड शासन (2010), उत्तराखंड उत्कर्ष की ओर, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, देहरादून
- उत्तराखंड शासन (2010), नई सोच, नई दिशा, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, देहरादून उत्तराखंड सरकार, मुख्यमंत्री उत्तराखंड की अनुपम पहल
- <http://des.uk.gov.in/files/pdf/uttarakhand%20at%20a%20glance%20english.pdf>
- <http://des.uk.gov.in/upload/contents/File-5.pdf>
- http://www.mohfw.nic.in/NRHM/Documents/High_Focus_Reports/Uttarakhand%20Report.pdf
- <http://www.mapsofindia.com/uttarakhand/government/economy.html>
- <http://www.uttaranchalbiz.com/why-uttarakhand/infrastructure/>
- <http://www.mapsofindia.com/uttarakhand/government/tourism.html>
- <http://www.im4change.org/docs/99605NCLUSIVE%20GROWTH%20IN%20HILL%20REGIONS%20%20PRIORITIES.PDF>
- Statistical Diary 2021-22, Directorate of Economics and Statistics (2023), Dehradun

4.11 सहायक/उपयोगी पाठ्यसामग्री (Useful / Helpful Text)

- ठाकुर, सुदीप व अन्य (सम्पादक) (2010), उत्तराखंड उदय: एक दशक की यात्रा (2000 से 2010), अमर उजाला पब्लिकेशन्स लिमिटेड, नोएडा
- बलूनी, विद्या दत्त, उत्तराखंड एक सम्पूर्ण अध्ययन, अरिहन्त पब्लिकेशन्स (इ) प्रा लि, मेरठ
- पाण्डेय, अशोक कुमार, उत्तरांचल: सम्पूर्ण अध्ययन, उपकार प्रकाशन, आगरा
- सविता मोहन (2007), उत्तराखंड समग्र अध्ययन, तक्षशिला प्रकाशन, नई दिल्ली

4.11 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Question)

- 1 - 'अधोसंरचना' का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। आर्थिक विकास में विभिन्न अधोसंरचनाओं की भूमिका भी स्पष्ट कीजिए।
- 2 - उत्तराखंड में आर्थिक अधोसंरचना की स्थिति का विश्लेषण कीजिए।

3 - निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए -

- (अ) उत्तराखण्ड में यातायात व संचार सम्बन्धी अधोसंरचना
- (ब) उत्तराखण्ड में सामाजिक अधोसंरचना
- (स) उत्तराखण्ड में सिंचाई व ऊर्जा सम्बन्धी अधोसंरचना

इकाई-5 उत्तराखंड के कृषि आगत, उत्पादन और उत्पादकता की प्रवृत्तियाँ (Trends of Agricultural Inputs, Production and Productivity of Uttarakhand)

- 5.1 प्रस्तावना (Introduction)
- 5.2 उद्देश्य (Objective)
- 5.3 उत्तराखंड में भूमि उपयोग (Land Use in Uttarakhand)
- 5.4 उत्तराखंड की कृषि विशेषताएं (Agricultural Features of Uttarakhand)
- 5.5 कृषि उत्पादन और खाद्य उपलब्धता (Agricultural Production & Food Availability)
- 5.6 उत्तराखंड में कृषि विकास एवं उत्पादकता वृद्धि में गत्यावरोध (Barriers in Agricultural Development and Productivity Growth in Uttarakhand)
- 5.7 अभ्यास प्रश्न (Practice Question)
- 5.8 सारांश (Summary)
- 5.9 शब्दावली (Glossary)
- 5.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answer for Practice Questions)
- 5.11 संदर्भ ग्रन्थ सूची (Reference / Bibliography)
- 5.12 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Question)

5.1 प्रस्तावना (Introduction)

उत्तराखंड अर्थव्यवस्था की संरचना से सम्बन्धित यह पांचवी इकाई है। इससे पहले की इकाइयों में आप प्रदेश अर्थव्यवस्था की विशेषताओं की सामान्य जानकारी प्राप्त कर चुके हैं।

इस इकाई में आप उत्तराखंड के कृषि आगत (Input), उत्पादन (Production) और कृषि उत्पादकता (Productivity) की प्रवृत्तियों के सन्दर्भ में महत्वपूर्ण तथ्यों से अवगत होंगे।

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप यह जान जाएंगे कि उत्तराखंड में कृषि आगत के महत्वपूर्ण अवयव कौन कौन हैं तथा कृषि आगत को प्रभावित करने वाले कारक कौन हैं? साथ ही साथ आपको यह भी स्पष्ट होगा कि उत्तराखंड में कृषि क्षेत्र की उत्पादकता की स्थिति क्या है?

5.2 उद्देश्य (Objective)

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के बाद आप जान पायेंगे कि -

- ✓ कृषि अर्थव्यवस्था के प्रमुख घटक कौन कौन हैं?
- ✓ उत्तराखंड में भूमि उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है?
- ✓ उत्तराखंड में कृषि जोतों का वर्गीकरण जान पायेंगे।
- ✓ उत्तराखंड में सिंचाई व्यवस्था जान पायेंगे।
- ✓ उत्तराखंड में कृषि उत्पादन समझ सकेंगे।
- ✓ उत्तराखंड में खाद्यान उपलब्धता जान पायेंगे।
- ✓ उत्तराखंड में कृषि की विशेषताएँ समझ सकेंगे।

5.3 उत्तराखंड में भूमि उपयोग (Land Use in Uttarakhand)

यद्यपि उत्तराखंड में अधिकांश जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि है एवं अधिकतर जनसंख्या रोजगार के लिये कृषि पर निर्भर है। वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर राज्य की कुल जनसंख्या का 74 प्रतिशत गाँव में निवास करती है, जबकि 22 प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप में कृषि कार्यों में संलग्न है। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राज्य की कुल जनसंख्या का 69.76 प्रतिशत गाँव में निवास करती है, जबकि 30.24 प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप में कृषि कार्यों में संलग्न है। वर्ष 2001 में कुल घरेलू उत्पादन में कृषि का लगभग 19 प्रतिशत योगदान था जो वर्ष 2011 में घटकर 12 प्रतिशत हो गया है। जिससे राज्य में कृषि का महत्व स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है।

- ❖ **उत्तराखंड में भूमि उपयोग** - उत्तराखंड मूलतः एक पर्वतीय राज्य है। राज्य की कुल भूमि में से 63.51 प्रतिशत वन क्षेत्र है। जबकि कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का मात्र 13.54 प्रतिशत भाग ही खेती के अन्तर्गत है। उत्तराखंड में भू उपयोग के आँकड़े निम्नवत हैं-

तालिका 5.1 - उत्तराखंड में भूमि उपयोग (वर्ष 2020-21)

		2007	2020-21
1.	कुल प्रतिवेदित क्षेत्र	5666 हेक्टेयर	6001553 हेक्टेयर
2.	वन क्षेत्र	3465 हेक्टेयर	3811662 हेक्टेयर
3.	कृषि योग्य बंजर भूमि	367 हेक्टेयर	338864 हेक्टेयर
4.	परती भूमि	108 हेक्टेयर	191013 हेक्टेयर
5.	ऊसर एवं कृषि योग्य भूमि	312 हेक्टेयर	249278 हेक्टेयर

तालिका 5.2 - उत्तराखंड में वर्षवार कृषिक्षेत्र (हजार हेक्टेयर में)

	2000-01	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2020-21*
कुल प्रतिवेदित क्षेत्र हजार हेक्टेयर में	5671	5671	5668	5670	5665	6001.5
शुद्ध बोया गया क्षेत्र हजार हेक्टेयर में	770	759	760	766	767	620.6

स्रोत:- मुख्य राजस्व आयुक्त उत्तराखंड; *अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय (2023), सांख्यिकीय डायरी 2021-22, उत्तराखंड सरकार, पृ० 55)

वर्ष 2000 से 2005-06 तक, पाँच वर्षों की भू उपयोगिता आँकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि भूमि का उपयोग अन्य कार्यों तथा सड़को, भवनों एवं अन्य व्यवसायिक गतिविधियों में हुआ है। जिसके फलस्वरूप कृषि भूमि के आकार में निरंतर गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 2000-01 में शुद्ध बोया गया क्षेत्र 7.70 लाख हेक्टेयर था जो घटकर 2020-21 में 6.20 लाख हेक्टेयर रह गया है। अतः यह आवश्यक हो गया है कि उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करते हुये प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि करने का हर संभव प्रयास सुनिश्चित किया जाय ताकि राज्य खाद्यान्न उत्पादन में स्वावलम्बी बन सके तथा जीविकापार्जन हेतु कृषि पर निर्भर जनसंख्या को आवश्यक आर्थिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो सके, जो राज्य की ग्रामीण जनसंख्या की निर्धनता के उन्मूलन में सहायक होगा।

तालिका 3 - उत्तराखंड में आकार वर्गानुसार क्रियात्मक जानों की संख्या व क्षेत्रफल (2015-16)

क्र० सं०	आकार (हेक्टेयर)	संख्या कुल		क्षेत्रफल	
		कुल जोतें (3)	प्रतिशत (4)	क्षेत्रफल हेक्टेयर (5)	प्रतिशत (6)
1	सीमांत जोतें (1.0 से कम)	659064	74.78	283442	37.93
2	लघु जोतें (1.0 - 2.0)	148817	16.89	206228	27.60
3	अर्द्ध मध्यम जोतें (2.0 - 4.0)	58040	6.59	155532	20.81
4	मध्यम जोतें (4.0 - 10.0)	14496	1.64	78834	10.55
5	वृहद जोतें (10.0 और अधिक)	888	0.10	23284	3.12
योग		881305	100	747320	100

(स्रोत: अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय (2023), सांख्यिकीय डायरी 2021-22, उत्तराखंड सरकार, पृ० 21)

उपरोक्त तालिकाओं से स्पष्ट है कि विगत वर्षों में उत्तराखंड में कृषि भूमि का क्षेत्रफल लगभग स्थिर है। किन्तु तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि जोतें अनार्थिक है। उत्तराखंड राज्य में लगभग 8.8 लाख जोतें हैं जिनमें 6.5 लाख जोतें सीमान्त जोतें (1.0 हेक्टेयर से कम) 1.48 लाख लघु जोतें तथा 2.47 लाख कृषि मजदूर हैं। उत्तराखंड राज्य में कुल उपलब्ध भूमि 60,01,553 हेक्टेयर है जिसमें 38,11,662 हेक्टेयर भूमि वन क्षेत्र है। 2020-21 में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 6,20,629 हेक्टेयर था। राज्य में पर्वतीय क्षेत्रों में न्यूनतम औद्योगिक विकास होने के कारण तथा कृषि क्षेत्र में वैकल्पिक रोजगार के अवसरों की नितान्त दुर्लभता के कारण पुरुष जनसंख्या का राज्य से पलायन अत्यधिक है तथा कृषि क्षेत्र मूलतः स्त्री जनसंख्या पर अत्यधिक निर्भर है। श्रम

एवं अन्य आवश्यक आर्थिक संसाधनों की कमी के फलस्वरूप कृषि क्षेत्र की उत्पादकता में उत्साह जनक वृद्धि नहीं हो पा रही है। इस ओर राज्य सरकार के द्वारा सार्थक प्रयासों की नितान्त आवश्यकता है।

❖ सिंचाई

वर्ष 2020-21 में उत्तराखण्ड में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 3,21,576 हेक्टेयर है जिसमें नहर द्वारा सिंचित 66,546 हेक्टेयर, नलकूप द्वारा सिंचित 2,27,204 हेक्टेयर, अन्य कुओं द्वारा सिंचित 5,927 हेक्टेयर, तालाब द्वारा सिंचित 84 हेक्टेयर तथा अन्य साधनों द्वारा सिंचित 21,815 हेक्टेयर क्षेत्र है। वर्ष 2020-21 में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल से 51.81 प्रतिशत है। तालिका 4 में वर्ष 2020-21 में कुल सिंचित क्षेत्रफल का विभिन्न साधनों में प्रतिशत को दर्शाया गया है-

तालिका 4- कुल सिंचित क्षेत्रफल का विभिन्न साधनों में प्रतिशत (2020-21)

क्र.सं.	साधन	कुल सिंचित क्षेत्रफल (प्रतिशत में)	
		2006-07	2020-21*
1.	नहर	27.59	20.69
2.	नलकूप	57.78	70.65
3.	कुएँ	5.37	1.84
4.	तालाब	0.04	0.03
5.	अन्य	9.022	6.78

(स्रोत: *अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय (2023), सांख्यिकीय डायरी 2021-22, उत्तराखण्ड सरकार, पृ० 64)

तालिका 4 से स्पष्ट है कि वर्ष 2006-07 से 2020-21 तक नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल में वृद्धि दर्ज की गई है जबकि नहरों, कुओं, तालाबों तथा अन्य साधनों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल में गिरावट दर्ज की गई है।

5.4 उत्तराखण्ड राज्य की कृषि विशेषताएं (Agricultural Features of Uttarakhand)

जैसा कि आप जानते हैं उत्तराखण्ड राज्य में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली फसलों में चावल, गेहूँ, जौ, मक्का, मंडुवा, झंगोरा (सावां) आदि मुख्य अनाज है जबकि दलहन में उड़द, मसूर, भट्ट, गहथ, राजमा, चना एवं अन्य दालें हैं। इसके अतिरिक्त मैदानी क्षेत्रों में गन्ना तथा अन्य नकद फसलें भी उगाई जाती हैं।

जलवायु की विविधता के कारण राज्य में भिन्न-भिन्न प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। मैदानी क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा हाने के कारण गेहूँ एवं धान की फसलों पर विशेष बल दिया जाता है। उर्वरकों तथा कीटनाशी रसायनों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया जाता है जिसके कारण मृदा स्वास्थ्य प्रभावित हुआ है। इसके विपरीत पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ विशिष्ट स्थानीय फसलें जैसे सावां(झंगोरा), मुडुवा, रामदाना, गहथ, भट्ट, आंगल, उड़द, राजमा आदि उगाई जाती हैं। विविधकर पर विशेष बल दिया गया है। टिकाऊ खेती को विकास का आधार बनाया गया है। राज्य में मैदानी क्षेत्र तथा पर्वतीय क्षेत्र की कृषि की विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

मैदानी क्षेत्र	पर्वतीय क्षेत्र
व्यावसायिक खेती की जाती है।	केवल जीविकोपार्जन के लिये खेती होती है।
प्रायः एक फसली खेती को प्राथमिकता	अधिकतर मिश्रित खेती की जाती है।
चकबन्दी के कारण कुछ जोतें आर्थिक हैं।	पर्वतीय भूमि, बिखर एवं छोटी जोतों के कारण अनाआर्थिक है।
88 प्रतिशत क्षेत्र सिंचित है।	मात्र 11 प्रतिशत क्षेत्र सिंचित है।

बीज प्रतिस्थापन दर 15 से 20 प्रतिशत तक है।	बीज प्रतिस्थापन दर 3 से 4 प्रतिशत तक है।
धान की उत्पादकता 27 कुन्तल प्रति हेक्टेयर तथा गेहूं की उत्पादकता 30 कुन्तल प्रति हेक्टेयर के लगभग है।	धान की उत्पादकता 12 कुन्तल प्रति हेक्टेयर तथा गेहूं, मुडुवा, सावां(झंगोरा) की उत्पादकता 13 कुन्तल प्रति हेक्टेयर के लगभग है।

5.5 कृषि उत्पादन और खाद्य उपलब्धता (Agriculture Production and Food Availability)

राज्य में कुल 95 विकासखंडों में से 71 विकासखण्ड वर्षा आधारित खेती पर निर्भर है। गत वर्षों में किए गये निरन्तर प्रयासों से यद्यपि उत्पादन एवं उत्पादकता में सुधार हुआ है, किन्तु समय-समय पर सूखे का सामना करना पड़ा है। विगत छः वर्षों के दौरान वर्ष 2002-03 में खरीब की फसलें तथा वर्ष 2005-06 एवं 2007-08 में रबी की फसलें सूखे से प्रभावित हुई हैं। इसके बावजूद वर्ष 2007-08 में गेहूं का उत्पादन 8.14 लाख मीट्रिक टन के उच्चतर स्तर तक पहुंचा है। वर्ष 2022 में अप्रैल से दिसम्बर तक सामान्य से 54.80 मि0मि0 वर्षा कम हुई है। इसके बावजूद वर्ष 2020-21 में गेहूं का उत्पादन 9.37 लाख मीट्रिक टन के उच्चतम स्तर तक पहुँचा है। राज्य धान्य फसलों के उत्पादन में आत्म निर्भर है, किन्तु दलहन एवं तिलहन के क्षेत्र में आवश्यकताओं से कम उत्पादन प्राप्त हो रहा है।

तालिका 5 - कृषि उत्पादन के सापेक्ष मांग (लाख मीट्रिक टन में)

फसलें	कुल मांग	कुल उत्पादन	आधिक्य(\$)/कमी(-)
धान्य फसलें	15.52	17	\$ 1.48
दलहनी फसलें	2.87	0.28	- 2.59
तिलहनी फसलें	3.07	0.35	- 2.72

स्रोत:- मुख्य राजस्व आयुक्त उत्तराखंड

वर्ष 2005-06 में खाद्यान्न उत्पादन 15.32 लाख मीट्रिक टन था जो वर्ष 2020-21 में बढ़कर 19.19 लाख मीट्रिक टन हो गया। दलहन का उत्पादन 29 हजार मीट्रिक टन (2005-06) से बढ़कर 57 हजार मीट्रिक टन (2020-21) हो गया है, जो उत्पादन स्तर में सुधार का द्योतक है। तिलहन का उत्पादन 29 हजार मीट्रिक टन (2005-06) से घटकर 22 हजार मीट्रिक टन (2020-21) हो गया है।

तालिका 6- कुल कृषि उत्पादन (हजार मीट्रिक टन में)

फसल	2005-06 (अंतिम अनुमान)	2010-11	2015-16	2020-21 * (अंतिम अनुमान)
चावल	580	545	641	724
गेहूं	642	882	790	937
कुल दलहन	29	45.8	45	57
कुल खाद्यान्न	1532	1737	1710	1919
कुल तिलहन	29	25.3	29.7	22

(स्रोत: मुख्य राजस्व आयुक्त उत्तराखंड, *अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय (2023), सांख्यिकीय डायरी 2021-22, उत्तराखंड सरकार, पृ० 60)

राज्य में गेहूँ के अंतर्गत 30 प्रतिशत क्षेत्राच्छादन के साथ कुल बोये गये क्षेत्र का महत्तम भाग आच्छादित होता है, जबकि धान 26 प्रतिशत, मंडुवा (रागी) 8 प्रतिशत, गन्ना 9 प्रतिशत, सोंवा 5 प्रतिशत, मक्का 2.7 प्रतिशत, दलहनी फसलें 6 प्रतिशत, तिलहनी फसलें 2 प्रतिशत तथा अन्य फसलों के अंतर्गत 2 प्रतिशत क्षेत्र आच्छादित होता है। गेहूँ के अन्तर्गत सर्वाधिक क्षेत्र होने के कारण कृषि अर्थव्यवस्था में इसका स्थान सर्वोपरि है। गेहूँ में अधिक उपजदायी प्रजातियों के बीज प्रतिस्थापन तथा सिंचन क्षमताओं के साथ-साथ पौध सुरक्षा के समुचित उपायों से उत्पादकता में लगातार सुधार हुआ है, जो वर्ष 2000-01 में 18.84, वर्ष 2005-06 में वर्ष 2002-03 में 19.25, वर्ष 2004-05 में 20.65, वर्ष 2020-21 में 31.53 कुन्तल प्रति हेक्टेयर के स्तर तक प्राप्त हुआ है। वर्ष 2005-06 में कम वर्षा के कारण उत्पादकता स्तर घटकर 16.93 किग्रा प्रति हेक्टेयर रह गया, किन्तु पुनः वर्ष 2006-07 एवं वर्ष 2007-08 में उत्पादकता स्तर में वृद्धि दर्ज की गई है।

चावल की उत्पादकता में वर्ष 2000-01 में 20.28, वर्ष 2002-03 में 18.86, वर्ष 2003-04 में 19.17 वर्ष 2004-05 में 19.02 वर्ष 2005-06 में 19.11 तथा वर्ष 2021-22 में 27.84 कुन्तल प्रति हेक्टेयर का स्तर प्राप्त हुआ है। चावल की उत्पादकता में अपेक्षित सुधार न होने का एक मुख्य कारण यह है कि मैदानी क्षेत्रों में विगत कई वर्षों से लगातार असंतुलित उर्वरकों के प्रयोग से मृदा स्वास्थ्य प्रभावित हुआ है। इसी के दृष्टिगत वर्ष 2005-06 से मैदानी क्षेत्रों में धान गेहूँ वाल क्षेत्र में हरी खाद के प्रयोग को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम चलाया गया है।

राज्य में दलहनी फसलों के अन्तर्गत लगभग 50 हजार हेक्टेयर क्षेत्र आता है। सिंचाई की कम सुविधा को देखते हुये इक्रीसेट की सहायता से खरीफ 2007 में अरहर विकास कार्यक्रम चलाया गया है। सामान्यतः पर्वतीय क्षेत्र में अरहर की पैदावार 3 से 4 कुन्तल प्रति हेक्टेयर की पाई गई है, जबकि वीएल अरहर-1 की किस्म बोने पर 8 से 10 कुन्तल प्रति हेक्टेयर की पैदावार प्राप्त हुई। इस कार्यक्रम की सफलता को देखते हुये इस किस्म को वर्ष 2008-09 में 1700 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में विस्तार दिया गया इसके अतिरिक्त उन्नत रूप से बोयी जाने वाली उर्द, राजमा, गहत आदि दलहनी फसलों के अन्तर्गत जैविक मोड़ में क्षेत्राच्छादन एवं उत्पादकता वृद्धि के प्रयास किए जा रहे हैं।

उत्तराखण्ड में कृषि क्षेत्र में अतिरिक्त आय सृजन हेतु छोटे काशतकारों के लिये गैरपरम्परागत कृषि अत्यधिक लाभकारी है। इसी क्रम में 2009-10 में राज्य के छः जनपदों में अदरक एवं हल्दी की पैदावार इस ओर एक नवीन प्रवृत्ति इंगित कर रही है। वर्ष 2020-21 में 50,045 मैट्रिक टन अदरक और 15,195 मैट्रिक टन हल्दी का उत्पादन हुआ।

राज्य के काशतकार परम्परागत कृषि की तुलना में नगद फसलों की कृषि के द्वारा अतिरिक्त आय सृजन कर सकते हैं। उद्यान विभाग की ओर से ऐसे काशतकारों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वर्ष 2020-21 में उत्तराखण्ड के 1,790 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हल्दी और 5,170 हेक्टेयर क्षेत्रफल में अदरक बोया गया।

आशा है कि इस प्रकार कि नगद फसलों के उत्पादन द्वारा किसानों की आर्थिकी को सुधारा जा सकता है।

- ❖ **उन्नत बीज** - कृषि उत्पादकता में निरन्तर वृद्धि हेतु उन्नतशील बीजों का महत्वपूर्ण योगदान है। मैदानी क्षेत्रों में जहाँ उन्नतशील बीजों की प्रतिस्थापन दर 25 प्रतिशत से अधिक है वही दूसरी ओर पर्वतीय क्षेत्रों में यह दर मात्र 3 से 5 प्रतिशत तक ही है। दूसरा एक मुख्य कारण पर्वतीय क्षेत्रों के लिए अधिक उन्नत बीजों की अनुपलब्धता रही है। कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में भी अधिक उपलब्धता एक रासायनिक खादों के अधिकाधिक प्रयोग वाली प्रजातियों को प्राथमिकता प्रदान की गई है। मूलतः स्थानीय उपायों की उत्पादकता में सकारात्मक वृद्धि हेतु प्रयासों का अभाव रहा है। 2005-06 से कोर वैली सीड प्रोडक्शन प्रभाग आरम्भ किया जसमें तराई बीज विकास निकाय के सहयोग से संपादित किया जा रहा है। जिसमें पर्वतीय क्षेत्र के चयनित धारियों में पर्वतीय क्षेत्र के उपयुक्त प्रजातियों का बीजोत्पादन किया जा रहा है। पर्वतीय क्षेत्र में धान की बीज प्रतिस्थापन

दर वर्ष 2004-05 में 2.9 प्रतिशत से बढ़कर 2006-07 में 3.77 प्रतिशत तथा गेहूँ की बीज प्रतिस्थापन दर वर्ष 2004-05 में 2 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2007-08 में 2.70 प्रतिशत हो गई है। जबकि मैदानी क्षेत्रों में बीज प्रतिस्थापन दर अत्यधिक तीव्र दर से बढ़ी है। मैदानी क्षेत्रों में धान के बीज प्रतिस्थापन दर वर्ष 2002-03 में 9.80 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2006-07 में 27.42 प्रतिशत तथा गेहूँ में वर्ष 2002-03 में 12.41 से बढ़कर वर्ष 2006-07 में 40.30 प्रतिशत पहुँच गई है। उत्तराखण्ड राज्य न केवल अपने राज्य के कृषकों के लिए बल्कि अन्य राज्यों को भी उन्नत बीजों की आपूर्ति सुनिश्चित कर रहा है। वर्ष 2001-02 में कुल शोधित बीजों की मात्रा 11.57 कुन्तल से बढ़कर वर्ष 2006-07 में 30 लाख कुन्तल हो गई है। बीजोत्पादन हेतु पंजीकृत क्षेत्रफल में भी वृद्धि हुई है। वर्ष 2001-02 में बढ़कर 41237 हेक्टेयर क्षेत्र पंजीकृत था जबकि यह बढ़कर वर्ष 2006-07 में 1,12,323 हेक्टेयर हो गया वर्ष 2001-02 में इस कार्यक्रम से 8000 कृषक लाभान्वित हुए जा वर्ष 2006-07 में बढ़कर 18,027 हो गया। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, बीज एवं रोपण सामग्री उप-मिशन (Sub Mission for Seed Planting Material- SMSP) के तहत बीज ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत 22,668 कुन्तल गुणवत्ता वाले बीज किसानों को वितरित किए गये हैं। पर्वतीय क्षेत्र के पारंपरिक बीजों के संवर्धन हेतु स्थापित हिल सीड बैंक को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में सम्मिलित किया गया है जिसके अंतर्गत वर्ष 2022-23 खरीफ में 166 हेक्टेयर में तथा रबी सत्र में 456 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बीज उत्पादन कार्यक्रम चलाया गया।

- ❖ **उर्वरक** - आधुनिक कृषि में फसल उत्पादकता में वृद्धि हेतु उर्वरकों का प्रयोग अनिवार्य हो गया है। किन्तु उत्तराखण्ड की भौगोलिक विशिष्टता के कारण तथा पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई के साधन अत्यधिक सीमित होने के कारण उर्वरकों का प्रयोग प्रायः स्थिर रहा है। जबकि मैदानी क्षेत्रों में उर्वरकों का प्रयोग प्रचुरता में होता रहा है। सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में वर्ष 2001-02 में उर्वरक खपत 95.33 किग्रा हेक्टेयर थी, जो वर्ष 2006-07 में बढ़कर 96.51 किग्रा हेक्टेयर हो गये किन्तु ऊधमसिंह नगर (मैदानी भाग) में यह वर्ष 2001-02 में 317.31 से बढ़कर वर्ष 2006-07 में 388.98 हो गई। उत्तराखण्ड में वर्ष 2003-04 में उर्वरक उपभोग 1.23 लाख मैट्रिक टन था जो वर्ष 2020-21 बढ़कर में 1.58 लाख मैट्रिक टन हो गया है।

❖ **मृदा स्वास्थ्य एवं सूक्ष्म पोषक तत्व प्रबंध**

कृषि भूमि की उर्वरता को बनाये रखने हेतु यह आवश्यक है कि मृदा स्वास्थ्य एवं सूक्ष्म पोषक तत्व प्रबंधन समुचित प्रकार से हो। राज्य में मृदा परीक्षण हेतु 13 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं जिसमें मुख्य पोषक तत्वों के विश्लेषण की सुविधा सभी प्रयोगशालाओं में उपलब्ध है तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों के परीक्षण की सुविधा 5 प्रयोगशालों में उपलब्ध है।

जनपद ऊधमसिंह नगर के जीवांश कार्बन की मात्रा बहुत कम पायी गई है। जबकि अन्य क्षेत्रों में यह मध्यम है राज्य में सभी जगहों पर फास्फोरस की मात्रा न्यून पाई गई है। प्रायः यह देखा गया है कि समस्त मैदानी स्थानों पर रासायनिक के अधिकाधिक प्रयोग से जीवांश कार्बन निरन्तर घटता जा रहा है। जबकि राज्य में खाद्यान में आत्मनिर्भरता इसी क्षेत्र पर निर्भर है।

उत्तराखण्ड में वर्ष 2002-03 में सूक्ष्म तत्वों की खपत मात्र 278 टन थी जो वर्ष 2007-08 में बढ़कर 2000 टन हो गई।

सतत (Sustainable) खेती के परिप्रेक्ष्य में जैव उर्वरकों, जैविक खादों एवं हरी खाद के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया है। इनके प्रयोग पर कृषकों को 50 प्रतिशत तक अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराई जा रहा है। फलतः गत वर्षों की तुलना में जैविक उर्वरकों का प्रयोग तेजी से बढ़ा है। जैव उर्वरकों की खपत वर्ष 2002-03 में 18 मीट्रिक टन से बढ़कर वर्ष 2007-08 में 100 मीट्रिक टन हो गई है। जैव उर्वरकों के उत्पाद को प्रोत्साहित किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप भविष्य में जैव उर्वरकों के लिए अन्य राज्यों पर निर्भरता कम होती जाएगी।

	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
जैविक खेती के अन्तर्गत प्रमाणित क्षेत्र हजार हेक्टेयर में	15.80	693.08	546.90	955.84	6860.69	18000
लाभान्वित कृषक संख्या	10	1792	1639	2254	16900	21000

स्रोत:- मुख्य राजस्व आयुक्त उत्तराखंड

- ❖ **कृषि यंत्रीकरण** - उत्तराखंड में 56 प्रतिशत भूभाग पर्वतीय कृषि में यंत्रों के प्रयोग की संभावनाएँ अत्यधिक सीमित है। उत्तराखंड राज्य के गठन के उपरान्त उन्नत कृषि यन्त्रों तथा मशीनीकरण पर विशेष बल दिया गया है। घाटी क्षेत्रों में पावर टिलर्स का उपयोग बढ़ा है। उत्तराखंड के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, वर्ष 2022-23 में कृषि यंत्रीकरण योजना (Sub Mission on Agricultural Mechanization-SMAM) के तहत कृषकों को अनुदान पर 129 फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना, 34 ट्रैक्टर, 8 पावर टिलर, 1900 पावर विडर, 1,310 अन्य पावरचालित तथा 995 मानव चालित यंत्र उपलब्ध कराए गये है। निश्चित रूप से इन सकारात्मक प्रयासों से कृषि उत्पादकता में अत्यधिक वृद्धि की सम्भावनाएं दृष्टि गोचर हो रही है।

5.6 उत्तराखंड में कृषि विकास उत्पादकता वृद्धि में गत्यावरोध (Barriers in Agricultural Development and Productivity Growth in Uttarakhand)

उत्तराखंड राज्य भौगोलिक रूप से पर्वतीय राज्य होने के कारण अनेकों कारण कृषि क्षेत्र के विकास की सम्भावनाओं को रोकते है। उत्तराखंड में 56 प्रतिशत कृषि भूमि वर्षा पर निर्भर है। विभिन्न प्राकृतिक परिवर्तनों के फलस्वरूप पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता अत्यधिक सीमित है तथा विगत वर्षों में मानवीय हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी तन्त्र पर पड़े दुष्प्रभावों के कारण जलवायु परिवर्तन अत्यधिक स्पष्ट होते जा रहे है। फलस्वरूप वर्षा काल का चरमोत्कर्ष विगत वर्षों में जुलाई माह के मध्य में होता था परिवर्तित हो कर अगस्त माह के मध्य हो रहा है। जिससे फसल योजना का इसी प्रकार निश्चित करने की आवश्यकता है। रबी फसल चक्र में वर्षा की स्थिति अत्यधिक अनिश्चित रही है जलवायु चक्र में परिवर्तन के फलस्वरूप कृषि उत्पादकता एवं उपज की गुणवत्ता प्रभावित होती है।

❖ रणनीति

उत्तराखंड में कृषि क्षेत्र में स्वरोजगार की सम्भावनाओं को विकसित करने हेतु पर्वतीय क्षेत्रों के सम्बन्ध में तत्कालिक परिवर्तनों की आवश्यकता है ताकि विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओलावृष्टि, बादल फटना, भूस्खलन आदि की स्थिति में उचित सहायता सम्बन्धित पक्षों तक पहुंच सके। साथ ही साथ पर्वतीय क्षेत्रों में उन्नत बीज अन्य आवश्यक आपदाओं की नितान्त दुर्लभता को भी करना आवश्यक है। इस सन्दर्भ में आवश्यकता है कि क्षेत्रीय एवं स्थानीय क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप सम्मानित स्थानीय कृषकों का चुनाव कर उन्हें प्रशिक्षित कर उन्नत बीजों की खेती हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिये तथा उन्नत प्रजातियों के बीजों की आपूर्ति नियमित एवं सुचारु रूप से की जा सके।

5.7 अभ्यास प्रश्न (Practice Question)

बहुविकल्पीय प्रश्न -

- उत्तराखंड में अधिकांश कृषि जोतें है।
(A) आर्थिक जोतें (B) बड़ी जोतें (C) लघु एवं सीमान्त (D) इसमें से कोई नहीं

2. वर्ष 2020-21 में उत्तराखंड में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल से प्रतिशत है।
 (A) 51.81 (B) 89 (C) 50 (D) 60
3. उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों को हरित क्रान्ति का लाभ हुआ है।
 (A) अत्यधिक (B) मामूली (C) सामान्य (D) कोई नहीं
- सत्य एवं असत्य बताए-**
1. उत्तराखंड में 60 प्रतिशत से अधिक भूमि पर वन्य क्षेत्र है। (सत्य/असत्य)
2. उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में कृषि जोतें अनार्थिक है। (सत्य/असत्य)

5.8 सारांश (Summary)

जैसा कि उक्त अध्याय में वर्णित है, कृषि एवं सहायक क्रियाएं उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का आधार रही है। उत्तराखंड की जनसंख्या जीवनयापन एवं रोजगार हेतु कृषि क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भर है। वास्तव में निरन्तर जनसंख्या में तीव्र वृद्धि एवं अन्य आर्थिक क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की न्यूनता के कारण कृषि क्षेत्र पर जनसंख्या के जीवनयापन हेतु निर्भरता में वृद्धि हुई है। विगत वर्षों में श्रम-शक्ति में निरन्तर वृद्धि के लिए अतिरिक्त रोजगार सृजन एवं उत्पादकता में वृद्धि हेतु अनेक नवीन प्रयास किए गये। यद्यपि भौगोलिक एवं स्थलाकृतिक समस्याओं तथा सिंचाई सुविधाओं (आधारिक संरचना) के अभाव के कारण मुख्यतः 5 पर्वतीय क्षेत्रों में आधुनिक रासायनिक खादों कीटनाशकों एवं उन्नत बीजों का प्रयोग सफल नहीं रहा है। जिसके फलस्वरूप मुख्य फसलों की उत्पादकता पिछले वर्षों में लगभग स्थिर रही है। कृषि आधारिक संरचना में परिवर्तन तथा पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक स्थलाकृति में परम्परागत कृषि से विरक्त हो कर जैविक एवं औषधीय कृषि जो क्षेत्र के पर्यावरण के साथ-साथ कृषकों को मूल्यों वाले उत्पादों को उगाने में प्रोत्साहित कर सके। निश्चित रूप से उच्च कृषि क्षेत्र के विकास में सहायक होगा।

5.9 शब्दावली (Glossary)

- कृषि उत्पादकता - प्रति हेक्टेयर कृषि उपज।
- उन्नत बीज - अधिक उत्पादन सुनिश्चित करने वाले बीज।
- आर्थिक जोत - वह कृषि भू भाग जिस पर आर्थिक दृष्टि से लाभदायक कृषि सम्भव है।
- अनार्थिक जोत - वह कृषि भू भाग जिस पर आर्थिक दृष्टि से लाभदायक कृषि सम्भव नहीं है।
- लघु कृषक - एक हेक्टेयर से अधिक एवं दो हेक्टेयर से कम क्षेत्र के भूमि स्वामी।
- सीमान्त कृषक - एक हेक्टेयर से कम क्षेत्र के भूमि स्वामी।
- कृषि मजदूर - कृषि भूमि रहित व्यक्ति।
- भूमि सुधार - भूमि की उत्पादकता में वृद्धि हेतु किए जाने वाले पूँजीगत प्रयास।
- हरित क्रान्ति - 1960 के दशक में एशियाई देशों में चिन्हित फसलों की उत्पादकता में उन्नत बीजों एवं रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के फलस्वरूप व्यापक वृद्धि।
- जीविकोपार्जन कृषि - जीवन रक्षा हेतु कृषि कार्य।
- व्यावसायिक कृषि - आर्थिक रूप से लाभदायक कृषि कार्य।
- जैविक कृषि - प्राकृतिक आगंतों के प्रयोग द्वारा किया गया कृषि कार्य।
- परम्परागत कृषि - प्राचीन एवं अविकसित पूँजी एवं अन्य संसाधनों के द्वारा किया जाने वाला कृषि कार्य।

5.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answer for Practice Questions)

बहुविकल्पीय प्रश्न-

1. (C) लघु एवं सीमान्त 2. (A) 51.81 3. (B) मामूली

सत्य एवं असत्य -

1. सत्य 2. असत्य

5.11 संदर्भ ग्रन्थ सूची (References/Bibliography)

- आर्थिक सर्वेक्षण 2009-10 एवं 2021-22
- आर्थिक समीक्षा उत्तराखंड 2008-09
- रूद्र दत्त एवं सुन्दरम, भारतीय अर्थ व्यवस्था, एस0 चाँद एण्ड कम्पनी, न्यू देहली, भारत 2011
- मिश्रा एण्ड पुरी, भारतीय अर्थ व्यवस्था, हिमालय पब्लिशिंग हाऊस, मुम्बई।
- R.T.Twari, Mujoo Tewari Uttarkhand Economic development Apit publishing corp New Delhi.

5.12 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Question)

1. उत्तराखंड राज्य के गठन के पश्चात कृषि क्षेत्र में उत्पादकता की प्रवृत्तियों पर एक निबंध लिखिए।
2. उत्तराखंड में निम्न कृषि उत्पादकता के कारणों पर विस्तृत चर्चा कीजिए।
3. उत्तराखंड में सिंचाई व्यवस्था पर विस्तृत आलेख लिखिए तथा भविष्य में सिंचाई व्यवस्था के कुशल प्रबन्धन हेतु सुझाव दीजिए।

इकाई-6 भूमि सुधार एवं नवीन कृषि की रणनीतियाँ (Land Reform and New Strategies of Agriculture)

- 6.1 प्रस्तावना (Introduction)
- 6.2 उद्देश्य (Objective)
- 6.3 उत्तराखंड में भूमि सुधार एवं भूमि उपयोग (Land Reform and Land Use in Uttarakhand)
- 6.4 उत्तराखंड राज्य में उद्यमों का क्षेत्रीय परिदृश्य (Regional Scenario of Enterprises in Uttarakhand State)
- 6.5 उत्तराखंड में कृषि विकास हेतु विकासात्मक रणनीति (Developmental Strategy for Agricultural Development in Uttarakhand)
- 6.6 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (National Agriculture Development Plan)
- 6.7 कृषि क्षेत्र में नवीनतम प्रवर्तन (Latest Innovations in Agriculture Sector)
- 6.8 अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)
- 6.9 सारांश (Summary)
- 6.10 शब्दावली (Glossary)
- 6.11 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answer for Practice Questions)
- 6.12 संदर्भ ग्रन्थ सूची (Reference/Bibliography)
- 6.13 सहायक / उपयोगी पाठ्य सामग्री (Useful/Helpful Text)
- 6.14 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

6.1 प्रस्तावना (Introduction)

उत्तराखंड अर्थव्यवस्था की संरचना से सम्बन्धित यह 6वीं इकाई है, इससे पहले की इकाइयों में आप प्रदेश अर्थव्यवस्था की विशेषताओं की सामान्य जानकारी प्राप्त कर चुके हैं।

समस्त आर्थिक क्रियाओं का आधार भूमि है जिसके द्वारा एक राज्य में आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय स्थापित किया जा सकता है। दूसरी तरह यह एक अर्थव्यवस्था की स्वतन्त्रता तथा सामाजिक सस्थायों को के विकास क्रम को बाधित कर सकता है। यदि भूमि का वितरण समाज में कुछ व्यक्तियों तक सीमित है तो भारत के पारस्परिक भू-उपयोग एवं भू-स्वामित्व प्रवृत्तियों में इच्छानुसार परिवर्तन किए गए ताकि भूमि अधिग्रहण सस्ते दामों पर करके ब्रिटिश उद्यमकर्ताओं को खनन, कृषि एवं अन्य कार्यों हेतु भूमि आवंटन किया जा सके।

6.2 उद्देश्य (Objective)

इस इकाई का उद्देश्य उत्तराखंड में भूमि उपयोग हेतु किए गए प्रयासों जिसमें हम कुल भूमि उपलब्धता, भूमि उत्पादकता में सुधार हेतु प्रयास भूमि के उपखण्डन एवं विभाजन को नियंत्रित करने हेतु प्रयासों तथा परिवार उत्तराखंड में भू-जोतों के वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ इस अध्याय में हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत स्तर पर उत्तराखंड में रोजगार सृजन आय वृद्धि वर्धन एवं निर्धनता उन्मूलन हेतु किन नवपर्वतनों को क्रियान्वित करने का सार्थक प्रयास हुआ तथा इन प्रयासों के फलस्वरूप किस प्रकार के परिणाम प्राप्त हुए।

6.3 उत्तराखंड में भूमि सुधार एवं भूमि उपयोग (Land Reform and Land Use in Uttarakhand)

ब्रिटिश शासन में व्यक्तिगत सम्पत्ति की सस्था के प्रावधान में जनजातीय समाज एवं ग्रामीण सामाजिक स्वामित्व की परम्परा अवधारणा को गैरकानूनी बना दिया तथा साथ ही साथ स्थायी समझौता अधिनियम 1793 परमानेंट सेंटेलमेंट एक्ट 1793 के अंतर्गत भूमि व्यवस्था ने भारत की परम्परागत जजमानी व्यवस्था को समाप्त कर जमींदारी व्यवस्था को परिपोषित किया जो किसी भी सामाजिक मानदण्ड पर एक न्याय पूर्ण व्यवस्था नहीं थी तथा जिसके फलस्वरूप भारतीय ग्रामीण सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक परिदृश्य में इन परिवर्तनों के कारण भारतीय समाज ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय एक अर्द्ध-सामंती कृषिय व्यवस्था को ब्रिटिश शासन व्यवस्था से उत्तराधिकार में प्राप्त किया। जिसके फल स्वरूप भू-स्वामित्व एवं भूमि उपयोग भूमिपतियों एवं मध्यस्थों के एक छोटे से वर्ग के पास संकेन्द्रित था जिस वर्ग का मुख्य उद्देश्य वास्तविक काश्तकारों से अधिक से अधिक लगान प्राप्त करना था। साथ ही साथ अभिजात्य जमींदार वर्ग द्वारा भी भू-उत्पादकता में सकारात्मक वृद्धि हेतु आर्थिक सामाजिक प्रयास नहीं किए गए जिनके द्वारा कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सके।

भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के आरंभिक वर्षों में ही नीति निर्धारकों यह स्पष्ट हो गया था कि राष्ट्र निर्माण हेतु भू-सुधारों से सम्बन्धित समस्याओं को वरीयता के आधार पर निष्पादित करना अत्यन्त आवश्यक है। किन्तु अनेक भू-सुधार कार्यक्रमों जैसे मध्यस्थों की समाप्ति, पट्टेदारी व्यवस्था में सुधार, चकबन्दी व्यवस्था के पश्चात् भी भू-सुधारों से सम्बन्धित अनेकों समस्याएँ अनुत्तरित हैं जिसके फलस्वरूप ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं कृषि विकास बाँछनीय स्तर पर प्रगति करने में असफल रहा है।

इस संदर्भ में अनुभवाश्रित अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भू-स्वामित्व से सम्बन्धित असमानताओं में वृद्धि हुई है। भूमिहीन श्रमिकों, लघु एवं सीमान्त कृषकों की संख्या में वृद्धि हुई है, जबकि अभिजात्य जमींदार वर्ग का भूमि-स्वामित्व में हिस्सा और बढ़ गया है।

अभिजात्य जमींदार वर्ग के निहित स्वार्थों एवं राजनैतिक तथा नौकरशाही व्यवस्था के अनैतिक गठजोड़ में भू सुधारों का वास्तविक लाभ एवं क्रियान्वयन बाधित कर इस प्रक्रिया को लगभग निरुद्देश्य एवं मृत प्रायः बना दिया है।

तालिका 1 - उत्तराखण्ड के पर्वतीय जनपदों में भूमि उपयोग (वर्ष 2020-21)

पर्वतीय जनपद	वन क्षेत्र	ऊसर और खेती के योग्य भूमि	खेती के अतिरिक्त अन्य उपयोग में आने वाली भूमि	कृषि योग्य बेकार भूमि	स्थाई चारागाह तथा अन्य चराई की भूमि	अन्य वृक्ष, झाड़ियाँ एवं बाग	वर्तमान परती	अन्य परती	शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल
अल्मोड़ा	50.80	5.25	2.73	9.21	11.71	8.51	21.14	1.86	13.90
बागेश्वर	59.42	10.66	1.96	1.43	5.61	16.86	0.27	0.14	3.65
चमोली	66.23	1.19	1.49	15.84	0.01	0.98	2.58	1.98	9.69
चम्पावत	57.56	5.48	2.60	7.32	4.84	8.07	3.78	4.32	6.03
पौड़ी	76.82	3.59	2.41	1.10	1.06	6.11	0.75	0.24	7.92
पिथौरागढ़	72.33	2.84	1.54	5.05	6.04	5.59	1.06	0.86	4.67
रूद्रप्रयाग	73.08	0.20	2.78	6.50	0.06	5.37	1.27	1.23	9.50
टिहरी	52.99	3.22	2.35	5.59	9.97	13.87	1.26	0.59	10.16
उत्तरकाशी	56.74	3.16	1.99	7.28	7.60	9.51	3.02	4.65	6.05

(स्रोत: अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय (2023), सांख्यिकीय डायरी 2021-22, उत्तराखण्ड सरकार, पृ० 56)

जैसा कि उपर्युक्त तालिका 1 से स्पष्ट है उत्तराखण्ड के पर्वतीय जनपदों में 76.82 प्रतिशत (पौड़ी गढ़वाल) से 50.8 प्रतिशत (अल्मोड़ा) तक कुल भूमि में वन क्षेत्र है जबकि कृषि योग्य बेकार भूमि, वर्तमान परती तथा अन्य परती भूमि का अंश विभिन्न जनपदों में 0.27 प्रतिशत से 21.14 प्रतिशत के मध्य है। 2020-21 के जनपदवार आँकड़ों से यह स्पष्ट है कि मात्र 3.65 प्रतिशत से 13.90 प्रतिशत कृषि भूमि पर कृषि फसलों का उत्पादन होता है, जो निश्चित रूप में कृषि कार्य में संलग्न जनसंख्या के अनुरूप अत्यधिक कम है।

तालिका 2 - उत्तराखण्ड में जनपदवार कुल, सीमान्त एवं लघु क्रियात्मक जोतों की संख्या (2015-16)

एवं कृषि मजदूर जनगणना, 2011

(हजार संख्या में)

क्र० सं०	जनपद	कुल	सीमांत जोत	लघु जोत	कृषि मजदूर (2011)
		(समस्त वर्ग)	(1.0 हेक्टेयर तक)	(1-2 हेक्टेयर)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	उत्तरकाशी	41	29	8	2
2.	चमोली	47	36	8	1
3.	टिहरी गढ़वाल	85	64	17	4
4.	देहरादून	53	40	7	20

5.	पौड़ी गढ़वाल	79	61	14	4
6.	रूद्रप्रयाग	22	14	6	1
7.	पिथौरागढ़	74	67	6	2
8.	अल्मोड़ा	102	76	21	4
9.	नैनीताल	49	33	10	20
10.	बागेश्वर	48	44	3	3
11.	चम्पावत	32	25	5	2
	पर्वतीय जनपद (योग)	631	489	106	63
12.	हरिद्वार	147	108	23	76
13.	ऊधमसिंहनगर	103	61	20	108
	मैदानी जनपद (योग)	250	170	43	184
	उत्तराखंड	881	659	149	247

(स्रोत: अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय (2023), सांख्यिकीय डायरी 2021-22, उत्तराखंड सरकार, पृ० 46)

उत्तराखंड में जनपदवार कुल, सीमान्त एवं लघु क्रियात्मक जोतों की संख्या से स्पष्ट है कि उत्तराखंड में भूमि का वितरण अत्यधिक असमान है जिसके फलस्वरूप मात्र परम्परागत कृषि से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन सम्भव नहीं है। कृषि अर्थव्यवस्था की मूलभूत संरचना में परिवर्तन तथा नवीन क्रान्तिकारी उपायों के द्वारा ही ग्रामीण क्षेत्र का विकास तीव्र गति से किया जा सकता है।

उत्तराखंड में कृषि एक जीवन पद्धति है, एक परम्परामुक्त है, जिसमें सदियों तक जीवन दर्शन, सोच तथा उत्तराखंड की जनता की संस्कृति एवं आर्थिकी को एक निश्चित आकार प्रदान किया है। अतः उत्तराखंड में कृषि, राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास हेतु नियोजित समस्त राजनीतियों में केन्द्रीय भूमिका का निर्वहन करती है। कृषि क्षेत्र का तीव्र विकास न केवल राज्य स्तर पर आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सहायक है वरन् यह उपभोक्ताओं हेतु खाद्य सुरक्षा के साथ ही साथ आय एवं सम्पत्ति के विवरण में समानता स्थापित कर निर्धनता स्तरों में तीव्र ह्रास को सुनिश्चित करता है।

तालिका 3 - उत्तराखंड की जनसँख्या का आर्थिक वर्गीकरण, 2011


क्र० सं०	जनपद	मुख्य कर्मकर				
		जनसंख्या	कृषक	कृषि श्रमिक	पारिवारिक उद्योग	अन्य कर्मकर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	उत्तरकाशी	330086	96836	2389	1960	27182
2	चमोली	391605	69612	1072	3115	41316
3	टिहरी गढ़वाल	618931	97523	3582	2229	62578

4	देहरादून	1696694	60373	20424	17960	389404
5	पौड़ी गढ़वाल	687271	75253	4154	3425	81607
6	रूद्रप्रयाग	242285	56884	1519	1470	19077
7	पिथौरागढ़	483439	87189	2204	3299	52789
8	अल्मोड़ा	622506	132129	4025	2723	62201
9	नैनीताल	954605	101221	19618	6873	168712
10	बागेश्वर	259898	54056	2733	1648	19648
11	चम्पावत	259648	31971	1980	911	27836
	पर्वतीय जनपद (योग)	6546968	863047	63700	45613	952350
12	हरिद्वार	1890422	87950	75953	14924	316325
13	ऊधमसिंहनगर	1648902	94677	107603	16503	231979
	मैदानी जनपद (योग)	3539324	182627	183556	31427	548304
	उत्तराखंड	10086292	1045674	247256	77040	1500654

(स्रोत: अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय (2023), सांख्यिकीय डायरी 2021-22, उत्तराखंड सरकार, पृ० 9)

6.4 उत्तराखंड राज्य में उद्यमों का क्षेत्रीय परिदृश्य (Regional Scenario of Enterprises in Uttarakhand State)

उत्तराखंड राज्य में ग्रामीण क्षेत्र में 58.84 प्रतिशत उद्यम तथा नगरीय क्षेत्र में 41.16 प्रतिशत उद्यम सक्रिय है यदि कृषीय एवं अकृषीय उद्यमों का वितरण अत्यधिक असमान है। उत्तराखंड में मात्र 11.41 प्रतिशत उद्यम कृषीय तथा 88.58 प्रतिशत अकृषीय उद्यम जो निश्चित रूप से कृषि क्षेत्र के अल्प विकास को व्यक्त करता है।



कृषीय उद्यमों में कार्यरत व्यक्तियों का जनपदवार प्रतिशत वितरण (2012-13)

यदि कृषीय उद्यमों में कार्यरत व्यक्तियों का जनपदवार देखें तो यह स्पष्ट होता है कि सामान्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत से कम जनसंख्या कृषीय उद्योगों में संलग्न है, यद्यपि अपवाद स्वरूप अल्मोड़ा एवं नैनीताल जनपद में कृषीय उद्यमों में कार्यरत व्यक्तियों का प्रतिशत क्रमशः 14.2 एवं 13.9 है। पर्वतीय क्षेत्रों के विपरीत हरिद्वार एवं उद्यमसिंहनगर जैसे मैदानी जनपदों में कृषीय उद्यमों में कार्यरत व्यक्तियों का प्रतिशत क्रमशः 28.5 प्रतिशत एवं 18.4 प्रतिशत रहा जो पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि एवं उद्योग के मध्य सहसम्बन्ध की न्यूनता को स्पष्ट करता है। जब तक पर्वतीय क्षेत्रों में कृषीय उद्यमों की संख्या में प्रभावशाली वृद्धि नहीं होगी तब तक कृषि क्षेत्र का आशानुरूप विकास सम्भव नहीं होगा।

6.5 उत्तराखंड में कृषि विकास हेतु विकासात्मक रणनीति (Developmental Strategy for Agricultural Development in Uttarakhand)

यद्यपि उत्तराखंड भौगोलिक दृष्टि से एक छोटा किन्तु इस राज्य की विशेषताएँ इसे देश के अन्य राज्यों से अलग करती है तथा इस राज्य की विकास सम्भावनाओं को स्पष्ट करती है। उत्तराखंड राज्य भारत का प्रथम राज्य है जिसने वृहत स्तर पर जैविक कृषि को प्रोत्साहित किया है। यद्यपि इन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर मैदानी क्षेत्र के जिलों में आर्थिक प्रगति हुई जबकि पर्वतीय क्षेत्र के जिलों को आशानुरूप सफलता प्राप्त नहीं हुई है। राज्य के समस्त पर्वतीय जिलों में कृषि एवं पशुपालन मुख्य व्यवसाय है किन्तु यह समस्त कार्य जीवन रक्षा स्तर तक सीमित होने के कारण जनता का अत्यधिक पलायन रोजगार के अवसरों हेतु हुआ तथा उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र एक मनीआर्डर अर्थव्यवस्था के रूप ही अपनी पहचान स्थापित कर सका। जनसंख्या के निरन्तर पलायन के फलस्वरूप पर्वतीय क्षेत्रों में महिला जनसंख्या के पक्ष में एक जनांकिकीय लाभ विकसित होता गया जबकि यह वर्ग कृषि कार्य हेतु पूर्णतः कुशल नहीं है। समग्र रूप से राज्य का पर्वतीय क्षेत्र निम्न उत्पादकता, आगतों का अभाव, विपणन (Marketing) व्यवस्था का अभाव एवं स्व क्रय मांग तथा सीमित ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक सजीव उदाहरण है। समस्त आर्थिक एवं भौगोलिक विषमताओं के बावजूद उत्तराखंड राज्य की जलवायु एवं पारिस्थितिकी इसे उच्च मूल्य कृषि उत्पादों के लिए एवं आदर्श क्षेत्र के रूप में स्थापित करती है। राज्य के पर्वतीय क्षेत्र में जैविक कृषि, औषधीय कृषि, फ्लोरी कल्चर एवं अन्य कृषि सहायक सेवाएँ हेतु प्रोत्साहित कर क्षेत्र की आर्थिक प्रगति को तीव्रता प्रदान की जा सकती है। उत्तराखंड राज्य को जैविक हरित प्रदेश के ब्रांड के रूप में विकसित एवं प्रचारित कर कृषि आय एक कृषि पर्यटन आय के द्वारा आर्थिक प्रगति उच्चतम शिखर को प्राप्त किया जा सकता है। उत्तराखंड हेतु कृषि विकास रणनीति के निम्नलिखित तत्व हो सकते हैं-

1. आधारभूत संरचना का विकास।
2. कृषि विविधिकरण।
3. जैविक एवं औषधीय कृषि को प्राथमिकता।
4. कृषि पर्यटन (कृषि एवं पर्यटन के संयोग को विकसित करना)।
5. कृषि एवं उद्योग के मध्य सकारात्मक सम्बन्धों को विकसित करना।

राज्य में कृषि प्रसार कार्यक्रमों को लगातार विस्तार दिया गया है। आतमा परियोजना का प्रथम चरण में आठ जनपदों में अनुमोदित कराया गया था जिसे वर्ष 2007-08 में सभी 13 जनपदों के लिए अनुमोदित करा लिया गया। इसके साथ ही न्याय पंचायत स्तर पर प्रगतिशील किसानों का चयन कर तथा ग्राम स्तर पर सम्पर्क किसानों का चयन कर उनके माध्यम से कृषि विकास कार्यक्रम को गति देने की रणनीति अपनाई गई है। वर्ष 2008-09 में गुजरात राज्य की तर्ज पर उत्तराखंड कृषि महोत्सव 2008 का दिनांक 1 जून से 15 जून 2008 के

मध्य आयोजन किया गया जिसमें कृषि, पशुपालन, उद्यान, लघु सिंचाई, डेरी, मत्स्य एवं रेशम विभागों की पूर्ण सहभागिता रही। कुल 45 किसान रथ तैयार किए गए। इनके माध्यम से प्रचुर मात्रा में साहित्य तथा निवेश न्याय पंचायत स्तर तक उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई तथा “सरकार किसान के द्वारा” की सार्थक पहल सुनिश्चित की गई। उच्च तकनीक का लाभ गाँव-गाँव तक पहुँचाने हेतु प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर किसान सूचना एवं सलाह केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं। लगभग 13 केन्द्र बनकर तैयार हो चुके हैं, 19 केन्द्रों में कार्य प्रगति पर है, 12 केन्द्रों के लिए भूमि विकास का कार्य प्रगति पर है तथा शेष में भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। इन केन्द्रों पर कम्प्यूटर उपलब्ध कराये जाएंगे जो आनलाइन होंगे तथा कृषकों की सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। सरकारी नीतियों, कार्यक्रम तथा सुविधाओं को ग्राम स्तर तक पहुँचाने हेतु वर्ष 2008-09 में पहल की जा रही है। इसके अन्तर्गत क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को न्याय पंचायत स्तर पर नियुक्त किया जा रहा है। विभाग का प्रयास है कि कृषि विकास कार्यक्रमों को पूर्णतया शासन नीति के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था के अनुरूप ढाल दिया जाय, जिससे सही मायने में गाँवों का विकास सुनिश्चित हो सके और कृषि विकास की लक्षित वृद्धि दर प्राप्त की जा सके। इसके साथ ही एग्री पोर्टल का कार्य प्रगति पर है।

6.6 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (National Agriculture Development Plan)

भारत सरकार द्वारा ग्यारवीं योजना में 4 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करने हेतु इस योजना को अनुमोदित किया गया है। वर्ष 2007-08 में भारत सरकार द्वारा ₹28.24 करोड़ अवमुक्त किए गए। इसमें से ₹1.10 करोड़ से 11 जनपदों में कंप्रीहेसिव डिस्ट्रिक्ट वाइज एग्रीकल्चर प्लान तैयार कराया जा रहा है, ताकि नियोजन का कार्य ग्राम स्तर से शुरू होकर उसे जनपद स्तर पर संकलित कर अंतिम रूप दिया जा सके। ₹27.14 करोड़ की धनराशि अवस्थापना सम्बन्धी विकास परियोजना हेतु अवमुक्त है, जिसका उपयोग निम्नांकित कार्यक्रमों में कार्य योजना तैयार कर सुनिश्चित किया जा रहा है।

1. मत्स्य एवं मत्स्य बीज उत्पादन इकाईयों की क्षमता का विकास।
2. न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्र में सब्जी उत्पादन के अन्तर्गत एकीकृत नाशीजीव प्रबन्धन को प्रोत्साहन।
3. उत्तराखण्ड में मिलक ग्रिड का सुदृढीकरण।
4. राजकीय प्रशिक्षण केन्द्र, मजखाली अल्मोड़ा का जैविक कृषि प्रक्षेत्र एवं प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में सुदृढीकरण।
5. जैविक उत्पादन परिसर द्वारा सेवा प्रदाताओं के माध्यम से चिन्हित कृषकों को जैविक प्रमाणीकरण हेतु सहायता।
6. उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम को गुणात्मक बीज उत्पादन, प्रसंस्करण एवं विपणन की अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढीकरण हेतु वित्तीय सहायता।
7. कृषि उत्पादन मंडी परिषद के माध्यम से जनपद चमोली, पौड़ी एवं देहरादून में एकत्रीकरण केन्द्रों का निर्माण।

वर्ष 2008-09 के लिए 10 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है तथा भारत सरकार द्वारा प्रथम किस्त के रूप में ₹10.30 करोड़ की धनराशि अवमुक्त कर दी गई है। न्याय पंचायत स्तर पर सुदूर क्षेत्रों में 26 आपूर्ति केन्द्रों का निर्माण कोटद्वार एवं हरिद्वार मंडी का स्थल परिवर्तन एवं आधुनिकीकरण, पशु प्रजनन प्रक्षेत्र कालसी का सुदृढीकरण, आधुनिकीकरण तथा विस्तार, राजकीय रेशमपालन प्रक्षेत्रों पर सिंचाई सुविधा का विकास और जापानी बटेर पालन प्रोत्साहन कार्यक्रमों को इसमें शामिल किया गया है।

उत्तराखंड में कृषि क्षेत्र को रोजगार परक एवं उत्पादक बनाने हेतु राज्य सरकार उत्तराखंड राज्य के गठन के पश्चात् अनेक जन उपयोगी योजना को क्रियान्वित किया है। जो निम्न प्रकार से है-

1. उत्तराखंड भारत का प्रथम राज्य है जो जैविक कृषि को वृहत योजना के आधार पर प्रोत्साहित कर रहा है। जैविक कृषि द्वारा उत्पादित कृषि पदार्थ उच्च मूल्यों पर निर्यात कर बहुमूल्य विदेशी मुद्रा का अर्जन सम्भव है।
2. उत्तराखंड में पारम्परिक कृषि के अतिरिक्त क्षेत्र की जलवायु के अनुरूप हल्दी, अदरक जैसी नगद फसलों का उत्पादन व्यवसायिक आधार पर किया जा रहा है। राज्य सरकार इस संदर्भ में आवश्यक कृषि आगतें जैसे उन्नत बीज एवं तकनीकी प्रशिक्षण चयनित क्षेत्रों के कृषकों के लिए आयोजित कर रही है।
3. भारत एवं सम्पूर्ण विश्व में भारतीय योग एवं आयुर्वेद एक जीवन शैली के रूप में स्थापित हो रहा है। जिसके फलरूप अनेकों औषधीय पादपों जैसे ऐलोवीरा, अँवला, सर्पगन्धा, स्टीविया, गिलाँय (अमरवेल), किलमोडा, ब्राह्मी, वज्रदन्ती, लैमनग्रास, झिगोरा, मंडवा आदि की व्यवसायिक कृषि के द्वारा उच्च मूल्य उत्पादों से ग्रामीण कृषक सम्मानजनक आजीविका प्राप्त कर रहे हैं।
4. उत्तराखंड की अनुकूल जलवायु के फलस्वरूप यह अनेक गैर पराम्परागत कृषि उत्पाद जैसे मशरूम, थाईम, बेसिल, पारशले, मिन्ट आदि का व्यवसायिक उत्पादन एवं यूरोपीय देशों में इनका निर्यात कृषि क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन ला सकता है।

उत्तराखंड पर्यटन की दृष्टि से विश्व मानचित्र पर स्थापित है यदि कृषि-पर्यटन की सम्भावनाओं को सही प्रकार नियोजित किया जाय तो उत्तराखंड में पर्यटकों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि सम्भव है। पर्यटन विभाग द्वारा पर्यावरण-पर्यटन की कार्य योजना को पहले से ही संचालित किया जा रहा है। यदि ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना में आवश्यक परिवर्तन किए जाए तो पर्यटन के क्षेत्र में नई अभिरुचियों को विकसित कर रोजगार सृजन की नई संभावनाएं तलाश की जा सकती है।

6.7 कृषि क्षेत्र में नवीनतम प्रवर्तन (Latest Innovations in Agriculture Sector)

सरकार किसान के द्वार योजना के अंतर्गत उत्तराखंड एक वर्ष में दो बार कृषक महोत्सव का आयोजन करती है जिसमें समस्त 670 न्याय पंचायत में 17,115 ग्रामों के 95,312 कृषकों को लक्षित किया जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पशुपालन सम्बन्धी चिकित्सा सेवाएँ कृषकों के निवास स्थल उपलब्ध कराने के साथ ही साथ नई तकनीके एवं विभागीय योजनाओं के सन्दर्भ में जनजाग्रति करना है। जैसा कि स्पष्ट है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में पशुपालन अभिन्न स्थान रखता है तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कुछ हद तक व्यक्तियों को आय में वृद्धि तथा पोषण में सुधार के अतिरिक्त कृषि कार्य हेतु अतिआवश्यक बायोमाँस तथा ऊर्जा के उत्पादन में सहयोग करती है। यह क्रिया राज्य की लाखों लघु एवं सीमान्त कृषकों को राजगार उपलब्ध कराती है।

- ❖ **गौ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुसन्धान संस्थान** - उत्तराखंड गाय की स्थानीय प्रजातियों के गौमूत्र में अति महत्वपूर्ण एण्टीआक्सीडेंट्स एवं एण्टीटाक्सीन लक्षण पाये जाते हैं।
- ❖ **नीतिगत प्रयास एवं सफलता** - जैविक कृषि कृषि कार्य में बाह्य आगतों का निरन्तर काम करने के प्रयास निश्चित रूप से जैविक कृषि के सन्दर्भ में उत्तराखंड में आर्थिक एवं पारिस्थितिक उद्धार हेतु एक महत्वपूर्ण पहल है। जैविक कृषि द्वारा उत्तराखंड में लागत-संवेदी कृषि के द्वारा पर्वतीय कृषि का उद्धार संभव है जिसके द्वारा राज्य के समस्त ग्रामीण क्षेत्र का समग्र विकास संभव है। सरकारी योजनाओं एवं संस्थानिक संगठनों की सहायता के द्वारा अन्य संभार तंत्र से सम्बन्धित सुविधा जैसे गोदाम एवं भण्डारण स्थल पर्वतीय क्षेत्रों में उपलब्ध कराये जा सकते हैं। विस्तार/प्रयास सेवाओं में संलग्न व्यक्तियों का पूर्णकालिक सहयोग जैविक कृषि उत्पादकों एवं विक्रेता के मध्य प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित करने में सहायक होगा। उत्तराखंड, उच्च मूल्य एवं निम्न

उत्पादकता वाले आकर्षक दुर्गम औषधीय पादपों जैसे एमेरेज्थल आदि का मूल आवास है। पर्वतीय क्षेत्रों में उगने वाले अनेक प्रजातियां आजकल अपनी औषधीय क्षमताओं के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है तथा उनकी बाजार में अत्यधिक मांग है। विभिन्न गैर सरकार संगठनों के सामूहिक प्रयासों से पर्वतीय क्षेत्रों के अनेक कृषक जैविक कृषि की ओर आकृष्ट हो रहे हैं। आगामी वर्ष में 10,000 से अधिक परिवारों की जैविक कृषि की योजनाओं आच्छादित करने की योजना है। भविष्य में जैविक कृषि की प्रसिद्धि उत्तराखंड में विभिन्न क्षेत्रों जैसे प्रसंस्करण उद्योग, पैकेजिंग उद्योग, निर्यातक समूहों, विपणन समूहों जैसे अनेक उद्योगों हेतु व्यापार एवं रोजगार के सार्थक अवसर उत्पन्न कर सकता है।

❖ कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन (National Mission on Agricultural Extension and Technology- NMAET)

इस परियोजना का उद्देश्य कृषि में प्रौद्योगिकी प्रसार के लिए नई संस्थागत व्यवस्था के माध्यम से विस्तार प्रणाली को किसानों द्वारा संचालित व उनके प्रति जवाबदेह बनाना है। साथ ही किसानों को उपयुक्त प्रौद्योगिकी और बेहतर कृषि पद्धतियों के वितरण हेतु सक्षम करने के लिए कृषि विस्तार को पुनर्गठित और मजबूती प्रदान करना है।

इस योजना को चार उप-मिशन में विभाजित किया गया है-

1. कृषि विस्तार उप-मिशन (SMAE)
1. कृषि यंत्रिकरण उप-मिशन (SMAM)
2. बीज एवं रोपण सामग्री उप-मिशन (SMSP)
3. पौध संरक्षण एवं पादप संगरोध (SMPP)

राज्य में पौध संरक्षण एवं पादप संगरोध (SMPP) को छोड़ कर अन्य तीनों योजनाएँ राज्य में लागू हैं।

1. कृषि विस्तार उप-मिशन (Sub Mission on Agricultural Extension-SMAE):

2. कृषि यंत्रिकरण उप-मिशन (Sub Mission on Agricultural Mechanization-SMAM): इस योजना का उद्देश्य नए कृषि यंत्रों/मशीनों को किसानों के बीच लोकप्रिय बनाना है। वर्ष 2022-23 में ₹2730.29 लाख रुपए का उपयोग कर इसके अंतर्गत 10 कस्टम हायरिंग सेंटर (Custom Hiring Centre), 129 फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना, 34 ट्रैक्टर, 8 पॉवर टिलर, 1900 पॉवर विडर तथा 1310 अन्य पॉवर चालित एवं 995 मानव चालित आदि यंत्र कृषकों को अनुदान पर उपलब्ध कराए गए हैं।

3. बीज एवं रोपण सामग्री उप-मिशन (Sub Mission for Seed Planting material -SMSP): इस योजना के तहत बीज ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत 22,668 कुन्तल गुणवत्ता वाले बीज किसानों को वितरित किए गए हैं। पर्वतीय क्षेत्र के पारंपरिक बीजों के संवर्धन हेतु स्थापित हिल सीड बैंक को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में सम्मिलित किया गया है जिसके अंतर्गत वर्ष 2022-23 खरीफ में 166 हेक्टेयर में तथा रबी सत्र में 456 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बीज उत्पादन कार्यक्रम चलाया गया।

❖ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY):

इस योजना का शुभारंभ 13 मई 2016 को मध्यप्रदेश के सेहोर से किया गया था। PMFBY के अंतर्गत यदि किसी किसानों की फसल खराब हो जाती है तो ऐसी स्थिति में किसानों को बीमा कवर देने का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक किसान की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रीमियम राशि को काफी कम रखा गया है।

उत्तराखण्ड के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, वर्ष 2022-23 में दिसम्बर 2022 तक 1,40,635 कृषकों का बीमा किया गया। वर्ष 2022-23 में 27,311.47 हेक्टेयर क्षेत्रफल के अंतर्गत 168.42 करोड़ रुपए का बीमा किया गया।

❖ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY):

कृषि उत्पादकता में सुधार लाने और देश के संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह परियोजना वर्ष 2015 में शुरू की गई। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य जमीनी स्तर पर सिंचाई प्रणाली में निवेश को आकर्षित करना, देश में खेती योग्य भूमि का विकास और विस्तार करना तथा खेत के पानी के उपयोग को बढ़ाने के लिए पानी की बर्बादी को कम करना है। यह योजना 90 प्रतिशत केन्द्रपोषित है। वर्ष 2021 में 93,068 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ इस योजना को 2026 तक विस्तारित किया गया है। इस योजना के तीन प्रमुख घटक हैं -

1. पर ड्रॉप मोर क्रॉप (Per Drop More Crop)
2. हर खेत को पानी
3. समेकित जलागम विकास कार्यक्रम

❖ राष्ट्रीय सम्पोषणीय कृषि मिशन (National Mission for Sustainable Agriculture-NMSA):

1. वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम (RAD)
2. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना (Soil Health Card Scheme-SHC)
3. परम्परागत कृषि विकास योजना:

जैविक खेती को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों पर निर्भरता कम करने के लिए वर्ष 2015 में परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY) प्रारम्भ की गई। उत्तराखण्ड के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, उत्तराखण्ड में परम्परागत खेती को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक फसलों के अंतर्गत 1724 ग्रामों में कुल 1241 कलस्टर चयनित है जिनका कुल क्षेत्रफल 24,820 हेक्टेयर (20 हेक्टेयर प्रति कलस्टर) है। इसमें फलों के अंतर्गत 150 कलस्टरों में 3000 हेक्टेयर क्षेत्रफल, सब्जियों के 639 कलस्टरों में 12,780 हेक्टेयर क्षेत्रफल, मसालों के 259 कलस्टरों में 5180 हेक्टेयर क्षेत्रफल, आलू के 163 कलस्टरों में 3260 हेक्टेयर क्षेत्रफल, पुष्प के 13 कलस्टरों में 260 हेक्टेयर क्षेत्रफल तथा जड़ी-बूटी के 17 कलस्टरों में 340 हेक्टेयर क्षेत्रफल आच्छादित है।

इसके तहत 61,543 कृषकों को लाभान्वित किया गया है।

❖ भारत में डिजिटल कृषि हेतु पहल:

सितंबर 2021 में, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री, श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने डिजिटल कृषि मिशन 2021-2025 की शुरुआत की घोषणा की। इसमें सिस्को, निंजाकार्ट, जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड और एनसीडीईएक्स ई-मार्केट्स लिमिटेड (एनईएमएल) के साथ पांच समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए, ताकि पायलट परियोजनाओं के माध्यम से डिजिटल कृषि को आगे बढ़ाया जा सके।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किसानों के बीच प्रौद्योगिकी अपनाने को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख डिजिटल एप्लिकेशन विकसित किए हैं: -

राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM): यह अप्रैल 2016 में प्रारंभ किया गया एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि वस्तुओं के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए, मौजूदा कृषि उत्पाद बाजार समिति (APMC) मंडियों को जोड़ता है। eNAM किसानों को बिना किसी मध्यस्थों के हस्तक्षेप के उत्पादों को बेचने में मदद करता है ताकि वह अपने निवेश से प्रतिस्पर्धी प्रतिफल उत्पन्न कर सकें।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) केंद्रीय कृषि पोर्टल:- जनवरी 2013 में प्रारंभ डीबीटी कृषि पोर्टल देश भर में कृषि योजनाओं के लिए एक एकीकृत केंद्रीय पोर्टल है। पोर्टल किसानों को सरकारी सब्सिडी के माध्यम से आधुनिक कृषि मशीनरी अपनाने में मदद करता है।

डिजिटल कृषि के लाभ: इन तकनीकी समाधानों को लागू करने से खेतों के विश्वसनीय प्रबंधन और निगरानी को सक्षम किया जा सकता है। जैसा कि किसानों को वास्तविक समय में खेतों का पूरा डिजिटल विश्लेषण मिलता है वे तदनुसार कार्य कर सकते हैं और अतिरिक्त कीटनाशकों, उर्वरकों को लागू करने और समग्र पानी की खपत को कम करने की आवश्यकता नहीं है।

अन्य लाभों में शामिल हैं:-

1. कृषि उत्पादकता बढ़ाता है और उत्पादन लागत को कम करता है।
2. मिट्टी के क्षरण को रोकता है।
3. फसल उत्पादन में रासायनिक अनुप्रयोग को कम करता है।
4. जल संसाधनों के प्रभावी और कुशल उपयोग को बढ़ावा देता है।
5. किसानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का उत्थान।
6. पर्यावरण और पारिस्थितिक प्रभावों को कम करता है।
7. श्रमिकों की सुरक्षा में वृद्धि।

6.8 अभ्यास प्रश्न (Practice Question)

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व ब्रिटिश शासन काल में जमींदारी व्यवस्था का उद्देश्य था-
 A) कृषि क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाना (B) कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना
 (C) ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना (D) कृषकों से अधिकतम लगान प्राप्त करना
2. स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि सुधारों के फलस्वरूप-
 (A) कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हुए (B) कृषकों की स्थिति में सुधार हुआ
 (C) कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं हुआ है (D) कृषकों की स्थिति और बदतर हुई है

6.9 सारांश (Summary)

उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों की अति संवेदी पारिस्थितिकी विषम भौगोलिक स्थिति एवं भंगुर एवं निम्न उत्पादक कृषि भूमि, क्षेत्र विशेष के अल्प विकास को परिभाषित करती है। किन्तु उत्तराखंड को जलवायु एवं नैसर्गिक गुणवत्ता यह भी निश्चित करती है कि क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण संयोजन के द्वारा प्रकृति एवं मानव के संघर्ष को सीमित कर विकास आयामों को उच्चम शिखरों पर स्थापित किया जा सकता है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में मात्र परम्परागत कृषि एवं परम्परागत उद्योगों द्वारा क्षेत्र का विकास साधनों की न्यूनता के कारण केवल एक सीमा तक ही सम्भव है किन्तु नवप्रवर्तन, कौशल एवं स्थानिक संसाधना के बेहतर उपयोग एवं प्रबन्धन से मानवीय विकास के नए आयाम स्थापित कर उत्तराखंड एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है।

उत्तराखंड हिमालय पर्वत श्रृंखला पर स्थित है जो विश्व की नवीनतम पर्वत श्रृंखला होने के कारण भंगुर स्थलाकृति है। जिसका भौगोलिक रूप से अतिसंवेदशील मानवीय उपयोग इस पर्वत श्रृंखला की शाश्वता को सुनिश्चित करने हेतु अपरिहार्य है। 60 प्रतिशत से अधिक वन क्षेत्र होने के कारण सामुदायिक सम्पदा अधिकार

को विवेकपूर्ण उपयोग इस क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों का मानवीय हित में दीर्घकालिक उपयोग निश्चित कर सकेगा। पर्यावरण संवेदनशीलता की नई विकसित होती विश्व जनक्रान्ति के अनुरूप हमारा नैतिक दायित्व है कि हम अपने कार्बन फुट प्रिंट (एक व्यक्ति द्वारा उसकी दैनिक दिनचर्या के फलस्वरूप पर्यावरण पर होने वाला प्रभाव) इस क्षेत्र में न्यूनतम कर इस क्षेत्र की भौगोलिक विविधता के अनुरूप अत्यधिक मात्रा में कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर राज्य की आय का एक अतिरिक्त स्रोत स्थापित कर सकते हैं, जो इस क्षेत्र की नैसर्गिक सौन्दर्य एवं विकास के मध्य सन्तुलन का एक अनुठा उदाहरण प्रस्तुत करेगा।

6.10 शब्दावली (Glossary)

- **सामुदायिक सम्पदा अधिकार** - प्राकृतिक रूप से सामाजिक नियमों के अनुरूप उत्तराधिकार में प्राप्त वह अभिभाज्य सामाजिक प्राकृतिक सम्पदा जिसका उपयोग समाज को धारणीय विकास के मानदण्डों के अनुरूप करना आवश्यक है।
- **एन0 जी0 ओ0** - वह गैर सरकारी संस्था जो निश्चित उद्देश्य के सन्दर्भ में जनकल्याण के कार्य में संलग्न है।
- **सतत विकास/ धारणीय विकास** - वह विकास प्रक्रिया जो वर्तमान पीढ़ी की वर्तमान आवश्यकताओं को इस प्रकार संतुष्ट करती है ताकि भावी पीढ़ी की भावी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता प्रभावित न होती है।
- **धारक क्षमता** - एक प्राकृतिक क्षेत्र की अधिकतम जैव जनसंख्या की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता।
- **कार्बन क्रेडिट** - आर्थिक कार्यों में संलग्न वह आर्थिक क्रिया जो पूर्व में स्थापित मानदण्डों की तुलना में ऊर्जा संसाधनों का कम प्रयोग सुनिश्चित करता हो।
- **कार्बन फुट प्रिंट** - एक व्यक्ति द्वारा उसकी दैनिक दिनचर्या के फलस्वरूप पर्यावरण पर होने वाला प्रभाव।

6.11 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answer for Practice Questions)

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. (D) 2. (C)

6.12 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची (References / Bibliography)

- टी.एस.पपोला (एडिटेड), डवलपमेन्ट ऑफ हिल एरियाँज -ईसूज एण्ड ऐप्रोचेज। हिमालय पब्लिसिंग, हाउस न्यू देहली।1983
- जी.सी.डोभाल, डवलपमेन्ट ऑफ हिल एरियाँज, कन्सेप्ट पब्लिसिंग कम्पनी न्यू देहली।
- आर.टी.तिवारी, उत्तरांचल - इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड इकॉनॉमिक डवलपमेन्ट, ए.पी.एच. पब्लिसिंग कारपोरेशन न्यू देहली। 2001
- जी.एस.मेहता, डवलपमेन्ट ऑफ उत्तराखंड ईसूज एण्ड प्रॉस्पेक्टस, ए.पी.एच. पब्लिसिंग कारपोरेशन न्यू देहली। 1999
- आर्थिक सर्वेक्षण 2009-10 तथा 2022-23
- आर्थिक समीक्षा उत्तराखंड - 2008-09

- रूदार दत्त एवं सुन्दरम, भारतीय अर्थव्यवस्था, एस0 चाँद एण्ड कम्पनी, न्यू देहली, भारत 2011
- मिश्रा एण्ड पुरी, भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालय पब्लिशिंग हाऊस, मुम्बई।

6.13 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

1. उत्तराखण्ड में भूमि सुधार के द्वारा ग्रामीण रोजगार की सम्भावनाओं पर एक लेख लिखिए।
2. उत्तराखण्ड में जैविक कृषि के द्वारा आर्थिक सृवृद्धि एवं नवीन विकास सम्भावनाओं पर एक निबन्ध लिखिए।
3. उत्तराखण्ड में औषधीय कृषि के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा किए गये प्रयासों पर एक लेख लिखिए।

इकाई-7 पशुपालन एवं श्वेत क्रांति (Animal Husbandry And White Revolution)

- 7.1 प्रस्तावना (Introduction)
- 7.2 उद्देश्य (Objective)
- 7.3 पशुपालन का अर्थ एवं महत्व (Animal Husbandry Meaning and Importance)
- 7.4 उत्तराखण्ड में दुग्ध उत्पादन (Milk Production in Uttarakhand)
- 7.5 राष्ट्रीय गौ एवं महिषवंशीय प्रजनन परियोजना (National Project for Cattle and Buffalo Breeding)
- 7.6 पशुधन बीमा योजना (Livestock Insurance Scheme)
- 7.7 कुक्कुट पालन (Poultry Farming)
- 7.8 सूकर पालन (Pig Farming)
- 7.9 डेरी विकास (Dairy Development)
- 7.10 मत्स्य विकास (Fisheries Development)
- 7.11 अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)
- 7.12 सारांश (Summary)
- 7.13 शब्दावली (Glossary)
- 7.14 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answer for Practice Questions)
- 7.15 संदर्भ ग्रन्थ सूची (Reference/Bibliography)
- 7.16 सहायक / उपयोगी पाठ्य सामग्री (Useful/Helpful Texts)
- 7.17 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

7.1 प्रस्तावना (Introduction)

उत्तराखंड अर्थव्यवस्था की संरचना से सम्बन्धित यह 7वीं इकाई है। इससे पहले की इकाइयों में आप उत्तराखंड अर्थव्यवस्था की विशेषताओं की सामान्य जानकारी प्राप्त कर चुके हैं।

उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में पशुपालन एवं डेरी विकास से सम्बन्धित यह इकाई आपको उत्तराखंड में पशुपालन का कृषि अर्थव्यवस्था में महत्व, पशुओं का संख्यात्मक वर्गीकरण, पशुपालन का रोजगार सृजन एवं आय सृजन में महत्व, पशुपालन से सम्बन्धित उत्पादों एवं उत्पादकता की प्रवृत्तियां तथा पशुपालन के क्षेत्र में नवीन परिवर्तनों एवं नए प्रयासों से अवगत कराना है।

7.2 उद्देश्य (Objective)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप जान पायेंगे कि -

- ✓ कृषि सहायक उद्योग में प्रमुख स्थान राज्य की आय का साधन।
- ✓ कृषि क्षेत्र में रोजगार सृजन में सार्थक भूमिका।
- ✓ कृषि क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या की आय में वृद्धि।
- ✓ निर्धनता उन्मूलन में महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में महत्व।
- ✓ जनता के पोषण में गुणात्मक परिवर्तन के महत्व।
- ✓ यातायात, माल ढुलाई में योगदान।
- ✓ परिस्थितिकी तंत्र में योगदान।
- ✓ सकारात्मक परिवर्तन में सहायक।
- ✓ मानवीय उपयोग हेतु महत्वपूर्ण उपभोग की वस्तुएं के उत्पादन में महत्व।
- ✓ चिकित्सा अनुसंधान एवं आयुर्वेद में महत्व।

7.3 पशुपालन का अर्थ एवं महत्व (Meaning and Importance of Animal Husbandry)

प्राचीन काल से मानव द्वारा जंगली जानवरों का आखेट एवं अनेक पशुओं को दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करने के लिए उन्हें पालतु बनाना एक स्वाभाविक एवं प्रमुख व्यवसाय रहा है। पशु पक्षी एवं अन्य जलीय जन्तुओं को आर्थिक उद्देश्य के अनुरूप व्यवसायिक स्तर पर मानवीय उपयोग हेतु विभिन्न प्रयोग में संलग्न करना पशुपालन कहलाता है। दूसरे शब्दों में कृषि कार्यों में सहयोग, पशु उत्पाद जैसे दूध, जैविक खाद, मांस, अण्डे, खाल आदि के उत्पादन एवं उपभोग हेतु सम्भावित पशुओं का व्यावसायिक पालन पशुपालन कहा जा सकता है। पशुओं द्वारा कृषि कार्य, यातायात, प्राकृतिक खाद, पशु उत्पाद जैसे मांस अण्डा, दुध, ऊन, रेशम एवं अनेको पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं जिनका निश्चित आर्थिक उपयोग मानव कल्याण में किया जाता है। इसके अतिरिक्त पशुपालन का चिकित्सा अनुसंधान एवं आयुर्वेद में अत्यधिक महत्व है।

पशुपालन का महत्व विशेषतः पारिस्थितिकी तंत्र को सतत् विकास की अवधारण के अनुरूप जीवन पद्धति को सुचारू एवं शाश्वत बनाये रखने में भी है। बायोस्फेयर रिजर्व एवं धारक क्षमता की मूल आवश्यकता में मनुष्य एवं प्रकृति का सन्तुलन स्थापित करना अपरिहार्य है।

पशुधन किसी भी देश के लिए आय का महत्वपूर्ण स्रोत बन सकते हैं। वास्तव में पशुपालन द्वारा कृषि की तुलना में अधिक आय प्राप्त की जा सकती है, जिसके द्वारा उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में निर्धनता की समस्या का एक व्यापक समाधान हो सकता है। यूरोप के देशों में कुल कृषि उत्पादन में पशुपालन का योगदान 60 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक रहा है। इस प्रकार उत्तराखंड अर्थव्यवस्था में पशुपालन का महत्व, निम्न आय वर्ग की जनसंख्या हेतु बेरोजगारी एवं अल्प बेरोजगारी की गम्भीर समस्याओं को हल करने की दृष्टि से

अत्यधिक है। साथ ही साथ पशुपालन द्वारा सहायक व्यवसाय स्थापित करके ग्रामीण क्षेत्रों में आय सृजन के नए आयाम अवलम्बित किए जा सकते हैं। उत्तराखंड जैसे जल संसाधन की न्यूनता वाले क्षेत्रों में पशुपालन एक प्रभावी रोजगारोन्मुख उपकरण के रूप में कार्य कर सकता है। पशुपालन एवं दुग्ध विकास कार्यक्रम का प्रयोग कर विभिन्न निर्धनता निवारण योजनाओं को सफल बनाया जा सकता है। पशुपालन द्वारा ग्रामीण जनसंख्या हेतु अतिरिक्त आय का सृजन सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में जीवन स्तर में सकारात्मक वृद्धि सुनिश्चित कर सकता है।

तालिका 1 - वर्ष 2019 में जनपदवार पशुधन संख्या

जनपद	गौ वंशीय पशु			महिष वंशीय (याक सहित)	कुल गो वंशीय व महिष वंशीय पशु	बकरी	भेड़	सुकर
	क्रॉस ब्रीड	देशी	योग					
उत्तरकाशी	22488	82991	105479	25945	131424	100882	80349	269
चमोली	13460	132165	145625	37940	183565	96861	75417	287
टिहरी	5529	80833	86362	79394	165756	126944	21145	623
देहरादून	106290	87753	194043	52185	246228	158314	6222	1692
पौड़ी	20899	235412	256311	30076	286387	142816	13276	1092
रूद्रप्रयाग	2960	71277	74237	31115	105352	28363	13084	44
हरिद्वार	115667	63728	179395	214480	393875	26594	4697	6129
पिथौरागढ़	54452	108417	162869	37092	199961	226060	44533	161
अल्मोड़ा	17042	132038	149080	77444	226524	185319	2186	359
नैनीताल	75497	101009	176506	77759	254265	66213	828	779
उधमसिंहनगर	103038	63311	166349	152911	319260	51014	2068	6030
चम्पावत	34180	45506	79686	18599	98285	60516	10	80
बागेश्वर	5318	70863	76181	31432	107613	102075	20800	114
योग	576820	1275303	1852123	866372	2718495	1371971	284615	17659

स्रोत: मुख्यमंत्री उत्तराखंड राज्य पशुधन मिशन, पशुपालन विभाग (2023), उत्तराखंड सरकार पृ० 4

<https://ahd.uk.gov.in/files/SLM-HINDI.pdf>

वर्ष 2019 में उत्तराखंड में 330 पशुचिकित्सालय (सचल सहित), 10 द-श्रेणी पशुचिकित्सालय, 779 पशु सेवा केंद्र, 6 रोग अनुसन्धान प्रयोगशाला और 710 कृत्रिम गर्भाधान केंद्र स्थापित हैं। जो पशुओं की जीवन सुरक्षा एवं पशुपालन कार्यों में संलग्न व्यक्तियों के संदर्भ में व्यवसायिक जोखिम के उच्च मूल्यों को इंगित करता है। साथ ही साथ पर्वतीय जनपदों में पशुपालन व्यवसाय में संलग्न व्यक्तियों के पास संकर प्रजातियों के पशुओं (गाय, बैलों) अत्यधिक न्यूनता है जो पुनः पशुपालन उद्योग में (मुख्यतः डेरी उद्योग) निम्न उत्पादकता का मुख्य कारण है। यदि उत्तराखंड राज्य में पर्वतीय क्षेत्रों की जनता को निर्धनता के कुचक्र से मुक्त करना है तो सम्पूर्ण पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक उत्पादन पशु प्रजातियों (दुग्ध एवं मांस) को व्यापक स्तर पर विकसित कर जनता को उपलब्ध कराना होगा ताकि पर्वतीय क्षेत्रों की जनता पर्याप्त अतिरिक्त और सृजन कर सके।

7.4 उत्तराखंड में दुग्ध उत्पादन (Milk Production in Uttarakhand)

पशुपालन, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आर्थिक कार्यकलापों में से एक है, जिसका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। यह कृषि पर निर्भर अधिकांश परिवारों को पूरक आय प्रदान करता है। भूमिहीन परिवारों के लिए पशुपालन से अर्जित आय ही मुख्य साधन है। यह पाया गया है कि जिन परिवारों के पास 4 हेक्टेयर से कम भूमि है, वे 80 प्रतिशत पशुधन के मालिक हैं। इनमें से पशुधन का 37 प्रतिशत उन लोगों के पास है जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है। परिवार को पूरक आय प्रदान करने के अतिरिक्त, पशुधन जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, सूकर, कुक्कुट इत्यादि का पालना, दूध, अंडे व मांस के रूप में प्रोटीन प्राप्त करने का भी स्रोत है। माना जाता है कि सूखा पड़ने या प्राकृतिक आपदाओं जैसी तात्कालिक आवश्यकताओं के समय पशुधन ही ग्रामीण आबादी के अधिकांश लोगों के लिए सहायक होता है। इसके अतिरिक्त प्रत्यक्ष रूप से सहायक कार्यकलापों के द्वारा पशुपालन को बड़ी मात्रा में रोजगार के रूप में अपनाया जा सकता है। सरकार एक उद्योग के रूप में इस क्षेत्र में और अधिक सुधार व विकास हेतु निरन्तर प्रयासरत है। पशुधन व कुक्कुट पालन की अनुवांशिक रूप से उन्नत नस्ल की गुणवत्ता की उपलब्धता बढ़ाने, बीमारियों पर नियंत्रण, कृषकों को आनुवांशिक रूप से उन्नत पशु रखने व एक स्थापित प्रणाली के माध्यम से ऐसे पशुओं की हानि को बचाने के लिए, एक निश्चित सुरक्षा के उद्देश्य से अनेकों योजनायें प्रारम्भ की गई हैं। पशुधन क्षेत्र का कुल सकल घरेलु उत्पाद (SGDP) में 2.95 प्रतिशत से अधिक का और कृषि और सम्बंधित कार्यों का सकल घरेलु उत्पाद में 12.36 प्रतिशत (प्रचलित भाव पर) का योगदान है। यह क्षेत्र शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में परिवार की आय का मुख्य स्रोत है। उत्तराखंड राज्य गठन के उपरान्त वर्ष 2001-02 में इस क्षेत्र में 1,066 हजार मि०टन दुग्ध उत्पादन, 894 लाख अंडे, 426 हजार कि.ग्रा. ऊन उत्पादन एवं 78 लाख कि.ग्रा. मांस उत्पादन हुआ। वर्ष 2021 में 1,797 हजार मि० टन दुग्ध, 4,924 लाख अंडे, 436 हजार किग्रा० ऊन तथा 186 लाख किग्रा० मांस का उत्पादन हुआ है। 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार, राज्य में पशुधन की कुल संख्या 44.27 लाख और कुक्कुटों की कुल संख्या 50.19 लाख है।

उत्तराखंड राज्य गठन के उपरान्त राज्य का दुग्ध उत्पादन वर्ष 2001-02 में 1,066 हजार मि०टन से बढ़कर वर्ष 2007-08 में 353 ग्राम प्रतिदिन हो गई है, जो कि विश्व औसत की तुलना से अधिक है।

तालिका 2- दुग्ध उत्पादन में प्रतिव्यक्ति उपलब्धता

वर्ष	प्रति व्यक्ति ग्राम/दिन	दुग्ध उत्पादन हजार मि० टन में
2001-02	0.340	1066
2002-03	0.339	1079
2003-04	0.366	1188
2004-05	0.363	1195
2005-06	0.361	1206
2006-07	0.357	1213
2007-08	0.353	1221
2008-09	0.355	1245
2017-18	-	1742
2018-19	-	1792

2019-20	-	1845
2020-21	-	1797

स्रोत:- मुख्य राजस्व आयुक्त उत्तराखंड। LiveStock Products: Department of Animal Husbandry, Government Of Uttarakhand, India (uk.gov.in)

7.5 राष्ट्रीय गौ एवं महिषवंशीय प्रजनन परियोजना (National Project for Cattle and Buffalo Breeding)

उत्तराखंड में पशुधन (गाय एवं भैंस) के नस्ल सुधार हेतु उपरोक्त योजना राज्य में कार्यान्वित करने के लिए उत्तराखंड लाइवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड (यू0एल0डी0बी0) का गठन शासन द्वारा स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी (State Implementing Agency) के रूप में किया गया। इस एजेंसी अर्थात् यू0एल0डी0बी0 द्वारा जुलाई 2000 से कार्य प्रारम्भ किया गया। यू0एल0डी0बी0 का उद्देश्य सम्पूर्ण उत्तराखंड राज्य में पशुधन (गाय एवं भैंस) के प्रजनन एवं प्रबन्धन को नवीनतम तकनीकों द्वारा बढ़ावा देना एवं इससे सम्बन्धित समस्त गतिविधियों को स्वावलम्बी बनाकर पशुधन उत्पादनों में वृद्धि करना है। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एस0आई0ए0 (यू0एल0डी0बी0) द्वारा निम्नलिखित कार्य किए गए हैं/किए जा रहे हैं।

7.5.1 स्पर्म स्टेशन, श्यामपुर का सुदृढीकरण/आधुनिकीकरण एवं गुणवत्ता नियंत्रण

श्यामपुर (देहरादून) में स्थित अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र का सुदृढीकरण एवं आधुनिकीकरण कर के तथा स्टेशन में सांडों का रख-रखाव, अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन और अन्य इनपुट सुविधाओं की गुणवत्ता भारत सरकार के डैच मानक के अनुसार व्यस्थित की जा रही है। इसके फलस्वरूप इस केन्द्र को ISO 9001:2000 को स्तर प्राप्त हो गया है। केन्द्र द्वारा प्रतिवर्ष 10 लाख से अधिक सीमेन स्ट्रा का उत्पादन किया जा रहा है एवं अब तक 26,74,560 सीमेन स्ट्रा का उत्पादन किया जा चुका है। इस प्रकार सीमेन स्ट्रा के क्षेत्र में राज्य आत्म निर्भर हो चुका है एवं अभी तक 12 लाख से अधिक सीमेन स्ट्रा का विक्रय मिल्ट्रीडेयरी फार्म, मेरठ एवं अन्य राज्यों यथा- बिहार, जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश आदि को किया जा चुका है।

उत्तराखण्ड के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, दिसम्बर 2022 तक लिंग वर्गीकृत वीर्य (Sex Sorted Semen) के 3.24 लाख वीर्य स्ट्रा का उत्पादन करते हुए 2.12 लाख वीर्य स्ट्रा वितरित किया गया। जबकि अति हिमीकृत वीर्य का 8.93 लाख वीर्य स्ट्रा का उत्पादन करते हुए 7.49 लाख वीर्य स्ट्रा वितरित किया गया।

7.5.2 राज्य तरल नत्रजन आपूर्ति ग्रिड

राज्य के समस्त ए0आई0 केन्द्रों को निश्चित अन्तराल पर नियमित रूप से निरंतर तरल नत्रजन एवं फ्रोजन सीमेन स्ट्रा की आपूर्ति करने हेतु गढ़वाल मण्डल के लिए श्यामपुर (ऋषिकेश) तथा कुमाऊं मण्डल के लिए लालकुंआ (नैनीताल) में एक-एक सीमेन बैंक की स्थापना की गई है, जहाँ 06-06 हजार लीटर के दो तरल नत्रजन स्टोरेज साइलो स्थापित है, जिन्हें तरल नत्रजन परिवहन टैंकरो (एक की क्षमता 06 हजार ली0 तथा दूसरे की 03 हजार ली0) से तरल नत्रजन पहुंचाया जाता रहता है, जहाँ से गढ़वाल एवं कुमाऊं मण्डलों को उपरोक्त स्थापित ग्रिड के अन्तर्गत तरल नत्रजन एवं फ्रोजन सीमेन स्ट्रा की निरन्तर चलते रहने वाली आपूर्ति की जाती रहती है।

7.5.3 कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम

राज्य के 1,009 राजकीय कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों, प्राइवेट ए0आई0 कर्ताओं/एन0जी0ओ0/दुग्ध संघों के ए0ई0 केन्द्रों आदि को संचल करके पशुपालकों के द्वारा ए0आई0 सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। अब तक कुल 9,78,693 ए0आई0 हो चुकी है, जिससे 3,35,084 संततियां(गाय की 2,70,568 एवं भैंस की 64,516) उत्पन्न हुई है। इन प्रयासों के फलस्वरूप राज्य में की गई ए0आई0 के माध्यम से पशुओं के गाभिन होने की सफलता दर बढ़कर 56 प्रतिशत हो गई हैं। इस तरह कृत्रिम गर्भादान एवं नैसर्गिक अभिजनन कार्यक्रम को सम्मिलित करते हुए राज्य को 36 प्रतिशत प्रजनन योग्य पशुओं से आच्छादित किया जा चुका है।

7.5.4 नैसर्गिक अभिजन कार्यक्रम

राज्य के दुरूह एवं दुर्गम क्षेत्रों, जहां ए0आई0 की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा सकती, में पशुधन (गाय/भैंस) के नस्ल सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक पशुपालन विभाग/जनपदीय दुग्ध संघों द्वारा चयनित कुल 1677 पशुपालकों को कस्टोडियन(दारिन्दा) पद्धति पर सांड उपलब्ध कराये जा चुके हैं जिनमें 1369 भैंसा एवं 306 सांड हैं।

7.5.5 प्रशिक्षण केन्द्र एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम

पशुलोक ऋषिकेश में पुराने विभागीय सेवाकालीन प्रशिक्षण केन्द्र का सुदृढीकरण कार्य किया गया और नवीन प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण किया गया है जिसके द्वारा अभी तक 3,861 पशुचिकित्सकों/कृत्रिम गर्भाधानकर्ताओं/पशुपालकों आदि का प्रशिक्षित किया गया है। एन0पी0सी0बी0बी0 योजना के अन्तर्गत भी अभी तक 9,023 पशुचिकित्सकों/कृत्रिम गर्भाधानकर्ताओं/पशुपालकों आदि को पन्तनगर विश्वविद्यालय, एन0डी0डी0बी0 आदि ख्याति प्राप्त संस्थानों में प्रशिक्षण दिलवाया गया है।

7.5.6 फील्ड परफोरमन्स रिकार्डिंग

दुधारू पशुओं (गाय एवं भैंस) की नस्ल सुधार एवं उत्पादकता में वृद्धि हेतु यह कार्यक्रम ऊधमसिंहनगर, नैनीताल एवं देहरादून जनपदों की ग्रामीण दुग्ध समितियों के माध्यम से किया जा रहा है, जिनके द्वारा अभी तक 2,835 चयनित पशुओं को F.P.R. कार्यक्रम से जोड़कर उनके दुग्ध उत्पादन की रिकार्डिंग की जा रही है।

7.5.7 पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, कालसी एवं नरियाल (चम्पावत) में गाय का संरक्षण/संवर्द्धन:

पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, कालसी में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत उपलब्ध विलुप्तप्रायः राष्ट्रीय महत्व की रेड सिन्धी, साहिवाल और गिर नस्ल की गायों के संवर्द्धन एवं संरक्षण किए जाने हेतु भ्रूण जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कर, गायों के भ्रूणों का संग्रहण एवं प्रत्यारोपण का कार्य किया जा रहा है।

पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, नरियाल गाँव (चम्पावत) में 654 गौवंशीय (495 गाय, बछिया तथा 154 सांड/नर बछड़े), 479 बंदी नस्ल के गौ-वंशीय (383 गाय, बछिया एवं 96 सांड/नर बछड़े) का प्रबंध किया जा रहा है

7.6 पशुधन बीमा योजना (Livestock Insurance Scheme)

पशुधन बीमा योजना का संचालन भारत सरकार के सहयोग से वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग के सहयोग से उत्तराखंड के दो जनपदों यथा हरिद्वार एवं ऊधमसिंहनगर में यू0एल0डी0बी0 द्वारा किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत एक पशुपालक के अधिकतम दो उन्नत दुधारू पशुओं (गाय अथवा भैंस) का बीमा किए जाने का प्राविधान रहा है जिसके प्रीमियम का 50 प्रतिशत पशुपालक द्वारा एवं शेष 50 प्रतिशत का भुगतान यू0एल0डी0बी0 द्वारा किया गया। इसके अन्तर्गत किसानों/पशुपालकों को उनके पशुओं की आकास्मिक मृत्यु के फलस्वरूप हुई हानि की क्षतिपूर्ति के लिए संरक्षण प्रदान किया जाता

है। इस योजना पर अब तक ₹38.29 लाख व्यय हो चुका है, जिससे 7415 दुधारू पशुओं (3539 गाय एवं 3876 भैंस) का बीमा किया जा चुका है। कार्यक्रम के अन्तर्गत 170 मृत पशुओं का क्लेम बीमा कम्पनियों को भेजा गया जिसके समक्ष 130 पशुओं का बीमा क्लेम पशु स्वामियों को उपलब्ध हो गया है।

7.7 कुक्कुट पालन (Poultry Farming)

कुक्कुट रोगों से कुक्कुट क्षेत्र में विश्व में हो रही आर्थिक हानि को दृष्टिगत रखते हुए राज्य में कुक्कुट रोगों के प्रति अधिक सहनशील (प्रतिरोधक) पक्षियों की प्रजातियां जैसे- कड़कनाथ आदि को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस क्षेत्र में अधिक आर्थिकी के लिए राज्य में कुक्कुट पालकों को कुक्कुट के अतिरिक्त बटेर, टर्की आदि पक्षियों के पालन हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है।

उत्तराखण्ड के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, कुक्कुट पालन योजना के अंतर्गत दिसम्बर 2022 तक 6,372 इकाइयाँ स्थापित की जा चुकी है। इसके अंतर्गत लाभार्थियों को 50 एकदिवसीय चूजे, 1 माह का राशन तथा जाली निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है।

7.8 सूकर पालन (Pig Farming)

सूकर पालन आर्थिक दृष्टि से निर्बल वर्ग हेतु एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है जिसमें कम लागत व कम समय में अधिक आर्थिक लाभ अर्जित किया जा सकता है। जिस हेतु राज्य में विभाग द्वारा विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से राज्य के युवाओं को प्रेरित कर राज्य के सूकर प्रक्षेत्रों से उन्नत नस्ल (लार्ज व्हाइट यार्कशायर) के सूकर उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

7.9 डेरी विकास (Dairy Development)

डेरी उद्योग को ग्रामीण क्षेत्रों में आय के अतिरिक्त साधन के रूप में विकसित करने तथा नगरों, यात्रा मार्गों, तीर्थ स्थानों एवं अन्य संस्थानों में उत्तम गुणवत्ता के दूध एवं दुग्ध पदार्थों की उचित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा सहकारिता के माध्यम से डेरी विकास कार्यक्रमों को प्रारम्भ किया गया है। सहकारिता में आधारभूत ढाँचा विकसित करने और आधुनिक सयंत्र व मशीनरी से सुसज्जित करने हेतु राजकीय अनुदान योजनाओं में धनराशि राजकीय सहायता दी गई। इसके अतिरिक्त दुग्ध उत्पादकों को प्रशिक्षण, तकनीकी निवेश पशुस्वास्थ्य व पशुपोषण आदि सुविधायें भी मुहैया करायी जा रही हैं। राज्य की आवश्यकताओं और राजकीय नीतियों के अनुसार नई योजनाओं का सृजन, क्रियान्वयन व मूल्यांकन का भी कार्य किया जाता है तथा भविष्य की सम्भावनाओं का आंकलन कर राज्य सरकार को नीतिगत विषयों में परामर्श एवं रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। उत्तराखण्ड राज्य में दुग्ध सहकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत सभी 13 जनपदों को आच्छादित कर लिया गया है और इस हेतु 11 दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० निबन्धित किए गए हैं। दुग्ध सहकारिता की केन्द्रीयत एजेन्सी के रूप में उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फाउंडेशन का भी गठन किया गया है जो सभी दुग्ध संघों के व्यापार का भी प्रबन्ध करता है। वर्ष 2008-09 में निर्धारित लक्ष्य 3,230 के समक्ष अब तक 3,113 दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां, गठित की जा चुकी है, जिनमें से अब तक 1,958 दुग्ध समितियों का निबन्धन हुआ है। इन दुग्ध समितियों से निर्धारित लक्ष्य 1,45,060 के समक्ष 1,25,237 सदस्य लाभन्वित हो रहे हैं। इन दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के माध्यम से इस वर्ष निर्धारित लक्ष्य 1,60,684 के समक्ष 1,20,121 लीटर दूध प्रतिदिन संग्रह किया गया, साथ ही यू०सी०डी०एफ० के प्रबन्धन में विभिन्न दुग्ध संघों द्वारा इस वर्ष राज्य के नगरीय उपभोक्ताओं को 1,58,304 लीटर के निर्धारित लक्ष्य के समक्ष 1,47,627 लीटर औसत दूध प्रतिदिन विक्रय किया जा रहा है। उत्तराखण्ड में कुल 1.25 लाख दुग्ध उत्पादक सदस्य, कुल 3,113 दुग्ध समितियां, कुल 1958 निबन्धित दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां, कुल 140 दुग्ध मार्ग, लगभग 1.20 लाख लीटर दैनिक दुग्ध उपसर्जन, लगभग 1.48 लाख लीटर दैनिक नगर दुग्ध विक्रय, 11 दुग्ध उत्पादक

सहकारी संघ लिमिटेड एवं केन्द्रीय समिति के रूप में उत्तराखंड सहकारी डेरी फेडरेशन गठित एवं कार्यरत, 10 दुग्धशालाएँ जिनकी दैनिक क्षमता 2.05 लाख लीटर प्रतिदिन, 11 दुग्ध अवशीतन केन्द्र जिनकी क्षमता 0.73 लाख लीटर प्रतिदिन, 32 वल्क मिल्क कूलर की स्थापना जिनकी क्षमता 1.09 लाख लीटर प्रतिदिन, 100 मै0 टन क्षमता की पशुआहार निर्माणशाला है। राज्य में डेरी विकास विभाग द्वारा वर्ष 2008-09 के दौरान निम्नलिखित योजनाओं को जारी रखा गया है जिसमें राज्य सेक्टर के अन्तर्गत ₹764.80 लाख तथा जिला सेक्टर के अन्तर्गत ₹322.36 लाख का बजट प्राविधान किया गया है। इस प्रकार डेरी विकास के योजना मद में ₹1,087.16 लाख तथा आयोजनेत्तर मद में ₹239.37 लाख कुल ₹1,326.53 लाख का बजट प्राविधान किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत उत्तराखंड के सहकारी दुग्ध संघों को आत्मनिर्भर बनाने में यातायात अनुदान, प्रबन्धकीय अनुदान, सिविल कार्य एवं प्लान्ट व मशीनरी की स्थापना तथा दुग्ध व दुग्ध पदार्थ विपणन नेटवर्क के सुदृढीकरण हेतु राजकीय अनुदान सहायता उपलब्ध करायी जा रही है। वर्ष 2008-09 के लिए ₹333.95 लाख का परिव्यय प्रस्तावित किया गया था जबकि ₹266.94 लाख स्वीकृत किया गया और उसके समक्ष ₹265.64 लाख व्यय हेतु आहरित किया जा चुका है।

डेरी विकास योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में ₹420 लाख अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष दिसम्बर 2022 तक 316.73 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है जिसके अंतर्गत 1 जनवरी, 2023 तक 22 महिला दुग्ध समितियों का गठन, 422 समिति गठन/पुनर्गठन किया गया है।

7.9.1 महिला डेरी विकास योजना

महिलाओं की दुग्ध सहकारिता में विशिष्ट भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वर्ष 1994-95 में महिला डेरी विकास परियोजना प्रारम्भ की गई, जिसमें दशवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 863 महिला दुग्ध समितियों का गठन किया गया तथा 29,310 महिलाओं को सदस्य बनाया गया। वर्ष 2008-09 में ₹262.00 लाख का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है, जिसके समक्ष ₹162 लाख की स्वीकृतियां प्राप्त हो चुकी हैं, जो कि मात्र महिला डेरी विकास परियोजना को ही उपलब्ध कराया जा सका है।

7.9.2 सघन मिनी डेरी परियोजना

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराये जाने व दुग्ध उत्पादन वृद्धि हेतु शासन द्वारा वर्ष 2004-05 में आगामी पांच वर्षों के लिए सघन मिनी डेरी परियोजना के विस्तारीकरण हेतु स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में 1600 मिनी डेरी स्थापित की जानी है। इस योजना में दो दुधारू पशु क्रयार्थ 30,000 रुपये बैंक ऋण, 8580 रुपये शासकीय अनुदान तथा 1500 रुपये लाभार्थी अंशदान मार्जिन मनी के रूप में जमा कराये जाने की व्यवस्था है। इस प्रकार प्रति यूनिट लागत ₹40,080/- रुपये आती है। वर्ष 2008-09 में ₹271.74 लाख का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है जिसके समक्ष ₹171.74 लाख की स्वीकृतियां प्राप्त हो चुकी हैं जो कि यू0सी0डी0एफ0 को उपलब्ध कराया जा चुका है।

7.9.3 सहकारी डेरी संस्थान की स्थापना

उत्तराखंड राज्य में सहकारी डेरी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में ₹186.91लाख का प्रस्ताव किया गया। जिसमें वर्ष 2008-09 में आवासीय भवन के निर्माण हेतु ₹97.11 लाख का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है जोकि यू0सी0डी0एफ0 को उपलब्ध कराया जा चुका है।

7.9.4 ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध सहकारिताओं का सुदृढीकरण (जिला योजना)

योजनान्तर्गत ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में 250 नई दुग्ध सहकारी समितियों का गठन तथा 375 निष्क्रिय सहकारी समितियों के पुनर्गठन का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही पशु धन के सुधार के लिए पशुस्वास्थ्य

सेवाएँ, पशुपोषक व पशुआहार आपूर्ति, पशु प्रचार प्रदर्शन व कैम्प, दुग्ध कक्ष व भूसा गोदामों का निर्माण हेतु भी राजकीय सहायता उपलब्ध करायी जाएगी। कार्यकुशलता में सुधार व पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए समिति स्तर पर आटोमेटिक मिल्क कलेक्शन मशीन, इलेक्ट्रानिक मिल्को टेस्टर भी उपलब्ध कराये जाते हैं। वर्ष 2008-09 के लिए 35 नई व 56 निष्क्रिय दुग्ध सहकारिताओं के क्रमशः गठन व पुर्नगठन का लक्ष्य है तथा 322.36 लाख रुपए की स्वीकृतियां प्राप्त हो चुकी है और अब तक ₹314.61 लाख आहरित किया जा चुका है।

7.10 मत्स्य विकास (Fisheries Development)

उत्तराखण्ड में मत्स्य विकास हेतु प्रचुर मात्रा में जल सम्पदा उपलब्ध है जिसमें मत्स्य विकास कर इस सम्पदा के समुचित उपयोग से मत्स्य उत्पादन में वृद्धि, ग्रामीण अंचल में प्रोटीन युक्त आहार की उपलब्धता, रोजगार एवं अतिरिक्त आय के साधनों का सृजन एवं पारिस्थितिकीय सन्तुलन के साथ-साथ निर्बल एवं पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों का आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान किया जा सकता है। मत्स्य विकास कार्यक्रम हेतु नदियों के रूप में 2,686 कि०मी०, वृहद जलाशयों के रूप में 20,075 हेक्ट०, प्राकृतिक झीलों के रूप में 297 हेक्ट०, तथा ग्रामीण तालाब एवं पोखरों के रूप में 628 हेक्ट० जल क्षेत्र उपलब्ध है। प्रदेश में मत्स्य विकास हेतु अनेक कल्याणकारी योजनायें संचालित की गई हैं। शीत जल मत्स्यिकी तथा जलजीव पालन योजनान्तर्गत पर्वतीय क्षेत्र में पर्वतीय तालाब निर्माण, प्रशिक्षण आदि हेतु संस्थागत/बिना संस्थागत वित्त पर शासकीय अनुदान दिया जाता है। पर्वतीय क्षेत्र में पर्वतीय तालाब निर्माण की 100 वर्ग मी० माप की ईकाई हेतु 20 प्रतिशत अनुदान देय है। योजनान्तर्गत पर्वतीय तालाब निर्माण के 164 प्रस्ताव 3.16 हेक्ट० के स्वीकृत कर 65 तालाब 0.98 हेक्ट० के कार्य पूर्ण कर आच्छादित किए गए तथा 153 व्यक्ति मत्स्य पालन हेतु प्रशिक्षित किए गए। मत्स्य पालक विकास अभिकरण योजनान्तर्गत मैदानी क्षेत्र में तालाब निर्माण/सुधार एवं निवेश तथा प्रशिक्षण आदि हेतु संस्थागत/बिना संस्थागत वित्त पर शासकीय अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। योजना में सामान्य वर्ग के लाभार्थी को 20 प्रतिशत तथा अनु०जाति अनु०जनजाति के लाभार्थियों को 25 प्रतिशत अनुदान देय है। विशेष संघटक उपयोजना (एस०सी०एस०पी०) योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के लाभार्थियों हेतु पर्वतीय तालाब निर्माण, मैदानी तालाब निर्माण एवं प्रशिक्षण पर शासकीय अनुदान देय है साथ ही फ़िल्ड ट्रिप, मिनी किट वितरण तथा गोष्ठी आदि का आयोजन किया जाता है। पर्वतीय तालाब निर्माण एवं मैदानी तालाब निर्माण हेतु अनु०जाति के लाभार्थियों को 90 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। उक्त योजनान्तर्गत पर्वतीय तालाब निर्माण प्रति यूनिट 100 वर्ग मी० के 20 यूनिट कुल 0.20 हेक्ट० तथा मैदानी तालाब निर्माण प्रति यूनिट 0.20 हेक्ट० के 12 यूनिट कुल 2.40 हेक्ट० के स्वीकृत किए गए तथा 48 व्यक्तियों को मत्स्य पालन सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान किया गया। 13 व्यक्तियों को आन्ध्रप्रदेश का फ़िल्ड टिप कराया गया एवं 20 फ़िल्ड किट वितरित किए गए। राष्ट्रीय मछुआ कल्याण योजना में निर्बल वर्ग के मछुआ समुदाय हेतु आवास आदि की व्यवस्था के लिए योजना संचालित की गई है। योजनान्तर्गत प्रति आवास लागत ₹0 40,000/- का व्यय किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पीने के पानी की व्यवस्था हेतु दस आवासों पर एक नलकूप भी उपलब्ध कराया जा रहा है। योजनान्तर्गत 30 मछुआ आवासों एवं 3 नलकूपों का निर्माण किया गया। प्रदेश में मत्स्य पालन के विकास के लिए वर्ष 2008-09 में जिला सैक्टर अन्तर्गत पांच राज्य सैक्टर अन्तर्गत नौ तथा केन्द्र पोषित योजनाओं में सात कुल 21 योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। मत्स्य पालन, मत्स्य संरक्षण, मत्स्य आहार विकास, ट्राउट मत्स्य विकास योजनायें प्रमुखता से प्रस्तुत की गई हैं। आयोजनागत पक्ष में कुल धनराशि ₹0 998.54 लाख का परिव्यय स्वीकृत हुआ तथा ₹0 612.57 लाख की धनराशि के बजट प्राविधान के सापेक्ष ₹0 452.92 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई एवं ₹0 389.82 लाख की धनराशि व्यय की गई। मत्स्य उत्पादन की वृद्धि हेतु मत्स्य बीज उत्पादन प्रमुख कार्यक्रम है। विभागीय मत्स्य क्षेत्रों एवं हैचरियों से वर्ष 2008-09 में

383.40 लाख मत्स्य बीज उत्पादित किया गया तथा निजी क्षेत्र में मत्स्य पालन हेतु 192.47 लाख मत्स्य बीज वितरित किया गया जिसमें 10.18 लाख मत्स्य बीज अन्य प्रदेशों को निर्यात किया जाना सम्मिलित है। विभिन्न जल क्षेत्रों में मत्स्य संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु 325.06 लाख मत्स्य बीज संचित किया गया। विभागीय प्रबन्धान्तर्गत झीलों में एंगलिंग हेतु एंगलिंग परमिट निर्गत किए गए। वर्ष 2008-09 में विभिन्न जलश्रोतों से 3163 टन मत्स्य उत्पादन लिया गया। वर्ष 2008-09 में सरकारी निजी भागीदारी (Public Private Partnership) योजना अन्तर्गत मत्स्य आहार विकास योजना प्रस्तावित की गई है। वर्ष 2008-09 में इस योजना हेतु 10 लाख की धनराशि का परिव्यय स्वीकृत किया गया था।

7.11 अभ्यास प्रश्न (Practice Question)

बहुविकल्पीय प्रश्न -

- उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में..... एक मुख्य कृषि सहायक व्यवसाय है-
(A) पशुपालन (B) मत्स्य पालन (C) आकर्षक दुर्लभ पक्षी (D) याक
- 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार राज्य में पशुधन की कुल संख्या है-
(A) 94.4 लाख (B) 44.27 लाख (C) 73.9 लाख (D) 83.30 लाख
- दुग्ध उद्योग में निम्न उत्पादकता का कारण है-
(A) कृषि भूमि की निम्न उत्पादकता (B) भौगोलिक स्थिती
(C) संकर प्रजाति के पशुओं की न्यूनता (D) कोई नहीं।
- उत्तराखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (SGDP) में पशुपालन का योगदान है-
(A) 14 प्रतिशत (B) 2.95 प्रतिशत (C) 25 प्रतिशत (D) 29 प्रतिशत

7.12 सारांश (Summary)

उत्तराखंड में पशुपालन उद्योग में विस्तृत अवसर एवं तुलनात्मक रूप से मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा अनुकूल जलवायु होने के कारण बेहतर सम्भावनाएं हैं। यद्यपि उत्तराखंड में कुल भूमि में कृषि भूमि का हिस्सा अत्यधिक कम है किन्तु पर्वतीय क्षेत्रों में विशाल चारागाह (बुग्याल) तथा विविधता पूर्ण वन पशुपालन के प्रमुख आगत के रूप में चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं। तीव्र जनसंख्या वृद्धि एवं निरन्तर वन के कटान द्वारा चारे की दुर्लभता है। कारण है। यदि समुदायिक सम्पदा अधिकारों का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए तो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि योग्य वन पंचायत भूमि एवं उपलब्धता वन क्षेत्रों में चारे पत्ती वाले वृक्षारोपण द्वारा उत्तराखंड में चारे की समस्या का निदान प्राप्त कर ग्रामीण विकास को प्रभावपूर्ण प्रगति प्राप्त की जा सकती है।

7.13 शब्दावली (Glossary)

- महिला डेरी विकास योजना - महिलाओं की दुग्ध सहकारिता में विशिष्ट भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वर्ष 1994-95 में आरम्भ की गई महिला डेरी विकास परियोजना।
- जीविकोपार्जन कृषि - जीवन रक्षा हेतु कृषि कार्य।
- व्यावसायिक कृषि - आर्थिक रूप से लाभदायक कृषि कार्य।
- जैविक कृषि - प्राकृतिक आगतों के प्रयोग द्वारा किया गया कृषि कार्य।
- परम्परागत कृषि - प्राचीन एवं अविकसित पूँजी एवं अन्य संसाधनों के द्वारा किया जाने वाला कृषि।

7.14 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answer for Practice Questions)

उत्तर - 1. (A) 2. (B) 3. (C) 4. (B)

7.15 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची (Reference / Bibliography)

- टी.एस.पपोला (एडिटेड), डवलपमेन्ट ऑफ हिल एरियाँज -ईसूज एण्ड ऐप्रोचेज। हिमालय पब्लिसिंग, हाउस न्यू देहली।1983
- जी.सी.डोभाल, डेवलपमेन्ट ऑफ हिल एरियाँज, कन्सेप्ट पब्लिसिंग कम्पनी न्यू देहली।
- आर.टी.तिवारी उत्तरांचल- इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड इकॉनॉमिक डेवलपमेन्ट, ए.पी.एच. पब्लिसिंग कारपोरेशन न्यू देहली। 2001
- जी.एस.मेहता, डवलपमेन्ट ऑफ उत्तराखंड ईसूज एण्ड प्रोस्पेक्टस, ए.पी.एच. पब्लिसिंग कारपोरेशन न्यू देहली। 1999
- आर्थिक सर्वेक्षण - 2009-10
- आर्थिक समीक्षा उत्तराखंड - 2008-09
- रूदार दत्त एवं सुन्दरम, भारतीय अर्थव्यवस्था, एस0 चाँद एण्ड कम्पनी, न्यू देहली, भारत 2011
- मिश्रा एण्ड पुरी, भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालय पब्लिशिंग हाऊस, मुम्बई।

7.16 सहायक / उपयोगी पाठ्य सामग्री (Useful /Helpful Text)

- उत्तराखंड का औद्योगिक विकास, प्रगति रिपोर्ट फरवरी 2011, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
- <http://www.duiuk.org/pdfs/heavydirectory.pdf>
- http://www.ibef.org/Uttarakhand_190111.pdf
- http://www.uttranchalbiz.com/why_uttrachal/key-investors
- <http://www.uttranchalbiz.com/industrial-estates>
- http://www.ibef.org/download/uttarakhand_14oct_08.pdf

7.17 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

1. उत्तराखंड में पशुपालन के ग्रामीण रोजगार पर योगदान में एक निबन्ध लिखिए।
2. उत्तराखंड में पशुपालन के द्वारा आर्थिक संवृद्धि एवं नवीन विकास सम्भावनाओं पर एक निबन्ध लिखिए।
3. उत्तराखंड में दुग्ध उत्पादन में सुधार हेतु किए गए प्रयासों के ऊपर एक लेख लिखिए।
4. आधार, रोजगार एवं अतिरिक्त आय के साधनों के सृजन एवं पारिस्थितिकीय सन्तुलन बनाने में मत्स्य विकास की भूमिका की विस्तृत व्याख्या कीजिए।

इकाई-8 ग्रामीण एवं कृषि वित्त (Rural and Agricultural Finance)

- 8.1 प्रस्तावना (Introduction)
- 8.2 उद्देश्य (Objective)
- 8.3 ग्रामीण वित्त का अर्थ, आवश्यकता एवं प्रकार (Meaning, Need and Types of Rural Finance)
- 8.4 ग्रामीण एवं कृषि वित्त तथा ग्रामीण विकास में सहसम्बन्ध (Correlation between Rural and Agricultural Finance and Rural Development)
- 8.5 उत्तराखण्ड में बैंकिंग सेवा (Banking Services in Uttarakhand)
- 8.6 उत्तराखण्ड राज्य में बैंकिंग कार्यों की प्रगति (Progress of Banking Works in the State of Uttarakhand)
- 8.7 किसान क्रेडिट कार्ड योजना (Kisan Credit Card Scheme)
- 8.8 उत्तराखण्ड राज्य में लघु वित्त (Micro Finance in the State of Uttarakhand)
- 8.9 अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)
- 8.10 सारांश (Summary)
- 8.11 शब्दावली (Glossary)
- 8.12 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answer for Practice Questions)
- 8.13 संदर्भ ग्रन्थ सूची (References/Bibliography)
- 8.14 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

8.1 प्रस्तावना (Introduction)

उत्तराखण्ड अर्थव्यवस्था की संरचना से सम्बन्धित यह 8वीं इकाई है। इससे पहले की इकाइयों में आप उत्तराखण्ड अर्थव्यवस्था की विशेषताओं की सामान्य जानकारी प्राप्त कर चुके हैं।

उत्तराखण्ड ग्रामीण अर्थव्यवस्था की प्रमुख समस्या आर्थिक विकास है। उत्तराखण्ड के ग्रामीण की जनसंख्या का एक बड़ा भाग गरीब रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है। भारत में नियोजित विकास कार्यक्रम की शुरुआत से ही ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादक रोजगार अवसरों का सृजन सामाजिक वैज्ञानिक, नीति निर्धारकों, नियोजकों, राजनैतिकों एवं सामाजिक संगठनों के लिए एक मूल प्रश्न रहा है। यह समस्या इसलिए और भी गम्भीर है क्योंकि विगत नियोजन काल इस सन्दर्भ में किए गए प्रयासों के फलस्वरूप आर्थिक सुवृद्धि तथा सकल उत्पादनों सम्बन्धित संकेतों में तो सकारात्मक परिवर्तन दृष्टिगोचर हुए किन्तु ग्रामीण बेरोजगारी एवं ग्रामीण निर्धनता के स्तरों वास्तविक कमी नहीं आयी है। जिसके फलस्वरूप भारत में नियोजित विकास के लगभग 60 वर्षों के उपरान्त भी कृषि क्षेत्र पर रोजगार हेतु निर्भरता में कृषि क्षेत्र के राष्ट्रीय आय में योगदान में ह्रास के अनुरूप कमी स्पष्ट नहीं हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं कृषि सहायक व्यवसायों की वित्त सम्बन्धी आवश्यकताओं को सन्तुष्ट कर हेतु उचित वित्त व्यवस्था संरचना अत्यधिक आवश्यक है। इस ईकाई में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि उत्तराखण्ड में वित्तीय संरचना की स्थिति किस प्रकार की है तथा विगत वर्षों में इस सन्दर्भ में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। इस इकाई का उद्देश्य उत्तराखण्ड में बैंकिंग व्यवस्था, सहकारी समितियां तथा अन्य सम्बन्धित संस्थानों का अध्ययन करना है जो एक क्षेत्र के आर्थिक विकास हेतु एक महत्वपूर्ण कारक है। समग्र रूप से यह सब संस्थाएं ग्रामीण विकास से एक सकारात्मक एवं प्रभावी भूमिका का निर्वहन करती हैं। यह संस्थाएं क्षेत्र की जनसंख्या हेतु साख उपलब्ध कराती हैं, विनियोग करती हैं तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप जनसंख्या की स्थिति में आर्थिक सुधार हेतु विभिन्न योजनाओं का संचालन करती हैं। साथ ही साथ बैंकिंग संरचना के फलस्वरूप एक क्षेत्र की जनसंख्या में बचत एवं विनियोग की महत्वपूर्ण आदत का निर्माण सम्पोषित होता है जो पूँजी निर्माण एवं धारक क्षमता में वृद्धि हेतु अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

8.2 उद्देश्य (Objective)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप जान पायेंगे कि -

- ✓ ग्रामीण विकास में ग्रामीण वित्त का महत्व।
- ✓ ग्रामीण वित्त की आवश्यकता एवं इसके प्रकार।
- ✓ ग्रामीण एवं कृषि वित्त तथा ग्रामीण विकास में सहसम्बन्ध।
- ✓ उत्तराखण्ड राज्य में बैंकिंग कार्यों की प्रगति।
- ✓ ग्रामीण विकास से सम्बन्धित विभिन्न सरकारी वित्त सम्बन्धी योजनाएं।
- ✓ ग्रामीण विकास में लघु वित्त की भूमिका।

8.3 ग्रामीण वित्त का अर्थ, आवश्यकता एवं प्रकार (Meaning, Need and Types of Rural Finance)

ग्रामीण जनसंख्या अपनी कृषीय एवं अकृषीय आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करने के लिए विभिन्न उद्देश्य हेतु अलग-अलग अवधि के ऋण लेती है। ग्रामीण साख (ऋण) एक बहुचरीय प्रक्रिया है, जो उद्देश्य, काल, ऋण सुरक्षा, कृषि जोत के आकार आदि संकेतको द्वारा निर्धारित होती है। ग्रामीण एवं कृषि वित्त की समस्या को समझने एवं इसका व्यावहारिक विश्लेषण करने हेतु यह जानना अत्यन्त आवश्यक है कि ऋण प्राप्त करने वाली जनसंख्या की विशिष्ट आवश्यकताएं क्या हैं तथा उन आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करने के लिए किस प्रकार के ऋण की आवश्यकता होगी। कृषकों की आवश्यकताओं का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है:

1. नगद फसलों हेतु ऋण
2. खाद्य फसलों हेतु ऋण
3. फ्लोरीकल्चर एवं बागवानी हेतु ऋण
4. पशुपालन, मत्स्य पालन हेतु ऋण

ऋणी कृषकों के कृषि जोतों के आधार पर वर्गीकरण


कृषकों का विवरण- बड़े कृषक, मध्यम कृषक एवं लघु एवं सीमान्त कृषकों के रूप में भी किया जाता है जो कृषि साख उपलब्ध कराने हेतु सामान्यतः स्वीकार्य वर्गीकरण है। कृषि जनसंख्या की आवश्यकता को उपयोग के आधार पर उत्पादन एवं विनियोग हेतु ऋण तथा उपभोग हेतु ऋण के रूप में विभाजित किया जाता है।

उत्पादन एवं विनियोग हेतु ऋणों का निम्नलिखित वर्गीकरण है-

1. बीज, खाद एवं चारे हेतु।
2. लगान, मजदूरी, कर, चुंगी की अन्य भुगतान हेतु।
3. सिंचाई व्यवस्था एवं जल क्रय हेतु।
4. अन्य कृषिय व्यय हेतु।
5. पशु पूँजी (पशुपालन) हेतु।
6. भूमिसुधार हेतु।
7. कृषि यांत्रिक के क्रय एवं मरम्मत हेतु।
8. सिंचाई के नवीन साधन विकसित करने हेतु।
9. कृषि यातायात के उपकरणों के क्रय हेतु।
10. कृषि पर अन्य पूँजीगत व्यय हेतु।

उपभोग आवश्यकताओं हेतु ऋणों का वर्गीकरण निम्नलिखित है-

1. घरेलु उपयोग के उपकरण हेतु।
2. स्वास्थ्य शिक्षा एवं अन्य व्यय हेतु।
3. आवास का निर्माण एवं मरम्मत हेतु।
4. सामाजिक उत्सवों, संस्कारों हेतु।
5. आभूषणों के क्रय हेतु।
6. पुराने ऋणों को चुकाने हेतु।
7. कानूनी कार्यों मुकदमों हेतु।



सुरक्षा की दृष्टि से कृषि ऋण को भागों में विभाजित किया जा सकता है-

1. सुरक्षित ऋण
2. असुरक्षित ऋण

ऋण की मात्रा एक ऋण सेवा (ब्याज की दर) ऋण सुरक्षा की अवधारणा द्वारा निर्धारित होती है। सामान्यतः सुरक्षित ऋणों की मात्रा अधिक हो सकती है तथा ऋण, सेवा भार की सापेक्षता कम होता है। सरकारी एवं संगठनात्मक साख संरक्षित ऋणों को उपलब्ध कराती है। जबकि गैर संगठनात्मक साख ब्याज की दरें, असुरक्षा की मात्रा अधिक होने के कारण अधिक होती है। वित्तीय संरचना के अभाव में ग्रामीण कृषक अपनी अल्पकालिक आवश्यकताओं हेतु असुरक्षित ऋणों पर निर्भर रहते हैं।

स्थानीय साहूकार, व्यापारी, भूमिपति, मित्र एवं सम्बन्धी द्वारा दिया जाने वाला ऋण सामान्यतः असुरक्षित एवं मौखिक प्रक्रिया पर आधारित होता है। जिसके फलस्वरूप अशिक्षित एवं गरीब जनसंख्या का वित्तीय शोषण होता है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय संरचना को सम्पुष्ट करना तथा सूक्ष्म वित्त योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण जनसंख्या में बचत प्रवृत्ति को विभाजित करना है ताकि ग्रामीण जनता अनावश्यक एवं अनुत्पादक ऋणभार से मुक्त रह सके।

8.4 ग्रामीण एवं कृषि वित्त तथा ग्रामीण विकास में सहसम्बन्ध (Correlation between Rural and Agricultural Finance and Rural Development)

कृषि विकास ही मुख्यतः ग्रामीण विकास की नींव है। कृषि विकास तथा कृषिवित्त एवं साख ग्रामीण क्षेत्र में दैनिक आवश्यकताओं हेतु उपलब्ध ऋण व्यवस्था, कृषि उत्पादकता में वृद्धि आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करती है। परम्परागत फसलों एवं नगद फसलों हेतु अल्पकालीन ऋण व्यवस्था, आगतों के क्रमिक वृद्धि तथा आकास्मिक वित्त आवश्यकताओं को सन्तुष्ट कर कृषि फसल सुरक्षा एवं निरन्तरता को प्रोत्साहित करती है जिसके फलस्वरूप प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता में वृद्धि का कृषि क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि को सुनिश्चित करती है। साथ ही साथ प्रचुर मात्रा में कृषि एवं ग्रामीण वित्त की उपलब्धता ग्रामीण जनसंख्या को नव प्रवर्तन हेतु उत्प्रेरित भी करती है जिसके फलस्वरूप कृषक वर्ग गैर परम्परागत क्षेत्र में उद्यम कर अतिरिक्त आय सृजन कर सकता है। ग्रामीण वित्त एवं साख द्वारा कृषि सहायक क्रियाओं जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन, फ्लोरीकल्चर, औषधीय कृषि को प्रोत्साहन मिलता है जो पुनः अर्थव्यवस्था को सकारात्मक रूप में क्षेत्र की धारक क्षमता में वृद्धि एवं कृषि निर्भरता में ह्रास द्वारा प्रभावित करता है।

8.5 उत्तराखंड में बैंकिंग सेवा (Banking Services in Uttarakhand)

संस्थागत वित्त की उन्नति मूल रूप से प्रदेश के संस्थागत ढाँचे तथा उसकी कार्य प्रणाली पर निर्भर करती है। जिस प्रदेश का संस्थागत ढाँचा एवं कार्य प्रणाली सहज होगी, उतनी ही तीव्र गति से उन्नति के मार्ग पर प्रदेश अग्रसर होगा। विकास के लिए पूँजी की आवश्यकता का विशेष महत्व है जो मुख्यतः संस्थागत वित्त से प्राप्त होती है। प्रदेश की आर्थिक स्थिति का सुदृढ़ बनाने में बैंको की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश में वर्ष 2007-08 में 31 मार्च, 2008 को कुल बैंको की संख्या 40 है जिनमें कुल 23 राष्ट्रीयकृत बैंक तथा कुल 17 गैर राष्ट्रीयकृत एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। इनकी कुल शाखाएँ 2401 है जिनमें से कुल 1388 राष्ट्रीयकृत शाखाएँ , कुल 287 शाखाएँ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 11 कॉपरेटिव, 400 प्राइवेट बैंक शाखाएँ है। वर्ष 2021-22 में 31 मार्च, 2022 तक कुल जमा धनराशि 1,76,555 करोड़ रूपयों के सापेक्ष कुल 82,887 करोड़ रूपये की धनराशि ऋण के रूप में वितरित की गई। इस प्रकार ऋण जमा अनुपात 31 मार्च, 2022 को 47.00 प्रतिशत

था जबकि वर्ष 2006-07 में 31 मार्च, 2007 को ऋण जमा अनुपात 39.00 प्रतिशत था। जनसंख्या के अनुसार ऋण जमा अनुपात ग्रामीण 38, अर्द्ध शहरी 48 तथा शहरी 40 प्रतिशत है।

तालिका 1- राज्य में बैंकिंग कार्यों की प्रगति

क्र०सं०	मद	2005-06	2006-07	2021-22
1	शाखाओं की संख्या	1123	1156	2397
2	कुल जमा	20726	27441	184134
3.	कुल वितरित ऋण	9650	10707	96817
4	ऋण जमा अनुपात	46	39	53
5	प्राथमिकता क्षेत्र में अग्रिम	4088	5561	-
6	कुल अग्रिम क्षेत्र में प्राथमिकता क्षेत्र में अग्रिम प्रतिशत	42	52	52.48%
7	कृषि में अग्रिम	1492	1832	-
8	कुल में से कृषि क्षेत्र में अग्रिम प्रतिशत	15	17	16.01%
9	लघु उद्योगों में अग्रिम	1255	1136	12433.38
10	सेवा क्षेत्र में अग्रिम	2271	2501	15.67%
11	अन्य कमजोर वर्गों के लिए अग्रिम	1014	1254	13.23%

स्रोत: मुख्य राजस्व आयुक्त उत्तराखंड, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय (2023), देहरादून पृ० 149-153

2021-22 के आँकड़ों के अनुसार उत्तराखंड में बैंको की 2397 शाखाएँ हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की प्रत्येक शाखा औसत रूप में लगभग 4,208 व्यक्तियों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराती है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह औसत 11,271 व्यक्ति है। उत्तराखंड में संस्थागत वित्तीय संस्थानों द्वारा वितरित ऋण में जिला वार अत्यधिक भिन्नता स्पष्ट होती है। राज्य में सर्वाधिक ऋण वितरण देहरादून में (27,576 करोड़) तथा सबसे कम बागेश्वर में (501 करोड़) रहा है। वर्ष 2022 के आंकड़ों के अनुसार, ऋण जमा अनुपात पर्वतीय जिलों में सर्वाधिक उत्तरकाशी में (48%) तथा सबसे कम बागेश्वर में (22%) में है, जबकि उत्तराखंड के लिए ऋण जमा अनुपात 53 है।

❖ बैंकिंग सेवाएं

स्वयं सहायता समूह - बैंक राज्य में अधिक से अधिक स्वयं सहायता समूहों को लिकेज करके ग्रामीण क्षेत्र में लघु ऋण क्रान्ति लाना चाहता है। इस लिकेज कार्यक्रम में राज्य के 13 जिलों में लगभग 5000 महिलाओं/किसानों एवं निर्बल वर्ग के सदस्यों द्वारा विभिन्न उत्पादों का लगभग 100 स्टाल प्रदर्शन एवं बिक्री हेतु लगाये गए।

किसान मेला - अखिल भारतीय किसान मेला, पन्तनगर, कृषि विश्व प्रचार प्रसार तथा विभिन्न मेलों के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड, गोल्ड कार्ड, टैक्टर ऋण, डेयरी कार्ड, लीची कार्ड तथा मँगो कार्ड किसानों को खेती हेतु उपलब्ध कराए गए।

किसान कॉल सेन्टर - राज्य में किसानों को बैंकिंग योजनाओं के विषय में दूरभाष संख्या 1551 द्वारा त्वरित सेवा उपलब्ध करा रहा है।

कृषि सैल की स्थापना - आंचलिक स्तर पर कृषि व्यवसाय प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है जिसका प्रबन्धन सहायक महाप्रबंधक (कृषि) को सौंपा गया है।

मार्केटिंग एवं वसूली टीम - ग्रामीण स्तर पर कृषि विशेषज्ञों की टीम योजनाओं की जानकारी देने तथा कृषि ऋण वसूली के लिए कार्य करती है जिनकी संख्या 54 तक पहुँच गई है। टीम तत्काल किसानों के ऋण आवेदन पत्र भरकर शाखाओं को ऋण स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराते है।

कृषि अधिकारियों की नियुक्ति - राज्य में बागवानी, औषधीय एवं फूलों की खेती की अपार संभावनाओं को देखते हुए विभिन्न कृषि अधिकारियों को किसानों की सुविधा हेतु नियुक्त किया गया है।

पशुपालन एवं डेयरी - पशुपालन क्षेत्र के तीव्रता से विकास हेतु 72 पशुपालकों को ₹0 22 लाख के डेयरी क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराये गए है।

गन्ना फसलों का नया वित्तमान - राज्य के गन्ना उत्पादकों की ऋण सम्बन्धी मांग पूर्ति के लिए फसल वित्तमान ₹0 42,000/- प्रति हे० से बढ़ाकर ₹0 53,500/- प्रति हे० ऋण स्वीकृत किया जा रहा है।

वित्तीय शिक्षा एवं सलाहकार केन्द्र - पांच जिलों (पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी तथा टिहरी) में वित्तीय शिक्षा एवं सलाहकार केन्द्र खोले गए हैं। सभी केन्द्रों पर समस्याओं का निदान त्वरित कर दिया जाता है।

8.6 किसान क्रेडिट कार्ड योजना (Kisan Credit Card Scheme-KCC)

किसान क्रेडिट कार्ड (के०सी०सी०), किसानों की बैंक तक पहुँच में सुधार लाने और ऋण वितरण प्रक्रिया को सरल बनाने तथा ऋण के उपयोग में सुधार लाने के लिए विकसित किए गए उत्पादों में एक प्रमुख उत्पाद है। नाबार्ड द्वारा 1998-99 में केसीसी पर मॉडल स्कीम तैयार की गई जिसका लक्ष्य किसानों की सभी ऋण जरूरतों को फॉर्म एप्रोच अपनाते हुए किसान क्रेडिट कार्ड धारको की उत्पादन, निवेश उपभोक्ता की आवश्यकताओं को पूरा करना है। इस योजना की सफलता इस बात से ही सिद्ध है कि देश की बैंकिंग प्रणाली द्वारा 31 मार्च 2008 तक 7.5 करोड़ कार्ड जारी किए जा चुके थे।

	एजेन्सी	जारी कार्डों की संख्या
1.	सहकारी बैंक	34,800,663
2.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	10,056,787
3.	वाणिज्य बैंक(31 मार्च 2007 की स्थिति)	26,611,006
	कुल	71,468,456

योजना का उद्देश्य -

किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रमुख अभिनव ऋण वितरण व्यवस्था है। जिसका लक्ष्य, किसानों को बैंकिंग प्रणाली से आसान और किफायती ढंग की पर्याप्त मात्रा में तथा समय पर ऋण सहायता उपलब्ध कराना है।

केसीसी योजना की प्रमुख विशेषताएं

किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में मौखिक पट्टे पर, किराए पर बंटाई के आधार पर खेती करने वाले किसानों सहित सभी किसान शामिल है। कार्ड धारक को परिक्रामी नकद ऋण सुविधा उपलब्ध होती है जिससे कार्ड धारक मंजूर ऋण सीमा के भीतर कितनी बार आहरण और चुकौती कर सकता है। सभी किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को दुर्घटनावश मृत्यु/स्थायी विकलांगता को कवर काने के लिए ₹0 50000/- तक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा सुविधा उपलब्ध है। कृषि और सहायक क्रियाकलापों के लिए उपभोक्ता ऋण के उचित भाग के

लिए मियादी ऋण भी प्रदान किया जाता है। कार्ड धारक की खेती की भूमि जोत, उसके द्वारा अपनाई जाने वाली खेती की पद्धति और सम्बन्धित क्षेत्र में अपनाई जा रही कृषि पद्धतियों के आधार पर विभिन्न फसलों के लिए जिला स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदित वित्तमान के अनुसार ऋण सीमा का निर्धारण किया जाता है। कृषि और सहायक क्रियाकलापों के लिए उपलब्ध ऋण सीमा के अतिरिक्त इस योजना के अन्तर्गत मियादी ऋण तथा क्रियाशील पूँजी ऋण भी शामिल होंगे, कृषि और सहायक क्रियाकलापों आदि के लिए मियादी ऋण क्रियाशील पूँजी ऋण की सीमा का निर्धारण किसान द्वारा अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित आस्ति/आस्तियों इकाई लागत, फॉर्म में पहले से ही किया जाने वाले सहायक क्रियाकलापों, किसान पर मौजूदा बकाया ऋण सहित उसके कुल ऋण को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा उसकी चुकौती क्षमता के सम्बन्ध में किए जाने वाले निर्णय के आधार पर किया जाता है। कार्ड धारक द्वारा किए गए प्रत्येक आहरण की चुकौती 12 महीनों के भीतर अपेक्षित है। प्राकृतिक आपदाओं से फसल नष्ट होने में ऋण परिवर्तन/पुनः अनुसूचीकरण की अनुमति है। केसीसी योजना के अन्तर्गत, अधिसूचित फसलों के लिए संवितरित फसल ऋण राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत कवर किए जाते हैं। यह योजना प्राकृतिक आपदाओं और कीट आक्रमण आदि के कारण फसल की क्षति की स्थिति में किसानों के हितों की रक्ष के लिए भारत सरकार के आदेश पर प्रारम्भ की गई है।

किसान क्रेडिट कार्ड की उपयोगिता

क) किसानों को लाभ
आसानी और सुगमता से पर्याप्त मात्रा में ऋण की प्राप्ति
समय पर ऋण की आश्वासित उपलब्धता और आसान नवीकरण
किसानों पर कम ब्याज भार, किसान के पास जब भी अतिरिक्त राशि हो वह नकद ऋण की पूर्व चुकौती कर सकता है और इस प्रकार उस ब्याज का भार कम हो सकता है।
किसान के लिए लेन देन की लागत कम से कम होती है, उसे ऋण मंजूरी के लिए शाखा में कम से कम जाना पड़ता है। तीन वर्ष में एक सरल कागजी कार्यवाही (वार्षिक कागजी कार्यवाही की तुलना में) करनी होती है।
दुर्घटनावश मृत्यु/विकलांगता के लिए बहुत ही कम प्रीमियम दर पर बीमा सुविधा
व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के बारे में बैंको को स्वनिर्णय की अनुमति दी गई है। वे या तो किसी जनरल इन्श्योरेंस पब्लिक सेक्टर एसोसिएशन (जिप्सा) के सदस्य साधारण बीमा कम्पनी या निजी क्षेत्र की साधारण बीमा कम्पनी से सम्पर्क कर सकते हैं ताकि प्रतियोगी इसका ऑफरों का लाभ ले सकें और अन्ततः उधारकर्ता को भी इसका लाभ हो।

उत्तराखण्ड के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, सितम्बर 2022 तक कुल 6,16,370 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं जिसमें से 1,76,659 नए किसान क्रेडिट कार्ड वर्ष 2022-23 में जारी किए गए हैं।

उत्तराखण्ड राज्य में 31 मार्च, 2009 तक कुल 5.97 लाख किसान क्रेडिट कार्ड बैंकिंग प्रणाली द्वारा जारी कर दिये गए हैं, जिनमें सहकारी बैंको का योगदान 46.90 प्रतिशत, व्यवसायिक बैंको का योगदान 45.73 प्रतिशत तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको का योगदान 7.37 प्रतिशत रहा है।

भारत सरकार के अनुदेश पर नाबार्ड सहकारी बैंको एवं क्षेत्रीय बैंकों को कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह बढ़ने के लिए सभी किसानों जिनमें चूककर्ताओं, मौखिक पट्टेदारों, बटाईदारों और काश्तकारों को शामिल किया गया है। इन सभी को चिन्हित कर किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लाभान्वित कराने की अपेक्षा की गई है ताकि राज्य में सभी किसानों को केसीसी से लाभान्वित किया जा सके साथ ही साथ केसीसी के माध्यम से नए किसानों तथा स्कीम के दायरे से छूटे सभी किसानों को बैंको द्वारा लाभान्वित कराये जाने की अपेक्षा की गई है।

31.03.2009 की स्थिति			
संस्था	जारी केसीसी की संख्या (लाख में)	प्रतिशत	ऋण अवशेष (रु0 लाख में)
व्यावसायिक बैंक 31 दिसम्बर 2008	2.73	45.73	36022.48
सहकारी बैंक	2.80	46.90	5652.14
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	0.44	7.37	3994.43
योग	5.97	100	45669.05

8.8 उत्तराखंड राज्य में लघु वित्त (Micro Finance in Uttarakhand)

नाबार्ड ने 8वें दशक के मध्य से बैंकिंग ऋण तथा बैंकिंग प्रणाली तक निर्धनों की पहुँच में सुधार लाने के उद्देश्य से निर्धन लोगों के उस तबके में लघु (सूक्ष्म) ऋण की अवधारण को प्रसारित करने का बीड़ा उठाया था जिस तबके को बैंकिंग प्रणाली द्वारा हाशिए पर रखा गया था। नाबार्ड ने वर्ष 1992 में 'स्वयं सहायता समूह (एस0एच0जी0) बैंक लिंकेज' मॉडल को एक प्रयोगिक परियोजना के रूप में मात्र 500 समूह के गठन के लक्ष्य से शुरू किया था जो आज देश के सूक्ष्म वित्त सेवाएँ प्रदान करने के एक प्रमुख मॉडल के रूप में उभरकर सामने आया है। इस प्रयोग से बैंकिंग प्रणाली और निर्धन तबके के मध्य विश्वास ही पैदा नहीं किया बल्कि उस पूर्वाग्रह को भी खत्म किया कि निर्धन तबके बैंक योग्य नहीं होते। अन्ततः बैंकिंग सुविधा से वंचित जनता की औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुँच हो जाती है। इस कार्यक्रम से बैंक को समय से ऋणों की अदायगी, निर्धन जनता और बैंक की लेन-देन लागत में कमी एवं ऋणों की समय से तथा गरीबों की दहलीज पर उपलब्धता सुनिश्चित हो जाती है। 31 मार्च, 2009 प्रदेश में 3,568 नए स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया तथा अब तक इन समूहों की कुल संख्या 44,768 हो गई है। इसी प्रकार वर्ष 2008-09 में 3408 स्वयं सहायता समूहों को बैंको से जोड़ा गया इस तरह क्रेडिट लिंक्स समूहों की कुल संख्या बढ़कर 28,680 हो गई है। नाबार्ड ने स्वयं सहायता समूह के संवर्धन एवं उनके पोषण के लिए गैर सरकारी संगठनों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको तथा सरकारी बैंको का अनुदान सहायता देना जारी रखा तथा प्रदेश में वर्ष 2008-09 के दौरान 121 गैर सरकारी संगठनों को रु0 154.14 लाख की राशि स्वीकृत की गई जिसमें से रु0 51.86 लाख वितरित किए जा चुके हैं। स्वयं सहायता समूह की मजबूती हेतु समूह सदस्यों को आयवर्धक गतिविधियों में प्रशिक्षण दिया जाए तथा उनका बाजार से भी लिंकेज कराया जाए। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए नाबार्ड ने एम ई डी पी योजना के अन्तर्गत 04 गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से विभिन्न आयवर्धक क्रियाकलापों हेतु 06 प्रशिक्षण कार्यक्रमों को स्वीकृति प्रदान की है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में लगभग 150 महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण के नियम अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय, अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति के लोगों को शामिल किया गया तथा दस समूहों को उत्तरायणी मेले में समूहों के उत्पादन बेचने के लिए स्टॉल लगाने के लिए वित्तीय सहायता मंजूर की गई है। साथ ही स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के क्षमता निर्माण हेतु 07 क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें लगभग 210 सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

8.9 अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)

बहुविकल्पीय प्रश्न-

1. ग्रामीण क्षेत्र में वित्त की आवश्यकता होती है।

- (A) नकद फसलों हेतु (B) बागवानी हेतु (C) भूमि सुधार हेतु (D) उपर्युक्त सभी
2. कृषि क्षेत्र में अल्पकालीन ऋण लिए जाते हैं।
(A) फसल उत्पादन हेतु (B) भु-सुधार हेतु (C) लघु सिंचाई हेतु (D) पूँजीगत व्यय हेतु।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रा बाजार सामान्यतः -
(A) असंगठित क्षेत्र के नियंत्रण में (B) संगठित क्षेत्र के नियंत्रण में
(C) व्यक्तिगत व्यवसायिक बैंको द्वारा संचालित (D) विदेशी बैंके के द्वारा संचालन
4. उत्तराखंड में मार्च 2008 में कुल.....राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या थी।
(A) 5 (B) 9 (C) 23 (D) 43

8.10 सारांश (Summary)

वर्तमान प्रजातांत्रिक एवं उपभोक्तवादी समाज में आर्थिक विकास हेतु पूँजी की अनवरत प्रवाह एक अनिवार्यता है। अतः उत्तराखंड जैसे एक अर्द्धविकसित अर्थव्यवस्था का निवास के अनूकूलतम स्तर तक पंहुचाने के प्रयास में वित्त की समुचित आपूर्ति अति आवश्यक है। संगठित क्षेत्र के क्रमिक एवं नियोजित विकास अल्प आय वर्ग को बचत प्रवृत्ति में वृद्धि हेतु प्रोत्साहन एवं लघु वित्त के बहुआयामी स्वरूप को पर्वतीय क्षेत्र में जन जाग्रित के रूप में स्थापित कर निर्धन ग्रामीण जनता को उसकी दैनिक आवश्यकताओं की समस्याओं से मुक्त कर मध्यकालीन एवं दीर्घ कालीन बचत योजना से जोड़कर प्रभावकारी पूँजी निर्माण की नींव स्थापित की जा सकती है। जो अन्ततः क्षेत्र की धारक समता में वृद्धि का विकासात्मक सम्भावनाओं को वास्तविक रूप से धरातल या अवलम्बित करने में सफल होगी।

8.11 शब्दावली (Glossary)

- संगठित क्षेत्र - आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण वह क्षेत्र जो निश्चित नियमों की परिधि में आर्थिक कार्यों में संलग्न होते हैं।
- असंगठित क्षेत्र - आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण वह क्षेत्र जो मौखिक एवं मनमाने नियमों के अनुरूप आर्थिक कार्यों में संलग्न होते हैं।
- किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) - किसानों को बैंकिंग प्रणाली से आसान और किफायती ढंग की पर्याप्त मात्रा में तथा समय पर ऋण सहायता उपलब्ध कराने वाली बैंकिंग व्यवस्था।
- लघु वित्त - ग्रामीण निर्धन जनसंख्या की दैनिक आवश्यकताओं हेतु संगठित बैंकिंग प्रणाली के सहयोग से कम लागत पर सुरक्षित वित्त व्यवस्था उपलब्ध कराना।

8.12 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answer for Practice Questions)

उत्तर - 1.(D) 2. (A) 3. (A) 4. (C)

8.13 संदर्भ ग्रन्थ सूची (Reference/Bibliography)

- टी.एस.पपोला (एडिटेड), डेवलपमेंट ऑफ हिल एरियाँज -ईसूज एण्ड ऐप्रोचेज। हिमालय पब्लिसिंग, हाउस न्यू देहली।1983
- जी.सी.डोभाल, डेवलपमेन्ट ऑफ हिल एरियाँज, कन्सेप्ट पब्लिसिंग कम्पनी न्यू देहली।

- आर.टी.तिवारी उत्तरांचल -इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड इकॉनॉमिक डवलपमेन्ट, ए.पी.एच. पब्लिसिंग कारपोरेशन न्यू देहली। 2001
- जी.एस.मेहता, डवलपमेन्ट ऑफ उत्तराखंड ईसूज एण्ड प्रॉस्पेक्टस, ए.पी.एच. पब्लिसिंग कारपोरेशन न्यू देहली। 1999
- आर्थिक सर्वेक्षण - 2009-10 एवं 2021-22
- आर्थिक समीक्षा उत्तराखंड - 2008-09
- रूदार दत्त एवं सुन्दरम, भारतीय अर्थव्यवस्था, एस0 चाँद एण्ड कम्पनी, न्यू देहली भारत 2011
- मिश्रा एण्ड पुरी, भारतीय अर्थ व्यवस्था, हिमालय पब्लिशिंग हाऊस, मुम्बई।

8.15 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

1. उत्तराखंड में ग्रामीण एवं कृषि वित्त पर एक निबन्ध लिखिए।
2. उत्तराखंड अर्थव्यवस्था में ग्रामीण वित्त के महत्व एवं इस क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं पर विस्तृत व्याख्या कीजिए।
3. ग्रामीण एवं कृषि वित्त तथा ग्रामीण विकाय में सह सम्बन्ध को स्पष्ट करते हुए एक निबन्ध लिखिए।
4. ग्रामीण एवं कृषि वित्त के क्षेत्र में किसान क्रेडिट कार्ड की उपयोगिता एवं प्रगति पर व्याख्या कीजिए।

इकाई-9 औद्योगिक संरचना (Industrial Infrastructure)

- 9.1 प्रस्तावना (Introduction)
- 9.2 उद्देश्य (Introduction)
- 9.3 औद्योगिक संरचना (Industrial Infrastructure)
- 9.4 उत्तराखंड स्थापना से पूर्व की औद्योगिक संरचना (Industrial Structure Before the Establishment of Uttarakhand)
- 9.5 उत्तराखंड स्थापना के पश्चात् से अब तक की औद्योगिक संरचना (Industrial Structure Since the Establishment of Uttarakhand)
- 9.6 अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)
- 9.7 सारांश (Summary)
- 9.8 शब्दावली (Glossary)
- 9.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answer for Practice Questions)
- 9.10 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची (Reference/Bibliography)
- 9.11 सहायक/उपयोग पाठ्य सामग्री (Useful/Helpful Text)
- 9.12 निबंधात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

9.1 प्रस्तावना (Introduction)

‘उत्तराखंड का औद्योगिक विकास’ खण्ड की यह पहली इकाई है। इससे पूर्व के खण्ड के अध्ययन से आप उत्तराखंड की कृषि व्यवस्था को जान गए हैं। किसी भी प्रदेश के विकास में कृषि तथा उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान होता है।

इस इकाई में उत्तराखंड की औद्योगिक संरचना की पूर्ण जानकारी प्रस्तुत की जा रही है कि उत्तराखंड स्थापना से पूर्व तथा पश्चात् राज्य की औद्योगिक संरचना में किन उद्योगों का प्रमुख स्थान रहा है। प्रस्तुत इकाई के अध्ययन से आप उत्तराखंड की सम्पूर्ण औद्योगिक संरचना को समझेंगे।

9.2 उद्देश्य (Objective)

इस इकाई के अध्ययन के बाद आपको:-

- ✓ उत्तराखंड में कार्यरत विभिन्न उद्योगों की संक्षिप्त जानकारी हो जाएगी।
- ✓ उत्तराखंड स्थापना से पूर्व की औद्योगिक संरचना को समझ सकेंगे।
- ✓ उत्तराखंड के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों की जानकारी हो जाएगी।

9.3 औद्योगिक संरचना (Industrial Infrastructure)

किसी भी देश या राज्य की औद्योगिकी संरचना से उस क्षेत्र में स्थापित और कार्यरत, विभिन्न प्रकार के उद्योगों की स्थिति तथा विविधता की जानकारी प्राप्त होती है। वास्तव में औद्योगिक संरचना से अर्थ उद्योगों के ढाँचे या स्वरूप से लगाया जाता है जो एक देश या राज्य में एक समय विद्यमान हो, क्योंकि आर्थिक विकास एक नियमित एवं निरन्तर प्रक्रिया है। इसलिए उद्योगों का स्वरूप और ढाँचा स्थिर नहीं होता, इसमें समय-समय पर परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे-जैसे किसी देश या राज्य की शक्ति के साधन, श्रम की कार्यकुशलता तथा उत्पादन तकनीकी का विकास होता जाता है, वैसे-वैसे ही उस देश या राज्य की उद्योगों की संरचना भी बदलती रहती है जिसे औद्योगिक संरचना में परिवर्तन कहते हैं।

उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य है। जिसका जन्म 9 नवम्बर 2000 को हुआ। राज्य स्थापना के समय इसकी औद्योगिक संरचना ऐसी नहीं थी जैसी वर्तमान में है। उस समय राज्य में आर्थिक पिछड़ेपन के कारण, युवा व श्रमिक पलायन को विवश थे, इसलिए यहाँ की अर्थव्यवस्था को ‘मनी आर्डर अर्थव्यवस्था’ कहा जाता था। राज्य में खादी ग्रामोद्योग, हस्तकला, कृषि तथा वन आधारित उद्योग ही स्थापित थे। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल व ऊधमसिंह नगर में ही कुछ उद्योग थे, अन्य जिलों में उद्योग लगभग न के बराबर थे। उत्तराखंड की औद्योगिक संरचना का वास्तविक आंकलन व विश्लेषण करने के लिए उपर्युक्त आंकड़ों का अभाव था। इसलिए औद्योगिक संरचना की व्याख्या जनगणना व अन्य सम्बन्धित विभागों के आंकड़ों व रिपोर्टों के आधार पर की जाती रही। वास्तव में उत्तराखंड की औद्योगिक संरचना को समझने के लिए उसे दो भागों में बांटा जा सकता है।

1. उत्तराखंड स्थापना से पूर्व की औद्योगिक संरचना।
2. उत्तराखंड स्थापना के पश्चात् से अब तक की औद्योगिक संरचना।

9.4 उत्तराखंड स्थापना से पूर्व की औद्योगिक संरचना (Industrial Structure Before the Establishment of Uttarakhand)

उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान रही है, जिससे उद्योगों में ग्रामीण व कुटीर उद्योगों जैसे खादी, ऊन, काष्ठकला, चमड़ा, चूना पत्थर, स्लेट आदि की प्रमुखता रही है, जो स्थानीय कच्चेमाल पर आधारित रहे हैं। यातायात सुविधाओं के अभाव के कारण निकटवर्ती क्षेत्रों के लिए भोटिया हाँकरो तथा मैदानी जुलाहों द्वारा

गांवों में ही जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति की जाती थी। वास्तव में पर्वतीय क्षेत्र में विकास कार्य का प्रारम्भ पर्वतीय ऊन योजना से प्रारम्भ हुआ था जो बागेश्वर चरखा ऊन उद्योग आन्दोलन के रूप में अमर है। समय और आवश्यकतानुसार धीरे-धीरे रेशम, खादी, हथकरघा, मधुमक्खी पालन, काष्ठकला उद्योग, हस्तशिल्प व अन्य वन आधारित उद्योगों का विकास हुआ।

भारत सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित औद्योगिक नीति का अनुसरण करते हुए पर्वतीय क्षेत्र में तृतीय योजना काल में कुमाऊं गढ़वाल मण्डलों में कुछ औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना प्रारम्भ हुई। जिसमें इंजीनियरिंग, रासायनिक व कागज उद्योग की कुछ इकाईयाँ स्थापित की गई। उत्तराखण्ड स्थापना से पूर्व की औद्योगिक संरचना में प्रमुख रूप से निम्न उद्योग सम्मिलित किए जा सकते हैं -

9.4.1 घराट उद्योग - घराट का स्थानीय नाम घट है, जो पानी से चलित होते हैं। यह मुख्य रूप से कृषि आधारित उद्योग ही है, जिसमें गेहूँ, मंडुवा, चुवा, दालें आदि की पिसाई की जाती है। पहाड़ों में स्थायी पैतृक सम्पत्ति की भांति पुत्रों में घराट का भी बँटवारा होता है। घराट स्थानीय गाड़-गधेरों पर स्थापित किए जाते हैं और पानी की उपलब्धतानुसार स्थायी या मौसमी होते हैं। यद्यपि आधुनिक तकनीक को अपनाने से इसका उपयोग न के बराबर रह गया है।

9.4.2 चमड़ा व जूता उद्योग:- पर्वतीय क्षेत्र से मरे हुए जानवरों की खाल निकालने और उसका चमड़ा बनाकर जूते बनाने वाले कारीगर बाड़े या बाड़ी कहलाते थे। ग्रामीण क्षेत्र में अनाज के बदले जूते लिए जाते थे। गढ़वाल क्षेत्र के चन्दपुरी, मजोठी तथा कौब गांव तथा कुमाऊं क्षेत्र के लोहाघाट तथा पिथौरागढ़ के निकटवर्ती गांव में बड़ी संख्या में बाड़े निवास करते थे। जूते के अलावा ये चमड़े के थैले व मस्सक बनाकर पूरे क्षेत्र में व्यापार करते थे। धीरे-धीरे यह कुटीर उद्योग बन्द होने लगे।

9.4.3 काष्ठ कला उद्योग:- उत्तराखण्ड के अधिकांश भाग में वनों की अधिकता है जिससे लकड़ी की उपलब्धता से घरेलू लकड़ी कारीगरों को रोजगार प्राप्त होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में मकान व गौशाला निर्माण में लकड़ी के स्लीपर व बल्लियों का प्रयोग किया जाता था। लकड़ी के सामान बनाने वाले कारीगरों को बढई कहा जाता था। जो विभिन्न लकड़ियों से प्रवेश द्वार, खिड़कियाँ, छज्जा, स्तम्भ, जंगले, आलमारियाँ, लकड़ी के सन्दूक, फर्नीचर, मूर्तियाँ व घराट के उपकरण बनाते थे। इसके अतिरिक्त यह कृषि कार्य में उपयोग होने वाले उपकरणों जैसे हल, पलटा आदि बनाने का काम करते थे।

9.4.4. हस्त निर्मित कागज उद्योग:- गढ़वाल व कुमाऊं क्षेत्र में हाथ से कागज उत्पादन का कार्य काफी पुराने समय से किया जाता रहा है। भोज पत्रों के बाद हाथ से बने कागज का प्रयोग कब से शुरू हुआ उसका कोई प्रमाण नहीं है। वाल्टन ने पर्वतीय क्षेत्र में हाथ से बने कागज के प्रयोग का वर्णन किया था। जिस घास से यह कागज बनाया जाता था गढ़वाल में उसे सतपूडा या सतबडुआ और कुमाऊं में बडुआ कहा जाता है। कुमाऊं क्षेत्र में हस्त निर्मित कागज बड़ी मात्रा में बनता था। इस कागज का उपयोग मुख्य रूप से जन्म कुण्डली, धार्मिक ग्रन्थ, राजस्व लेखे, जन्म-मृत्यु का लेखा आदि रखने में किया जाता था।

9.4.5. रेशा उद्योग:- उत्तराखण्ड के अधिकांश पर्वतीय क्षेत्रों में मोटा घास भीमल (भिमू), मालू, जंगली कंडाली तथा बाबड़ जैसे रेशेदार घास तथा वृक्ष होते हैं जिनका रेशा निकाल कर रस्सियां बनाई जाती हैं। ये रस्सियाँ गाय, बैल, भैंस, घोड़े आदि जानवरों को बांधने के लिए प्रयोग में लाई जाती थी। साथ ही इन रस्सियों का प्रयोग चटाई बनाने हेतु के लिए भी किया जाता है। भांग व सेल (भीमल के रेशे) से बनी रस्सियां बाहरी बाजारों में बेची जाती थी।

9.4.6. रिंगाल बर्तन उद्योग:- इस उद्योग को स्थानीय भाषा में रूडियागिरी कहा जाता है तथा इसमें काम करने वाले कारीगरों को रूडिया कहा जाता है। गढ़वाल तथा कुमाऊं में रिंगाल (निंगाल) और बांस की उपज जंगलों में होती है। कुमाऊं का दानपुर, गढ़वाल का चोपता रामणी, वाण, सुतोल, कनोल, पाणा, इराणी, डुमक

कंगलोट, बूढा केदार आदि स्थान उच्च किस्म के रिंगाल के लिए प्रसिद्ध हैं। वनों के पास के गांव के कारीगर (रूडिया) रिंगाल के बर्तनों का निर्माण करके ग्रामीण क्षेत्रों की मांग को पूरा करते थे।

9.4.7. मधुमक्खी पालन:- कुमाऊं और गढ़वाल की पर्वतीय चट्टानों पर भौरों का शहद बड़ी मात्रा में पाया जाता था। इन मक्खियों को घर में नहीं पाला जाता था। इनका शहद अधिक नशीला व गुणकारी होता है। गांव के लगभग सभी घरों में एक छोटा स्थान मौन पालन के लिए बनाया जाता था। ऊँचाई वाले क्षेत्रों में जहां वनों की अधिकता थी या फसलों की बहुलता होती थी, मौन पालन अधिक होता था। वनों में पेड़ की गुफाओं में मौन द्वारा एकत्रित शहद निकाला जाता था जिसे बाहरी क्षेत्र में बेचा जाता था। कुमाऊं क्षेत्र में यह व्यापार अधिक प्रचलित था।

9.4.8. जड़ी- बूटी आधारित उद्योग:-गढ़वाल व कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्रों के ग्रामीणों वैद्य को जड़ी बूटियों की अच्छी जानकारी होती थी। यह कहा जाता है कि गढ़वाल क्षेत्र के वैद्यों को ऐसी जड़ी बूटियों का ज्ञान था जो पारे से सोना तथा स्वर्ण भष्म तैयार करते थे। लेकिन विकास के साथ क्षेत्र की जड़ी बूटियां बड़ी मात्रा में बाहरी मण्डियों में जाने लगी। कुछ विशेष जड़ी बूटियों की जानकारी वैद्य लोग दूसरे व्यक्ति को जीवन के अन्त समय तक नहीं बताते थे जिस कारण भी यह उद्योग प्रभावित हुआ। सामान्यता गुलबनप्सा, दालचीनी, दारू हल्दी, कुटगी, चिरायता, समोया, कुटज, कुलाडकटी, पत्थरचट्टा हिंगोल आदि का प्रयोग घरेलू इलाज में होता रहा है।

9.4.9. लौहारगिरी:-लोहे के कृषि औजार व बर्तन बनाने वाले कारीगरों को लौहार कहा जाता था जो मुख्य रूप से खेती के औजारों के अतिरिक्त तलवार, खुकरी, फर्सा, मूर्तियों सहित देवी देवताओं के निशान बनाते थे। लौहार लगभग सभी गांव में पाये जाते थे और ये अपनी वस्तुएं अनाज के बदले बेचते थे।

9.4.10. लीसा उद्योग:-चीड़ के पेड़ों से लीसा निकालने का कार्य ब्रिटिश काल में कुमाऊं क्षेत्र से प्रारम्भ हुआ था। सबसे पहले अंग्रेजों ने भवाली में लीसा से रोजिन व तारपीन का तेल बनने का कारखाना स्थापित किया था जिसे बाद में बरेली स्थानान्तरित कर दिया गया। बाद में गढ़वाल क्षेत्र में भी यह कार्य प्रारम्भ हो गया। वन विभाग की सांख्यिकीय पत्रिकानुसार उत्तराखंड के वनों से 1930-31 में 30,556 क्विंटल लीसा उत्पादन हुआ था जो 1950-51 में 54,536 क्विंटल हो गया।

9.4.11. स्वर्णकारी उद्योग:-उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के विषय में वाल्टन (1910) में लिखा कि अलकनन्दा नदी से सोना धोकर निकाला जाता था और अनुमान है कि औसत श्रमिक द्वारा चार आना सोना तैयार किया जाता था। राय बहादुर पातीराम परमार (1916) ने लिखा कि स्वर्ण मिश्रित रेत अलकनन्दा एवं मंदाकिनी घाटियों में पाया जाता है। सोने के आभूषण बनाने वाले कारीगरों को सुनार अर्थात् सोनार कहा जाता था। कुमाऊं में सोना चांदी की आपूर्ति तिब्बत तथा बाहरी बाजारों से होती थी। पर्वतीय अंचल में सोने चांदी के जेवर की मांग यही सोनार पूरी करते थे।

9.4.12. ऊन उद्योग:-प्रत्येक परिवार में जहाँ भेड़ बकरी पालन होता था। वहाँ ऊन की कटाई-बुनाई का कार्य होता था। ऊन से बनी वस्तुएँ जैसे ओढ़ने-बिछाने के थुलमा, कोट, दन, ऊनी, कपड़ा, अंगरखा, पैजामा, कम्बल आदि पारिवारिक उपयोग हेतु तैयार किए जाते थे। गढ़वाल क्षेत्र में ऊनी वस्त्रों का व्यापार माणा तथा नीति घाटी (चमोली) के निवासी, भोटिया परिवार के सदस्य सर्दियों में अलकनन्दा घाटी तथा हर्षित आदि क्षेत्रों में आकर करते थे। इसी प्रकार कुमाऊं के भोटिया दानपुर जोहार एवं दारमा पिथौरागढ़ में भी ऊन वस्त्र बनाते थे जिनका धारचूला व मुनस्यारी द्वारा तिब्बत से व्यापार होता था। उत्तर प्रदेश उद्योग विभाग द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में ऊन उद्योग के बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना प्रारम्भ की गई जो टीसी योजना के नाम से थी। प्रारम्भ में पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर, धारचूला, माणा-गोपेश्वर, नीति भीमतला, दुगड्डा तथा पौड़ी में प्रशिक्षण

केन्द्र स्थापित किए गए। बाद में टिहरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, चमोली को इसमें सम्मिलित कर लिया गया और इस उद्योग का भी तेजी से विकास हुआ।

9.4.13. हस्तकला उद्योग:-हस्तकला उद्योग उत्तराखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में आदिकाल से चले आ रहे हैं। विशेष रूप से अल्मोड़ा व श्रीनगर गढ़वाल में स्थानीय कारीगर ताम्बे तथा पीतल की विभिन्न सजावटी व घरेलू उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करते थे। इसके अतिरिक्त लकड़ी की कलात्मक वस्तुओं की भी निर्माण होता था। पर्वतीय क्षेत्रों में ऊनी कालीन, रंगीन शॉल, हौजरी, पापड़ी काष्ठकला की वस्तुएं पत्थर की मूर्तियां आदि का निर्माण किया जाता था। क्षेत्र की हस्तकलाओं को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न प्रोत्साहन व प्रशिक्षण योजनाओं की शुरुआत की गई।

काशीपुर, जसपुर में प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, ब्लॉक कटिंग आदि के प्रशिक्षण की व्यवस्था प्रारम्भ हुई। उत्तरकाशी, पौड़ी, चमोली, पिथौरागढ़ में शॉल बुनाई प्रशिक्षण केन्द्रों, श्रीनगर गढ़वाल, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ व बड़कोट में पापड़ी काष्ठकला केन्द्रों को स्थापना की गई। मुनस्यारी, धारचुला, डीडीहाट, अल्मोड़ा, चमोली, गुसकाशी आदि के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में कालीन बुनाई प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की गई।

13.4.14. रेशम उद्योग विकास:- कुमाऊं का इतिहास इस तथ्य को उजागर करता है कि राजा इन्द्र चन्द (758-778) के शासन कक्ष में रेशम कीट पालन का काम होता था। इस राजा ने नेपाल से रेशम कीट लाकर रेशम उत्पादन प्रारम्भ किया था। 1958 में देहरादून में शहतूत रेशम कीट पालन कार्य की स्थापना की गई। पर्वतीय क्षेत्र में रेशम विकास कार्यक्रम 1961 में अल्मोड़ा से प्रारम्भ किया गया था जो बाद में चमोली, उत्तरकाशी व पिथौरागढ़ में भी प्रारम्भ हो गया। शहतूत रेशम कीट पालन केन्द्र की सहायता से उत्तराखण्ड के नौ पर्वतीय जिलों में रेशम कीट पालन से दो फसलें मई तथा अक्टूबर में ली जाने लगी। राज्य में लगभग 65 रेशम फर्म तथा एक रीलिंग केन्द्र तथा एक प्रशिक्षण केन्द्र कार्यरत हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में 1980-81 में 510 किग्रा0 तथा 1997-98 में 12,000 किग्रा0 कच्चे रेशम का उत्पादन किया गया। 1988-89 में कुल रेशम उत्पादन इकाईयों की संख्या 50 थी जो 1991-92 में बढ़कर 61 हो गई।

शहतूत रेशम उत्पादन के साथ-साथ बांज टसर विकास परियोजना 1968 में चमोली जनपद में प्रारम्भ की गई। उसके बाद रानीखेत तथा नैनीताल के भीमताल में टसर कीट पालन हेतु परीक्षण किया गया और इसमें सफलता मिली। वन विभाग के सर्वेक्षण के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों के 5.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर बांज के वृक्ष हैं। इसलिए यहां बांज टसर पालन को बढ़ावा मिला। 1973-74 में बांज टसर कोया उत्पादन 41 हजार था वह 1997-98 में बढ़ कर 5 लाख हो गया।

9.4.15. इंजीनियरिंग उद्योग:- राज्य की आधारशिला को मजबूत करने में इंजीनियरिंग उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका है। उद्योग निदेशालय द्वारा छोटे-छोटे कृषि औजार, उद्यान संबंधी संयंत्र व औजार, ऑटो मोबाइल रिपेरिंग मशीनरी रिपेरिंग वर्कशॉप, कील, स्क्रू बनाने की इकाईयाँ आदि को इंजीनियरिंग उद्योग में सम्मिलित किया गया है। उत्तराखण्ड में यद्यपि इनकी सीमित संख्या थी। तालिका 9.1 का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि सर्वाधिक इकाईयाँ नैनीताल जनपद के मैदानी क्षेत्रों में थी जबकि 1988-89 से 1994-95 के दौरान सर्वाधिक प्रगति पौड़ी जिले में रही वहां इस दौरान 195% की दर से नई इकाईयाँ स्थापित हुईं। जबकि पिथौरागढ़ की स्थिति इसके विपरीत रही वहाँ इस दौरान अधिकांश इकाईयाँ बन्द हो गई थी और 1988-89 की 13 इकाईयाँ से संख्या घटकर 1994-95 में एक रह गई थी। यद्यपि पूरे पर्वतीय क्षेत्र की स्थिति पर नजर डाले तो 1988-89 से 1994-95 के दौरान इन इकाईयों की वृद्धि दर 28% रही, जो प्रगति की सूचक थी।

तालिका (9.1) पर्वतीय क्षेत्रों में कार्यरत इंजीनियरिंग इकाईयों की प्रगति

क्र०सं०	जनपद	1988-99	1994-95	वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत)
---------	------	---------	---------	-----------------------------

1.	उत्तरकाशी	161	207	4.8
2.	चमोली	67	107	9.9
3.	टिहरी	13	86	93.6
4.	पौड़ी	47	598	195.4
5.	देहरादून	08	48	83.3
6.	गढ़वाल मण्डल	296	1036	41.7
7.	अल्मोड़ा	109	468	54.9
8.	पिथौरागढ़	13	02	15.4
9.	नैनीताल	606	1248	17.7
10.	कुमाऊं मण्डल	728	1717	22.6
	पर्वतीय क्षेत्र	1024	2753	28.1

स्रोत- सांख्यिकीय डायरी पर्वतीय प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश शासन (1991) सांख्यिकीय डायरी, उत्तरांचल (1997) उत्तरांचल प्रभाग

9.4.16 रासायनिक उद्योग:-यद्यपि पर्वतीय क्षेत्रों में अनेक रासायनिक उद्योग स्थापना हेतु पर्याप्त कच्चा माल उपलब्ध था परन्तु इन इकाईयों की संख्या सीमित ही थी क्योंकि लीसा, कल्था, लाख, जड़ी बूटियाँ, फल-फूल वनस्पतियों की पर्याप्त मात्रा होते हुए भी रासायनिक उद्योगों का विकास नहीं हो पाया। यद्यपि कुछ क्षेत्रों व जनपदों में इस उद्योग का विकास हुआ, परन्तु पर्यावरण सुरक्षा के लागू होने से ये प्रभावित हुए और अनेक इकाईयाँ बन्द कर दी गई 1888-89 से 1994-95 के दौरान इन उद्योगों की स्थिति को तालिका 9.2 में प्रदर्शित किया गया है। जिससे पता चलता है कि 1988-89 से 1994-95 के दौरान यद्यपि पर्वतीय क्षेत्र में इन उद्योगों की इकाईयों की संख्या में वृद्धि हुई और यह 409 से बढ़ कर 723 हो गई परन्तु देहरादून व पिथौरागढ़ की अनेक इकाईयां इस दौरान किन्हीं कारणों से बन्द हो गई और इनमें ऋणात्मक वृद्धि दर देखी गई। जबकि चमोली में इस दौरान इकाईयों में 30% की वृद्धि देखी गई। कुल मिलाकर गढ़वाल क्षेत्र की तुलना में कुमाऊं मण्डल में यह प्रगति सन्तोष जनक रही।

तालिका (9.2) में रासायनिक इकाईयों की प्रगति

क्र०सं०	जनपद	1988-99	1994-95	वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत)
1.	उत्तरकाशी	13	13	0.0
2.	चमोली	06	17	30.5
3.	टिहरी	10	10	0.0
4.	पौड़ी	20	47	22.5
5.	देहरादून	10	01	- 15.0
6.	गढ़वाल मण्डल	59	88	8.2
7.	अल्मोड़ा	80	177	20.2

8.	पिथौरागढ़	11	00	-16.7
9.	नैनीताल	259	458	12.8
10.	कुमाऊं मण्डल	350	635	13.6
	उत्तराखंड	409	723	12.8

स्रोत- सांख्यिकीय डायरी पर्वतीय प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश शासन (1991) सांख्यिकीय डायरी, उत्तरांचल (1997) उत्तरांचल प्रभाग

9.4.17 औद्योगिक अस्थान:-उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के औद्योगिक विकास हेतु तत्कालीन उत्तराखंड प्रभाग में उत्तरकाशी, चमोली तथा पिथौरागढ़ में एक-एक औद्योगिक अस्थान स्थापित करने की स्वीकृति दी गई, लेकिन बाद में इसे निरस्त कर दिया गया। पर्वतीय क्षेत्र में बड़े औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना का कार्य 1961 से आरम्भ हुआ। 1994-95 तक पौड़ी, देहरादून, अल्मोड़ा, नैनीताल में अनेक औद्योगिक अस्थान बनाए गए। तालिका 9.3 के विश्लेषण से पता चलता है कि प्लांट स्थापना में नैनीताल जनपद सबसे आगे रहा जहां औसत कार्यरत व्यक्तियों की संख्या भी सर्वाधिक रही दूसरा स्थान देहरादून का रहा जहाँ 22 शेड तथा 18 प्लांट स्थापित हुए तीसरा स्थान पौड़ी का रहा।

तालिका (9.3) जनपदवार बड़े औद्योगिक संस्थानों (1994-95)

क्र० सं०	जनपद	औ० क्षेत्र की संख्या	कार्यरत शेड की संख्या	कार्यरत प्लांट की संख्या	औसत कार्यरत व्यक्तियों की संख्या
1.	पौड़ी	3	7	17	115
2.	देहरादून	2	22	18	500
3.	गढ़वाल मण्डल	5	29	35	615
4.	अल्मोड़ा	2	-	2	15
5.	नैनीताल	3	18	46	968
6.	कुमाऊं मण्डल	5	18	48	983
7.	पर्वतीय क्षेत्र	10	47	83	1598

स्रोत: सांख्यिकी पत्रिका, अर्थ एवं संख्या विभाग, गढ़वाल तथा कुमाऊं (1995)

तालिका 9.4 में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना तथा उपयोगिता की स्थिति को दर्शाने का प्रयास किया गया है। जिससे पता चला है वास्तव में कुल स्थापित औद्योगिक अस्थान में से 50% ही पूर्ण विकसित है। जबकि सरकार ने बड़ी मात्रा में पूंजी निवेश कर इनकी स्थापना की थी। पौड़ी के गंगनाली श्रीकोट, पिथौरागढ़ के विण, बागेश्वर का गरूड़, बैजनाथ तथा ऊधम सिंह नगर का काशीपुर बंजर पड़े थे।

तालिका (9.4) जनपदवार बड़े औद्योगिक आस्थानों की स्थिति (मार्च 2000)

क्र० सं०	जनपद	औद्योगिक आस्थानों का नाम व स्थान	स्थापना वर्ष	क्षेत्रफल (एकड़)	लागत (लाख रू०)	उपयोग की स्थिति
1.	पौड़ी गढ़वाल	सिबातपुर, कोटद्वार	1965	7.00	8.17	विकसित

		गंगनाली श्रीकोट, श्रीनगर	1980	11.63	6.29	अविकसित
2.	देहरादून	पटेलनगर	1964	10.00	14.77	विकसित
		विकासनगर	1964	4.00	1.38	विकसित
3.	अल्मोड़ा	पाताल देवी	1961	3.30	8.83	अर्द्धविकसित
4.	बागेश्वर	गरूड़, बैजनाथ	1885	0.50	16.67	अविकसित
5.	पिथौरागढ़	विण	1985	7.00	35.95	अविकसित
6.	नैनीताल	भीमताल	1962	7.00	3.10	विकसित
7.	ऊधमसिंह नगर	रूद्रपुर	1976	12.43	4.35	विकसित
		काशीपुर	1975	20.00	7.24	अविकसित
	पर्वतीय क्षेत्र	10	-	82.86	106.75	

स्रोत - विकास आयुक्त कार्यालय, श्रीकोट (श्रीनगर गढ़वाल)।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम को प्रदेश में छोटे आस्थानों और औद्योगिक क्षेत्रों के विकास हेतु पर्वतीय विकास विभाग द्वारा कार्य सौंपा गया। जिसके फलस्वरूप निगम ने इन क्षेत्रों में औद्योगिक संस्थानों की स्थापना का कार्य किया जिसका विवरण तालिका 9.5 में दिया गया है निगम द्वारा कुल 18 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की गई जिसमें से देहरादून में 6, ऊधमसिंहनगर में 5, नैनीताल और पौड़ी में 2-2 तथा चमोली, टिहरी तथा अल्मोड़ा में 1-1 क्षेत्र स्थापित किए गए, जिनका कुल क्षेत्रफल 1,112.84 एकड़ था। लेकिन इनमें से मात्र 10 ही विकसित हुए जबकि शेष 8 अर्द्धविकसित ही रहे।

तालिका 9.5 - राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्र

क्र.सं.	जनपद	स्थान का नाम	स्थापना वर्ष	क्षेत्रफल (एकड़)	उपयोग की स्थिति
1.	चमोली	सिमली	-	28.58	अर्द्धविकसित
2.	टिहरी-गढ़वाल	ढालवाल	-	31.75	विकसित
3.	पौड़ी-गढ़वाल	बलभद्रपुर, कोटद्वार	1984	27.25	विकसित
		जसोधरपुर, कोटद्वार	1989	81.90	अर्द्धविकसित
4.	देहरादून	महोबेवाला	-	59.00	विकसित
		सेलाकुई	-	237.00	विकसित
		लांघा रोड	-	78.85	अर्द्धविकसित
		रानी पोखरी	-	41.25	अर्द्धविकसित
		लाल तप्पड़	-	39.60	विकसित
		श्यामपुर	-	97.00	अर्द्धविकसित

5.	अल्मोड़ा	मोहान	-	49.00	अर्द्धविकसित
6.	नैनीताल	भीमताल	-	102.85	विकसित
		कानिया	-	10.00	अर्द्धविकसित
7.	ऊधमसिंहनगर	पीपलसाना	-	30.00	विकसित
		बाजपुर, साइड - 1	-	33.97	विकसित
		बाजपुर, साइड - 2	-	43.19	विकसित
		खटीमा	-	25.00	अर्द्धविकसित
		काशीपुर	-	97.25	विकसित
	पर्वतीय क्षेत्र	18	-	1112.84	

स्रोत: विकास आयुक्त, श्रीकोट (श्रीनगर - गढ़वाल)(मार्च 2000)

तालिका 9.6- 1984-85 तथा 1994-95 में कार्यरत कारखानों की स्थिति

क्र० सं०	जनपद	1984-85			1994-95		
		कार्यरत इकाई सं०	कार्यरत व्यक्ति	प्रति इकाई औसत कार्यरत व्यक्ति	कार्यरत इकाई सं०	कार्यरत व्यक्ति	प्रति औसत कार्यरत व्यक्ति
1.	टिहरी	5	190	38	7	581	83
2.	पौड़ी	9	301	33	7	997	142
3.	देहरादून	102	9979	103	35	11820	378
4.	गढ़वाल मण्डल	116	10470	90	49	13398	273
5.	अल्मोड़ा	10	682	68	6	1065	177
6.	पिथौरागढ़	4	400	100	3	201	67
7.	नैनीताल	73	12759	175	97	24015	248
8.	कुमाऊं मण्डल	87	13841	159	106	25281	238
	पर्वतीय क्षेत्र	203	24311	120	155	38679	249

स्रोत: पर्वतीय क्षेत्र की सांख्यिकीय डायरी तथा संयुक्त निदेशक उद्योग, गढ़वाल व कुमाऊं मण्डल से संकलित।

पर्वतीय क्षेत्रों में कारखाना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत वर्ष 1994-95 में कार्यरत इकाईयों के विश्लेषण से पता चलता है कि इस दौरान इन क्षेत्रों में कार्यरत इकाईयों में कमी हुई है। जबकि कार्यरत व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई और यह वृद्धि देहरादून में सर्वाधिक थी जबकि पिथौरागढ़ में रोजगार में कमी देखी गई।

9.5. उत्तराखंड स्थापना के पश्चात् से अब तक की औद्योगिक संरचना (Industrial structure before the establishment of Uttarakhand)

अलग राज्य बनने के बाद प्राकृतिक और मानव संसाधनों के बेहतर प्रयोग द्वारा उत्तराखंड ने औद्योगिक विकास की दिशा में कदम बढ़ाने की शुरुआत की है। पिछले 10 वर्षों की निवेश की स्थिति पर नजर डालें, तो उत्तराखंड निवेशकों के लिए पंसदीदा स्थान बनकर सामने आया है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2000 से अक्टूबर 2009 तक राज्य में 4.67 करोड़ डालर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हो चुका था। जिसमें सबसे ज्यादा निवेश बिजली उत्पादन तथा सेवा क्षेत्र में हुआ। कुल निवेश का 66% बिजली में 23% निर्माण तथा 11% सेवा विनिर्माण तथा सिंचाई जैसे क्षेत्रों में किया गया।

नए राज्य के गठन के बाद उत्तराखंड में निवेश व उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उत्तराखंड को 1 अप्रैल 2001 में विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। वर्ष 2002 में सिडकुल, उत्तराखंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कम्पनी लिमिटेड, उत्तराखंड उद्योग संघ की स्थापना की गई और 2003 में टैक्स हॉलीडे जैसी नीतियों के कारण राज्य में औद्योगिक विकास की रफ्तार में तेजी आई। पंतनगर, हरिद्वार, कोटद्वार, सितारगंज आदि क्षेत्र नए औद्योगिक केन्द्रों के रूप में विकसित हुए जिनका विवरण तालिका 9.7 में दिया गया है।

तालिका 9.7- उत्तराखंड के औद्योगिक एस्टेट का विवरण

क्र. सं.	औद्योगिक एस्टेट का नाम	स्थिति	क्षेत्रफल (एकड़)
1.	एकीकृत औद्योगिक एस्टेट, हरिद्वार	दिल्ली हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग से 3 किमी ⁰ तथा देहरादून से 52 किमी ⁰	2034
2.	एकीकृत औद्योगिक एस्टेट, पन्तनगर	राष्ट्रीय राजमार्ग 87 पर तथा देहरादून से 300 किमी ⁰	3339
3.	फार्मा सिटी, सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र, देहरादून	देहरादून से 25 किमी ⁰	50
4.	सिगादी विकास केन्द्र, पौड़ी	देहरादून से 120 किमी ⁰ तथा दिल्ली से 200 किमी ⁰	100
5.	एकीकृत औद्योगिक एस्टेट, सितारगंज, ऊधमसिंह नगर	दिल्ली से 300 किमी ⁰	1200
6.	आईटी पार्क, देहरादून	सहस्रधारा रोड, देहरादून	60

स्रोत: www.sidcul.com

एकीकृत औद्योगिक एस्टेट में कृषि व खाद्य प्रसंस्करण, एफएमसीजी, सूचना एवं संचार, वाहन निर्माण तथा इंजीनियरिंग आदि उद्योगों की तेजी से स्थापना हुई। एकीकृत औद्योगिक एस्टेट में उद्योग स्थापना हेतु केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा अनेक रियायतें दी जाती हैं, जैसे- 10 वर्ष तक के लिए 100% केन्द्रीय उत्पादन कर में छूट, 5 वर्ष के लिए 100% आयकर छूट और अगले 5 वर्षों के लिए 30% छूट, 5 वर्ष के लिए 1% की दर से केन्द्रीय बिक्री कर (CST) तथा पूँजी निवेश पर 15% अनुदान (अधिकतम 30 लाख रुपये तक) की व्यवस्था की गई।

आईटी पार्क देहरादून के भीतर ही 22 अगस्त 2006 को दून साइबर टावर की स्थापना की गई है। जो 3 लाख वर्ग फीट क्षेत्र में फैला हुआ है जहाँ आईटी सुविधाओं के लिए निवेशकों के अनुकूल वातावरण तैयार किया जा रहा है। जिस पर 87 करोड़ रुपये का खर्च आने की सम्भावना है। फार्मा सिटी, सेलाकुई, देहरादून में

फार्मा कम्पनियों की स्थापना प्रमुखता से हुई। जबकि हरिद्वार, पन्तनगर तथा सितारंगज (ऊधमसिंहनगर) के एकीकृत औद्योगिक एस्टेट (IIE- Integrated Industrial Estate) में अनेक राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने अपने औद्योगिक संस्थान स्थापित किए हैं।

उत्तराखण्ड गठन के समय राज्य में कार्यरत वृहद् उद्योगों की संख्या मात्र 40 थी जो फरवरी 2011 में बढ़कर 211 हो गई है, जिसमें 27,962.56 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश हो चुका है तथा 81,633 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। राज्य स्थापन के समय तथा फरवरी 2011 की स्थिति को तालिका 9.8 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 9.8 - जनपदवार कार्यरत वृहद् उद्योगों की स्थिति

क्र० सं०	जनपद	राज्य बनने से पूर्व (प्रारम्भ से 08-11-2000 तक) कार्यरत इकाइयां			राज्य बनने से अब तक (09-11-2000 से फरवरी 2011 तक) कार्यरत इकाइयां		
		संख्या	पूंजी निवेश (करोड़ ₹0)	रोजगार	संख्या	पूंजी निवेश (करोड़ ₹0)	रोजगार
1.	नैनीताल	4	1233.84	3166	4	1233.84	3166
2.	ऊधमसिंहनगर	22	1555.83	9103	116	9568.79	30054
3.	देहरादून	6	153.38	2886	12	256.44	3309
4.	पौड़ी	2	66.94	763	2	66.94	763
5.	हरिद्वार	5	1824.27	12461	76	16826.40	43381
6.	बागेश्वर	1	10.15	460	1	10.15	460
	योग	40	4844.41	28839	211	27962.56	81633

स्रोत- उत्तराखण्ड औद्योगिक विकास, प्रगति रिपोर्ट फरवरी 2011, उद्योग निदेशालय, देहरादून।

<http://www.ibef.org/download/uttarakhand-14oct-08.pdf>

तालिका 9.8 से पता चलता है कि राज्य स्थापना के समय मात्र 40 वृहद् उद्योग ही स्थापित थे जिसमें 4,844 रुपये पूंजी निवेश था जबकि राज्य स्थापना के बाद इनकी संख्या में तेजी में वृद्धि हुई और यह पाँच गुना से भी अधिक बढ़ कर 211 हो गई। इकाई स्थापना की दृष्टि से ऊधमसिंह नगर का स्थान प्रमुख रहा जबकि पूंजी निवेश तथा रोजगार उपलब्ध कराने में हरिद्वार प्रमुख रहा।

राज्य स्थापना के पश्चात् अनेक राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की इकाइयाँ उत्तराखण्ड में स्थापित हुईं जिनका विवरण तालिका 9.9 में दिया गया है।

तालिका 9.9 - उत्तराखण्ड में स्थापित औद्योगिक इकाइयों का विवरण

क्र. सं.	उद्योग	संस्थान का नाम	स्थापना वर्ष	स्थान
1.	कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2005	IIE पन्तनगर
		नेस्ले इंडिया लिमिटेड	2006	IIE पन्तनगर

		पेप्सीको	1997	बाजपुर, उधमसिंहनगर
		केएलए इण्डिया पब्लिक लि0	1977	रूद्रपुर, उधमसिंहनगर
2.	एफएमसीजी उद्योग	आईटीसी लि0	2007	IIE हरिद्वार
		केविन केयर प्रा0लि0	2006	IIE हरिद्वार
		हिन्दुस्तान यूनी लिवर लि0	2004	IIE हरिद्वार
		डाबर इण्डिया लि0	2001	IIE पन्तनगर
3.	सूचना एवं संचार उद्योग	एच0सी0एल0 एंफोसिस्टम	-	रूद्रपुर
		विप्रो इंफोटेक	-	कोटद्वार
		हिल्ट्रॉन	-	देहरादून
		सिमकॉम सॉल्यूशन्स	2000	देहरादून
4.	इंजीनियरिंग उद्योग	भेल	1962	हरिद्वार
		सूर्या	1984	काशीपुर नैनीताल
		एल एण्ड टी	-	हरिद्वार
		हैवल्स इण्डिया लि0	-	IIE हरिद्वार
		पोलर इंडस्ट्रीज लि0	-	IIE हरिद्वार
5.	वाहन निर्माण उद्योग	हीरो होडा,	2008	हरिद्वार
		टाटा मोटर्स	2007	IIE पन्तनगर
		अशोक लीलैण्ड	2010	पन्तनगर
		महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा	2006	IIE हरिद्वार
6.	अन्य उद्योग	एटलस साईकिल लि0	-	हरिद्वार
		एल0जी0 इलैक्ट्रॉनिक्स		सेलाकुई, देहरादून
		सेंचूरी टैक्सटाइल एण्ड इंडस्ट्रीज	1984	लालकुआं नैनीताल
		यूरेका फॉबर्स	1982	भीमताल, नैनीताल

स्रोत: <http://www.ibef.org/download/uttarakhand-14oct-08.pdf>

इस प्रकार हम देखते हैं कि एकीकृत औद्योगिक क्षेत्र हरिद्वार तथा उधमसिंह नगर जिला का पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र निवेशकों का प्रमुख स्थान बनता जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा एग्रो पार्क व खाद्य पार्क बनाने के लिए सहायता प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार ने प्रदेश में सूचना एवं संचार तकनीक को बढ़ावा देने के

लिए इसे उद्योग का दर्जा दिया है। भीमताल में एक आईटी इक्यूवेशन सेंटर विकसित किया जा रहा है। पंतनगर और रूड़की में भी आईटी पार्क विकसित किए जाने की योजना है। देहरादून में विश्व में पहले माईक्रोसॉफ्ट आईटी अकादमी की स्थापना की गई है।

इस प्रकार राज्य का औद्योगिक ढाँचा तीव्र गति से बदलाव के दौर से गुजर रहा है। राज्य में समुचित औद्योगिक वातावरण का विकास हो रहा है, साथ ही अन्य सुविधाओं जैसे, सस्ती बिजली, करो में छूट, सस्ते श्रम आदि के कारण अन्य निवेशक भी उत्तराखण्ड में निवेश हेतु प्रयास कर रहे हैं। जो प्रदेश की औद्योगिक संरचना के निर्माण में निर्णायक भूमिका अदा करेंगे।

9.6 अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए -

1. घराट को सम्पत्ति माना जाता है?
2. जिस घास से कागज बनाया जाता था उसे गढ़वाल में तथा कुमाऊं में कहते थे?
3. लीसा के पेड़ों से प्राप्त होता है?
4. नदी से सोना धोकर निकाला जाता था?

9.7 सारांश (Summary)

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप यह जान चुके हैं, औद्योगिक संरचना से अभिप्राय उद्योगों के स्वरूप और ढाँचे से लगाया जाता है जो किसी समय एक देश या राज्य में विद्यमान है। उत्तराखण्ड के अस्तित्व में आने से पूर्व इसके औद्योगिक स्वरूप में परम्परागत, लघु व मध्यम उद्योगों की प्रमुखता थी और राज्य में कुछ मैदानी क्षेत्रों में ही कुछ वृहद् उद्योग कार्यरत थे। उत्तराखण्ड स्थापना से पूर्व की औद्योगिक संरचना में मुख्य रूप से कृषि, वन तथा स्थानीय कच्चेमाल पर आधारित उद्योगों जैसे- घराट उद्योग, चमड़ा व जूता उद्योग, काष्ठकला उद्योग, हस्त निर्मित कागज उद्योग, रेशा उद्योग, रिंगाल बर्तन उद्योग, मधुमक्खी पालन, जड़ी-बूटी आधारित उद्योग, लौहारगिर, लीसा उद्योग, स्वर्णकारी उद्योग तथा मध्यम उद्योगों की ही प्रमुखता थी। पर्वतीय क्षेत्रों में यद्यपि अनेक औद्योगिक आस्थानों व क्षेत्रों की स्थापना की गई, लेकिन इसमें से अधिकांश अर्द्धविकसित, अविकसित तथा अनुपयोगी ही रहे, जिससे विकास की गति धीमी हो रही।

उत्तराखण्ड स्थापना के पश्चात् राज्य में सिडकुल, उत्तराखण्ड उद्योग संघ, तथा टैक्स हॉलीडे की नीतियों के कारण तेजी से नए-नए औद्योगिक संस्थानों की स्थापना हुई। एकीकृत औद्योगिक एस्टेट पन्तनगर, हरिद्वार, सितारगंज में बड़ी संख्या में राष्ट्रीय तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने अपनी इकाईयां स्थापित की और स्थापना के समय वृहद् उद्योगों की कुल संख्या मात्र 40 थी, जो फरवरी 2011 में बढ़कर 211 हो गई। राज्य स्थापना के बाद ब्रिटानिया, नेस्ले, आईटीसी, हिन्दुस्तान यूनीलीवर, डाबर इण्डिया, हीरो हांडा, टाटा मोटर्स, महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा, अशोक लीलैण्ड, एटलस साइकिल्स, एलजी इलैक्ट्रानिक्स, एससीएल, विप्रो इंफोटेक, हिल्ट्रान तथा केविन केयर जैसी अनेक कम्पनियों ने अपने संस्थान उत्तराखण्ड में स्थापित किए। जिससे राज्य का औद्योगिक स्वरूप ही परिवर्तित होता जा रहा है। अब राज्य तीव्र गति से विकास के पथ पर बढ़ रहा है।

9.8 शब्दावली (Glossary)

- पलायन - काम की तलाश में अपने गांव या शहर को छोड़ कर दूसरे स्थान पर जाना।
- पैतृक सम्पत्ति - दादा या पिता की सम्पत्ति।
- ऋणात्मक वृद्धि दर - ऐसी वृद्धि दर जो कमी को दर्शाती है।

- औद्योगिक अस्थान - ऐसे स्थान या क्षेत्र जो औद्योगिक विकास तथा संस्थान की स्थापना हेतु सभी सुविधायें उपलब्ध कराते हो।
- टैक्स हॉलीडे - टैक्स अर्थात कर में कुछ समय के लिए छूट।
- वृहद् - बड़ा या बड़े।

9.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answer for Practice Question)

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए -

- | | |
|-----------------------|---|
| (1) पैतृक सम्पत्ति | (2) गढ़वाल में सतपूड़ा या सतबडुआ और कुमाऊं में बडुआ |
| (3) चीड़ के पेड़ों से | (4) आकनन्दा नदी |

9.10 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची (Reference/Bibliography)

- Bisht, Major D.S. (2008); 'Uttarakhand Today', Trishul Publication, Dehradun page no. 132-142.
- Mehta, G.S. (1999); 'Development of Uttarakhand: Issues and Perspectives'; APH Publishing Corporation, New Delhi. page no. 70-773.
- मामोरिया, डॉ० चतुर्भुज एवं डॉ० एस०सी० जैन, (1995), 'भारतीय अर्थशास्त्र', साहित्य भवन प्रकाशक, आगरा, पृष्ठ सं० 1968
- बिष्ट, डॉ० नारायण सिंह; (2003), 'उत्तरांचल हिमालयी राज्य: पर्वतीय क्षेत्र में औद्योगिकरण', डॉ० नारायण संस्थान, शोध नियोजन एवं विकास, गोपेश्वर, चमोली।
- उत्तराखंड उदय, उत्तराखंड दशक 2000-2010 (नवम्बर 2010) अमर उजाला पब्लिकेशनस लिमिटेड, नोएडा।

9.11 सहायक/उपयोग पाठ्य सामग्री(Useful/Helpful Text)

- उत्तराखंड का औद्योगिक विकास, प्रगति रिपोर्ट फरवरी 2011, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
- http://www.duiuk.org/pdfs/heavy_directory.pdf.
- http://www.ibef.org/Uttarakhand_190111.pdf.
- http://www.uttaranchalbiz.com/why_uttarakhand/key-investors.
- http://www.Uttaranchal_biz.com/industrial-estates.
- http://www.ibef.org/download/Uttarakhand_14oct_08.pdf.

9.12 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

1. औद्योगिक संरचना से क्या अभिप्राय हैं ? उत्तराखंड की औद्योगिक संरचना पर प्रकाश डालिए।
2. उत्तराखंड स्थापना में पूर्व में कार्यरत उद्योगों का संक्षिप्त विवरण दीजिए।
3. उत्तराखंड गठन के बाद की औद्योगिक संरचना की व्याख्या कीजिए।

इकाई-10 लघु एवं ग्रामोद्योग का विकास और प्रमुख समस्याएँ (Development of Small & Village Industries and Major Problems)

- 10.1 प्रस्तावना (Introduction)
- 10.2 उद्देश्य (Objective)
- 10.3 ग्रामोद्योग का अर्थ (Meaning of Village Industries)
- 14.3 उत्तराखण्ड में ग्रामोद्योग का विकास (Development of Village Industries in Uttarakhand)
- 10.5 उत्तराखण्ड में ग्रामोद्योग की प्रमुख समस्याएँ (Major Problems of Village Industries in Uttarakhand)
- 10.6 लघु उद्योग का अर्थ (Meaning of Small Scale Industries)
- 10.7 उत्तराखण्ड में लघु उद्योग का विकास (Development of Small Scale Industries in Uttarakhand)
- 10.8 लघु उद्योग की प्रमुख समस्याएँ (Major Problems of Small Scale Industries)
- 10.9 अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)
- 10.10 सारांश (Summary)
- 10.11 शब्दावली (Glossary)
- 10.12 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answer for Practice Questions)
- 10.13 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची (Reference/Bibliography)
- 10.14 सहायक/उपयोग पाठ्य सामग्री (Useful/Helpful Text)
- 10.15 निबंधात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

10.1 प्रस्तावना (Introduction)

उत्तराखंड का औद्योगिक विकास से सम्बन्धित पूर्व इकाई में आप उत्तराखंड राज्य की औद्योगिक संरचना को समझ गए हैं कि राज्य की औद्योगिक संरचना में पारिवारिक, ग्रामीण, लघु, मध्यम तथा वृहद्ध उद्योगों की स्थिति कैसी है?

प्रस्तुत इकाई में उत्तराखंड राज्य में कार्यरत ग्रामोद्योग व लघु उद्योग की विकास प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी जाएगी तथा इन उद्योगों के विकास की प्रमुख समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। इसके अध्ययन से आप ग्रामोद्योग व लघु उद्योगों के विकास तथा उनकी प्रमुख समस्याओं से अवगत हो जाएंगे।

10.2 उद्देश्य (Objective)

इस इकाई के अध्ययन से आप -

- ✓ यह समझ सकेंगे कि लघु व ग्रामोद्योग से क्या तात्पर्य है?
- ✓ उत्तराखंड राज्य में ग्रामोद्योगों के विकास की स्थिति को समझ सकेंगे।
- ✓ उत्तराखंड राज्य में लघु उद्योग की विकास प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हो जाएंगे।
- ✓ ग्रामोद्योग व लघु उद्योगों के विकास में आ रही समस्याओं से अवगत हो जाएंगे।

10.3 ग्रामोद्योग का अर्थ (Meaning of Village Industries)

खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा 4 जनवरी 1990 को ग्रामीण उद्योग को निम्न परिभाषा के आधार पर मान्यता दी गई- “ग्रामीण उद्योग का अभिप्राय किसी ऐसे उद्योग से है जो ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हो और जिसकी जनसंख्या 10 हजार अथवा ऐसी किसी संख्या से अधिक न हो तथा जो कोई उद्योग बिना शक्ति की सहायता के अथवा शक्ति के प्रयोग में वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति करता है और जिस उद्योग में स्थायी पूंजी निवेश प्लांट, मशीनरी तथा भूमि व भवन में 15 हजार रुपये प्रति कारीगर से अधिक न हो।” ग्रामोद्योग ग्रामीण क्षेत्र में स्थित कोई भी उद्योग जो वस्तुओं का उत्पादन करता है या सेवा प्रदान करता है जिसमें एक कारीगर या श्रमिक का प्रति व्यक्ति निवेश मैदानी क्षेत्र में 1.00 लाख रुपये और पहाड़ी क्षेत्र में 1.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होता है। इस परिभाषा के अनुसार किसी ग्रामीण उद्योग में तीन विशेषताओं का होना आवश्यक समझा गया है। एक वह उद्योग गाँव में स्थित हो और उस गाँव की जनसंख्या 10 हजार से अधिक न हो। दूसरे उस उद्योग में यांत्रिक शक्ति या विद्युत प्रयोग हो रहा है या नहीं। तीसरा इस उद्योग के प्लांट, मशीनरी, भवन व भूमि में स्थायी पूंजी निवेश 15 हजार रुपये से अधिक न हो।

खादी ग्रामोद्योग के ज्ञापन 1996 में ग्रामीण क्षेत्र को स्पष्ट करते हुए कहा गया कि “ग्रामीण क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है, जिसमें गाँव अथवा नगरीय क्षेत्र सम्मिलित हो जिसकी जनसंख्या 20 हजार से ज्यादा न हो।” खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा दी गई इन कार्यकारी परिभाषा ने ग्रामोद्योग व लघु उद्योगों को उलझा दिया है। सामान्यता ग्रामीण उद्योगों तथा कुटीर उद्योगों को समानार्थी माना जाता है। कुटीर उद्योग स्पष्टतः किसी कारीगर द्वारा अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से घर से ही चलाये जाने वाला उद्योग है। क्योंकि इस उद्योग में घर के मुखिया के अतिरिक्त परिवार के सदस्य भी उत्पादन कार्य में सहयोग करते हैं, इसलिए इसे पारिवारिक उद्योग के नाम से भी जाना जाता है।

वर्तमान समय में ग्रामोद्योग का तात्पर्य यह है कि जो उद्योग नगर निगम/नगर पंचायत क्षेत्र के बाहर ग्रामीण क्षेत्र में हो तथा जहाँ की आबादी 20 हजार से अधिक न हो वहाँ स्थापित हो, जिसके उत्पादन व सेवा कार्य करने में विद्युत का प्रयोग हो अथवा न हो एवं 50 हजार रुपये प्रति व्यक्ति पूंजी विनियोग से अधिक न हो ऐसी इकाईयों को ग्रामोद्योग माना जाएगा। भारतीय केन्द्रीय बैंकिंग जांच समिति को रिपोर्ट के अनुसार “कुटीर उद्योग वह है, जो ग्रामीण क्षेत्र में पाये जाते हैं। जिनको ग्रामीण या घरेलू उद्योगों के नाम से पुकारा जा सकता है

और कृषकों के सहायक व्यवसाय प्रदान करता है।" इस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में विद्यमान कुटीर व पारिवारिक उद्योगों को ही ग्रामीण उद्योग की श्रेणी में रखा जाता है।

ग्रामोद्योगों को मुख्य रूप से 7 समूहों में बांटा गया है -

- | | |
|---|-----------------------------------|
| (1) खनिज आधारित उद्योग | (2) वन आधारित उद्योग |
| (3) कृषि आधारित और खाद्य उद्योग | (4) बहुलक और रसायन आधारित उद्योग |
| (5) इंजीनियरिंग और गैर परम्परागत ऊर्जा, | (6) वस्त्रोद्योग (खादी को छोड़कर) |
| (7) सेवा उद्योग। | |

10.4 उत्तराखंड में ग्रामोद्योग का विकास (Development of Village Industries in Uttarakhand)

उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है और कृषि की परम्परागत व्यवस्था के कारण किसानों में छिपी बेरोजगारी, अर्द्ध बेरोजगारी व मौसमी बेरोजगारी बड़ी मात्रा में पाई जाती है। इसलिए ऐसे क्षेत्र में ग्रामीण कुटीर उद्योगों की स्थापना होना स्वभाविक है। उत्तराखंड के पुराने उद्योगों पर दृष्टि डाले तो पता चलता है कि अल्मोड़ा का तांबा-पीतल उद्योग, पिथौरागढ़ का कालीन, श्रीनगर गढ़वाल का तांबा लोहा उद्योग इस क्षेत्र के लिए आय व रोजगार के आधार रहे हैं। इसके अतिरिक्त कृषि आधारित उद्योग जैसे- घराट, हाथ तेल पिराई, भांग वस्त्र निर्माण, पशु आधारित उद्योग जैसे- ऊन, चमड़ा, उद्योग, वन आधारित उद्योग जैसे- हस्त निर्मित कागज, काष्ठ कला, रेशा उद्योग, रिगांल बर्तन, मधुमक्खी पालन आदि भी ग्रामीण क्षेत्र में विकसित हुए।

उत्तराखंड राज्य की ग्रामीण उद्योगों की वास्तविक स्थिति के विश्लेषण हेतु कोई विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि राज्य स्थापना से पहले इस क्षेत्र का विधिवत आर्थिक सर्वेक्षण नहीं किया गया। इसलिए इन उद्योगों की स्थिति तथा विकास का विश्लेषण जनगणना के आंकड़ों के आधार पर किया जाता रहा है। जिसमें उत्तराखंड राज्य के सभी जनपदों के आंकड़े नहीं हैं क्योंकि उस समय उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में नहीं आया था और जो आंकड़े हैं उसमें मुख्य रूप से प्रमुख पर्वतीय जिले ही सम्मिलित हैं।

तालिका (10.1) में 1971 से 1991 की जनगणना के आधार पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण (पारिवारिक) उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों को आधार बनाकर उनकी स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है।

तालिका (10.1) ग्रामोद्योग या पारिवारिक उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों का विवरण (मुख्य कर्मचारियों से प्रतिशत में)

क्र०सं०	जनपद	1971	1981	1991
1	उत्तरकाशी	0.73	1.08	1.71
2	चमोली	1.71	1.70	1.16
3	टिहरी	1.09	0.60	0.30
4	पौड़ी	0.83	0.71	0.50
5	देहरादून	2.47	1.20	0.86
6	गढ़वाल मण्डल	1.37	1.18	0.71
7	अल्मोड़ा	1.20	1.99	0.71

8	पिथौरागढ़	1.70	1.80	1.62
9	नैनीताल	2.05	1.90	0.94
10	कुमाऊं मण्डल	1.65	1.60	1.02
11	पर्वतीय क्षेत्र	1.47	1.60	0.86

स्रोत - जनगणना रिपोर्ट

तालिका से स्पष्ट है कि गढ़वाल मण्डल में 1971-91 के दौरान इन उद्योगों में कुमाऊं मण्डल की तुलना में अधिक कमी आई है। यद्यपि गढ़वाल मण्डल के उत्तरकाशी जिले में 1971 से 1991 के दौरान इन उद्योगों में तेजी से विकास हुआ और इनमें कार्यरत लोगों की संख्या बढ़ी। लेकिन टिहरी गढ़वाल में इन उद्योगों में कार्यरत लोगों में तेजी से कमी देखी गई। इसी प्रकार कुमाऊं मण्डल में भी यद्यपि इन उद्योगों के विकास में कमी आई, किन्तु नैनीताल में यह गिरावट सर्वाधिक थी लेकिन वह भी टिहरी-गढ़वाल से कम ही थी। इस प्रकार पर्वतीय क्षेत्र में 1971 से 1991 के दौरान कुल मिलाकर ग्रामीण उद्योगों में कार्यरत कारीगरों की संख्या लगभग स्थिर रही।

तालिका (10.2) ग्रामोद्योग या पारिवारिक उद्योग की इकाइयों की संख्या

क्र.सं.	जनपद	1989 - 90		1993 - 94		1989 से 94 तक % वृद्धि दर
		इकाइयों की संख्या	इकाइयों की संख्या % में	इकाइयों की संख्या	इकाइयों की संख्या % में	
1	देहरादून	3064	15.6	3456	14.2	12.8
2	पौड़ी	1036	5.3	2027	8.3	95.6
3	टिहरी	1210	6.2	1597	6.5	31.9
4	चमोली	1973	10.0	2379	9.7	20.6
5	उत्तरकाशी	1627	8.3	2017	8.3	23.9
6	नैनीताल	3781	19.3	4412	18.0	16.7
7	अल्मोड़ा	4437	22.6	5556	22.8	25.2
8	पिथौरागढ़	2495	12.7	2972	12.2	19.12
9	उत्तराखण्ड	19623	100.0	24416	100.0	24.4

स्रोत: उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास, प्रगति, रिपोर्ट, उद्योग निदेशालय, कानपुर, 1991-96

तालिका 10.2 के अनुसार, पारिवारिक इकाइयों की सर्वाधिक संख्या अल्मोड़ा जनपद में रही, जबकि देहरादून में स्थित सन्तोषजनक नहीं कही जा सकती। वर्ष 1989-90 से 1993-94 के दौरान इकाइयों में सर्वाधिक वृद्धि पौड़ी में देखी गई, जहाँ इस दौरान वृद्धि दर 95.6 प्रतिशत थी जबकि अल्मोड़ा में 25.2 प्रतिशत थी। जो उत्तराखण्ड की 24.4 प्रतिशत की वृद्धि दर से अधिक थी। यदि इकाइयों की संख्या की दृष्टि से भी देखे तो अल्मोड़ा में 1989-90 में 4,437 इकाइयां थी, जो 1993-94 में 5,556 हो गई थी। वहीं देहरादून में यह क्रमशः 3,064 तथा 3,456 ही रही और उत्तराखण्ड में 19,623 तथा 24,416 थी।

तालिका (10.3) ग्रामोद्योग या पारिवारिक उद्योग में रोजगार स्थिति

क्र.सं.	जनपद	1989 - 90		1993 - 94		1989 से 94 तक % रोजगार वृद्धि दर
		कार्यरत कारीगर	कार्यरत कारीगर का %	कार्यरत कारीगर	कार्यरत कारीगर का %	
1	देहरादून	6128	15.8	6677	15.3	8.9
2	पौड़ी	2072	5.4	3063	7.0	47.8
3	टिहरी	2410	6.2	2797	6.4	16.1
4	चमोली	3946	10.2	4352	9.9	10.3
5	उत्तरकाशी	3254	8.4	3684	8.4	13.2
6	नैनीताल	7562	19.5	8193	18.7	8.3
7	अल्मोड़ा	8874	22.9	9993	22.9	12.6
8	पिथौरागढ़	4490	11.6	4967	11.4	10.6
9	उत्तराखंड	39736	100	43726	100	12.9

स्रोत: उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास, प्रगति, रिपोर्ट, उद्योग निदेशालय, कानपुर, 1991-96

यदि रोजगार की दृष्टि से इन उद्योगों की स्थिति देखी जाए तो वह भी सन्तोष जनक नहीं कही जा सकती क्योंकि अल्मोड़ा जो इकाई स्थापना में सबसे आगे रहा, वहां भी रोजगार वृद्धि दर वर्ष 1989-94 के दौरान मात्र 12.6 प्रतिशत रही। वही पौड़ी में रोजगार वृद्धि दर सर्वाधिक 47.8 प्रतिशत रही जो उत्तराखंड की वृद्धि दर 12.9 से लगभग साढ़े तीन गुना अधिक थी।

उत्तराखंड स्थापना के बाद प्रदेश में सरकार द्वारा ग्रामोद्योग के विकास हेतु अनेक प्रयास किए गए 2004 में प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग की स्थिति को तालिका 10.4 में प्रदर्शित किया गया है। जिसके अनुसार कुल कार्यरत इकाइयों में सर्वाधिक जनपद देहरादून में स्थित थी। उसके बाद पिथौरागढ़ का स्थान था और अल्मोड़ा, पौड़ी व हरिद्वार की स्थिति लगभग समान थी। लेकिन उत्तरकाशी में कोई इकाई कार्यरत नहीं थी यह एक विचारणीय विषय है। अगर रोजगार की दृष्टि से देखे तो देहरादून की स्थिति और भी अधिक अच्छी कही जा सकती है क्योंकि जनपद में कुल कार्यरत कर्मचारियों का लगभग 40 प्रतिशत कार्यरत थे। लेकिन उत्तरकाशी, नैनीताल, बागेश्वर व रुद्रप्रयाग की स्थिति चिन्ताजनक कही जा सकती है क्योंकि यहां ग्रामोद्योग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का मात्र 2 प्रतिशत थी।

तालिका (10.4) 2004 में उत्तराखंड के जिलों में खादी ग्रामोद्योग की स्थिति

क्र० सं०	जनपद	खादी ग्रामोद्योग की इकाइयाँ		खादी ग्रामोद्योग में कार्यरत कर्मचारी	
		संख्या में	प्रतिशत में	संख्या में	प्रतिशत में
1.	अल्मोड़ा	1608	13.7	2154	9.8
2.	बागेश्वर	47	0.4	104	0.5
3.	चमोली	1299	11.	1305	6.0
4.	चम्पावत	190	1.6	400	1.8
5.	पौड़ी गढवाल	1523	13.0	1759	8.0

6.	पिथौरागढ़	1689	14.4	2637	12.0
7.	रूद्रप्रयाग	72	0.6	143	0.7
8.	टिहरी गढ़वाल	1129	9.6	2162	9.9
9.	उत्तरकाशी	-	-	-	-
10.	देहरादून	2529	21.5	8651	39.5
11.	हरिद्वार	1608	13.6	2154	9.8
12.	नैनीताल	18	0.2	80	0.4
13.	ऊधम सिंह नगर	14	0.4	375	1.6
	उत्तराखण्ड	11726	100	21924	100

स्रोत - ICRER Working Paper No. 217 (July, 2008)

10.5 ग्रामोद्योग की प्रमुख समस्याएँ (Major Problems of Village Industries)

गांधी जी ने कहा था कि भारत की प्रगति ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों के विकास में निहित है। आज के आधुनिक तकनीक के युग में इन उद्योगों का महत्व और भी बढ़ गया है क्योंकि पूंजीवाद के कारण श्रम प्रतिस्थापन की तकनीक ने श्रम बाजार में बेकारी फैला दी है। ऐसे में कृषि के साथ चलने वाले इन उद्योगों का महत्व और बढ़ा है। लेकिन आर्थिक विकास के इस युग में विभिन्न उद्योगों को कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखण्ड के ग्रामीण व कुटीर उद्योग भी इससे अछूते नहीं हैं। पिछले दो दशकों में इन उद्योगों में हतासमान गति रही है। जो एक विचारणीय तथ्य है क्योंकि ये उद्योग स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ बेरोजगारी को रोकने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किन्तु वर्तमान वैश्वीकरण के युग में इनको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिनमें से प्रमुख समस्याएँ इस प्रकार हैं:-

10.5.1 कच्चे माल की समस्या:- ये उद्योग कृषि व वन आधारित कच्चेमाल पर निर्भर करते हैं। जैसे काष्ठ कला उद्योग- लकड़ी पर, लीसा उद्योग चीड़ के वन पर, अगरबत्ती व धूप निर्माण भी वनों पर तथा जड़ी बूटी खनन भी वनों पर आधारित है। काष्ठ उद्योग का मुख्य कच्चा माल लकड़ी है, लेकिन वर्तमान वन नीति के अन्तर्गत वन वृक्षों का कटान कार्य वन विभाग द्वारा किया जाता है और उनका भण्डारण पर्वतीय क्षेत्र से दूर रायवाला (देहरादून) कोटद्वार, टनकपुर व काठगोदाम के लकड़ी डिपो में किया जा रहा है। जिससे यातायात व्यय की अधिकता से कारीगरों को दुगने मूल्य पर लकड़ी मिलती है, जिसके परिणाम स्वरूप जोशीमठ, गोपेश्वर, उत्तरकाशी, नई टिहरी, चकराता, पिथौरागढ़ तथा रानीखेत जैसे दूरस्थ क्षेत्रों की काष्ठकला उद्योग इकाई बन्द हो गई है।

अगरबत्ती तथा धूतबत्ती निर्माण उद्योग में उपयोग होने वाले सुगन्धित पौधे जैसे- देवदार, सुराई की पत्ती, कुटज, समोया, जटामालसी आदि जड़ी-बूटी तथा खनन पर भी वन विभाग ने जिला भेषज संघों को एकाधिकार दे दिया है। जो कच्चे मालों के उपयोग में बाधा बने हुए है।

लीसा उद्योग पर्वतीय क्षेत्र में प्रमुख रोजगार सृजन उद्योग है। लीसा से पेंट-वार्निश तथा तारीपन का तेल जैसे उत्पादन बनते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य उत्पादन बनाने की तकनीक विकसित नहीं की गई। साथ ही दूरस्थ लीसा डिपो की स्थापना के कारण कच्चेमाल की नियमित व निरन्तर प्राप्ति में अनेक बाधाएँ हैं।

रिंगाल उद्योग का कच्चा माल रिंगाल है। रिंगाल की बाहरी क्षेत्र में अवैध बिक्री के कारण कच्चेमाल में कमी आती जा रही है। साथ ही कारीगरों के निर्मित माल को केवल ग्रामीण व स्थानीय क्षेत्र में ही बिक्री का

अधिकार दिया गया है, किन्तु बाह्य क्षेत्र में बिक्री पर प्रतिबन्ध है। ग्रामीण कारीगरों को रिगांल के परमिट दिये जाने की व्यवस्था नहीं है।

ऊन उत्पादन उद्योग भी भेड़ पालन तक की सीमित है, क्योंकि ऊन भण्डारण, धुलाई, कार्डिंग व गुणवत्ता निर्धारण की समुचित व्यवस्था न होने के कारण कालीन व शॉल उद्योग को कच्चेमाल (तागें) के लिए उद्योगों पर निर्भर रहना पड़ता है।

10.5.2 वित्तीय साधनों का अभाव:- ग्रामीण क्षेत्र में यद्यपि सहकारी व राष्ट्रीयकृत बैंकों की अनेक शाखाएँ स्थापित हो चुकी है। लेकिन जटिल ऋण प्रक्रिया व जमानत की कमी के कारण ग्रामीण इनका समुचित लाभ नहीं उठा पाते। बैंक भी किसी प्रकार का जोखिम नहीं उठाना चाहते क्योंकि अधिकांश ग्रामीण कारीगर भूमिहीन है और उनके मकान भी पत्थर के है। जिन्हें बैंक जमानत के रूप में स्वीकार नहीं करता। इसलिए इन कारीगरों को ऊँची ब्याज दर पर अन्य स्रोत से ही पूँजी प्राप्त करनी पड़ती है।

10.5.3 परम्परागत उत्पादन तकनीक:-सबसे बड़ी समस्या कारीगरों द्वारा उपयोग की जाने वाली पिछड़ी उत्पादन तकनीक है, जिससे कम उत्पादन, कम उत्पादकता, कम अधिक्य तथा कम आय का कुचक्र चलता रहता है। जो इन उद्योगों के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। परम्परागत तकनीकी को अपनाने का प्रमुख कारण जानकारी का अभाव व विद्युत शक्ति की उचित व्यवस्था न होना आदि है।

मौन पालन में प्रशिक्षण की व्यवस्था न होना तथा मार्गदर्शन न दिया जाना। मौन बक्सों की अनुपलब्धता तथा सम्बन्धित संयंत्रों व औजारों की कमी मुख्य समस्या है। चूना उद्योग वन विभाग की नीतियों के कारण मृत होता जा रहा है क्योंकि ईंधन के लिए लकड़ी प्रयोग पर प्रतिबन्ध लग गया है अन्य कोई उचित व्यवस्था अभी उपलब्ध नहीं है। रेशा उद्योग में यंत्रिकरण की समस्या वर्षों से बनी हुई है। रामबांस से रेशा निकालने व रेशे से रस्सी, आदि बनाने में मशीनों का सीमित उपयोग ही हो रहा है। साथ ही भांग, जंगली कण्डाली, बाबड तथा भेंकल के रेशों को भी पुरानी तकनीक द्वारा ही निकाला जा रहा है। जिस कारण ऊँची लागत व कम उत्पादन की समस्या से ये उद्योग जूझ रहे हैं।

10.5.4 उत्पादित माल की बिक्री की समस्या:-उत्तराखंड के ग्रामीण उद्योगों की प्रमुख समस्या उत्पादित माल की उचित बिक्री की है, क्योंकि राज्य के ग्रामीण उद्योग दूरस्थ व पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित है जहाँ से अन्य स्थानों पर निर्मित माल को पहुँचाना आसान नहीं है, क्योंकि इससे यातायात लागत के कारण वस्तु का मूल्य ऊँचा हो जाता है और गुणवत्ता, डिजाइन, बाजार मांग व प्रतियोगिता के कारण वस्तु बिक्री में कठिनाई आती है। जिससे समय पर धन प्राप्ति न होने के कारण कारीगर ऋण लेकर अपना गुजारा करने को मजबूर होते हैं और एक बार ऋण जाल में फंसने के कारण उद्योग का विकास भी प्रभावित होता है।

10.5.5 यातायात की समस्या:- राज्य के अधिकांश ग्रामोद्योग दूरस्थ पर्वतीय गांव में है जहाँ यातायात की उचित सुविधाओं का अभाव है। जिससे कच्चेमाल व तैयार माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने में कारीगरों को अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है और समय पर माल की आपूर्ति न होने पर आगे के व्यवसाय पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यद्यपि राज्य स्थापना के बाद इस ओर अनेक प्रयास किए गए हैं। परन्तु अभी भी ओर विकास की आवश्यकता है।

10.5.6 अंवाछित करारोपण की समस्या:-ग्रामोद्योग के कच्चेमाल, तैयार माल, मशीनों पर स्थानीय करों के लगने से उत्पादित वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है। जिससे प्रतियोगिता में अन्य उद्योग की तुलना में ग्रामोद्योग के उत्पाद मंहगे होने के कारण नकार दिये जाते हैं। जैसे उत्तराखंड बनने से पहले हरिद्वार, देहरादून के आसपास तथा ऊधमसिंह नगर व नैनीताल के ग्रामीण क्षेत्र के उद्योग सहारनपुर तथा मुरादाबाद से कच्चा माल मंगाते थे, परन्तु अलग राज्य बनने के बाद करो की मार के कारण अब इस क्षेत्र के ग्रामोद्योग बन्दी की कगार पर है।

10.5.7 सूचना व परामर्श का अभाव:-पर्वतीय क्षेत्र में संचार व यातायात सुविधाओं के अभाव के कारण इन क्षेत्रों में ग्रामोद्योग विकास की योजनाओं की जानकारी का अभाव है। साथ ही प्रशिक्षण व परामर्शदाता को जनपदों में रहने के कारण उद्योगों को कठिनाई के समय उचित मार्गदर्शन भी नहीं मिल पाता, जिससे उद्योग हानि उठाते हुए बन्दी की कगार पर पहुँच जाते हैं।

यदि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना है तो ग्रामीण उद्योग के विकास की बाधाओं को दूर करना होगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के साथ-साथ ग्रामीण युवाओं के लिए स्थानीय रोजगार की प्राप्ति हो और युवकों के पलायन में कमी आये। यद्यपि उत्तराखंड बनने के बाद इस दिशा में सरकार द्वारा समय-समय पर अनेक नीतियों व अनुदानों की घोषणा की गई है परन्तु उनका परिणाम सामने आने में अभी समय लगेगा।

10.6 लघु उद्योग का अर्थ (Meaning of Small Scale Industry)

लघु उद्योगों की परिभाषा में निवेश, समय तथा तकनीकी परिवर्तनों के अनुसार निरन्तर सुधार किए गए हैं, जिससे लघु उद्योगों के विकास में कोई कठिनाई न हो। स्वतन्त्र भारत में पहले प्रशुल्क आयोग ने अपनी 1950 की रिपोर्ट में कुटीर उद्योग तथा लघु उद्योग को पृथक रूप से परिभाषित करने की पहल की गई थी रिपोर्ट के अनुसार “लघु स्तरीय उद्योग वे हैं जो साधारणतया अपने कारीगरों को पूर्णकालिक व्यवसाय देते हैं और नगरीय अथवा उपनगरीय क्षेत्रों में स्थित हैं।” द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956) प्रारूप में लघु उद्योग की कार्यकारी परिभाषा इस प्रकार दी गई, “लघु स्तरीय उद्योग बोर्ड द्वारा एक कार्यकारी परिभाषा अपनाई गई, जिसके अन्तर्गत उन समस्त इकाइयों अथवा प्रतिष्ठानों को लघु स्तरीय उद्योगों की परिधि में लाया गया, जिसमें 5 लाख रुपये से कम पूँजी निवेश और विद्युत शक्ति का प्रयोग कर 50 से कम व्यक्तियों को रोजगार दिया जा रहा है।”

लघु स्तरीय उद्योग की इस कार्यकारी परिभाषा में 1975 में उल्लेखनीय परिवर्तन सामने आया और इसे अति लघु उद्योग जिनकी पूँजी निवेश सीमा एक लाख में कम हो, लघु उद्योग जिनकी पूँजी निवेश सीमा 10 लाख से कम हो और सहायक या मध्यम उद्योग जिनकी पूँजी निवेश सीमा 15 लाख से कम हो, के आधार पर वर्गीकरण किया गया। इनकी निवेश सीमा में समय-समय पर परिवर्तन होता रहा। वर्तमान में सूक्ष्म (अति लघु) उद्योग, लघु उद्योग तथा मध्यम (सहायक) उद्योग से अभिप्राय ऐसे उद्योग से है, जो सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की मई 2020 की नई संशोधित परिभाषा अन्तर्गत आते हैं जो इस प्रकार है:-

क्र० सं०	उद्यम	पूँजी	टर्नओवर
1.	सूक्ष्म उद्यम	1 करोड़	5 करोड़
2.	लघु उद्यम	10 करोड़	50 करोड़
3.	मध्यम	20 करोड़	100 करोड़

वर्तमान समय में उत्तराखंड में भी लघु (सेवा) उद्योग की श्रेणी में वह उद्योग आते हैं जिनकी पूँजी निवेश 10 करोड़ रुपए व कारोबार 50 करोड़ रुपए हो।

10.7 उत्तराखंड में लघु उद्योगों का विकास (Development of Small Scale Industries in Uttarakhand)

रोजगार उपलब्धता, क्षेत्रीय सन्तुलन, आय के साधन तथा स्थानीय बाजार की मांग की पूर्ति में लघु उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान है। लघु उद्योग में पूँजी निवेश की तुलना में श्रम रोजगार की अधिकता होती है। जिससे स्थानीय युवाओं व कारीगरों को रोजगार प्राप्त होता है। उत्तराखंड एक युवा राज्य है। इसलिए लघु

उद्योग के विकास के जो आंकड़े उपलब्ध है उसमें उत्तराखंड के सभी जिले सम्मिलित नहीं है। मुख्य रूप से हरिद्वार व ऊधम सिंह नगर के आंकड़ों का इसमें समावेश नहीं है।

तालिका (10.5) उत्पाद समूह के आधार पर लघु इकाई उद्योग

क्र० सं०	उद्योग	1988-89		1991-92		1988-89 से 1991-92 तक वार्षिक वृद्धि दर
		इकाई संख्या	इकाई संख्या % में	इकाई संख्या	इकाई संख्या % में	
1.	खादी व सम्बन्धित इकाईयाँ	5483	35.7	14868	44.6	42.8
2.	इंजीनियरिंग उद्योग	1024	6.7	2145	6.4	27.4
3.	रसायन उद्योग	409	2.7	524	1.6	7.0
4.	खाद्य प्रसंस्करण	2148	14.0	3380	10.1	13.3
5.	हथकरघा	779	5.1	2840	8.5	66.1
6.	हस्तशिल्प	3930	25.6	5856	17.6	12.3
7.	रेशम उद्योग	50	0.3	61	0.2	5.5
8.	अन्य	1534	9.9	362	11.0	34.5
	योग	15357	100.0	33326	100.0	29.3

स्रोत: सांख्यिकीय डायरी उत्तर प्रदेश राज्य नियोजन संस्थान लखनऊ।

तालिका (10.5) में लघु उद्योग द्वारा उत्पादित किए जाने वाले मदों के आधार पर इकाइयों का विवरण दिया गया है। जिससे पता जबकि खादी व सम्बन्धित इकाईयाँ सबसे अधिक है। जबकि रेशम उद्योग की इकाईयाँ सबसे कम परन्तु यदि 1988-89 से 1991-92 तक की वार्षिक वृद्धि को देखा जाए तो हथकरघा में सबसे अधिक वृद्धि हुई है, जबकि खादी व संबंधित इकाईयों का स्थान दूसरा रहा 1988-89 से 1991-92 के दौरान समस्त पर्वतीय क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि दर 29 प्रतिशत रही, जो सन्तोष जनक कही जा सकती है।

तालिका (10.6) में पर्वतीय क्षेत्रों में 1995 तथा 2000 में विभिन्न जनपद में कार्यरत इकाईयों की संख्या सहित रोजगार की स्थिति को प्रदर्शित किया गया है। जिससे पता चलता है कि संख्या को दृष्टि से सर्वाधिक इकाईयाँ नैनीताल में कार्यरत थी जबकि देहरादून व अल्मोड़ा दूसरे व तीसरे स्थान पर थे। जबकि वृद्धि दर की स्थिति में 1995 से 2000 के दौरान पिथौरागढ़ में इकाईयों में वार्षिक वृद्धि दर 9.3% रही जो सर्वाधिक थी। जबकि देहरादून में इस दौरान वृद्धि दर सबसे कम 4.3% थी। रोजगार की दृष्टि से देखे तो टिहरी को 1995-2000 के दौरान वृद्धि दर सर्वाधिक थी जबकि देहरादून में रोजगार वृद्धि दर मात्र 1.9% थी। इस प्रकार रोजगार वृद्धि दर पर्वतीय क्षेत्र में मात्र 3.3% थी जबकि इकाई वृद्धि दर इस दौरान 6.4% थी।

तालिका (10.6) पर्वतीय क्षेत्र में 1995 तथा 2000 में लघु उद्योग इकाईयों तथा रोजगार की स्थिति

क्र.सं.	जनपद	इकाई संख्या		रोजगार संख्या		1995-2000 में इकाई में वार्षिक वृद्धि दर	1995-2000 में रोजगार में वार्षिक वृद्धि दर
		1995	2000	1995	2000		

1	उत्तरकाशी	1951	2620	5924	7033	6.8	3.7
2	चमोली	2023	2796	4730	6382	6.8	6.9
3	टिहरी	2036	2598	5958	8307	5.5	9.9
4	पौड़ी	2411	3368	8843	10767	7.9	4.3
5	देहरादून	5067	6165	28033	30721	4.3	1.9
6	गढ़वाल मण्डल	13488	17547	53488	63210	6.0	3.6
7	अल्मोड़ा	3664	4966	15405	17497	7.1	2.7
8	पिथौरागढ़	2401	3522	8820	10664	9.3	4.2
9	नैनीताल	6311	8080	26372	29862	5.6	2.7
10	कुमाऊं मण्डल	12376	16568	50597	58023	6.8	2.9
11	पर्वतीय क्षेत्र	25864	34115	104085	121233	6.4	3.3

स्रोत - विकास आयुक्त कार्यालय, श्रीकोट, श्रीनगर, गढ़वाल के आंकड़ों से आंकलित

उद्योग निदेशालय के अनुसार उत्तराखंड राज्य गठन से पूर्व प्रदेश में 14,163 लघु स्तरीय औद्योगिक इकाईयाँ स्थाई रूप से पंजीकृत थी, जिनमें 700.29 करोड़ रुपये का पूँजी निवेश था और 38,509 लोगों को रोजगार उपलब्ध था। राज्य गठन के पश्चात् से माह फरवरी, 2011 तक 23,617 लघु, सूक्ष्म तथा मध्यम उद्यमों द्वारा लघु स्तरीय उद्योग के रूप में स्थाई पंजीकरण तथा उद्यमिता ज्ञापन भाग-2 (EM Part-II) फाइल किए गए हैं, जिनमें 5,508.65 करोड़ रुपये का पूँजी निवेश किए गया है और 1,22,837 लोगों को रोजगार दिया गया है।

तालिका (10.7) में उत्तराखंड राज्य की स्थापना के समय पंजीकृत कार्यरत लघु उद्योग इकाईयों की संख्या, रोजगार व पूँजी निवेश को दर्शाया गया है और राज्य स्थापना के पश्चात् पंजीकृत कार्यरत लघु उद्योग इकाईयों की संख्या, रोजगार व पूँजी निवेश का विवरण प्रस्तुत किया गया है जिससे पता चलता है सर्वाधिक लघु इकाईयाँ हरिद्वार जनपद में रही। रोजगार की स्थिति में भी हरिद्वार ही पहले स्थान पर रहा जबकि देहरादून का दूसरा स्थान रहा और चम्पावत सबसे नीचे रहा। जबकि पूँजी निवेश में ऊधमसिंह नगर का दूसरा स्थान रहा। उत्तराखंड स्थापना के बाद लघु इकाईयों की संख्या में ढाई गुना, रोजगार में चार गुना तथा पूँजी निवेश में आठ गुना वृद्धि देखी गई।

तालिका (10.7) फरवरी 2011 तक पंजीकृत सूक्ष्म, लघु व मध्यम इकाईयों का विवरण

जनपद	दिनांक 8-11-2000 तक (राज्य गठन के समय) पंजीकृत कार्यरत लघु स्तरीय उद्योग	राज्य गठन के पश्चात् दिनांक 9-11-2000 से माह फरवरी, 2011 तक पंजीकृत/ई.एम.पार्ट-2 फाइल करने वाले सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम	कुल पंजीकृत/ई.एम.पार्ट-2 फाइल करने वाले सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम
------	--	--	--

	संख्या	पूँजी निवेश (करोड़ रू0 में)	रोजगार	संख्या	पूँजी निवेश (करोड़ रू0 में)	रोजगार	संख्या	पूँजी निवेश (करोड़ रू0 में)	रोजगार
नैनीताल	816	158.36	3513	1665	144.23	5884	2481	302.59	9397
उधमसिंह नगर	804	233.71	4899	3133	2072.1	29522	3939	2305.8	34421
अल्मोड़ा	904	17.78	1846	1911	17.22	3399	2815	35.00	5245
पिथौरागढ़	534	5.85	1013	1416	19.08	3019	1950	24.93	4032
बागेश्वर	387	2.04	607	563	8.54	1100	950	10.58	1707
चम्पावत	147	4.95	322	600	10.25	1315	747	15.20	1637
देहरादून	2321	88.01	7232	3239	645.8	25119	5560	733.83	32351
पौड़ी	1720	28.39	4196	2127	97.02	5727	3847	125.41	9923
टिहरी	1025	14.44	2413	1941	50.26	4744	2966	64.70	7157
चमोली	844	5.45	1154	1423	26.54	2874	2267	31.99	4028
उत्तरकाशी	1734	10.60	2364	1359	18.66	2404	3093	29.26	4768
रूद्रप्रयाग	394	7.20	737	676	11.75	1577	1070	18.95	2314
हरिद्वार	2533	123.51	8213	3564	2387.1	36153	6097	2510.6	44366
योग	14163	700.29	38509	23617	5508.6	122837	37780	6208.9	161346

स्रोत - औद्योगिक विकास प्रगति रिपोर्ट, फरवरी 2011, उद्योग निदेशालय, देहरादून

10.8 लघु उद्योगों की प्रमुख समस्याएँ (Major Problems of Small Scale Industries)

क्षेत्रीय आर्थिक विकास व रोजगार सृजन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र से योगदान देने के कारण लघु उद्योगों का महत्व सदैव से रहा है। ये उद्योग बड़े उद्योगों के विकास में सहायक होने के साथ-साथ निर्यात द्वारा देश के लिए बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा की प्राप्ति करते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से इनका विकास ऋणात्मक रहा है और लघु उद्योग को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं है। पिछले दिनों उत्तराखंड में अनेक लघु इकाइयों या तो बंद हो गईं या बंद होने की कगार पर हैं। इसके मुख्य कारण कार्यशील पूँजी की कमी, कच्चे माल के समस्या बिजली की कमी तथा श्रम व विपणन की समस्याएँ हैं। इसके अतिरिक्त लघु उद्योगों के विकास में अनेक समस्याएँ बाधक हैं जो इस प्रकार हैं -

10.8.1 कच्चा माल प्राप्ति में कठिनाई:- लघु उद्योग मुख्य रूप से स्थानीय कच्चे माल की उपलब्धता पर आधारित होते हैं। लेकिन उत्तराखंड में ऐसे उद्योग स्थापना हेतु प्रयास नगण्य हैं जिनका कच्चा माल पर्वतीय क्षेत्र में उपलब्ध है। साथ ही जो इकाइयाँ कार्य कर रही हैं वह बाहर से आने वाले कच्चे माल पर निर्भर हैं और उचित भण्डारण व्यवस्था न होने के कारण इन इकाइयों को बाजार से ऊँचे मूल्य पर कच्चा माल प्राप्त करना पड़ता है। वन आधारित उद्योग के लिए कच्चा माल लीसा व लकड़ी डिपो से प्राप्त होता है। जो पर्वतीय क्षेत्रों से दूर

कोटद्वार, रायवाला टनकपुर आदि में स्थापित है। जिससे यातायात व्यय में वृद्धि होने से वस्तु की उत्पादन लागत बढ़ती है और इकाई को हानि का सामन करना पड़ता है।

10.8.2 कार्यशील पूँजी की कमी:- पूँजी की कमी इन उद्योग की मुख्य समस्या है। जिससे इनकी स्थित ओर अधिक खराब हो गई है। इन उद्योगों का संगठन अकेले या साझेदारी में होता है। जिससे बाहरी स्रोतों से प्राप्त पूँजी का विशेष महत्व होता है। कई बार तो इकाईयों को उन्हीं व्यापारियों से ऋण लेना पड़ता है जिनके लिए यह वस्तु का उत्पादन करते है। ऐसी स्थिति में इनकी सौदेबाजी की शक्ति कम हो जाने के कारण उन्हें हानि उठानी पड़ती है।

10.8.3 प्रबन्धकीय क्षमता की कमी:- पर्वतीय क्षेत्र में लघु उद्योगों की स्थापना तथा विकास में एक सबसे बड़ी समस्या उद्यमियों में प्रबन्धकीय क्षमता की कमी है। जिसके कारण नई इकाईयों की स्थापना तथा पुराने इकाईयों के घाटे में चलने की कठिनाई सामने आ रही है। उचित मार्गदर्शन व प्रशिक्षण की कमी के कारण स्थानीय युवा जोखिम उठाने को तैयार नहीं है।

10.8.4 बड़े उद्योगों द्वारा निर्मित माल से प्रतियोगिता:- आज के युग में बड़े उद्योगों यहाँ तक की बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ भी लघु उद्योग द्वारा निर्मित उत्पादनों की बिक्री में बाधा पहुँचा रही है। क्योंकि बड़े उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुएँ कम कीमत तथा उच्च गुणवत्ता के साथ आकर्षक पैकिंग में होती है जिससे उपभोक्ता आकर्षित होते है और लघु उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तु की तुलना बड़े उद्योगों की वस्तुओं को खरीदा पसन्द करते है। जिससे लघु इकाईयों को हानि होती है।

10.8.5 बिक्री सुविधाओं का अभाव:- लघु उद्योगों की बिक्री व्यवस्था सुव्यवस्थित नहीं है। एक तरफ तो यातायात व कच्चे माल की समस्या के कारण इनके उत्पाद का मूल्य अधिक होता है। साथ ही यह उपभोक्ताओं को आकर्षित करने मे असमर्थ रहते है। जिससे बड़े उद्योग द्वारा निर्मित माल के साथ प्रतियोगिता में इनके उत्पाद टिक नहीं पाते है। कई बार तो बड़े उद्योगों द्वारा समय पर भुगतान न करने के कारण भी आगे की विपणन व्यवस्था प्रभावित हो जाती है और इकाई को जारी रखना मुश्किल हो जाता है।

10.8.6 विद्युत शक्ति की समस्या:- यद्यपि उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश का दर्जा प्राप्त है। फिर भी राज्य के अनेक पर्वतीय क्षेत्र ऐसे है जहां अभी तक उचित विद्युत व्यवस्था का अभाव है। जो क्षेत्र के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है। असमय बिजली कटौती भी एक बड़ी समस्या है। जो लघु उद्योगों के विकास मार्ग में एक बाधा है। क्योंकि उचित बिजली व्यवस्था ना होने के कारण ये उद्योग आधुनिक तकनीक को अपनाने में असमर्थ है जो एक बहुत बड़ी समस्या है।

10.8.7 तकनीकी शिक्षा व प्रशिक्षण का अभाव:- राज्य की अधिकांश लघु इकाईयाँ ग्रामीण व पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है जहां के युवकों को मशीनों तथा संयंत्रों को चलाने का अनुभव नहीं है। उत्पादन सबन्धी तकनीकी ज्ञान व प्रशिक्षण की व्यवस्था न होने के कारण श्रमिकों की कार्यकुशलता प्रभावित होती है। जिससे उत्पादित वस्तु की गुणवत्ता में कमी आ जाती है और इन उद्योगों की वस्तुएँ बड़े उद्योगों की वस्तुओं के साथ प्रतियोगिता में टिक नहीं पाती है।

10.8.8 स्थानीय करारोपण की समस्या:- लघु उद्योगों को उत्पादन कर, बिक्री कर तथा स्थानीय करों की समस्या का सामना करना पड़ता है। यद्यपि राज्य स्थापना के बाद सरकार द्वारा समय-समय पर अनेक रियायतों व अनुदानों की घोषणा की गई है। परन्तु सूचना अभाव व नीति क्रियान्वयन के अभाव में लघु उद्यमियों को इसका उचित लाभ नहीं मिल पा रहा है।

10.8.9 यातायात की समस्या:- लघु उद्योगों के कच्चे माल व तैयार माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए यातायात के साधनों की आवश्यकता होती है। उत्तराखंड राज्य का अधिकांश क्षेत्र पर्वतीय है। यहाँ

सड़कों के साथ परिवहन साधनों का भी अभाव है। जिस कारण कई कि०मी० तक पैदल चलना पड़ता है जिससे कच्चे माल की उपलब्ध दूर क्षेत्रों से होने के जहां उत्पादन लागत में वृद्धि होती है वहीं तैयार माल को बेचने के लिए अन्य स्थानों पर ले जाने में वस्तु का मूल्य ऊँचा हो जाता है जो इन उद्योगों के लिए बड़ी समस्या है।

10.8.10 प्रमापीकरण का अभाव:- लघु उद्योगों का माल किसी निश्चित प्रमाप या मानक के अनुरूप नहीं होता क्योंकि इनके द्वारा उत्पादित अधिकांश वस्तु के मानक निर्धारित नहीं किए गए हैं। जिस कारण मूल्य निर्धारण में समस्या आती है और कारीगरों और मलिकों को अपनी वस्तु व परिश्रम का उचित मूल्य भी नहीं मिल पाता। आज प्रतियोगिता के युग में प्रमापीकरण, एकरूपता, गुण स्तर आदि का ध्यान रखना आवश्यक हो गया है। प्रमापीकरण व गुणवत्ता के अभाव में लघु उद्योगों के निर्मित माल की मांग कम हो जाती है।

10.8.11 सूचना तकनीक का अभाव:-राज्य के अधिकांश लघु उद्योग पर्वतीय क्षेत्र में स्थित हैं। जहां इन उद्योग को प्रोत्साहन व सहयोग संबंधित अन्य सूचनाओं की उपलब्धता समय पर नहीं हो पाती है। जिस कारण इन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। साथ ही इन उद्योगों को आधुनिक तकनीकी की जानकारी नहीं है अगर है तो पूँजी, व शक्ति के साधन के अभाव के कारण यह नवीन तकनीकी अपनाने में असमर्थ है जो इनकी उत्पादन क्षमता को प्रभावित करता है।

10.8.12 समुचित औद्योगिक नीति का अभाव:- उत्तराखण्ड बनने से पहले यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश के अधीन था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस क्षेत्र के लिए योजना की घोषणा तो की गई परन्तु उसे प्रभावी ढंग से लागू करने के प्रयास नहीं किए। यद्यपि उत्तराखण्ड की स्थापना के बाद सरकार ने इस दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। परन्तु उनके परिणाम अभी सामने आने बाकी हैं।

राज्य स्थापना के बाद लघु उद्योगों की ओर विशेष ध्यान देते हुए इनकी समस्याओं को दूर करने के लिए विभिन्न औद्योगिक नीति में अनेक व्यवस्थाएं की गईं जैसे 2001 की नीति में इनके आधुनिकीकरण हेतु व्यवस्था की बात कही गई वर्ष 2003 की नीति में सरकारी खरीद में लघु उद्योग उत्पाद को प्राथमिकता देने की साथ, वित्तीय सहायता व ब्याज दर में रियायत की व्यवस्था की गई। वर्ष 2008 की विशेष औद्योगिक नीति में राज्य के 'ए' व 'बी' श्रेणी के जनपदों की लघु इकाइयों के लिए विशेष ब्याज अनुदान प्रोत्साहन व्यवस्था, विपणन हेतु मेलों व प्रदर्शनियों के माध्यम से निःशुल्क व रियायती दरो की स्टॉल उपलब्ध करने की बात कही गई। सरकार द्वारा की जा रही व्यवस्था का लाभ लघु उद्यमी तक पहुँचने लगा है। लेकिन अभी पूर्ण व्यवस्था के सुधार में समय लगेगा। उम्मीद की जा सकती है कि लघु इकाइयाँ सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी।

10.9 अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)

बहुविकल्पीय प्रश्न-

- ग्रामोद्योग को कहते हैं -
 (अ) कुटीर उद्योग (ब) पारिवारिक उद्योग
 (स) अ और ब दोनों (द) कोई नहीं
- लघु उद्योग में पूँजी निवेश की सीमा हैं -
 (अ) 10 लाख से अधिक (ब) 10 करोड़ तक
 (स) 2 करोड़ से 5 करोड़ तक (द) इसमें से कोई नहीं।
- ग्रामोद्योग की प्रमुख समस्या है -
 (अ) कच्चेमाल की कमी (ब) परम्परागत तकनीक

- (स) वित्त की कमी (द) उपरोक्त सभी
4. लघु उद्योग की मुख्य समस्या है -
 (अ) यातायात की समस्या (ब) प्रमाणीकरण का अभाव
 (स) उचित विपणन का अभाव (द) उपरोक्त सभी
5. 'भारत की प्रगति ग्रामीण व कुटीर उद्योग के विकास में निहित है' यह कथन है-
 (अ) डॉ० राजेन्द्र प्रसाद (ब) विनोबा भावे
 (स) महात्मा गांधी (द) पं० जवाहर लाल नेहरू

10.10 सारांश (Summary)

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप यह जान चुके हैं ग्रामोद्योग से अर्थ ऐसे उद्योग से है, जो 20 हजार तक कि आबादी वाले क्षेत्र में स्थित हो और उसमें 50 हजार तक का प्रति व्यक्ति पूंजी निवेश हो। ग्रामोद्योग को पारिवारिक या कुटीर उद्योग भी कहते हैं। इन उद्योगों को मुख्य रूप से 7 समूहों में बांटा गया है। उत्तराखण्ड में घराट, हाथ तेल पिराई, भांग वस्त्र निर्माण, ऊन, चमड़ा उद्योग, हस्तनिर्मित कागज, काष्ठकला, रेशा उद्योग, मधुमक्खी पालन तथा रिंगाल बर्तन निर्माण आदि अनेक ग्रामोद्योग पर्वतीय जनपदों के ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत हैं। राज्य के टिहरी, चमोली, पौड़ी, देहरादून, अल्मोडा, नैनीताल व पिथौरागढ़ आदि जिलों के ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामोद्योग रोजगार के प्रमुख स्रोत हैं।

ग्रामोद्योग के साथ राज्य में बड़ी संख्या में लघु उद्योग भी कार्यरत हैं। लघु उद्योग से अर्थ ऐसे उद्योग से है जिसमें 10 करोड़ तक पूंजी निवेश हो। राज्य गठन से पहले प्रदेश में 14,163 लघु इकाइयाँ स्थाई रूप से पंजीकृत थी, जो फरवरी 2011 में लगभग 23,617 हो गई है। यद्यपि लघु व ग्रामोद्योग आय वृद्धि, रोजगार सृजन व क्षेत्र संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। फिर भी इन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे- कच्चा माल प्रति में कठिनाई, पूंजी, प्रशिक्षण, विपणन व्यवस्था, यातायात सुविधा, सूचना व मार्गदर्शन का अभाव, बड़े उद्योग से प्रतियोगिता, स्थानीय करारोपण की समस्या तथा समुचित विकास नीति का अभाव आदि। इन उद्योगों के तीव्र विकास के लिए इन समस्याओं का समय रहते समाधान करना अत्यन्त आवश्यक है।

10.11 शब्दावली (Glossary)

- कृषकों - किसानों
- समानार्थी - समान अर्थ वाला
- परम्परागत - पुरानी परम्पराओं के अनुसार
- छिपी बेरोजगारी - ऐसी बेरोजगारी जो दिखाई न दे अर्थात् जहाँ व्यक्ति काम में लगा दिखता है परन्तु उत्पादन में उसका योगदान लगभग शून्य होता है।
- अर्द्ध बेरोजगारी - ऐसी बेरोजगारी जिसमें व्यक्ति को केवल कुछ दिनों या महीनों के लिए या योग्यता से कम काम मिले।
- श्रम प्रतिस्थापन - ऐसी व्यवस्था जहाँ श्रम के स्थान पर मशीनों का प्रयोग किया जाए।
- वैश्वीकरण - ऐसी व्यवस्था जहाँ विश्व के सभी देशों में वस्तुएँ लाने ले जाने की स्वतंत्रता हो।
- काष्ठ उद्योग - लकड़ी उद्योग
- एकाधिकार - ऐसी व्यवस्था जहाँ किसी वस्तु की खरीदारी या बिक्री पर एक संस्था या व्यक्ति का अधिकार हो।

- दूरस्थ - मुख्यालयों से दूर स्थित ऐसे स्थान जहां पहुँचना कठिन हो।
- अवैध - गैर - कानूनी
- प्रतिबन्ध - रोक लगाना
- जटिल - कठिन
- मौन पालन - मधुमक्खी पालन
- यन्त्रीकरण - मशीन या यन्त्र द्वारा उत्पादन करना
- करारोपण - कर लगाना
- पूर्णकालिक - पूरे वर्ष के लिए अर्थात् लम्बे समय के लिए
- अनुदान - सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता जो किसी वस्तु या सेवा के उपयोग पर प्राप्त हो।
- प्रमापीकरण - मानक या मापदण्ड अनुसार वस्तुओं को विभिन्न वर्गों में बांटना।
- नगण्य - न के समान
- रियायते - छूट देना

10.12 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answer for Practice Questions)

बहुविकल्पीय प्रश्न-

- (1) (स) (2) (ब) (3) (द) (4) (द) (5) (स)

10.13 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची (Reference/Bibliography)

- Mittal Surabhi, Gaurav Tripathi and Deepti Sethi; (July 2008) **Development Strategy for the Hill District Uttarakhand**. Working paper no. 217 ICRER, New Delhi, page No. 31-34
- Bisht Major D.S.:(2008); '**Uttarakhand Today**'; Trishul Publication, Dehradun' page 132-144
- Mehta G.S.:(1996) '**Uttarakhand prospects of Development**'; Indus Publishing Company New Delhi. page no. 74.
- Mehta G.S.:(1999); '**Development of Uttarakhand: Issues and Perspective's**, APH Publising Corporation, New Delhi, page – 72-83.
- बिष्ट डॉ० नारायण सिंह; (2003) "उत्तरांचल हिमालयी राज्य, पर्वतीय क्षेत्र में औद्योगिकरण"; डॉ० नारायण संस्थान, शोध नियोजन एवं विकास, गोपेश्वर (चमोली)

10.14 सहायक/उपयोग पाठ्य सामग्री (Useful/Helpful Text)

- उत्तराखंड का औद्योगिक विकास, प्रगति रिपोर्ट फरवरी 2011, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
- Uttara.gov.in
- censusindia.gov.in
- districts.nic.in

- planing commission.nic.in
- doink.org

10.15 निबंधात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

1. लघु उद्योग से क्या अभिप्राय हैं ? उत्तराखण्ड स्थापना के बाद लघु उद्योगों की स्थिति पर प्रकाश डालिए।
2. ग्रामोद्योग से आप क्या समझते हैं ? इनकी प्रमुख समस्याओं का वर्णन करें।
3. लघु उद्योगों के विकास की प्रमुख समस्यायें क्या हैं ? विस्तार में बताइयें।

इकाई-11 औद्योगिक नीति (Industrial Policy)

- 11.1 प्रस्तावना (Introduction)
- 11.2 उद्देश्य (Objective)
- 11.3 औद्योगिक नीति का अर्थ (Meaning of Industrial Policy)
- 11.4. औद्योगिक नीति 2001 (Industrial Policy 2001)
- 11.5 औद्योगिक नीति 2003 (Industrial Policy 2003)
- 11.6 औद्योगिक नीति 2008 (Industrial Policy 2008)
- 11.7 औद्योगिक विकास योजना 2017 (Industrial Development Policy 2017)
- 11.8 अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)
- 11.9 सारांश (Summary)
- 11.10 शब्दावली (Glossary)
- 11.11 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answer for Practice Question)
- 11.12 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची (Reference/Bibliography)
- 11.13 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री (Useful/Helpful Text)
- 11.14 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

11.1. प्रस्तावना (Introduction)

‘उत्तराखंड का औद्योगिक विकास’ से सम्बन्धित यह तीसरी इकाई है। इससे पहले की इकाईयों के अध्ययन के बाद आप जान गए हैं कि उत्तराखंड की औद्योगिक संरचना कैसी है और लघु व ग्रामीण उद्योगों का विकास किस दिशा में हो रहा है और उन उद्योगों को विकास हेतु किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है?

किसी भी राज्य में औद्योगिक विकास के मार्ग की बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा आवश्यकतानुसार रियायतों व नियमों की घोषणा की जाती है। उत्तराखंड स्थापना के समय से अब तक सरकार ने तीन औद्योगिक नीतियों की घोषणा की है। इस इकाई में उत्तराखंड सरकार द्वारा वर्ष 2001, 2003 तथा 2008 में घोषित नीतियों की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की गई है।

इस इकाई के अध्ययन के बाद आपको राज्य की औद्योगिक नीतियों में की गई घोषणाओं व रियायतों की पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी।

11.2. उद्देश्य (Objective)

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के बाद आप -

- ✓ औद्योगिक नीति का अर्थ बता सकेंगे।
- ✓ 2001 की नीति की मुख्य विशेषताओं को समझ सकेंगे।
- ✓ 2003 की नई नीति में उद्योगों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं से अवगत हो जाएंगे।
- ✓ 2008 में घोषित विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति में पर्वतीय क्षेत्र को दी जाने वाली विशेष सहायता को जान पायेंगे।

11.3. औद्योगिक नीति का अर्थ (Meaning of Industrial Policy)

औद्योगिक नीति से अर्थ सरकार की उस व्यवस्था से है जिसके अन्तर्गत औद्योगिक विकास का स्वरूप निश्चित किया जात है और इसे प्राप्त करने के लिए नियम व सिद्धान्तों को लागू किया जाता है। वास्तव में औद्योगिक नीति से अभिप्राय सरकार की उस औपचारिक घोषणा से लगाया जाता है। जिसमें उद्योगों के प्रति अपनायी जाने वाली नीतियों का उल्लेख होता है।

वर्ष 2000 में उत्तराखंड अस्तित्व में आया इससे पूर्व यह उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। अतः उत्तर प्रदेश द्वारा स्वीकृत औद्योगिक नीतियों का उल्लेख होना स्वभाविक है। उत्तर प्रदेश की नीति 1977 में पर्वतीय क्षेत्रों के औद्योगिक विकास के लिए उद्योग निदेशालय द्वारा उद्योगों के चयन, स्थापना व संचालन के लिए परामर्श व मार्गदर्शन दिये जाने पर जोर दिया गया। पर्वतीय क्षेत्रों के विकास पर बल देने के साथ अनेक अनुदानों की घोषणा की गई। वर्ष 1990 में घोषित नीति में इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए नई इकाइयों की स्थापना पर विशेष प्रोत्साहन तथा सुविधाओं की बात कही गई।

उत्तराखंड की स्थापना के पश्चात् राज्य सरकार ने प्रदेश के स्वावलम्बन हेतु औद्योगिक विकास को प्राथमिकता देते हुए उद्योगों के विकास के लिए एक सुनिश्चित व योजनाबद्ध नीति की आवश्यकता महसूस की। इस दिशा में सरकार द्वारा 8 जुलाई 2001 को राज्य की पहली औद्योगिक नीति घोषित की गई। इसके पश्चात् वर्ष 2003 में विस्तृत औद्योगिक नीति घोषित की गई और वर्ष 2008 में विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति घोषित की गई।

11.4. औद्योगिक नीति 2001 (Industrial Policy 2001)

उत्तराखंड राज्य की पहली औद्योगिक नीति 8 जुलाई 2001 को घोषित की गई जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य में तेज औद्योगिक विकास हेतु ऐसा वातावरण तैयार करना था जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ सतत

विकास को बढ़ावा मिलें। इस नीति के निर्माण में उद्योग संघों, सम्बन्धित सरकारी विभागों व संगठनों सहित सरकारी प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया, ताकि राज्य की शक्तियों व क्षमताओं के अनुरूप औद्योगिक विकास हेतु संरचना को तैयार किया जा सके, जिससे तीव्र सन्तुलित व टिकाऊ विकास सुनिश्चित किया जा सके। इस नीति की मुख्य विशेषतायें इस प्रकार थी:-

1. राज्य के औद्योगिक संसाधनों का उत्पादन कार्य में उपयोग बढ़ाना।
2. उद्योग व बुनियादी सुविधाओं जैसे - सड़क, बिजली, जल आपूर्ति, व दूर संचार में निवेश बढ़ाना और निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करना।
3. स्थानीय रूप में उपलब्ध कच्चेमाल व कौशल को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों की पहचान करना जिससे एकीकृत विकास योजनाओं पर आधारित उद्योगों की स्थापना की जा सकें।
4. अतिरिक्त रोजगार अवसरों का सृजन करना, राज्य की जीव प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण, वन आधारित उद्योग तथा कृषि आधारित उद्योग के विकास पर जोर दिया गया।
5. राज्य के सभी क्षेत्रों के सन्तुलित औद्योगिक विकास हेतु सभी सम्बन्धित विभागों के बीच समन्वय और सम्बन्धों को विकसित करना।
6. प्रति व्यक्ति आय के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाना और मानव संसाधन के विकास हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
7. उत्तराखण्ड राज्य को उच्च विकास के मार्ग पर ले जाने के लिए निजी क्षेत्र सहित विदेश व अनिवासी भारतीयों के निवेश को आकर्षित करना।
8. राज्य के दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों के आर्थिक विकास हेतु हथकरघा, हस्तशिल्प तथा खाद्य ग्रामोद्योग के पुर्नजीवित करने तथा आधुनिकीकरण हेतु व्यवस्था की जाएगी।
9. राज्य के घराटों पनचक्की को केन्द्र सरकार ने 6 अप्रैल 2001 को लघु उद्योग का दर्जा प्रदान कर दिया, अतः इनके विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
10. आधारभूत सुविधाओं का विस्तार व विकास करने के अन्तर्गत देहरादून, नैनीताल के बीच एक्सप्रेस हाईवे के विकास की बात कहीं गई। साथ ही वायु यातायात को बढ़ावा देने हेतु हवाई अड्डों तथा हवाई पट्टी निर्माण करने तथा दूर संचार व्यवस्था के सुधार व विस्तार के प्रयास की बात कहीं गई।
11. इन सबसे ऊपर, राज्य में उद्योग स्थापना हेतु अनुकूल माहौल बनाने के प्रयास के साथ मजबूत विपणन सुविधाओं के विस्तार की बात कहीं गई।

11.5 औद्योगिक नीति 2003 (Industrial Policy 2003)

भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी की मार्च 2002 की घोषणा के अनुसार, उत्तराखण्ड राज्य में औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करने हेतु एक विशेष प्रोत्साहन पैकेज औपचारिक रूप से दिनांक 7 जनवरी 2003 को घोषित किया। इस पैकेज के सन्दर्भ में तथा नए उद्यमियों द्वारा दर्शायी गई रूचि तथा आर्थिक सुधारों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश शासन द्वारा एक नई औद्योगिक नीति बनाने की आवश्यकता महसूस की गई।

नई नीति का उद्देश्य एक ऐसा समन्वित कार्यक्षेत्र उपलब्ध कराना है जिससे कि उद्यमियों को औद्योगिक विकास हेतु वातावरण उपलब्ध हो तथा इसके द्वारा रोजगार के अतिरिक्त अवसर विकसित हो सकें। जिससे उत्तरांचल राज्य के घरेलू उत्पादों तथा संसाधनों में वृद्धि हो सके। यह नीति औद्योगिक नीति 2003 के रूप में जानी जाएगी।

इस नीति का निर्माण करते समय राज्य की जलवायु विविधता, विद्युत ऊर्जा स्रोत की उपलब्धता, पर्यटन की असीमित सम्भावनाओं, फल निर्यात क्षेत्रों, विभिन्न प्रमुख संस्थाओं की उपलब्धता की क्षमता को

ध्यान में रखा गया। साथ ही आयकर में पहले 5 वर्षों तक शत प्रतिशत छूट 5 वर्ष बाद 25 से 30 प्रतिशत तक छूट, 15 प्रतिशत की दर से पूंजी निवेश अनुदान तथा केन्द्रीय परिवहन अनुदान सुविधा के पूर्व उपयोग हेतु की गई व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए नई नीति की व्यवस्था की गई। 2003 की नीति को प्रमुख विशेषतायें निम्न प्रकार हैं-

11.5.1 एक खिड़की सम्पर्क सूचना एवं सुगमता व्यवस्था:- इस योजना को जिला स्तर पर जिला उद्योग केन्द्रों तथा राज्य स्तर पर उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास निगम (सिडकुल) द्वारा लागू किया जाएगा। ये केन्द्र सभी प्रकार की सूचनायें एवं सेवाएं उद्यमियों को उपलब्ध करायेंगे। इन केन्द्रों पर डाटा बैंक की भी स्थापना की जाएगी तथा संयुक्त आवेदन पत्र एवं अन्य संबंधित सूचनायें भी उद्यमियों को उपलब्ध कराई जाएगी।

एकल खिड़की प्रक्रिया में मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन किया जाएगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय निवेश एवं आधारभूत सुविधा समिति की स्थापना की जाएगी। जिला स्तर पर एकल खिड़की निकासी प्रक्रिया के सहायतार्थ जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी।

11.5.2 औद्योगिक क्षेत्र हेतु भूमि व्यवस्था:- राज्य में नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास तथा उद्यमियों की आवश्यकता, प्राथमिकता एवं उपलब्धता की दृष्टि से शीघ्र भूमि एवं भूखण्ड उपलब्ध करायें जाएंगे। विशेष औद्योगिक क्षेत्रों, थीम पार्कों व आईटी पार्कों में आवंटित भू-खण्डों पर रियायती स्टाम्प शुल्क देय होगा। राज्य सरकार औद्योगिक क्षेत्रों को चिन्हित करने के साथ उद्यमियों को भूमि उपलब्ध कराने हेतु सहायता करेगी।

11.5.3 श्रम कानूनों का सरलीकरण:- श्रमिकों के हितों को सुरक्षित रखते हुए श्रम कानूनों को इस प्रकार सरलीकृत किया जाएगा कि औद्योगीकरण हेतु उचित वातावरण तैयार हो सके। श्रमिकों की निरीक्षण प्रक्रिया का उद्देश्य दण्डात्मक न होकर सुधारात्मक होगा, ताकि उद्यमियों को असुविधा का सामना न करना पड़े।

11.5.4 औद्योगिक विकास हेतु ऊर्जा व्यवस्था:- उत्तरांचल राज्य में पर्याप्त विद्युत उपलब्ध है तथा वर्तमान दशक की समाप्ति तक 5,000 मेगा वाट अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में विद्युत दर निर्धारण का दायित्व राज्य विद्युत नियामक आयोग को दिया गया। राज्य में पीक आवर (Peak hour) विद्युत उपयोग पर कोई पाबन्दी नहीं है। 50 बी0एच0पी0 तक विद्युत भार की स्वीकृति जिला स्तरीय उद्योग मित्र द्वारा जारी की जाएगी तथा 50 बी0एच0पी0 से अधिक की स्वीकृति उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन की क्षेत्रीय समिति द्वारा की जाएगी तथा न्यूनतम शुल्क मासिक बिल में सम्मिलित किया जाएगा।

11.5.5 पर्वतीय व दूरस्थ स्थल विकास व्यवस्था:- उत्तराखण्ड राज्य का अधिकतर भू-भाग पर्वतीय एवं दूरगामी है। राज्य सरकार द्वारा इन क्षेत्रों के समुचित औद्योगीकरण के लिए समुद्रतल से 3,000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले सभी क्षेत्रों को राज्य ब्याज प्रोत्साहन हेतु दूरस्थ क्षेत्र माना जाएगा और इन क्षेत्रों में स्थापित होने वाली इकाइयों को अधिक ब्याज प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा, जो कि 5% की दर से अधिकतम 3 लाख रुपये प्रति वर्ष की सीमा तक देय होगा। ब्याज प्रोत्साहन उन इकाइयों को ही प्राप्त होगा जो इस प्रोत्साहन की अन्तिम किस्त प्राप्त होने के तीन वर्ष बाद तक कार्यरत रहेगी।

11.5.6 लघु उद्योग विकास व्यवस्था:- राज्य में स्थापित होने वाले लघु उद्योगों के आधुनिक तकनीक अपनाने पर जोर दिया जाएगा तथा राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले क्रय-विक्रय में इस क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाएगी। नई लघु इकाइयों की स्थापना के लिए राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से ऋण लेने पर देय ब्याज पर 3 प्रतिशत अधिकतम 2 लाख रुपये प्रति इकाई प्रतिवर्ष ब्याज प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जाएगा। दूरस्थ क्षेत्रों के लिए यह सीमा 5 प्रतिशत की दर अधिकतम सीमा 3 लाख रुपये होगी। बीमार लघु इकाइयों के पुनर्निर्माण एवं पुनर्जीवन की व्यवस्था की जाएगी।

11.5.7 खादी एवं ग्रामोद्योग विकास:- खादी एवं ग्रामोद्योग व कुटीर उद्योगों के विकास पर विशेष बल दिया जाएगा और पैकेजिंग एवं विपणन हेतु सामान्य सुविधा केन्द्रों का विकास किया जाएगा। निजी विपणन संस्थाओं के माध्यम से उत्तराखण्ड में निर्मित वस्तुओं को विश्व के अन्य देशों में निर्यात किए जाने की व्यवस्था की जाएगी। खादी रेशम सहित उपभोक्ता मांग के अनुरूप नवीनतम तकनीक विकसित करने हेतु सहायता प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा।

11.5.8 विपणन सहायता:- गुणवत्ता मानकों को अपनाते हुए उत्तराखण्ड में स्थापित लघु उद्योगों को राज्य में स्थापित बड़ी इकाइयों तथा अन्य राज्यों की इकाइयों की तुलना में क्रय वरीयता प्रदान की जाएगी। अन्य राज्य के उत्पाद की तुलना में भी उत्तराखण्ड राज्य में उत्पादित लघु इकाइयों के उत्पादन को वरीयता दी जाएगी।

11.5.9 हस्तशिल्प उद्योग विकास व्यवस्था:-राज्य में परम्परागत हस्तशिल्प उत्पादों की सहायता के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना के अन्तर्गत सहायता पैकेज उपलब्ध कराया जाएगा। इन उत्पादों को प्रोत्साहित व विकसित करने हेतु इन्हें प्रतिक चिन्ह के रूप में पर्यटक स्थलों व व्यापारिक केन्द्रों पर राज्य तथा राज्य के बाहर विपणन व्यवस्था की जाएगी। निजी क्षेत्र की सहभागिता से शो-रूमों के विकास, मेलों के आयोजनों एवं प्रचार-प्रसार से इन वस्तुओं का निर्यात प्रोत्साहन किया जाएगा।

ऊन आधारित उद्योग के विकास हेतु अच्छी किस्म के कच्चे माल की उपलब्धता में सुधार, ऊन प्रसंस्करण, छटाई, श्रेणीकरण एवं गुणवत्ता तथा विपणन व्यवस्था सहित शिल्पियों के प्रशिक्षण हेतु संस्थागत वित्त उपलब्ध कराने पर बल दिया जाएगा। गैर परम्परागत पशु ऊन रेशों को भी प्रोत्साहित व विकसित किया जाएगा।

11.5.10 कृषि आधारित एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का विकास:-राज्य में भण्डारण, प्रसंस्करण एवं फल प्रबन्धन की पर्याप्त सुविधाओं के अभाव में बड़ी मात्रा में कृषि उत्पाद नष्ट हो जाते हैं। इसलिए सरकार द्वारा छोटे एवं मध्यम आकार के कृषि पार्कों, भण्डारण व्यवस्था, प्रसंस्करण, छटाई एवं विपणन हेतु सुविधाएं उपलब्ध करायेंगे। भारत सरकार की कृषि निर्यात क्षेत्र योजना के अन्तर्गत चार-कृषि निर्यात क्षेत्र लीची, उद्यान, जड़ी-बूटी, औषधीय पौधे एवं बासमती चावल के लिए विकसित किए जा चुके हैं।

उत्तराखण्ड में प्रायः सभी प्रकार की कृषि भूमि तथा जलवायु क्षेत्रों की उपलब्धता है, जो फूलों की खेती के लिए उपयुक्त है और बड़ी मात्रा में रोजगार उपलब्ध कराता है। इस लिए इस क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। पैकिंग, छटाई, प्रसंस्करण, प्री-कूलिंग, कोल्ड चैन तथा विपणन जैसी सामान्य सुविधाओं वाले फ्लोरीकल्चर पार्कों के विकास पर जोर दिया गया।

चाय की खेती का महत्व समझते हुए इसके विस्तारीकरण एवं चाय रोपाई के सघन प्रयास किए गए। 560 एकड़ भूमि पर चाय की खेती प्रारम्भ हो चुकी है। चाय खेती के लिए उपर्युक्त भूमि का डाटा बेस बनाया गया है।

11.5.11 वन आधारित उद्योग के विकास पर बल:- राज्य का लगभग 65 प्रतिशत भू-भाग वन क्षेत्र है। इसलिए राज्य में वन उत्पादों एवं अविशेषों जैसे चीड़ की पत्ती, लैन्टाना, वनस्पतिक रेशों जैसे रामबांस आदि पर आधारित उद्योगों के विकास पर जोर दिया जाएगा। गैर काष्ठ आधारित उद्योगों जैसे कि बांस, लीसा, दियासलाई, कागज आधारित उत्पाद, प्लाई बोर्ड, फर्नीचर, खिलौना, पेन्सिल आदि को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्रोत्साहन दिया जाए।

उत्तराखण्ड में हर्बल, औषधीय पौधों तथा सुगन्धीय पौधों की दुर्लभ प्रजातियों का भण्डार है। इसलिए सरकार इनके शोध व विकास में सहायता देकर इसका दोहन करना चाहती है। इस उद्देश्य से केन्द्र सरकार एवं देशभर की विशेषज्ञता प्राप्त संस्थाओं के समन्वय से एकीकृत कार्य योजना तैयार की गई और इसके वैज्ञानिक उत्पादन हेतु संविदा खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा।

11.5.12 पर्यटन उद्योग विकास हेतु व्यवस्था:-उत्तराखण्ड में पर्यटन के विकास हेतु माननीय पर्यटन मंत्री की अध्यक्षता में एक वैधानिक शीर्ष संस्था “उत्तराखण्ड पर्यटन परिषद” का गठन किया गया है। राज्य में पर्यटन को श्रस्ट उद्योग का दर्जा दिया गया है। नई पर्यटन इकाइयों को प्रारम्भ होने की तिथि से 5 वर्ष के लिए विलासिता कर में छूट प्रदान की जाएगी। रोप-वे की स्थापना पर पांच वर्ष तक मनोरंजन कर में छूट तथा नए मनोरंजन पार्कों के पूर्ण रूप से स्थापित होने पर पांच वर्ष तक मनोरंजन कर से छूट प्रदान की जाएगी।

11.5.13 सूचना प्रौद्योगिकी विकास हेतु प्रयास:-सूचना प्रौद्योगिकी एवं सम्बन्धित सेवाओं को उद्योग का दर्जा दिया गया, देहरादून में एक समर्पित आई0टी0 पार्क स्थापित किया जा रहा है तथा राज्य के दूसरे क्षेत्रों में भी आई0टी0 पार्क स्थापित करना प्रस्तावित है। आई0टी0 पार्क में स्थापित की जा रही इकाइयों को स्टाम्प शुल्क में रियायत दी जाएगी। घोषित आई0टी0 पार्क इण्टेस्ट्रियल स्टेट में लगने वाले जनरेटर सैट्स को विद्युत कर से मुक्त रखा जाएगा। राज्य सरकार द्वारा सभी सॉफ्टवेयर इकाइयों को 2 एम0बी0पी0एस0 बैण्डविड्थ एक वर्ष तक निःशुल्क उपलब्ध करायी जाएगी।

11.5.14 मानव संसाधन विकास एवं रोजगार वृद्धि:- औद्योगिक नीति 2003 का एक मुख्य उद्देश्य रोजगार अवसर को बढ़ावा देना है। इसलिए स्वरोजगार अवसर, उद्यमिता विकास, औद्योगीकरण तथा पूरक इकाइयों को प्रोत्साहित कर रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएंगे। युवकों में उद्यमिता विकसित करने हेतु राज्य के औद्योगिक संगठनों तथा अन्य संगठनों की सहायता से उद्यमिता विकास कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जाएगा। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) तथा पॉलिटेक्निक (Polytechnic) को विकसित किया जाए जिससे मानव शक्ति कुशलता व गुणवत्ता को बढ़ावा मिले और उन्हें रोजगार के उचित अवसर प्राप्त हो। निष्कर्ष रूप से राज्य की औद्योगिक नीति 2003 औद्योगिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। जिसमें गतिमान नीति पर जोर दिया गया है और समय-समय पर परिवर्तन की बात की गई है।

11.6. औद्योगिक नीति 2008 (Industrial Policy 2008)

राज्य के औद्योगिक रूप से पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों के विकास हेतु 1 अप्रैल 2008 को विशेष ‘एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2008’ लागू की गई। इसका मुख्य उद्देश्य नवीन रोजगार अवसरों के सृजन के साथ पर्वतीय क्षेत्र के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर कर जनशक्ति के पलायन को रोकना है। इस नीति में दूरस्थ व पर्वतीय क्षेत्रों को श्रेणी ‘ए’ तथा श्रेणी ‘बी’ में वर्गीकृत किया गया। विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र के उद्यमों को हरित तथा नारंगी श्रेणी में वर्गीकृत किया गया। यह योजना दिनांक 1 अप्रैल 2008 से लागू होकर दिनांक 31 मार्च 2018 तक लागू रही। इस नीति में निम्न प्रमुख वित्तीय प्रोत्साहन तथा छूट प्रदान करने की व्यवस्था की गई:-

11.6.1 विशेष राज्य पूंजी निवेश अनुदान सहायता:-1 अप्रैल 2008 के पश्चात् स्थापित होने वाले नए उद्योगों को कार्यशाला, भवन निर्माण, मशीनरी, संयंत्र एवं उपकरणों में किए गए अंचल पूंजी निवेश पर श्रेणी ‘ए’ के जनपद/क्षेत्र में 25 प्रतिशत अधिकतम 30 लाख रुपये तथा श्रेणी ‘बी’ के जनपद/क्षेत्र में 20 प्रतिशत अधिकतम 25 लाख रुपये की अनुदान सहायता उपलब्ध कराई गई।

11.6.2 भूमि संसाधन विकास प्रोत्साहन योजना:- औद्योगिक इकाइयों को भूमि का आवंटन प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा, भूखण्ड लीज पर लेने अथवा क्रय करने पर स्टाम्प शुल्क से पूर्णतया छूट दी जाएगी। पर्वतीय क्षेत्र में निजी औद्योगिक संस्थाओं की स्थापना के लिए भूमि की न्यूनतम सीमा 2 एकड़ है।

11.6.3 विशेष ब्याज अनुदान प्रोत्साहन सहायता:- इसके अन्तर्गत लघु इकाइयों द्वारा लिए गए ऋण की ब्याज दर में श्रेणी ‘ए’ के क्षेत्र में कुल ब्याज दर पर 6 प्रतिशत अधिकतम 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष तथा श्रेणी ‘बी’ के क्षेत्र में सामान्य ब्याज की दर पर 5 प्रतिशत अधिकतम 3 लाख रुपये प्रतिवर्ष ब्याज प्रोत्साहन सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी।

11.6.4 विद्युत बिलों में पूर्ण छूट:- नीति के तहत चिन्हित औद्योगिक गतिविधियों के लिए उद्योग स्थापना की तिथि से 10 वर्ष तक विद्युत बिलों में 100 प्रतिशत छूट का प्रावधान किया गया है। इसमें फल संरक्षण, जड़ी-बूटी आधारित उद्योगों व स्थानीय उत्पादों को महत्व दिया जाएगा। होटल, मोटल, रिसॉर्ट, गेस्ट हाउस आदि जिसमें अधिक विद्युत खपत है, वह इस छूट के पात्र नहीं होंगे।

11.6.5 बिक्री पर मूल्य वर्धित कर की प्रतिपूर्ति:- श्रेणी 'ए' के जनपदों में कुल कर देयता के 90 प्रतिशत तथा श्रेणी 'बी' के जनपदों में 75 प्रतिशत तक की सीमा तक प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।

11.6.6 विशेष राज्य परिवहन अनुदान सहायता:- भारत सरकार की केन्द्रीय परिवहन अनुदान योजना 1972 के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्र में स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने, तथा उत्पादित कच्चे माल के आन्तरिक परिवहन में होने वाली लागत वृद्धि की क्षतिपूर्ति के लिए ऐसी इकाईयों को उनके कुल वार्षिक बिक्री के आधार पर श्रेणी 'ए' के क्षेत्रों में 5 प्रतिशत तथा श्रेणी 'बी' के क्षेत्रों में 3 प्रतिशत अनुदान सहायता दी जाएगी।

11.6.7 मेगा प्रोजेक्ट्स की स्थापना हेतु वित्तीय प्रोत्साहन:- नीति में मेगा प्रोजेक्ट्स जिनमें 50 करोड़ से अधिक का पूँजी निवेश हो, को विशेष सुविधाएं दी जाएगी। पर्वतीय क्षेत्र के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स हेतु अंचल पूँजी निवेश की न्यूनतम सीमा 5 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है।

11.6.8 उद्यमिता विकास प्रशिक्षण, अध्ययन एवं सर्वेक्षण:- पर्वतीय क्षेत्रों के युवाओं को स्वतः उद्यम की ओर प्रेरित करने के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के संचालन पर विशेष वित्तीय तथा शैक्षिक मार्गदर्शन की व्यवस्था की गई। इसमें आवश्यकतानुसार शोध, अध्ययन एवं सर्वेक्षण कार्य को प्रोत्साहित किए जाने का प्रावधान किया गया। आई0टी0आई0, पॉलिटेकनिक, इंजीनियरिंग कॉलेजों/विश्व विद्यालयों में उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।

11.6.9 स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्यमों को प्रोत्साहन:- पर्वतीय क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार सामान्य सुविधाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से चुने हुए स्थानों पर औद्योगिक कार्यशाला को सामान्य सुविधा केन्द्र के रूप में संचालित किया जाएगा। केन्द्र द्वारा स्थानीय कच्चे माल पर आधारित जैसे- चीड़ की पत्ती, रामबांस व अन्य रेशों, फल व सब्जी, जड़ी-बूटी आदि के शोधन, प्रसंस्करण तथा भण्डारण के लिए शोध व विकास करने पर सहायता प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही आई0एस0ओ0 प्रमाणीकरण पर किए गए व्यय का 75 प्रतिशत अधिकतम 2 लाख रुपये प्रतिपूर्ति अनुदान सहायता प्रदान की जाएगी।

11.6.10 विपणन प्रोत्साहन सहायता:- उद्यमियों को उनके उत्पादन के विपणन संवर्द्धन हेतु प्रदेशीय तथा जिला स्तर पर आयोजित होने वाले प्रमुख मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने हेतु निःशुल्क अथवा रियायती दरों पर स्टॉल उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही मेलों व प्रदर्शनीय में भाग लेने हेतु जनपद से बाहर यात्रा करने पर यात्री किराये की प्रतिपूर्ति तथा माल परिवहन में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस नीति में दी गई रियायतों को समयानुसार लागू करने से जहां उद्यमों को लाभ होगा वहीं प्रदेश में तीव्र औद्योगिक विकास को गति मिलेगी जो राज्य का औद्योगिक भविष्य निर्धारित करेगी।

11.7 औद्योगिक विकास योजना 2017 (Industrial Development Policy 2017)

अप्रैल 2017 को औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड के लिए 31 मार्च तक 2022 5 वर्षों के लिए "औद्योगिक विकास योजना" को लागू किया गया। इसके तहत पूँजी निवेश पर 30 प्रतिशत उपादान, अधिकतम 5 करोड़ तक का उपादान एवं 5 वर्ष तक

प्लांट व मशीनरी पर बीमा प्रीमियम की शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। इसके तहत 1,086 इकाइयों के प्राप्त आवेदनों में से 299 इकाइयों को भारत सरकार द्वारा पंजीकृत किया गया है।

11.8 अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)

रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए :-

1. उत्तराखण्ड राज्य की पहली औद्योगिक नीति में घोषित की गई।
2. घराटों व पनचक्की को केन्द्र सरकार ने को लघु उद्योग का दर्जा प्रदान किया।
3. देहरादून नैनीताल के बीच के विकास की बात 2001 की नीति में कही गई।
4. उत्तराखण्ड के लिए में विशेष प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की गई।
5. उत्तराखण्ड में स्थापित उद्योगों को वर्ष के लिए शत-प्रतिशत आयकर छूट की व्यवस्था की गई।

11.9 संाराश (Summary)

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप यह जान चुके हैं औद्योगिक विकास का स्वरूप व ढाँचा सरकार द्वारा घोषित नीतियों से प्रभावित होता है। उत्तराखण्ड पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। इसलिए उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नीति 1977 तथा 1990 में इस पर्वतीय क्षेत्र के लिए कुछ अनुदानों की घोषणा की गई और नई इकाइयों की स्थापना हेतु विशेष सुविधाओं की बात कही गई थी। लेकिन 2000 में राज्य स्थापना के बाद तीव्र आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए, राज्य की पहली औद्योगिक नीति 8 जुलाई 2001 को घोषित की गई। जिसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण सहित तीव्र औद्योगिक विकास के लिए उचित वातावरण तैयार करना था। इसके लिए नीति में आधारभूत संरचना के विकास, रोजगार सृजन, संतुलित विकास, विदेश निवेश प्रोत्साहन की बात कही गई। जिससे प्रति व्यक्ति आय व जीवन स्तर में वृद्धि हो। राज्य की वास्तविक औद्योगिक नीति 2003 में घोषित की गई। जिसका मुख्य उद्देश्य उद्यमियों को विकास हेतु समन्वित कार्यक्रम उपलब्ध कराना था। जिससे राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि हो और रोजगार को बढ़ावा मिले। इस नीति में औद्योगिक विकास हेतु एकल खिड़की व्यवस्था, श्रम कानून सरलीकरण, उचित ऊर्जा व्यवस्था, भूमि व्यवस्था, लघु हस्तशिल्प तथा ग्रामोद्योग विकास व्यवस्था, पर्वतीय दूरस्थ क्षेत्र विकास व्यवस्था, कृषि तथा वन आधारित उद्योग विकास, पर्यटन बढ़ावा, सूचना प्रौद्योगिकी विकास सहित मानव संसाधन विकास द्वारा रोजगार वृद्धि की बात कही गई। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के विकास हेतु 1 अप्रैल 2008 को एक विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2008 की घोषणा की गई। जिसका मुख्य उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योग स्थापना एवं रोजगार को बढ़ावा देना है। इसके लिए पर्वतीय क्षेत्रों को 'ए' तथा 'बी' श्रेणी तथा उद्योगों को हरित तथा नांरगी श्रेणी में बाटा गया। राज्य में पूंजी निवेश तथा विशेष राज्य परिवहन अनुदान में 'ए' तथा 'बी' श्रेणी के लिए विशेष रियायतों की व्यवस्था की गई। विद्युत बिलों में छूट, बिक्री कर की प्रतिपूर्ति, मेगा प्रोजेक्ट स्थापना हेतु वित्तीय सहायता तथा स्थानीय कच्चे माल पर आधारित उद्योगों की स्थापना की बात कही गई। साथ ही नीति में विपणन सहायता, उद्यमिता विकास व प्रशिक्षण व्यवस्था तथा भूमि संसाधन विकास प्रोत्साहन हेतु अनेक रियायतों की व्यवस्था की गई। यह नीति 31 मार्च, 2008 तक लागू रही। अप्रैल, 2017 से मार्च, 2022 तक औद्योगिक विकास नीति, 2017 लागू रही।

11.10 शब्दावली (Glossary)

- सतत विकास - स्थाई या निरन्तर चलने वाला विकास, ऐसा विकास जो पर्यावरण को कम से कम हानि पहुँचाये।

- अनुदान/रियायत - सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता का रूप जो किसी वस्तु या सेवा के उपयोग पर प्राप्त हो।
- पुर्नजीवित - बन्द होने की कगार पर पहुँच चुकी औद्योगिक इकाई में पुनः उत्पादन कार्य प्रारम्भ करना।
- आधुनिकीकरण - आधुनिक तकनीक का प्रयोग करना और बढ़ावा देना।
- खाद्य प्रसंस्करण - ऐसी व्यवस्था जिससे खाद्य पदार्थ लम्बे समय तक प्रयोग किए जा सकें।
- क्रय - विक्रय - खरीदना - बेचना
- विपणन - बाजार व्यवस्था जिससे माल को बेचा जा सकें।
- वरीयता - प्राथमिकता या प्रमुखता
- श्रेणीकरण - वस्तु को गुणवत्ता व विशेषता के अनुसार विभिन्न वर्गों और श्रेणियों में बांटना।
- फ्लोरीकल्चर - फूलों की खेती।
- उद्यमिता - जोखिम उठाते हुए उत्पादन कार्य करना।
- हरित श्रेणी - ऐसे उद्योग जो प्रदूषण विभाग की सहमति के बिना लगाये जा सकते हैं।
- नारंगी श्रेणी - ऐसे उद्योग जो प्रदूषण विभाग की सहमति के बाद लगाये जा सकते हैं।
- श्रेणी 'ए' - उत्तराखंड के सीमान्त व सुदूरवर्ती जनपद - चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चम्पावत व रूद्रप्रयाग का सम्पूर्ण भाग।
- श्रेणी 'बी' - जनपद पौड़ी गढ़वाल, टिहरी, अल्मोड़ा एवं बागेश्वर का सम्पूर्ण भाग तथा देहरादून के विकासनगर, डोईवाला, सहसपुर तथा रायपुर विकास खण्ड को छोड़कर तथा नैनीताल के हल्द्वानी व रामनगर विकासखण्ड को छोड़कर अन्य सभी पर्वतीय क्षेत्र।

11.11 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answer for Practice Questions)

रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए :-

- (1) 8 जुलाई 2001 (2) 6 अप्रैल 2001 (3) एक्सप्रेस हाईवे (4) 7 जनवरी 2003 (5) 5 वर्षों

11.12 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची (Reference/Bibliography)

- मामेरिया डॉ0 चतुर्भुज एवं जैन डॉ0 एस0सी0; (1995) भारतीय अर्थशास्त्र प्रकाशक साहित्य भवन आगरा, पृष्ठ सं0 200.
- बिष्ट डॉ0 नारायण सिंह;(2003) उत्तरांचल हिमालयी राज्य: पर्वतीय क्षेत्र में औद्योगिकरण, डॉ0 नारायण संस्थान, शोध नियोजन एवं विकास, गोपेश्वर चमोली, पृष्ठ सं0 156-178.
- उत्तराखंड इयर बुक 2011, (नवम्बर 2011) विनसर पब्लिशिंग कम्पनी, देहरादून पृष्ठ सं0 71-73
- The Entrepreneurs Guide to Investment in Uttaranchal;(2004) IIA Uttaranchal and Directorate of Industries Govt. of Uttaranchal published by Arora Sudhir K. Green Fields Publishers Dehradun page no. 29-50.

11.13 सहायक/उपयोग पाठ्य सामग्री (Useful/Helpful Text)

- www.dcmsme.gov.in/policies/state/uttaranchal.
- www.sidcul.com/sidculweb/Attachments/ip 2003.

- www.doiuk.org/policies.htm.
- www.doiuk.org/pdf/hill_policy.

11.14 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

1. औद्योगिक नीति से आप क्या समझते हैं ? उत्तराखण्ड राज्य की विभिन्न नीतियों की संक्षिप्त व्याख्या करो।
2. औद्योगिक नीति 2003 की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत करो।
3. विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2008 की प्रमुख विशेषताएं बताइयें।

इकाई-12 औद्योगिक विकास हेतु सहयोगी संस्थान (Auxiliary Institutions for Industrial Development)

- 12.1 प्रस्तावना (Introduction)
- 12.2 उद्देश्य (Objective)
- 12.3 औद्योगिक विकास हेतु सहयोगी संस्थान (Collaborative Institutions for Industrial Development)
 - 12.3.1 राज्य औद्योगिक विकास निगम उत्तराखंड लिमिटेड (State Industrial Development Corporation Uttarakhand Limited- SIDCUL)
 - 12.3.2 भारतीय उद्योग संघ उत्तराखंड (Indian Industry Association- IIA Uttarakhand)
 - 12.3.3 कुमाऊं गढ़वाल वाणिज्य व उद्योग मण्डल (Kumaon Garhwal Chamber of Commerce and Industry- KGCCI)
 - 12.3.4 उत्तराखंड हथकरघा व हस्तशिल्प विकास परिषद (Uttarakhand Handloom and Handicrafts Development Council- UHHDC)
 - 12.3.5 उद्योग निदेशालय, उत्तराखंड (Directorate of Industries, Uttarakhand)
 - 12.3.6 उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड (Uttarakhand Tourism Development Board- UTDB)
 - 12.3.7 औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (Department of Industrial Policy and Promotion- DIPP)
 - 12.3.8 भारतीय उद्योग परिसंघ (Confederation of Indian Industry)
 - 12.3.9 उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (Uttarakhand Electricity Regulatory Commission- UERC)
 - 12.3.10. उत्तराखंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कम्पनी लिमिटेड (Uttarakhand Infrastructure Development Company Limited)
 - 12.3.11. गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड (GMVN)
 - 12.3.12. कुमाऊं मण्डल विकास निगम (KMVN)
- 12.4 अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)
- 12.5 सांराश (Summary)
- 12.6 शब्दावली (Glossary)
- 12.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answer for Practice Question)
- 12.8 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची (Reference/Bibliography)
- 12.9 सहायक/उपयोग पाठ्य सामग्री (Useful/Helpful Text)
- 12.10 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

12.1 प्रस्तावना (Introduction)

‘उत्तराखंड का औद्योगिक विकास’ से सम्बन्धित इस इकाई से पहले आप औद्योगिक संरचना, लघु व ग्रामोद्योग तथा उनकी समस्याओं सहित राज्य द्वारा घोषित विभिन्न औद्योगिक नीतियों का विस्तृत जानकारी प्राप्त कर चुके हैं।

राज्य के औद्योगिक विकास के लिए नीति-निर्माण और क्रियान्वयन व्यवस्था में विभिन्न बोर्डों, परिषदों तथा संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस इकाई में उत्तराखंड राज्य में समय-समय पर स्थापित विभिन्न संस्थाओं के उद्देश्य तथा कार्यों की व्याख्या प्रस्तुत की गई है जिससे प्रदेश में तीव्र आर्थिक विकास हो।

इस इकाई के अध्ययन से आप राज्य में औद्योगिक विकास से सम्बन्धित विभिन्न संस्थानों की स्थापना के उद्देश्यों तथा उनके कार्यों को जान सकेंगे।

12.2 उद्देश्य (Objective)

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन से आप:-

- ✓ गढ़वाल कुमाऊं मण्डल विकास निगम तथा कुमाऊं गढ़वाल वाणिज्य व उद्योग मण्डल की राज्य के पर्वतीय क्षेत्र के विकास में भूमिका को जान सकेंगे।
- ✓ तीव्र औद्योगिक विकास तथा औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना में सिडकुल के योगदान को जान सकेंगे।
- ✓ राज्य में कार्यरत निगमों, बोर्डों, परिषदों व विभागों द्वारा औद्योगिक विकास हेतु किए गए कार्यों को जान पायेंगे।

12.3 औद्योगिक विकास हेतु सहयोगी संस्थान (Collaborative Institutions for Industrial Development)

9 नवम्बर 2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में उत्तरांचल अस्तित्व में आया, बाद में इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। स्थापना के समय राज्य की अधिकांश जनसंख्या मुख्य रूप से कृषि व कृषि आधारित, वन एवं वन आधारित तथा पर्यटन उद्योग पर ही निर्भर थी। यद्यपि राज्य में अन्य प्राकृतिक संसाधन भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे किन्तु कम उत्पादकता तथा पूर्ण उपयोग के अभाव के कारण उनका उत्पादन कार्य में उपयोग नहीं हो पाया। दूसरी ओर जड़ी-बूटी व औषधीय पौधों के उत्पादन के लिहाज में भी राज्य को ईश्वरीय वरदान है, लेकिन इनका भी पूर्ण दोहन नहीं किया जा सका है। उत्तराखंड में चूना पत्थर, रॉक, फास्फेट, मैग्नेसाइट, ताँबा, ग्रेफाइट, जिप्सम के भण्डार हैं लेकिन उचित वित्तीय संसाधनों व आधारभूत संरचना के अभाव में कुछ जनपदों को छोड़कर राज्य में औद्योगिक इकाइयों की कमी थी।

नया राज्य बनने के बाद उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में तेजी से बदलाव आया है। वन, कृषि, खनन जैसे प्राथमिक क्षेत्र का जीएसडीपी में अंश वर्ष 1999-00 में 30.10% था जो वर्ष 2008-09 में घटकर 17.39% रह गया है। इसके मुकाबले निर्माण, विद्युत, गैस व उद्योग जैसे क्षेत्र की जीएसडीपी में हिस्सेदारी तेजी के साथ बढ़ी है। 1999-00 में यह मात्र 18.79% थी, जो 2008-09 में बढ़कर 33.64% हो गई। इस दौरान हरिद्वार में 840, ऊधमसिंह नगर में 597, देहरादून में 350 और नैनीताल में 79 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हुई। पिछले 10 वर्षों के दौरान हुए विकास पर नजर डाले तो राज्य की आर्थिक तस्वीर बदली नजर आती है। राज्य गठन के समय विकास दर मात्र 2.9% थी जो वर्ष 2009-10 में बढ़कर 9.41% हो गई है। इस आधार पर राज्य ने पिछले पांच साल के दौरान विकास दर के मामले में तीसरा स्थान प्राप्त कर लिया है। राज्य की इस प्रगति में केन्द्र व राज्य सरकार के द्वारा स्थापित विभिन्न संस्थानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समय-समय पर औद्योगिक विकास व आधारभूत संरचना के विकास हेतु अनेक संस्थान, बोर्ड व संघों की स्थापना की गई।

12.3.1 राज्य औद्योगिक विकास निगम उत्तराखंड लिमिटेड (SIDCUL- State Industrial Development Corporation Uttarakhand Limited)

यह उत्तराखंड सरकार का उपक्रम है। इसकी स्थापना 18 जुलाई 2002 को एक लिमिटेड कम्पनी के रूप में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, निवेशकों की ऋण, उद्यम पूँजी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना, औद्योगिक आधारभूत सुविधाओं के विकास परियोजनाओं के प्रबन्धन, निर्माण तथा वित्तीय सहायता द्वारा उद्योगों को बढ़ावा देना है। इसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है। सिडकुल में राज्य सरकार के अलावा यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया (UBI) आरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (OBC) तथा लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ कॉमर्स (SIDBC) तथा लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इण्डिया (SIDBI) की भी हिस्सेदारी है। अन्य बैंक भी हिस्सेदारी लेने की प्रक्रिया में है। सिडकुल औद्योगिक परियोजनाओं को निश्चित समय पर स्थापित करने की मंजूरी प्रक्रिया को भी देखती है। जिससे औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए सक्रिय व सुविधाजनक औद्योगिक माहौल बनाया जा सके।

सिडकुल द्वारा विकसित एकीकृत औद्योगिक क्षेत्र में 60 मीटर की सड़के, 220 केवी सबस्टेशन, क्षेत्रीय वितरण उद्योग, जल आपूर्ति, वित्तीय प्रोत्साहन, आवासीय व व्यवसायिक क्षेत्र की सुविधाएं देती है। जिससे औद्योगिक परियोजनाओं की मंजूरी सुनिश्चित हो और उनकी स्थापना में कम से कम समय लगे। सिडकुल की स्थापना निम्न उद्देश्यों को लेकर की गई:-

1. राज्य में उच्च गुणवत्ता वाली विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना को बढ़ावा देना और राजकीय राजधानी क्षेत्र व अन्य प्रमुख बाजारों से उसे सड़कों द्वारा जोड़ना।
2. राज्य में एकल खिड़की सुविधा के तहत परियोजनाओं में तेजी लाना और निवेशकों को अनुकूल माहौल प्रदान करना।
3. औद्योगिक इकाइयों व आधारभूत संरचना की स्थापना के लिए शीघ्र भूमि उपलब्ध कराना।
4. औद्योगिक क्षेत्र, विकास केन्द्र, विशेष आर्थिक जोन बुनियादी ढांचा परियोजना, हवाई अड्डो, सड़क निर्माण के विकास के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना।
5. उद्योगों के लिए निरन्तर सस्ती व गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराना।
6. श्रम कानूनों व प्रक्रियाओं को तर्कसंगत बनाना ताकि श्रमिकों को राज्य की आर्थिक समृद्धि से उचित हिस्सा मिले।
7. लघु कुटीर व खादी ग्रामोद्योग, हस्तशिल्प, रेशम, हथकरघा उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए सहायता व सुविधाएं उपलब्ध कराना।
8. बीमार उद्योगों विशेषकर लघु इकाइयों के पुर्नगठन व पुर्नवास के लिए बैंकों व वित्तीय संस्थानों के साथ समन्वय द्वारा सुविधा उपलब्ध कराना।
9. राज्य के प्राकृतिक खनिज संसाधनों के वैज्ञानिक दौहन के लिए उचित योजना बनाना।
10. विश्व स्तरीय अनुसंधान व तकनीकी संस्थानों की मौजूदगी में उत्तराखंड को प्रमुख शिक्षा व अनुसंधान केन्द्र के रूप में विकसित करना।

सिडकुल द्वारा विकसित प्रमुख एकीकृत औद्योगिक क्षेत्र:-

1. एकीकृत औद्योगिक क्षेत्र भेल, हरिद्वार।
2. एकीकृत औद्योगिक क्षेत्र, पन्तनगर।

3. एकीकृत औद्योगिक क्षेत्र, सितारगंज।
4. आईटी पार्क, देहरादून।
5. फार्मासिटी, सेलाकुई, देहरादून।
6. साइबर टॉवर, देहरादून।
7. विकास केन्द्र, पौड़ी।

एकीकृत औद्योगिक क्षेत्र में करीब 1500 से ज्यादा कम्पनियां स्थापित हो चुकी है। इनमें ज्यादातर को 300 से 1000 वर्ग मीटर जमीन मुहैया कराई गई है। इन क्षेत्रों में कम्पनियों लगभग 16,000 करोड़ रुपये निवेश कर चुकी है। जिसमें डाबर, हिन्दुस्तान यूनीलीवर लिमिटेड, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड, भेल, ग्लोबल आटो टेक, सोमानी फोम लिमिटेड, हॉवेल्स इण्डिया लिमिटेड, वी0आई0पी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बजाज आटो, हीरो होण्डा, यूरेका फोर्ब्स, टाटा मोटर्स, लखानी इण्डिया, पोलर इंस्ट्री लिमिटेड, हिल्ड्रान, एच0सी0एल0 इंफोसिस्टम, विप्रो इंफोटेक, सूर्या, अशोक लीलैण्ड तथा महिंद्रा एण्ड महिंद्रा जैसी नामी कम्पनियां शामिल है।

12.3.2 भारतीय उद्योग संघ उत्तराखंड (IIA- Indian Industries Association, Uttarakhand)

भारतीय उद्योग संघ लघु और मध्यम उद्योग की प्रतिनिधि शीर्षस्थ निकाय है। जो 700 से अधिक मजबूत सदस्यता आधार के साथ 35 से अधिक क्षेत्र व जिलों में फैली हुए है। 1985 में एक प्रतिबद्ध युवा उद्यमियों के समूह ने मिलकर सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने और विकास करने के लिए एक संगठन की कल्पना की, जिसके फलस्वरूप जुलाई 1992 को युवा उद्यमियों की नेशनल एलायंस अस्तित्व में आयी। जिसे आगे चल कर भारतीय उद्योग संघ नाम दिया गया।

भारतीय उद्योग संघ उत्तराखंड (उत्तराखंड उद्योग संघ) राज्य में सूक्ष्म, लघु व माध्यम उद्योग की शीर्ष संस्था है। जो राज्य में उद्यमिता व आर्थिक विकास के प्रति वचनबद्ध है। यह संघ दो स्तरों राज्य तथा जिला स्तर पर कार्यरत है। उत्तराखंड में इसका मुख्यालय रामनगर, नैनीताल में स्थित है।

उत्तराखंड उद्योग संघ की स्थापना निम्न उद्देश्यों को ध्यान में रखकर की गई।

1. उत्तराखंड उद्योग संघ सदस्यों के बीच मजबूत समूह तथा आत्म विश्वास की भावना को विकसित करना।
2. तेजी से बदलती हुई उदारीकृत अर्थव्यवस्था में नए औद्योगिक अवसरों की पहचान करना।
3. औद्योगिक उत्पादन, वितरण व विपणन से सम्बन्धित विभिन्न विभागों के सदस्य के रूप में उद्यमियों के हित में कार्य करना तथा उत्तराखंड सरकार के बिक्री कर, विद्युत संरचना निर्माण, श्रम आदि से सम्बन्धित अधिनियम व कानून बनाने में सक्रिय भूमिका निभाना।
4. उद्यमिता व प्रबन्धकीय कुशलता को बढ़ावा देना।
5. उत्तराखंड में नए उद्योगों को आकर्षित करना।
6. सदस्यों की समस्या से उद्योग मित्र आदि सम्बन्धित विभागों को अवगत कराना।
7. संघ लघु उद्योग इकाई के प्रतिनिधि के रूप में बजट पूर्व बैठकों में हिस्सा लेकर संघ के हितों को बढ़ावा देता है।
8. राज्य स्तर के सम्मेलनों, व्यापार मेलों का अयोजना करना, जिससे क्रेता-विक्रेताओं में प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित हो सके।

12.3.3 कुमाऊं गढ़वाल वाणिज्य उद्योग मण्डल उत्तराखंड (KGCCI- Kumaon Garhwal Chamber of Commerce and Industry)

यह कुछ गतिशील उद्यमियों के विचार का परिणाम है जो व्यापारिक समुदाय के हितों के लिए संगठित हुए। उत्तराखंड एक नया राज्य है, जो पहले उत्तर प्रदेश का एक भाग था। जहां का भौगोलिक क्षेत्र, जलवायु और सांस्कृतिक वातावरण उत्तर प्रदेश से अलग था। इसलिए इस क्षेत्र के औद्योगिक विकास हेतु वर्ष 1988 में कुमाऊं गढ़वाल वाणिज्य व उद्योग मण्डल की स्थापना की गई। जिसका कार्यालय जिनदल विलायक परिसर, काशीपुर में स्थित था। वर्ष 1999 में इसका मुख्यालय औद्योगिक क्षेत्र, बाजपुर, काशीपुर में परिवर्तित कर दिया गया। इसका शाखा कार्यालय ई0सी0 रोड, देहरादून में भी स्थित है।

कुमाऊं गढ़वाल वाणिज्य व उद्योग मण्डल क्षेत्र के उद्योगों की बेहतरी के उद्देश्य से धीरे-धीरे विकसित हो रहा है। इसकी सदस्य संख्या बढ़कर लगभग 300 हो गई है। जिसमें काशी विश्वनाथ स्टील्स, सैम केबल्स और कंडक्टर प्रा0 लिमिटेड, सेंचुरी पल्प और पेपर, सूर्या रोशनी लिमिटेड, होंडा सिएल पावर उत्पाद, सिद्धार्थ पेपर्स लिमिटेड, एसआरएफ लिमिटेड, पॉलीप्लेक्स निगम लिमिटेड, रूद्रपुर सॉल्वेंट्स, इस्पात इंजीनियर्स, भास्कर एनर्जी लिमिटेड, ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नेस्ले लिमिटेड, एचसीएल इन्फोसिस्टम, जी0एस0 एस्कॉर्ट्स, भेल आदि प्रतिष्ठित उद्योग सम्मिलित है।

राज्य के औद्योगिक विकास में कुमाऊं गढ़वाल वाणिज्य व उद्योग मण्डल ने अहम भूमिका निभाई है। यह उत्तराखंड में निवेश करने वालों के हितों का ध्यान रखने वाली एक प्रतिष्ठित संस्था है। जो उद्योग और सरकार के बीच समन्वय में का काम करती है।

12.3.4 उत्तराखंड हथकरघा व हस्तशिल्प विकास परिषद (UHHDC- Uttarakhand Handloom and Handicraft Development Council)

सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत 'उत्तराखंड हथकरघा व हस्तशिल्प विकास परिषद' एक पंजीकृत सोसायटी है। उद्योग मंत्री इस परिषद के अध्यक्ष होते हैं। निजी सचिव, उद्योग, इस परिषद के सदस्य सचिव होते हैं। परिषद उद्योग निदेशालय तथा जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से काम करती है। उद्योग के अतिरिक्त निदेशक इस परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं। उत्तराखंड हथकरघा व हस्तशिल्प विकास परिषद उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित पंजीकृत परिषद है। यह कारीगरों, निर्माताओं व खरीदारों का मार्गदर्शन व संगठित करती है। साथ ही उनके बीच सीधी बातचीत के अवसर की व्यवस्था करती है।

उत्तराखंड में हथकरघा ऊनी, सूती, रेशम उत्पाद व अन्य प्राकृतिक रेशों उत्पाद प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और यहाँ के लोगों को सदियों से कला व शिल्प के विभिन्न रूप बनाने में महारत है। वर्तमान समय में आधुनिक सस्ते मशीन उत्पाद के कारण कला व शिल्प उत्पादों को कठोर प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए राज्य सरकार द्वारा इनके विकास व पुनर्जीवन हेतु कठोर कदम उठाये जाने की जरूरत है इस दृष्टिकोण से उत्तराखंड हथकरघा व हस्तशिल्प विकास परिषद का गठन किया गया था।

यह हस्तशिल्प व हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देकर स्थायी रोजगार के अवसर पैदा करने में सहायक है। इसका मुख्यालय औद्योगिक क्षेत्र पटेल नगर देहरादून में स्थित है। इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर यह जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से कार्य करती है।

12.3.5 उद्योग निदेशालय, उत्तराखंड (Directorate of Industries, Uttarakhand)

उद्योग निदेशालय राज्य स्तरीय कार्यालय है जिसकी जिम्मेदारी राज्य में औद्योगिक विकास के लिए नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने को है। निदेशालय का मुख्य उद्देश्य राज्य में विनिर्माण व सेवा क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करना, उद्यमिता को प्रोत्साहित करना तथा लघु उद्योग क्षेत्र में प्रतियोगिता को

प्रोत्साहित करना है। उद्योग निदेशालय, जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से काम करता है। जिला उद्योग केन्द्र, सूचना केन्द्र, परामर्श केन्द्र, उद्यम शीलता केन्द्र तथा एकल खिड़की सम्पर्क सुविधा के रूप में कार्य करते हैं। राज्य के सभी 13 जिलों में जिला उद्योग केन्द्र कार्य कर रहे हैं। इसका मुख्यालय औद्योगिक क्षेत्र पटेल नगर, देहरादून में स्थित है। जिला उद्योग केन्द्र का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना है, ताकि निवेश प्रोत्साहन द्वारा अधिकाधिक रोजगार सृजन हो। ये केन्द्र निम्न कार्य सम्पादित करता है -

1. उद्योग स्थापना व स्वरोजगार हेतु परामर्श देता है। इसके लिए जिला उद्योग केन्द्र हल्द्वानी के परामर्श कक्ष की स्थापना की गई है।
2. भारत सरकार/राज्य सरकार की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत उद्यमियों को दी जाने वाली सहायता व सूचना की उपलब्धता सुनिश्चित करता।
3. विभिन्न बैंको के माध्यम से उद्यमियों की ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति कराना।
4. लघु औद्योगिक इकाईयों के लिए भूमि व प्लांट आवंटित करना।
5. विभिन्न लघु उद्योग, हथकरघा, हस्तशिल्प व ग्रामोद्योग के विकास हेतु कार्यक्रम लागू कराना।
6. लघु उद्योगों के आंकड़े एकत्र करना।

12.3.6 उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड (UTDB- Uttarkhand Tourism Development Board)

उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड उत्तराखंड सरकार के अधीन एक सांविधिक बोर्ड है। पर्यटन मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं मुख्य सचिव तथा निजी क्षेत्र के पांच विशेषज्ञ, इसके सदस्य होते हैं। बोर्ड पर्यटन विकास से सम्बन्धित गतिविधियों के नियमन के लिए एजेंसी के रूप में कार्य करता है। पर्यटन व सम्बन्धित परियोजना की मंजूरी के लिए एकल खिड़की के रूप में सुविधाएँ प्रदान करता है। यह राज्य में पर्यटन के विकास हेतु प्रशासनिक व वित्तीय सुविधाएँ भी प्रदान करता है। इसका मुख्यालय गढ़ी कैंट, देहरादून में स्थित है।

राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित रोजगारपरक चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना पर्यटन उद्योग के बढ़ावा देने लागू की गई है। बोर्ड प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार को सुझाव देता है और उद्योग के हित में नीति निर्माण में सहयोग देता है।

12.3.7 औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (DIPP- Development of Industrial Policy & Promotion)

औद्योगिक विकास हेतु उचित नीति बनाने व कार्यान्वयन के लिए औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्रीय व राज्य प्राथमिकताओं, सामाजिक व आर्थिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उत्पादन व औद्योगिक विकास हेतु नीति निर्माण की सिफारिश करता है। चयनित उद्योगों जैसे सीमेन्ट, कागज, चमड़ा, टायर व रबड़, हल्के विद्युत उद्योगों, उपभोक्ता वस्तुओं, हल्के मशीन टूल्स, इंजीनियरिंग संबंधी उद्योगों के अध्ययन, मूल्यांकन व तकनीकी विकास की आवश्यकता का अनुमान लगता है। औद्योगिक प्रगति व अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग में तालमेल बैठाने का काम करता है। ताकि राज्य में विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया जा सके।

12.3.8 भारतीय उद्योग परिसंघ (Cofederation of Indian Industry- CII)

यह एक गैर सरकारी उद्योगों का नेतृत्व करने वाला उद्योग प्रबन्धित संगठन है। जो सरकार के साथ मिल कर नीतिगत मुद्दों पर कार्य करती है। यह कुशल प्रतियोगिता, वैश्विक संबंधों तथा विशिष्ट सेवाओं के माध्यम से उद्योगों के विस्तार के अवसरों को बढ़ाता है। भारतीय उद्योग परिसंघ भारतीय उद्योग और

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार समुदाय के बीच समन्वय का कार्य करता है। उत्तराखंड राज्य में भी यह उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राज्य में इसका कार्यालय देहरादून में स्थित है।

उत्तराखंड राज्य परिषद, अपने केन्द्रीय उद्देश्य 'उद्योग के माध्यम से समग्र विकास' पर कार्य कर रही है। उत्तराखंड एक युवा राज्य है जो विकास की नई ऊँचाईयां छूने को प्रयासरत है। परिषद आर्थिक विकास के विस्तृत उद्देश्य को प्राप्त करने के अतिरिक्त उद्यम विकास, औद्योगिक प्रतियोगिता, पर्यावरण संरक्षण व जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर भी कार्य कर रही है।

उत्तराखंड के विजन 2020 के दस्तावेज के साथ ही परिषद मजबूत समावेशी व हरित विकास हेतु प्रयासरत है। जिससे कुशल जनशक्ति को रोजगार प्राप्त हो, इस क्षेत्र में परिषद आईटीआई को मजबूत करने में सक्रिय भूमिका हेतु तैयार है। साथ ही परिषद समय-समय पर विभिन्न विषय पर परिचर्चा, सम्मेलन व कार्यशाला आयोजित कर औद्योगिक विकास में मार्गदर्शक का कार्य कर रही है। परिषद राज्य के विभिन्न तकनीकी संस्थानों जैसे- ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय तथा पेट्रोलियम व ऊर्जा विश्वविद्यालय के युवाओं में उद्यमिता का कौशल निर्माण करने हेतु परियोजना का निर्देशन कर रही है। 'विजन 2022' के तहत परिषद सार्वजनिक व निजी क्षेत्र की भागीदारी से बेहतर बुनियादी ढांचा तैयार करना, सभी के लिए स्वास्थ्य व जीवन स्तर में सुधार, पर्वतीय व दूरस्थ क्षेत्रों तक बुनियादी सुविधाओं को पहुँचाना, सामाजिक स्थिरता के साथ समावेशी विकास तथा स्थानीय समस्याओं का कम लागत में समाधान आदि विषय पर ध्यान केन्द्रित कर रही है।

12.3.9 उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (UERC- Uttarakhand Electricity Regulatory Commission)

उत्तराखंड सरकार ने विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम 1998 के तहत 1 जनवरी, 2002 को अधिसूचना जारी कर उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग का गठन किया गया। विद्युत अधिनियम 2003 की प्रस्तावना में व्यापक उद्देश्यों के रूप में विद्युत उत्पादन, वितरण, व्यापार, उपभोग व विद्युत उद्योग के विकास के लिए अनुकूल उपायों को शामिल किया गया। साथ ही सभी क्षेत्रों के लिए विद्युत दर व उपयोग के लिए संबंधित कानूनों को मजबूत करना। यह आयोग औद्योगिक क्षेत्र के विद्युत दर का निर्धारण करता है और विद्युत या विद्युत दर सम्बन्धित विवादों का निबटारा करता है।

12.3.10 उत्तराखंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कम्पनी लिमिटेड (UIDCL- Uttarakhand Infrastructure Development Company Limited)

यह उत्तराखंड सरकार और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास वित्त कम्पनी लिमिटेड (IDFC) की संयुक्त कम्पनी है। जो 18 नवम्बर 2002 को अस्तित्व में आई। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में आधारभूत संरचना संबंधी परियोजनाओं के चयन, विकास और कार्यान्वयन में सरकार की नीति निर्माण में सहायता करना है। इनसे उत्तराखंड सरकार की 49% IDEC की 49.9% तथा I&MSD की 1.1% की हिस्सेदारी है। इसके निदेशक मण्डल में उत्तराखंड सरकार द्वारा तथा IDFC द्वारा मनोनीत सदस्य है। यह क्षेत्रीय विकास हेतु नीतियों का विकास करने के साथ आधारभूत संरचना संबंधी परियोजनाओं की व्यवहारिकता का अध्ययन करती है और उसकी वित्तीय व्यवहारिकता का विश्लेषण करती है। यह चयनित निजी विकास संस्थाओं से बातचीत व समझौते द्वारा संरचना परियोजना में भागीदारी सुनिश्चित करती है।

यह कम्पनी शहरी विकास, परिवहन विकास, पर्यटन विकास, विद्युत, कृषि विकास सहित औद्योगिक विकास हेतु प्रयासरत है। परिवहन के क्षेत्र में यह एक्प्रेस बस परिवहन प्रणाली, बस टर्मिनल, परिवहन नगर

निर्माण तथा पुल व फ्लाईओवर निर्माण हेतु कार्य कर रही है। पर्यटन उद्योग के विकास के लिए यह परिस्थितिकी पर्यटन व चिकित्सा पर्यटन पर ध्यान दे रही है और होटल, रोपवे तथा मनोरंजन पार्कों के निर्माण पर सरकार के साथ कार्य कर रही है। औद्योगिक क्षेत्र में यह सरकार के साथ निजी भागीदारी को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है और राज्य की औद्योगिक सम्पदा के संबंधित नीतियों में सरकार को परामर्श देती है।

12.3.11 गढ़वाल मण्डल विकास निगम (Garhwal Mandal Vikas Nigam)

गढ़वाल मण्डल के विकास हेतु 31 मार्च 1976 को गढ़वाल मण्डल विकास निगम की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य गढ़वाल क्षेत्र में पर्यटन विकास सहित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना था। यह निगम अनेक जिलों में उद्योगों का संचालन करता है जैसे - रेजिन एवं अरपेन्टाइन फैक्ट्री तिलवाड़ा (चमोली), पर्वतीय उडऊल फैक्ट्री मुनिकीरेती (टिहरी), सीमेन्ट कंक्रीट ब्लॉक इकाई, टिहरी तथा फलशडोर फैक्ट्री कोटद्वार (पौड़ी)। इसके साथ निगम ने चकराता तथा बड़कोट में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की है। निगम खाद्य प्रसंस्करण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

गढ़वाल मण्डल में अनुसूचित जनजाति के आर्थिक विकास के लिए निगम ऊन उद्योग व ऊनी वस्त्र उद्योग को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, देहरादून के पर्वतीय क्षेत्र में ऊन उत्पादन केन्द्र तथा देहरादून, मसूरी, ऋषिकेश, टिहरी, श्रीनगर, नई दिल्ली में निगम ने बिक्री केन्द्र स्थापित किए हैं। निगम क्षेत्र के विकास हेतु कृषि व उद्यान उत्पादित वस्तु के विक्रय केन्द्र, गैस, पेट्रोल पम्प तथा पर्यटन हेतु यातायात की सेवाएं भी प्रदान करता है। गढ़वाल क्षेत्र में तीर्थ यात्राओं तथा सहासिक पर्यटन को निगम ने नई ऊँचाईयों पर पहुँचाया। वर्तमान समय में निगम के पास 40 करोड़ रुपये से ज्यादा की परिसम्पत्ति, 90 से अधिक अतिथि गृह और पर्यटक बंगलें हैं और निगम में 1200 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं।

12.3.12 कुमाऊं मण्डल विकास निगम (Kumaon Mandal Vikas Nigam)

कुमाऊं क्षेत्र में तीव्र व व्यवस्थित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कुमाऊं मण्डल विकास निगम की स्थापना की गई थी। निगम बुल्स लिमिटेड काठगोदाम, टेलीट्रॉनिक्स लिमिटेड भीमताल (नैनीताल) सीमेन्ट इकाई भुजान (अल्मोड़ा), वार्वड वायर काठगोदाम, वार्निश इकाई चम्पावत, मशरूम इकाई भवाली आदि का संचालन कर रही है। निगम के कुमाऊं क्षेत्र के अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास हेतु कुमाऊं अनुसूचित जनजाति निगम के नाम से एक सहायक कम्पनी स्थापित की गई, जिसके सहयोग से डीडीहाट पिथौरागढ़ में गलीचा केन्द्र, मुनस्यारी तथा बागेश्वर में ऊन उत्पादन व विक्रय केन्द्र स्थापित किए गये हैं। निगम लघु, कुटीर व बागवानी उद्योग की स्थापना हेतु अनुदान के साथ इनके लिए कच्चा माल उपलब्ध कराने के साथ माल बिक्री को भी व्यवस्था करता है। कुमाऊं क्षेत्र में पर्यटन सुविधाओं के विकास में भी निगम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत सरकार निगम के सहयोग से ही मानसरोवर यात्रा की व्यवस्था करता है। निगम के लगभग सभी पर्यटन स्थल पर आवास गृह हैं। जिसमें क्षेत्र के हस्तशिल्प उत्पादों को बेचने के लिए बिक्री केन्द्र स्थापित किए गये हैं।

12.4 अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)

निम्न संस्थाओं का पूरा नाम लिखो:-

1. सिडकुल (SIDCUL)
2. IIA

रिक्त स्थान भरें:-

1. राज्य गठन के समय उत्तराखंड की विकास दरथी जो 2009-10 में हो गई।
2. सिडकुल की स्थापना को एक लिमिटेड कम्पनी के रूप में की गई।

12.5 सारांश (Summary)

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप यह जान चुके हैं उत्तराखंड राज्य 9 नवम्बर 2000 को अस्तित्व में आया। स्थापना के समय यहां का औद्योगिक विकास बहुत कम था जबकि अनेक उद्योगों हेतु बड़ी मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध था। इसलिए राज्य के अस्तित्व में आने के बाद राज्य सरकार व औद्योगिक विकास हेतु सक्रिय संगठनों के पहल से अनेक संस्थानों बोर्डों व निगमों की स्थापना हुई जो राज्य में तीव्र औद्योगिक विकास हेतु मार्गदर्शन का कार्य कर रहे हैं। यद्यपि गढ़वाल व कुमाऊं मण्डल विकास निगम, हथकरघा व हस्तशिल्प विकास परिषद तथा कुमाऊं गढ़वाल वाणिज्य व उद्योग मण्डल जैसे संस्थान राज्य स्थापना से पहले ही इस दिशा में कार्य कर रहे थे परन्तु राज्य स्थापना के बाद सिडकुल विद्युत नियमांक आयोग, उत्तराखंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कम्पनी, उत्तराखंड उद्योग निदेशालय, उत्तराखंड उद्योग संघ, औद्योगिक नीति व संवर्धन विभाग तथा भारतीय उद्योग परिसंघ जैसी संस्थानों की स्थापना से राज्य में तीव्र विकास को गति मिली। सिडकुल द्वारा बड़े उद्योगों की स्थापना हेतु बड़े औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की गई। उद्योग व औद्योगिक नीति व संवर्धन विभाग औद्योगिक नीति निर्माण में सरकार के मार्गदर्शक का कार्य कर रहे हैं। जबकि अन्य संस्थान उद्यमियों के हित में सरकारी नीति-निर्माण व क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं ताकि राज्य तीव्र गति से विकास के पथ पर अग्रसर हो सकें।

12.6 शब्दावली (Glossary)

- दोहन - उत्पादन हेतु अत्यधिक उपयोग।
- आधारभूत संरचना - विकास में सहायक आधार जैसे-सड़क, परिवहन, विद्युत, लोह इस्पात, सीमेंट उद्योग आदि।
- जी.एस.डी.पी. - राज्य का सकल घरेलू उत्पादन अर्थात् राज्य द्वारा एक वर्ष में उत्पादित वस्तुएँ व सेवाएँ।
- प्राथमिक क्षेत्र - कृषि, खनन व मत्स्य उद्योग।
- उद्यम - उद्योग लगाने का जोखिम उठाना।
- एकीकृत औद्योगिक क्षेत्र - ऐसा औद्योगिक क्षेत्र जहाँ उद्योगों की स्थापना हेतु सम्पूर्ण सुविधाएँ हो।
- एकल खिड़की सुविधा - ऐसी व्यवस्था जहाँ उद्योग स्थापना हेतु सम्पूर्ण कार्यवाही एक छत के नीचे उपलब्ध हो।
- पुनर्गठन - ऐसा उद्योग जो संगठन में दोष के कारण हानि में चल रहे हो उनका संगठन व्यवस्था में सुधार।
- शीर्षस्थ - सबसे उच्च स्तर या प्रमुख।
- सूक्ष्म - अत्यन्त छोटी।
- उदारीकृत अर्थव्यवस्था - ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ उद्योग स्थापना हेतु विभिन्न नियम-कानून में छूट दी जाती है।
- गतिशील उद्यमियों - ऐसे उद्यमी जिनकी विचारधारा आधुनिक हो और जो नवीन तकनीक को बढ़ावा दें।
- समन्वय - तालमेल।
- कार्यान्वयन - लागू करना।

- संवर्धन - वृद्धि या विकास करना।

12.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answer for Practice Questions)

संस्थाओं का पूरा नाम:

1. State Industrial Development Corporation Uttarakhand Limited
2. Indian Industry Association

रिक्त स्थान:

(1) मात्र 2.9% -बढ़कर 9.41% (2) 18 जुलाई 2002

12.8 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची (Reference/Bibliography)

- कुमार प्रो० स्वतन्त्र; (नवम्बर 2010) "सम्पन्नता का हकदार" उत्तराखंड दशक 2000-2010 अमर उजाला पब्लिकेशन्स, नोएडा पृष्ठ सं० 63-64
- तिवारी अमर दीप; (नवम्बर 2010) "पहाड़ पर तेज रफ्तार विकास का पहिया" उत्तराखंड दशक 2000-2010 अमर उजाला प०लि० नोएडा पृष्ठ, संख्या 65-68
- बिष्ट डॉ० नारायण सिंह; (2003): उत्तरांचल हिमालयी राज्य: पर्वतीय क्षेत्र में औद्योगिकरण; डॉ० नारायण संस्थान, शोध नियोजन एवं विकास गोपेश्वर (चमोली) पृष्ठ संख्या - 138-140
- तिवारी अमर दीप; (नवम्बर 2010) 'प्रगति के पथ पर', उत्तराखंड दशक 2000-2010 अमर उजाला प०लि०, नोएडा, पृष्ठ संख्या-97।
- **The Entrepreneur Guide to Investment in Uttarakhand;** (May 2004) Published by Arora Sudhir K. Green Fields Publishers, Rajpur Road, Dehradun for Book World, Dehradun, page No. 279-280

12.9 सहायक/उपयोग पाठ्य सामग्री (Useful/Helpful Text)

- www.sidcul.com
- www.iiauttaranchal.com
- <http://uttarakhandcrafts.com>
- www.uerc.in
- <http://kgcci.co.in>
- www.doiuk.org
- www.uttaranchaltourism.in
- www.dipp.nic.in
- www.cii.org
- www.u-dec.com

- www.kmvn.org
- www.gmvnl.com

12.10 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

1. राज्य औद्योगिक विकास निगम उत्तराखण्ड लिमिटेड के उद्देश्य व भूमिका का वर्णन करो।
2. उत्तराखण्ड के औद्योगिक विकास में सहयोग देने वाली संस्थाओं की संक्षिप्त व्याख्या करो।
3. उत्तराखण्ड के औद्योगिक विकास में उत्तराखण्ड उद्योग संघ और उद्योग निदेशालय की भूमिका की व्याख्या करो।

इकाई-13 सामाजिक क्षेत्र (Social Sector)

- 13.1 प्रस्तावना (Introduction)
- 13.2 उद्देश्य (Objective)
- 13.3 सामाजिक क्षेत्र के विकास की आवश्यकता (Need for Development in Social Sector)
- 13.4 आर्थिक विकास एवं सामाजिक क्षेत्र में अन्तर सम्बन्ध (Interrelationship between Economic Development and Social Sector)
- 13.5 उत्तराखंड के सामाजिक विकास का तुलनात्मक अध्ययन (Comparative Study of Social Development of Uttarakhand)
- 13.6 शिक्षा (Education)
- 13.7 उत्तराखंड में उच्च तकनीकी शिक्षा (Higher Technical Education in Uttarakhand)
- 13.8 स्वास्थ्य सेवाएँ (Health Services)
- 13.9 महिला सशक्तिकरण तथा बाल विकास (Women Empowerment and Child Development)
- 13.10 समाज कल्याण (Social Welfare)
- 13.11 ग्रामीण विकास (Rural Development)
- 13.12 पेयजल एवं खाद्यान सुरक्षा (Drinking Water and Food Security)
- 13.13 अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)
- 13.14 सारांश (Summary)
- 13.15 शब्दावली (Glossary)
- 13.16 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answer for Practice Question)
- 13.17 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची (Reference/Bibliography)
- 13.18 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

13.1 प्रस्तावना (Introduction)

उत्तराखण्ड के आर्थिक विकास में औद्योगिकरण की निर्णायक भूमिका जिसमें औद्योगिक नीति तथा औद्योगिक विकास हेतु सहयोगी संस्थानों का अत्यधिक महत्व होता है। इस संदर्भ में व्यापक अध्ययन पूर्व की इकाई किया जा चुका है परन्तु किसी भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास तभी टिकाऊ एवं व्यापक होता है जबकि उसमें आम जनता की भागीदारी तथा उसका आत्मसातीकरण विकास की प्रक्रिया में सुनिश्चित होता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनुसार आर्थिक प्रगति तभी सार्थक है जबकि उसका लाभ समाज में अन्तिम व्यक्ति तक पहुंचता है। साथ ही संविधान निर्माता डॉ० बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार आर्थिक प्रगति सामाजिक न्याय के बगैर अधूरी है।

अतः विकास के सामाजिक सरोकार के लिए तथा राज्य में आम जनता की विकास की प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मजबूत सामाजिक क्षेत्र का विकास अनिवार्य है। इसके अन्तर्गत सबको शिक्षा, सबको स्वास्थ्य, पेयजल, साफ सफाई, विद्युत, स्वच्छ पर्यावरण एवं रोजगार जैसी सुविधाएँ सभी क्षेत्रों एवं वर्गों तक पहुंचनी चाहिये। इसलिए आर्थिक विकास को व्यापक करने के लिए सामाजिक क्षेत्र का विकास आवश्यक एवं अनिवार्य है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) में भी उपेक्षित वर्ग तक को आर्थिक विकास प्रक्रिया में आत्मसात करने हेतु “समावेशी विकास” की अवधारणा को अपनाया गया है। इसके लिए गरीबी तथा बेरोजगारी निवारण, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, साफ-सफाई एवं समाज कल्याण की सुविधाओं के विस्तार जैसे सामाजिक क्षेत्र के विभिन्न आयामों में व्यापक प्रयास विशेष तौर पर किए जा रहे हैं तथा इस संदर्भ में उत्तराखण्ड में भी विभिन्न योजना एवं कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

13.2 उद्देश्य (Objective)

इस इकाई के अध्ययन के उद्देश्य निम्न हैं-

- ✓ सामाजिक क्षेत्र एवं आर्थिक विकास में अन्तर सम्बन्धित की समझ विकसित करना।
- ✓ सामाजिक क्षेत्र के विकास की आवश्यकता।
- ✓ सामाजिक क्षेत्र के मुख्य घटक कौन कौन से हैं?
- ✓ सामाजिक क्षेत्र के विभिन्न घटकों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के सम्बन्ध में समस्याएँ एवं सरकारी प्रयासों का अध्ययन करना।
- ✓ राज्य का सामाजिक विकास के क्षेत्र में तुलनात्मक अध्ययन करना।

13.3 सामाजिक क्षेत्र के विकास की आवश्यकता (Need for Development in Social Sector)

सामाजिक क्षेत्र के विकास की आवश्यकता निम्न कारणों से है-

1. आर्थिक विकास को व्यापक, टिकाऊ तथा दीर्घकालिक स्वरूप प्रदान करने के लिए।
2. राज्य की मूलभूत समस्याओं जैसे - गरीबी तथा बेरोजगारी एवं पलायन को नियंत्रित करने के लिए।
3. सभी क्षेत्रों एवं वर्गों तक बुनियादी सुविधाओं को सर्वसुलभ बनाने के लिए।

4. महिला सशिक्षण तथा बाल विकास करने के लिए।
5. समाज कल्याण को अधिकतम करने तथा राज्य में जीवन स्तर में गुणात्मक वृद्धि करने के लिए।

13.4 आर्थिक विकास एवं सामाजिक क्षेत्र में अन्तर सम्बन्ध (Interrelationship between Economic Development and Social Sector)

आर्थिक विकास एवं निरंतर चलने वाली व्यापक अवधारणा है तथा आर्थिक विकास को विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा विभिन्न रूपों में परिभाषित किया गया है। परम्परागत तौर पर आर्थिक विकास को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) तथा प्रति व्यक्ति आय में संवृद्धि एवं तीव्र औद्योगीकरण के रूप में परिभाषित किया जाता रहा है। परन्तु सर्वप्रथम तो प्रो० डिडले सोरेज तथा विश्व बैंक के गवर्नर रॉबर्ट मैक्कनमारा ने सत्तर के दशक के आरम्भ में ही जी.एन.पी. में संवृद्धि की अवधारणा पर कुठाराघात करते हुए आर्थिक विकास को गरीबी तथा बेरोजगारी निवारण एवं न्यायपूर्ण पुर्नवितरण से जोड़ा कर परिभाषित किया।

1990 में मशहूर अर्थशास्त्री महबूब उल हक तथा अर्मत्यसेन के निर्देशन में प्रकाशित सर्वप्रथम “मानव विकास रिपोर्ट” में आर्थिक विकास को समाज के सम्मुख “विकल्पों की विस्तार” (Expasion in Choices) की प्रक्रिया के तौर पर परिभाषित किया है। इसके अन्तर्गत जीवन की गुणवत्ता तथा मूलभूत आवश्यकताओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा आदि को आर्थिक विकास की अवधारणा में सम्मिलित किया गया है। विकास के तुलनात्मक अध्ययन हेतु मानव विकास रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र के विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) द्वारा मानव विकास सूचकांक का निर्माण किया गया।

उत्तराखण्ड राज्य में भी राज्य निर्माण के पश्चात प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के सहयोग से मजबूत सामाजिक क्षेत्र के विकास हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा सम्पूर्ण देश में चलाये जाने वाले विकास कार्यक्रमों जैसे सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना आदि का क्रियान्वयन राज्य में किया जा रहा है। साथ ही साथ राज्य सरकार राज्य में सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिए स्वयं भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कार्य कर रही है तथा आम जनता की सहभागिता के माध्यम से विकास की प्रक्रिया में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है।

विजन 2030 के अन्तर्गत राज्य में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार हेतु विभिन्न कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। जिनमें शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, सड़क, विद्युत आदि सुविधाओं को जन सामान्य तक पहुंचाकर जनता के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार किया जाएगा।

13.5 उत्तराखण्ड के सामाजिक विकास का तुलनात्मक अध्ययन (Comparative Study of Social Development of Uttarakhand)

उत्तराखण्ड में सामाजिक क्षेत्र के विकास के आँकलन तथा उसके विश्लेषण हेतु यदि सामाजिक विकास के पैमानों पर यदि प्रकाश डाला जाए तो निम्न तस्वीर उभर कर सामने आती है-

	उत्तराखंड	सम्पूर्ण भारत
1. साक्षरता दर (2011 में) (प्रतिशत में)	78.8	74.4
2. महिला साक्षरता दर 2011 (प्रतिशत में)	64.1	65.46
3. शिशु मृत्यु दर (प्रति हजार 2020 में)	24	28
4. जीवन प्रत्याशा (वर्ष)	63	66.1
5. पेय जल सुविधाओं की तक परिवारों की पहुंच (प्रतिशत में, 2011)	97.08	
6. लिंग अनुपात (प्रति हजार, 2001)	963	943
7. मृत्यु अनुपात (प्रति हजार, 2022)	6.3	6
8. जन्म दर (प्रति हजार, 2022)	16.6	19.5
9. गरीबी रेखा के नीचे निवास	46.92	
10. प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भावों पर (रुपए) आधार वर्ष 2011-12 (2021-22)	1,96,282	1,50,326

(स्रोत: अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय (2023), सांख्यिकीय डायरी 2021-22, उत्तराखंड सरकार)

यदि उत्तराखंड के सामाजिक क्षेत्र के विकास का अध्ययन सम्पूर्ण भारत के सापेक्ष किया जाए तो राज्य की स्थिति शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सम्पूर्ण भारत से बेहतर नजर आती है। साथ ही जनांकिकीय पैमानों पर भी राज्य की स्थिति तुलनात्मक रूप से बेहतर दिखाई देती है। परन्तु गरीबी तथा बेरोजगारी के सन्दर्भ में राज्य की स्थिति तुलनात्मक रूप से गंभीर है। अतः सामाजिक क्षेत्रों के विभिन्न आयामों का अध्ययन नितान्त आवश्यक हो जाता है।

13.6 शिक्षा (Education)

हिमालय हमेशा से ज्ञान, ध्यान, योग तथा आध्यत्मिकता का स्रोत रहा है एवं देवभूमि उत्तराखंड का स्थान सदैव से इस दिशा में अग्रणी रहा है। राज्य के नगर जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग, उत्तरकाशी आदि प्राचीन काल से ही शिक्षा के जाने-माने केन्द्र रहे हैं। अंग्रेजी शासन के दौरान मसूरी, देहरादून, नैनीताल एवं रानीखेत जैसे पहाड़ी नगर अभिजात्य वर्गों की शिक्षा के प्रमुख केन्द्र बन कर उभरे। नवोदित राज्य में आर्थिक सामाजिक विकास की गति को तीव्र करने हेतु राज्य में शिक्षा के सभी पहलुओं जैसे विद्यालयी शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार हेतु व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं साथ ही शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

13.6.1 विद्यालयी शिक्षा:

उत्तराखंड की विद्यालयी शिक्षा "उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम 2006" के द्वारा संचालित की जाती है। इस अधिनियम के तहत उत्तराखंड में प्रारम्भिक तथा माध्यमिक शिक्षा (कक्षा 1 से 12 वीं कक्षा तक) को एकीकृत स्वरूप में स्वीकार किया गया है। भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2010-2011 के अनुसार

उत्तराखंड में वर्ष 2007-2008 तक 15,356 प्राथमिक विद्यालय, 4,623 उच्च प्राथमिक विद्यालय, 1027 हाईस्कूल तथा 1302 इंटरमीडियेट विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। इन विद्यालयों में लगभग 23 लाख विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं।

यदि राज्य में साक्षरता के स्तर का विश्लेषण किया जाए तो वर्ष 2011 में राज्य में साक्षरता का स्तर 78.8 प्रतिशत है। पुरुषों के लिए यह 87.4 प्रतिशत एवं महिलाओं के लिए यह 70 प्रतिशत है। सम्पूर्ण भारत में साक्षरता का स्तर 74.04 प्रतिशत है। जोकि पुरुषों के लिए 82.14 प्रतिशत तथा महिलाओं के लिए 65.46 प्रतिशत है। अतः स्पष्ट है कि उत्तराखंड में साक्षरता का स्तर सम्पूर्ण भारत में साक्षरता के स्तर से बेहतर है।

उत्तराखंड में साक्षरता की जिलेवार स्थिति – 2011 (प्रतिशत में)

जनपद	कुल साक्षरता	पुरुष साक्षरता	महिला साक्षरता
1. अल्मोड़ा	80.5	92.9	69.9
2. उत्तरकाशी	75.8	88.8	62.4
3. ऊधमसिंह नगर	73.1	81.1	64.4
4. चम्पावत	79.8	91.6	68
5. चमोली	82.7	93.4	72.3
6. टिहरी गढ़वाल	76.4	89.8	64.3
7. देहरादून	84.2	89.4	78.5
8. नैनीताल	83.9	90.1	77.3
9. पिथौरागढ़	82.2	92.7	72.3
10. पौड़ी गढ़वाल	82	92.7	72.6
11. बागेश्वर	80	92.3	69
12. रुद्रप्रयाग	81.3	93.9	70.4
13. हरिद्वार	73.4	81	64.8
कुल	78.8	87.4	70

(स्रोत: अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय (2023), सांख्यिकीय डायरी 2021-22, उत्तराखंड सरकार, पृ० 100)

उपरोक्त वर्गीकरण से स्पष्ट है कि राज्य में पहाड़ी जिलों में साक्षरता का स्तर पूरी तरह से मैदानी जिलों ऊधमसिंह नगर एवं हरिद्वार से बेहतर है। देहरादून में साक्षरता का स्तर सबसे बेहतर है। उसके पश्चात नैनीताल तथा पौड़ी गढ़वाल का स्थान है वही ऊधमसिंह नगर तथा हरिद्वार का स्थान सबसे नीचे है। महिला साक्षरता में जहां देहरादून, नैनीताल तथा पौड़ी अग्रणीय है वही उत्तरकाशी तथा टिहरी गढ़वाल सबसे पीछे है।

शिक्षा को सर्वसुलभ एवं सार्वभौमिक बनाने हेतु संविधान मे 86 वे संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद '21' के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा को अब निशुल्क तथा अनिवार्य बना दिया गया है। अतः केन्द्र सरकार की सहायता से शिक्षा के प्रचारप्रसार हेतु विभिन्न योजनायें तथा कार्यक्रम राज्य में चलाये

जा रहे हैं साथ ही साथ राज्य सरकार की शिक्षा को समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने हेतु वचनबद्ध है। इस दिशा में निम्न प्रयास किए जा रहे हैं।

13.6.2 विजन 2020 - राज्य में विजन 2020 के अन्तर्गत शत प्रतिशत साक्षरता एवं प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके लिए प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों का विस्तार किया गया। साथ ही निःशुल्क तथा गुणवत्तापरक अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए कक्षा एक से आठ तक अध्ययनरत विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराई गईं।

13.6.3 सर्वशिक्षा अभियान - शिक्षा की सार्वभौमिकता हेतु केन्द्र सरकार की सहायता से वर्ष 2003 से सर्वशिक्षा अभियान उत्तराखण्ड राज्य में चलाया जा रहा है। इस अभियान में केन्द्र सरकार की भागीदारी 75 प्रतिशत तथा राज्य सरकार की भागीदारी 25 प्रतिशत की है। इस अभियान का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों का नामांकन विद्यालय में करवाकर सन् 2010 तक सभी बच्चों को निःशुल्क तथा गुणवत्ता परक शिक्षा आठवीं कक्षा तक उपलब्ध करना है।

13.6.4 'मिड डे मील' कार्यक्रम - केन्द्र सरकार की सहायता से कार्यक्रम भी उत्तराखण्ड में चलाया जा रहा है। इसके अन्तर्गत आठवीं कक्षा तक के सभी बच्चों के लिए सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय में दोपहर का शुद्ध एवं पोषक भोजन मिलेगा। इस योजना के उद्देश्य सर्वशिक्षा अभियान को मजबूती प्रदान करना है।

13.6.5 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान - सर्वशिक्षा अभियान के पश्चात् बच्चों का नामांकन अनुपात माध्यमिक कक्षाओं में बढ़ाने, माध्यमिक शिक्षा की पहुंच तथा इसकी गुणवत्ता में वृद्धि करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009-10 में आरम्भ किया गया। जिसके अन्तर्गत बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक यानि 2017 तक माध्यमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना में केन्द्र तथा राज्य की भागीदारी 75:25 की है।

13.6.6 नवोदय विद्यालय - विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता संवर्द्धन हेतु भारत सरकार द्वारा संचालित जवाहर नवोदय विद्यालयों की ही तर्ज पर उत्तराखण्ड में 'राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों' की स्थापना की गई है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन एवं प्रतिभावान बालक-बालिकाओं के लिए विद्यालयों की स्थापना की जाती है। जिसमें निःशुल्क आवास तथा पाठ्य सामग्री प्रदान की जाती है। वर्तमान समय में राज्य के अधिकांश जिलों में इन विद्यालयों की स्थापना की जा चुकी है।

13.6.7 कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय - शैक्षणिक रूप से पिछड़े विकासखण्डों में बालिकाओं की शिक्षा और विशेष तौर पर अनसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्गों की छात्राओं के लिए शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु आवासीय विद्यालय स्थापित करने की केन्द्र सरकार की योजना है। राज्य सरकार की भागीदारी क्रियान्वित की गई है एवं वर्तमान समय में राज्य में लगभग सभी जनपदों में 25 कस्तूरबा गाँधी आवासीय विद्यालय कार्य कर रहे हैं।

13.6.8 बालिकाओं की शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम - बालिका शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए विकास खण्डों में इस योजना के अन्तर्गत माडल स्कूल स्थापित किए जाएंगे एवं पिछड़े विकास खंडों में बालिका छात्रावास स्थापित किए जाएंगे।

13.6.9 राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (S.C.E.R.T) उत्तराखण्ड - एस.सी.ई.आर.टी. राज्य की शिक्षा व्यवस्था विशेषकर विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता अभिवर्धन हेतु शोध एवं प्रशिक्षण के माध्यम शिक्षकों तथा शैक्षिक प्रशासकों की प्रभावी अकादमिक अनुसमर्थन प्रदान करने हेतु एस.सी.ई.आर.टी. की स्थापना सन्

2002 में की गई है। एस.सी.ई.आर.टी. पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें, प्रशिक्षण साहित्य का कार्य मुख्य तथा करती है। इसका मुख्यालय नरेन्द्रनगर एवं रामनगर में है।

13.6.10 आशीर्वाद योजना - सुदूरवर्ती क्षेत्रों के निर्धन एवं मेधावी छात्र-छात्राओं के लिए यह योजना आरम्भ की गई है। इसके अन्तर्गत निर्धन छात्र/छात्राओं को हाईस्कूल, इंटरमीडिएट के पश्चात चयनकर निःशुल्क इंजीनियरिंग करवाई जाती है। इसके अतिरिक्त राज्य में निर्धन एवं पिछड़े वर्गों के लिए देव भूमि मुस्कान योजना, पहल कार्यक्रम, सपनों की उड़ान तथा तेजस्वी योजनायें चलाई जा रही हैं एवं राज्य में मुक्त विद्यालय भी खोले जा रहे हैं। जिससे शिक्षा सभी वर्गों तक सुलभ हो सके।

13.6.11 उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद - इस परिषद का गठन 26 सितम्बर 2001 को किया गया इसके माध्यम से हाईस्कूल तथा इंटरमीडिएट परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है।

वर्ष 2011-12 विद्यालयी शिक्षा हेतु लगभग 3109.64 करोड़ का राज्य सरकार के बजट प्रावधान है। जो कि कुल बजट का 16.06 प्रतिशत है।

13.7 उत्तराखंड में उच्च तकनीकी शिक्षा (Higher Technical Education in Uttarakhand)

आर्थिक-सामाजिक विकास की प्रक्रिया में मानव संसाधन के विकास की मुख्य भूमिका रहती है। मानव संसाधनों का विकास मुख्यतया रोजगार परक, गुणवत्ता परक एवं व्यापक उच्च पेशेवर एवं तकनीकी शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर है। चूंकि उत्तराखंड में विकास के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं अतः इन अवसरों से भरपूर लाभ उठाने हेतु तथा राज्य से पलायन को रोकने के उद्देश्य से उच्च शिक्षा का विकास नितांत आवश्यक हो गया है।

उत्तराखंड राज्य निर्माण से पूर्व राज्य में केवल 6 विश्व विद्यालय कार्यरत थे जो कि निम्नवत् हैं -

1. हेमवती नंदन विश्व विद्यालय, श्रीनगर।
2. गोविन्द बल्लभपंत कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर।
3. कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
4. गुरुकुल कॉगडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार।
5. वन अनुसंधान संस्थान (एफ.आर.आई.) डीम्ड विश्वविद्यालय, देहरादून।
6. आई.आई.टी. रूड़की, विश्वविद्यालय, रूड़की।

राज्य निर्माण के पश्चात् राज्य में विश्वविद्यालयों के निर्माण की गति तीव्र हुई तथा सरकारी निजी एवं डीम्ड विश्वविद्यालय सभी श्रेणियों के विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई है।

नए स्थापित सरकारी विश्वविद्यालय निम्नवत् हैं-

7. दून विश्वविद्यालय, देहरादून
8. प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून।
9. संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार।
10. वानिकी एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

11. उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
12. सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा।
13. श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल।

राज्य में निजी विश्वविद्यालयों की भूमिका को शिक्षा हेतु बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई है:

1. देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार।
2. पेट्रोलियम एवं ऊर्जा विश्वविद्यालय, देहरादून।
3. इकफाई विश्वविद्यालय, सेलाकुई (देहरादून)।
4. हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय, देहरादून।
5. पंतजलि विश्वविद्यालय, देहरादून।
6. ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी।
7. स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी।

इसके अतिरिक्त राज्य में उच्च शिक्षा की दिशा में निम्न प्रयास किए जा रहे हैं:

- * ग्राफिक एरा तकनीकी संस्थान, देहरादून एवं हिमालय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, जौलीग्रॉंट को डीम्ड विश्वविद्यालयों के रूप में मान्यता दी गई है।
- * राज्य में वर्तमान समय में लगभग 124 महाविद्यालय हैं। महाविद्यालयों के शिक्षकों की कमी को दूर करने तथा गुणवत्तापरक शिक्षा की उपलब्धता हेतु अंतरिक्ष उपग्रह शिक्षा प्रणाली “एडुसैट” से महाविद्यालयों को चरणवत् तरीके से जोड़ा जाएगा।
- * दूरस्थ शिक्षा हेतु मुक्त वि.वि. हल्द्वानी में तथा हेमवन्ती नंदन बहुगुणा वि.वि. श्रीनगर को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है।
- * भारतीय प्रबन्ध संस्थान, काशीपुर तथा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर गढ़वाल (पौड़ी) एवं उत्तराखंड तकनीकी वि.वि. की स्थापना की गई है।
- * सुद्धोवाला (देहरादून) में महिला पॉलिटेक्निक को महिला इंजीनियरिंग कालेज विकसित किया जा रहा है।
- * राजकीय पॉलिटेक्निक को उन्नयन तथा सुदृढीकरण किया जाएगा तथा 50 प्रतिशत सीटें स्थानीय युवाओं हेतु आरक्षित की गई है।
- * स्थानीय भाषा बोली की उन्नति हेतु प्रयास के साथ-साथ राज्य में संस्कृत भाषा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है एवं संस्कृत के प्रचार-प्रसार हेतु राज्य के दोनों मंडलों में एक-एक संस्कृत नवोदय विद्यालय का गठन किया जाएगा।

13.8 स्वास्थ्य सेवाएँ (Health Services)

स्वास्थ्य सेवाएँ एवं सुविधायें सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिए मजबूत नींव का कार्य कर सशक्त राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चूँकि उत्तराखंड का अधिकांश भाग भौगोलिक रूप से दुर्गम तथा आर्थिक तौर पर पिछड़ा हुआ है। अतः विज्ञान 2020 के अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे का सभी क्षेत्रों में विस्तार का लक्ष्य निर्मित किया गया है। उत्तराखंड देश का प्रथम राज्य है जहाँ राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति

सन् 2002 में प्रस्तावित लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए उत्तराखण्ड राज्य की स्वास्थ्य तथा जनसंख्या नीति की घोषणा 6 फरवरी 2003 को की गई, जिसके प्रमुख लक्ष्य निम्नवत् हैं:

1. स्वास्थ्य हेतु राज्य के बजटीय वित्तीय प्रावधान को 2005 के कुल बजट के 7 प्रतिशत तथा 2010 में 8 प्रतिशत तक लाना है।
2. वर्ष 2005 तक पोलियों का उन्मूलन करना।
3. वर्ष 2010 तक मलेरिया, क्षय तथा अन्य विषाणु व जल जनित रोगों से मृत्युदर को कम करते हुए वर्ष 2010 तक 50 प्रतिशत की कमी करना।
4. एच.आई.वी./एड्स के बारे में जन चेतना का विस्तार करना तथा संक्रमणों में संवृद्धि को शून्य के स्तर तक लायें।
5. शिशु मृत्युदर को 2003 के 50 प्रति हजार से 2010 तक 28 प्रति हजार तक लाना है तथा बाल मृत्यु दर को 2006 तक 250 प्रति लाख एवं 2010 तक 100 प्रति लाख के स्तर तक लाना है।
6. जीवन प्रत्याशा को 2006 तक 67 वर्ष तथा 2010 तक 70 वर्ष के स्तर तक लाना है।
7. प्रजनन दर को वर्ष 2001 के 3.3 से 2010 तक प्रतिस्थापन के स्तर 2.1 तक लाना।
8. जन्मदर को 2010 तक 19.9 प्रति हजार तक लाना है।
9. मातृत्व मृत्यु दर को 250 प्रति लाख 2006 तक तथा 100 प्रति लाख 2010 तक लाना है।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या नीति के साथ साथ स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाओं के विस्तार तथा विकास एवं उन्हें सर्वसुलभ बनाने के लिए निम्न प्रयास किए जा रहे हैं। जिनमें केन्द्र सरकार सरकार का सहयोग लिया जा रहा है। साथ ही राज्य सरकार स्वयं इस दिशा में भी प्रयास कर रही है जो कि निम्नवत् है:-

उत्तराखण्ड में विजन 2020 के अन्तर्गत राज्य के पर्वतीय तथा अतिदुर्गम सुदूर क्षेत्रों में गुणवत्ता परक स्वास्थ्य की बुनियादी सेवाओं के विस्तार का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास तथा गुणवत्ता वर्धन हेतु निम्न प्रयास किए जा रहे हैं-

13.8.1 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (N.R.H.M.)- इस अभियान की शुरुआत 2005 में सारे देश में गुणवत्ता परक, वहनीय एवं जवाबदेह स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार हेतु की गई है तथा इसके मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं:-

1. सभी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम इसके अन्तर्गत समाहित होंगे।
2. स्वास्थ्य सुविधाओं के त्रिस्तरीय अवस्थापना ढांचे यानि सामुदायिक केन्द्रों, प्राथमिक केन्द्रों तथा उपकेन्द्रों का देशव्यापी विस्तार किया जाएगा।
3. अभियान के अन्तर्गत डॉक्टरों समेत चिकित्सा कर्मियों जैसे नर्सों, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) तथा सहायक नर्स (ए.एन.एम.) की नियुक्ति समुचित मात्रा में की जाएगी।
4. प्रत्येक ग्राम में स्वास्थ्य तथा सफाई समितियों की स्थापना की जाएगी।

5. सुरक्षित प्रसव सुविधाओं हेतु संस्थागत तौर पर प्रसव सुविधाओं के लिए जननी सुरक्षा योजना चलाई जा रही है। जिसके तहत संस्थागत तौर पर प्रसव कराने वाली माताओं को नगद पुरस्कार का प्रावधान किया गया है।

उत्तराखण्ड राज्य में नए 404 सैटेलाईट उपकेन्द्रों की स्थापना, 13 हेडेगेवार अरोग्य रथ तथा 04 सचल चिकित्सालय स्थापित किए गए हैं। वर्तमान समय में राज्य में 1896 उपकेन्द्र, 577 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 80 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

उपरोक्त राष्ट्रीय कार्यक्रम के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र में निम्न कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं:-

1. मुख्यमंत्री सुदूर स्वास्थ्य सुदृढीकरण योजना के अनुसार राज्य के समस्त दुर्गम, अति दुर्गम विकास खंडों के असेवित क्षेत्रों में भातृ शिशु कल्याण केन्द्र खोले जा रहे हैं।
2. राज्य में जीवनदायनी प0 दीनदयाल उपाध्याय आपातकालीन सचल स्वास्थ्य सेवा एम्बुलेन्स 108 का सफलता पूर्वक तौर पर क्रियान्वयन किया जा रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री के बजटीय भाषण 2011 के अनुसार विगत वर्षों में इसके माध्यम से 1 लाख 82 हजार मां बच्चों के जीवन बचाने के साथ साथ लगभग 32 हजार लोगों को विभिन्न दुर्घटनाओं में बचाकर एक विश्वकीर्तिमान बनाया है।
3. जीवन दायनी 108 आपात सेवा की असीम लोकप्रियता के बाद अब सरकार 104 निःशुल्क परामर्शी सेवा आरम्भ करने के साथ-साथ आपातकालीन जल तथा हवाई एम्बुलेन्स सुविधा आरम्भ कर रही है।
4. प्रत्येक जनपद में आयुष (आयुर्वेद, योगा, नैचरोपैथी, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी) के चिकित्सालय स्थापित किए जाएंगे एवं अंतर्राष्ट्रीय आयुष शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी।
5. राज्य में एम्स की तर्ज पर श्रीकोट (श्रीनगर गढ़वाल) में वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली चिकित्सीय अनुसंधान संस्थान तथा हल्द्वानी में राजकीय मेडिकल कॉलेज, देहरादून में दून मेडिकल कॉलेज, अल्मोड़ा में सोबन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान शोध संस्थान की स्थापना की गई है। तथा रुद्रपुर, हरिद्वार और पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं।
6. राज्य कर्मचारियों तथा पेशनरों के लिए चिकित्सा सुविधा हेतु स्मार्ट हेल्थ कार्ड की योजना आरम्भ की गई है।
7. राज्य के 2011-12 में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण हेतु 824.34 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वही चिकित्सा शिक्षा के लिए 1489.70 करोड़ का प्रावधान है।

13.9 महिला सशक्तिकरण तथा बाल विकास (Women Empowerment and Child Development)

प्राचीन से ही हिमालय के पर्वतीय भूभाग मातृशक्ति केन्द्रत रहा है। अतः उत्तराखण्ड में भी महिलाओं की भूमिका सामाजिक संचेतना से लेकर आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण रही है। साथ ही महिलाओं ने यहां राष्ट्रीय आंदोलन से लेकर समाजसुधार एवं वन तथा पर्यावरण से जुड़े आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास की दिशा में वर्तमान समय में निम्न प्रयास किए जा रहे हैं:-

1. उत्तराखंड राज्य में जेण्डर बजटिंग की अवधारणा को 2007-08 से अपनाया गया है। जिससे महिलाओं के प्रति बजट में संवेदनशीलता न सिर्फ प्रदर्शित होती है बल्कि सरकार की वचन बद्धता भी स्पष्ट होती है। वर्ष 2011-2012 के बजट में इस दिशा में 1417.75 करोड़ रूपयों का प्रावधान किया गया।
2. राज्य में महिला आयोग स्थापित किया गया है एवं बाल आयोग का गठन प्रस्तावित है।
3. समेकित बाल विकास सेवा (Integrated Child Development Services-I.C.D.S.) जिसका आरम्भ 1975 में अखिल भारतीय स्तर पर किया गया था उसका राज्य में सार्वभौमिकीकरण कर दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य आगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से बच्चों तथा माताओं के स्वास्थ्य एवं पोषण के स्तर में सुधार करना है।

13.9.1 सबला योजना - जीवन कौशल, वोकेशनल शिक्षा तथा स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा के माध्यम से किशोरी बालाओं के समन्वित विकास को सुनिश्चित करने हेतु हरिद्वार, चमोली, उत्तरकाशी एवं नैनीताल में इस योजना को आरम्भ किया गया है।

13.9.2 नंदा देवी कन्या धन योजना - इस योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा गरीबी रेखा के नीचे (बी.पी.एल) परिवारों में जन्मी प्रथम दो कन्या शिशुओं के जन्म पर 7500 रु प्रदान किए जाते हैं।

13.9.3 गौरा देवी कन्या धन योजना - बी.पी.एल. परिवारों की बालिकाओं के विवाह हेतु उनके इण्टर पास करने के उपरान्त 25000 रु की धनराशि सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

13.9.4 स्वयं सिद्धा योजना - महिला सशक्तिकरण हेतु यह समन्वित कार्यक्रम है। इसके अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों की स्थापना कर उन्हें आत्मनिर्भर बना कर महिलाओं के सशक्तिकरण का प्रयास किया जा रहा है।

13.9.5 टेकहोम राशन योजना - 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों, गर्भवती तथा छात्री माताओं के लिए टेक होम राशन योजना की व्यवस्था की गई है।

महिला समूहों को स्वावलम्बी बनाये एवं मातृ शक्ति को पहचान देने हेतु उत्तराखंड महिला समेकित योजना के अन्तर्गत 'आदि योग योजना' आरम्भ की गई है।

महिला सशक्तिकरण मिशन के अन्तर्गत मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य मिशन प्राधिकारण स्थापित किया गया है।

इसके अतिरिक्त महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु उनके शैक्षिक विकास के लिए किशोरी शक्ति योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना तथा महिला इंजीनियरिंग कॉलेज आदि की स्थापना की जा रही है साथ ही विशिष्ट क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं के लिए 'वीरांगना तीलू रौतेली' पुरस्कार आरम्भ किया गया है।

13.10 समाज कल्याण (Social Welfare)

राज्य में आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को विकास की प्रक्रिया में आत्मसात करने हेतु राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार की सहायता से विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक तथा महिलाओं के कल्याण एवं विकास की परियोजनाओं के संचालन के लिए सरकार कारगर ढंग से निम्न कार्य कर रही है:-

13.10.1 समाज कल्याण बोर्ड का पुर्नगठन - उत्तराखण्ड में राज्य समाज कल्याण बोर्ड का गठन, श्रीमति निरुपमा गौड़ की अध्यक्षता में किया गया है। बोर्ड में अध्यक्ष के अतिरिक्त छः अन्य सदस्य भी नामित किए गए हैं। बारह सदस्यीय बोर्ड के अन्य छः सदस्यों को केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड नामित करेगा। समाज कल्याण बोर्ड का मुख्य उद्देश्य समाज में महिलाओं के कल्याण, विकास तथा सशक्तिकरण हेतु स्वैच्छिक संगठनों के साथ रचनात्मक भागीदारी सुनिश्चित करना है। इसके लिए बोर्ड स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। जिससे महिलाओं में शिक्षा प्रशिक्षण सामुहिक चेतना एवं जागरूकता का प्रसार किया जा सके।

1. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के हितों की रक्षा हेतु अनुसूचित जाति जन जाति आयोग का गठन किया गया है। इसी प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है।
2. अल्पसंख्यक वर्गों के कल्याण तथा हितों की रक्षा हेतु पृथक अल्पसंख्यक आयोग एवं अल्पसंख्यक कल्याण वक्फ विकास निगम का गठन किया गया है।
3. विकलांगों के हितों की रक्षा हेतु विकलांग जन आयुक्त कार्यालय की स्थापना की गई है।
4. प्रत्येक जनपद में किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया गया है। जिससे किशोर एवं किशोरियों के विरुद्ध दर्ज किए गए आपराधिक मामलों की पृथक सुनवाई की जा सके।
5. राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची का विस्तार करते हुए कुथलिया बोरा, रावाल्ता/जौनपुरी एवं गोरवा समुदाय को पिछड़ा वर्ग में शामिल कर उन्हें आरक्षण तथा अन्य सुविधाओं का लाभ प्रदान किया गया है।
6. मुस्लिम तथा अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2011-12 में अल्पसंख्यक वर्ग के लिए 2 लाख 52 हजार छात्रवृत्तियों को प्रदान करने का लक्ष्य है। वहीं अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति का लक्ष्य 7 लाख 57 हजार का निर्धारित किया गया है।
7. हज हाउस का निर्माण तथा हज समित को अनुदान दिया जा रहा है। मुस्लिमों के मध्य शिक्षा के विस्तार हेतु मुस्लिम ऐजुकेशन मिशन चलाया जा रहा है एवं मदरसों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है।
8. अनु.जाति अनु. जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यकों के वर्गों के निर्धन विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग की सुविधा प्रदान की जा रही है। एवं विशेषतौर पर अनु.जाति जनजाति हेतु देहरादून में एकलव्य आर्दश आवासी विद्यालय का संचालन आरम्भ किया गया है।
9. राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा के विस्तार हेतु नवोदय विद्यालय तथा विशेष तौर पर छात्राओं के लिए कस्तूरबा गांधी विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। विकलांग, वृद्धावस्था, विधवा पेंशन और विभिन्न छात्रवृत्तियों में और अधिक पारदर्शिता लाकर लाभ के पात्रों का दायरा विस्तृत किया जा रहा है।

समाज कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों हेतु 2011-12 में 512.83 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

13.11 ग्रामीण विकास (Rural Development)

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को ग्यारवीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास की रणनीति के अन्तर्गत बड़ा महत्व दिया गया है। इस रणनीति में ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, विद्युत सड़क आदि सुविधाओं के विस्तार के साथ साथ गरीबी एवं बेरोजगारी निवारण हेतु व्यापक प्रयास केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा साझा रूप से निम्न प्रकार से किए जा रहे हैं-

13.11.1 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (मनरेगा) - 2/2/2006 से आरम्भ यह भारत सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर ही निर्धन बेरोजगार लोगों को 100 दिन के रोजगार प्रदान किया जाएगा। जिससे गरीबी बेरोजगारी निवारण के साथ-साथ पलायन की समस्या का निवारण किया जा सके। योजना में 33 प्रतिशत भागीदारी महिलाओं की सुनिश्चित की जाएगी।

उत्तराखण्ड में मनरेगा के अन्तर्गत 2011-12 में 250 लाख मानव दिवस रोजगार के सृजन का लक्ष्य है।

वर्ष 2021-22 में 6.4 लाख व्यक्तियों द्वारा कार्य की मांग की गई जिसके सापेक्ष 5.7 लाख व्यक्तियों को कार्य दिया गया। 2.43 करोड़ (2,43,22,052) मानव दिवस का सृजित किया गया।

13.11.2 भारत निर्माण - भारत तथा इंडिया के मध्य की खाई को पाटने हेतु तथा ग्रामीण भारत में बुनियादी अवस्थापना सुविधाओं जैसे ग्रामीण आवास, सिंचाई, संचार, विद्युतीकरण, पेयजल तथा सड़क का विस्तार कर ग्रामीण जीवन स्तर में गुणात्मक परिवर्तन लाने का उद्देश्य 2005-06 में आरम्भ की गई है।

सड़को द्वारा गांवों को जोड़ने की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो कि 25 दिसम्बर 2000 से आरम्भ की गई थी अब भारत निर्माण के अन्तर्गत ही संचालित हो रही है। उत्तराखण्ड समेत सभी पहाड़ी क्षेत्रों में 500 तक ही जनसंख्या वाले गांवों को बाराहमासी सड़कों से जोड़ा जाएगा।

13.11.3 स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना - इस योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन के नाम से पुनर्गठित किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्र में महिला तथा बाल विकास कार्यक्रम (इवाकरा), गंगा कल्याण योजना, ग्रामीण दस्तकारी को उन्नत किट आपूर्ति योजना तथा दस लाख कुँआ योजना का समावेश किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करने वाले परिवार को निश्चित अवधि में गरीबी की रेखा के ऊपर लाना है। इस योजना के प्रथम घटक में विकास खण्ड स्तर पर चार पांच गतिविधियों का चयन पंचायत समिति द्वारा किए जाने का प्रावधान है एवं इन गतिविधियों के माध्यम से लाभार्थी को स्वरोजगार प्रदान किया जाएगा।

द्वितीय घटक में स्वयं सहायता समूह के निर्माण के माध्यम से स्वरोजगार प्रदान कर गरीबी निवारण करना है।

उत्तराखण्ड हेतु इस योजना में केन्द्र राज्य की भागीदारी का अनुपात 90:10 का है।

13.11.4 मुख्यमंत्री शिल्प विकास योजना - राज्य सरकार की इस योजना के अन्तर्गत लगभग 5,000 बी.पी.एल. परिवारों के शिल्पकारों को आर्थिक सहायता तथा प्रशिक्षण प्रदान कर उनकी आजीविका में गुणात्मक संवृद्धि करने का उद्देश्य है।

13.11.5 अटल आदर्श ग्राम योजना - यह योजना राज्य सरकार की ग्रामीण विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण योजना है। इसका उद्देश्य न्याय पंचायत स्तर पर ही ग्रामवासियों को समस्य सुविधायें प्रदान करना है। इस

योजना के अन्तर्गत चयनित ग्राम में बुनियादी सुविधाओं सड़क, विद्युत, आवास, पेयजल एवं शौचालय की सुविधाओं का विकास किया जाएगा। प्रत्येक न्याय पंचायत के मुख्यालय को अटल आर्दश ग्राम योजना के अन्तर्गत चयन किया जाएगा। वर्तमान में अब तक 670 ग्राम इसके अन्तर्गत चयनित किए गए हैं। अतः न्याय पंचायत स्तर पर ही सभी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। ग्रामीण विकास हेतु वर्ष 2011-12 के बजट में 551.82 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

13.11.6 अटल आवास योजना - अनुसूचित जाति जनजाति में गरीबी की रेखा से नीचे गुजारा कर रहे परिवारों को आवास उपलब्ध कराने हेतु उत्तराखण्ड सरकार द्वारा यह योजना मार्च 2009 से आरम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत उन परिवारों को लक्षित किया गया है जिनकी सालाना आय 32 हजार रूपयों से कम है तथा वह इंदिरा आवास, दीन दयाल उपाध्याय आवास या ग्रामीण आवास की ऋण, सब्सिडी योजना के अन्तर्गत आवास पाने से वंचित रह गए हैं।

13.12 पेयजल एवं खाद्यान्न सुरक्षा (Drinking Water and Food Security)

प्रदेश की जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। स्वच्छ पेयजल हेतु जिला तथा तहसील स्तर पर प्रयोगशालाएं विकसित की जा रही हैं तथा जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीनीकरण योजना तथा एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रमों नगरीय क्षेत्रों में पेयजल तथा जल संभरण के कार्यों का विस्तार किया जाएगा। 2011-12 के राज्य सरकार के बजट में उपरोक्त कार्यों के लिए 521.97 करोड़ रूपयों का प्रावधान किया गया है।

13.12.1 अटल खाद्यान्न योजना - गरीबी रेखा से नीचे बसर कर रहे परिवारों को 2 रु प्रति किलो गेहूं तथा 3 रु प्रति किलो की दर से चावल सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे। गरीबी की रेखा से ऊपर किन्तु 1 लाख 80 हजार वार्षिक आय से कम आय वाले परिवारों को 4 रु प्रति किलो की दर से गेहूं तथा 6 रु प्रति किलो की दर से चावल प्रदान किए जाएंगे।

13.12.2 जल जीवन मिशन: जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024 तक प्रत्येक घर में नल द्वारा पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए “जल जीवन मिशन” की शुरुआत की गई। “हर घर नल से जल” के अंतर्गत सभी ग्रामीण परिवारों को क्रियाशील घरेलू जल संयोजन (Function Household Tap Connection-FHTC) उपलब्ध कराना तथा नियमित 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराना लक्षित है। उत्तराखण्ड के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, दिसम्बर 2022 तक राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के कुल 10,49,634 परिवारों (70.24 प्रतिशत) को FHTC प्रदान किए जा चुके हैं। वर्ष 2022-23 हेतु अनुमोदित परिव्यय 1831.78 करोड़ (केन्द्रांश- 1612.50 करोड़ व राज्यांश 219.27 करोड़) के सापेक्ष 978.33 करोड़ परियोजना पर व्यय किए जा चुके हैं।

13.13 अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)

लघु उत्तरीय प्रश्न -

1. मानव विकास सूचकांक जारी करने वाली संस्था कौन सी है?
2. सर्व शिक्षा अभियान कब से चलाया जा रहा है?

3. वीर चन्द्र सिंह गढवाली चिकित्सकीय अनुसंधान संस्थान कहां स्थापित किया गया?

13.14 सारांश (Summary)

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप यह जान चुके हैं उत्तराखण्ड देश का दुर्गम, पर्वतीय एवं आर्थिक तौर पर ऐसा पिछड़ा हुआ क्षेत्र रहा है जहां पर संसाधनों का प्रवाह चाहे व भौतिक हो या मानव राज्य से निरन्तर बाहर होता आया है। राज्य में उक्त प्रवृत्तियों को रोकने तथा विकास की प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए जीवन की मूलभूत सुविधाओं का विस्तार सारे राज्य में करने की आवश्यकता है तथा इस प्रक्रिया में आम जनता की भागीदारी विकास की प्रक्रिया में सुनिश्चित की जानी चाहिये। तभी विकास सभी वर्गों तथा सभी क्षेत्रों तक पहुंच पाएगा एवं विकास के अवसर सर्वसुलभ होंगे।

अतः राज्य में समावेशी विकास के अवधारणा के तहत सभी वर्गों तथा क्षेत्रों तक बुनियादी सुविधाओं के प्रसार हेतु सशक्त सामाजिक क्षेत्र का विस्तार एवं विकास आवश्यक है। राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त दिशा में विजन 2020 की अवधारणा को स्थापित किया गया है। जिसके सफल एवं न्यायपूर्ण क्रियान्वयन से राज्य में समतापूर्ण विकास सुनिश्चित किया जा सकेगा एवं राज्य विकास के पथ की ओर सही मायने में अग्रसर होता है।

13.15 शब्दावली (Glossary)

- **सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.)-** किसी भी राष्ट्र में एक वित्तीय वर्ष के भीतर कुल अन्तिम उत्पादन के बाजार मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं।
- **सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जी.एन.पी.)-** सकल घरेलू उत्पाद में जब विदेशो से प्राप्त शुद्ध आय जोड़ देते हैं तो हमें सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है।
- **प्रति व्यक्ति आय -** राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है।
- **सूचकांक -** सूचकांको का निर्माण तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए किया जाता है। इनका निर्माण सांख्यिकीय रीतियों से होता है।
- **मानव विकास सूचकांक -** विकास के तुलनात्मक अध्ययन हेतु मानव विकास रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र के विकास कार्यक्रम द्वारा (यू.एन.डी.पी.) द्वारा मानव विकास सूचकांक का निर्माण किया गया। इस सूचकांक को जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक योग्यता तथा क्रय शक्ति आधारित प्रति व्यक्ति आय को शामिल करके निर्मित किया गया है एवं वर्तमान समय में यह विकास का महत्वपूर्ण पैमाना है।
- **महिला सशक्तिकरण -** महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य महिलाओं के आर्थिक सामाजिक उत्थान के साथ-साथ राजनैतिक चेतना के ऐसे विकास है जहां महिला समाज के हर क्षेत्र में स्वतन्त्रता तथा समाना पूर्वक योगदान कर सके एवं प्रत्येक स्तर पर निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभा सके।
- **ग्रामीण विकास -** ग्रामीण स्तर पर सभी को बुनियादी सुविधायें उपलब्ध कराते हुए ग्रामीण जीवन स्तर सुधार करने की प्रक्रिया को ग्रामीण विकास कहते हैं।

13.16 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answer for Practice Question)

1. यू.एन.डी.पी.
2. 2003
3. श्रीनगर

13.17 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची (Reference/Bibliography)

- झिंगन एम0एल0 (2000) “विकास का अर्थशास्त्र एवं आयोजन“, वृद्धा प्रकाशन दिल्ली।
- बिष्ट डॉ0 नारायण सिंह;(2003) उत्तरांचल हिमालयी राज्य: पर्वतीय क्षेत्र में औद्योगिकरण डॉ0 नारायण संस्थान, शोध नियोजन एवं विकास, गोपेश्वर चमोली।
- उत्तराखण्ड इयर बुक 2011, (नवम्बर 2011) विनसर पब्लिशिंग कम्पनी, देहरादून।
- आर्थिक सर्वेक्षण (2011), भारत सरकार
- Thirlwall A.P. (1994) **Growth and development** (MacMillianPress), London

13.18 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

1. आर्थिक विकास को परिभाषित करते हुए सामाजिक क्षेत्र के साथ अन्तर सम्बन्धों को स्पष्ट करिये।
2. उत्तराखण्ड में शिक्षा एवं सामाजिक विकास की स्थिति पर चर्चा कीजिये।
3. जनसंख्या एवं स्वास्थ्य योजना के बिन्दुओं को समझाइयें तथा सामाजिक क्षेत्र में इसकी महत्ता पर प्रकाश डालिए।
4. ग्रामीण विकास से क्या समझते हैं। उत्तराखण्ड में इस सन्दर्भ में कौन कौन सी योजनायें चलाई जा रही हैं।

इकाई- 14 बैंकिंग एवं वित्त क्षेत्र (Banking and Finance Sector)

- 14.1 प्रस्तावना (Introduction)
- 14.2 उद्देश्य (Objective)
- 14.3 वित्त (Finance)
- 14.4 विकास तथा बैंकिंग एवं वित्त (Development and Banking & Finance)
- 14.5 भारतीय वित्तीय क्षेत्र की संरचना (Structure of Indian Finance Sector)
- 14.6 बैंकिंग व्यवस्था की संरचना (Structure of Banking System)
- 14.7 लीड बैंक योजना (Lead Bank Scheme)
- 14.8 गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ (Non-Banking Financial Intermediary)
- 14.9 पूंजी बाजार (Capital Market)
- 14.10 सूक्ष्म वित्त (Micro Finance)
- 14.11 उत्तराखंड में बैंकिंग सुविधा (Banking Facility in Uttarakhand)
- 14.12 उत्तराखंड के विकास में बैंकिंग और वित्त का योगदान (Role of Banking & Finance in Development of Uttarkhand)
- 14.13 अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)
- 14.14 सारांश (Summary)
- 14.15 शब्दावली (Glossary)
- 10.16 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answer for Practice Questions)
- 14.16 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)
- 14.17 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची (Reference/Bibliography)

14.1 प्रस्तावना (Introduction)

पूर्व की ईकाई में सामाजिक क्षेत्र में विभिन्न आयामों का विश्लेषण किया गया तथा यह अवधारणा स्थापित कि गई कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया को समावेशी बनाने के लिए उत्तराखण्ड राज्य में सुदृढ समाजिक क्षेत्र का विकास कितना महत्वपूर्ण हैं।

आर्थिक विकास की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक पूँजी निर्माण होता है। चूँकि उत्तराखण्ड एक नवोदित राज्य है अतः विकास की प्रक्रिया को स्थापित कर उसे संवेग देने हेतु व्यापक संसाधनों को गतिशीलता प्रदान करके का आवश्यकता होती है। जिसके लिए निरंतर वित्त की उपलब्धता सरकारी तथा निजी क्षेत्र को अनिवार्य रूप से होनी चाहिये। इस निरंतर वित्त की आवश्यकता की पूर्ति हेतु सुदृढ बैंकिंग तथा वित्त क्षेत्र का विकास अपरिहार्य है।

बैंकिंग तथा वित्त न केवल आर्थिक विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं अपितु स्वयं भी आर्थिक विकास की प्रक्रिया से प्रभावित होते हैं। उत्तराखण्ड में भी विकास को तीव्र तथा व्यापक बनाने हेतु बैंकिंग एवं वित्त की महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा होगी। अतः बैंकिंग एवं वित्त का व्यापक अध्ययन इस इकाई के अन्तर्गत किया जाएगा।

14.2 उद्देश्य (Objective)

इस इकाई के अन्तर्गत निम्न उद्देश्यों का अध्ययन किया जाएगा-

- ✓ वित्त का अर्थ, वर्गीकरण तथा आर्थिक विकास में भूमिका।
- ✓ बैंकिंग संरचना तथा उसका नियमन।
- ✓ वित्तीय क्षेत्र की संरचना तथा उसका नियमन।
- ✓ बैंकिंग तथा वित्त की कृषि तथा उद्योगों के विकास में भूमिका।
- ✓ गरीबी निवारण में बैंकिंग तथा वित्त की भूमिका।
- ✓ पूँजी बाजार की संरचना तथा उसका नियमन।
- ✓ उत्तराखण्ड के विकास में बैंकिंग तथा वित्त की भूमिका।

14.3 वित्त (Finance)

व्यापक अर्थों में वित्त से तात्पर्य उन मौद्रिक संसाधनों की निधियों से है जिनकी आवश्यकता घरेलू, औद्योगीकरण कृषि तथा सरकारी क्षेत्रों को विभिन्न कारणों से होती है। वित्त की आवश्यकता अल्पकालिक, मध्यकालिक तथा दीर्घकालिक कारणों से हो सकती है। वित्त को आवश्यकता के अनुसार निम्न भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है-

औद्योगिक वित्त - औद्योगिक आवश्यकताओं के कारण से जिस वित्त की जरूरत होती है उसे औद्योगिक वित्त कहते हैं।

कृषि वित्त - कृषि सम्बन्धी आवश्यकताओं के कारण से जिस वित्त की आवश्यकता होती है उसे कृषि वित्त कहते हैं।

विकासात्मक वित्त - इसके अन्तर्गत औद्योगिक एवं कृषि सम्बन्धी वित्त आते हैं। यह मुख्यतया दीर्घकालिक प्रवृत्ति का होता है तथा इसकी आवश्यकता विकास सम्बन्धी कारणों से होती है।

सार्वजनिक वित्त - सार्वजनिक संस्थाओं के आय व्यय के लेखा जोखा इसके अन्तर्गत आते हैं तथा इसकी आवश्यकता सरकार की विभिन्न जरूरतों के कारणों से होती है।

14.4 विकास तथा बैंकिंग एवं वित्त (Development and Banking & Finance)

आर्थिक विकास की प्रक्रिया में पूंजी निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पूंजी निर्माण की प्रक्रिया में आर्थिक संसाधनों को गतिशीलता प्रदान कर उनका आबंटन उत्पादक क्षेत्र में करना अनिवार्य होता है जिससे अर्थव्यवस्था में बचत तथा निवेश दर निरंतर ऊँची बनी रहें। इस पूरी प्रक्रिया में बैंकिंग तथा वित्त की सर्वाधिक निर्णायक भूमिका होती है।

14.5 भारतीय वित्तीय क्षेत्र की संरचना (Structure of Indian Finance Sector)

वित्तीय क्षेत्र के अन्तर्गत वह क्षेत्र आता है जहाँ पर वित्त का लेन देन किया जाता है। इसके अन्तर्गत मुद्रा तथा पूंजी बाजार आते हैं। मुद्रा बाजार के असंगठित भाग में देशी बैंक तथा साहूकार आते हैं जो कि अपनी लेनदेन की गतिविधियों को परम्परागत आधार पर ही क्रियान्वित करते हैं। संगठित मुद्रा बाजार में ऋण योग्य निधियों के लेन देन की प्रक्रिया में व्यापारिक बैंक मुख्य भूमिका निभाते हैं, बचतों को गतिशील बनाने के साथ साथ यह बैंक साख निर्माण का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं जिससे अर्थव्यवस्था में उत्पादक व्यापारिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों को ऋण की सुविधा प्राप्त हो सके। संगठित मुद्रा बाजार में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आर.बी.आई.) की मुख्य भूमिका होती है। आर.बी.आई. पर ही सारी मौद्रिक व्यवस्था की जिम्मेदारी निहित होती है।

मुद्रा बाजार के संगठित भाग में वाणिज्यिक बैंक, विकास बैंक एवं गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ आते हैं। इसके अतिरिक्त मुद्रा बाजार के कई उपबाजार भी हैं जिसमें कालमनी मार्किट तथा ट्रेजरी बिल मार्किट प्रमुख हैं। मुद्रा बाजार में मुख्यतया अल्पकालीन उद्देश्यों के तहत मुद्रा का लेनदेन होता है।

14.6 बैंकिंग व्यवस्था की संरचना (Structure of Banking System)

भारतीय रिजर्व बैंक:- यह भारत का केन्द्रीय बैंक है तथा देश की (आर.बी.आई.) मौद्रिक तथा वित्तीय व्यवस्था में इसका सर्वोच्च स्थान है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी तथा इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। इसके मुख्य कार्य निम्न हैं-

1. मुद्रा का निर्गमन, देश में मुद्रा जारी करने का एकाधिकार आर.बी.आई. को है। एक रुपए के नोट को छोड़कर सभी नोटों पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। जबकि एक रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं।
2. आर.बी.आई. केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बैंकर के रूप में कार्य करता है। यह भारत सरकार को ऋण प्रदान करने के साथ-साथ उसके ऋणों का भी प्रबन्ध करता है।
3. यह व्यापारिक बैंकों का बैंक होने के साथ साथ उनके लिए अंतिम ऋण दाता का भी कार्य करता है।
4. यह मुद्रा तथा साख नियंत्रण करता है। इसके लिए आर.बी.आई. मौद्रिक नीति का निर्माण करता है, इसके अन्तर्गत साख नियन्त्रण के परिमाणात्मक तथा गुणात्मक उपाय आते हैं।
5. यह विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षण करता है तथा विदेशी विनिमय दर में अत्याधिक उतार चढ़ाव के नियमन हेतु विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करता है।

6. देश के आर्थिक विकास हेतु समय-समय पर यह सरकार को सलाह भी प्रदान करता है।
7. **साख नियंत्रण (Credit Control)** - मुद्रा से तात्पर्य पत्र मुद्रा तथा साख मुद्रा से होता है तथा साख नियंत्रण से अभिप्राय देश में साख की मात्रा तथा दिशा के नियंत्रण से है। इससे आर.बी.आई. देश में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है ताकि अर्थव्यवस्था में स्थिरता के साथ विकास हो, साख नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य निम्न है:
 1. मुद्रा स्फीति या मुद्रा की अत्याधिक आपूर्ति के कारण पैदा हुई कीमत वृद्धि पर नियंत्रण करना।
 2. उत्पादक क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग आदि को समुचित कीमत तथा मात्रा में साख उपलब्ध कराना।

साख नियंत्रण के उपाय मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों प्रकार के होते हैं:

मात्रात्मक साख नियंत्रण - इसके अन्तर्गत रिजर्व बैंक, बैंक दर, नकद आरक्षित अनुपात (CRR) एवं वैधानिकता तरलता अनुपात (SLR) में परिवर्तन करता है। उक्त तीनों में वृद्धि करने से साख की आपूर्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त खुले बाजार की क्रियाओं में रिजर्व बैंक प्रतिभूतियों एवं ट्रेजरी बिलों का क्रय विक्रय कर साख की मात्रा को नियंत्रित करता है।

चयनात्मक साख नियंत्रण - इसके अन्तर्गत रिजर्व बैंक बैंको को साख के नियमन, राशनिंग, मार्जिन आवश्यकताओं में परिवर्तन, प्रत्यक्ष कार्यवाही तथा नैतिक दबाव आदि के सन्दर्भ में दिशानिर्देश देकर साख को नियंत्रित करवाता है परन्तु इस प्रकार के उपायों का रिजर्व बैंक द्वारा कम ही प्रयोग किया जाता है।

वाणिज्यिक बैंक - वाणिज्यिक बैंक के अन्तर्गत पर वह बैंक आते हैं जो कि मुख्यतया वाणिज्यिक गतिविधियों के माध्यम से अपना कारोबार करते हैं। यह बैंक जनता से सीधा जमा स्वीकार करते हैं तथा साख का निर्माण करते हैं। इसके अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र बैंक, स्टेट बैंक समूह के बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, निजी बैंक तथा विदेशी बैंक आते हैं। इन बैंको का विभाजन निम्न वर्गों में किया जा सकता है-

अनुसूचित बैंक - यह वह बैंक हैं जिनकी स्थापना रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत की गई है तथा जिसकी प्रदत्त पूंजी एवं संचित कोष 5 लाख रूपयों से कम नहीं होनी चाहिये। इन बैंको को रिजर्व बैंक के पास निर्धारित दैनिक नकद कोष रखना होता है एवं यह बैंक रिजर्व बैंक दर पर ऋण प्राप्त करने हेतु अधिकृत हो जाते हैं।

गैर अनुसूचित बैंक - जो बैंक अनुसूचित नहीं होते हैं वे गैर अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। इन बैंको को नकद कोष की शर्तों को भी मानना पड़ता है। लेकिन इस कोष को यह रिजर्व बैंक के पास रखने हेतु बाध्य नहीं है। सामान्य परिस्थितियों में यह रिजर्व बैंक से उधार लेने हेतु बाध्य नहीं है। परन्तु असामान्य परिस्थितियों में यह रिजर्व बैंक से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।

बैंकिंग विकास का इतिहास:- भारत का यूरोपिय बैंकिंग पद्धति पर आधारित भारत का प्रथम बैंक एलेक्जेंडर एंड कम्पनी द्वारा 1770 में बैंक ऑफ हिन्दुस्तान को कोलकाता में स्थापित किया गया। यह बैंक शीघ्र ही असफल हो गया। सन् 1806 में कोलकाता में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे तथा 1843 में बैंक ऑफ मद्रास के रूप में प्रेसीडेंस बैंकों की स्थापना की गई। सन् 1921 में इन्ही तीनों बैंको के विलय के बाद इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया जिसका राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1995 को कर इसका

नाम स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया रख दिया गया। पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा 1894 में स्थापित पंजाब नेशनल बैंक है।

भारत में आर्थिक विकास को तीव्र करने एवं सामाजिक तथा कृषि क्षेत्र बैंकिंग की भूमिका को महत्व प्रदान करने हेतु बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिसके अन्तर्गत 1955 में स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1969 में 14 बड़े अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तथा 1980 में पुनः 6 अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। वर्तमान में स्टेट बैंक समूह के 7 बैंक हैं तथा अन्य राष्ट्रीयकरण बैंकों की संख्या 19 है।

भारत में 1991 के पश्चात् आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया का प्रभाव बैंकिंग क्षेत्र में भी हुआ फलस्वरूप निजी तथा विदेशी क्षेत्र के बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया को उदार बनाया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकार द्वारा अपनी भागीदारी को कम करते हुए उन्हें और भी अधिक कार्यकारी स्वतंत्रता प्रदान की गई है तथा बैंकिंग गतिविधियों को आधिकारिक पारदर्शी एवं बाजार आधारित बनाया गया है। साथ ही समावेशी विकास हेतु तथा गरीबी निवारण के लिए स्वयं सहायता समूहों के तथा सूक्ष्म वित्त के माध्यम को अपनाया गया है।

उत्तराखण्ड में वाणिज्यिक बैंकों में निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र दोनों बैंक अपनी सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं। राज्य में सर्वाधिक प्रभावशाली तथा विस्तारित बैंक स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया है। जिसकी लगभग 403 शाखाएँ पूरे प्रदेश में विस्तारित हैं तथा यह जमा एवं साख वितरण में शीर्ष स्थान पर है। वहीं दूसरे स्थान पर पंजाब नेशनल बैंक (295) है। वहीं निजी बैंकों में नैनीताल बैंक (96) तथा एक्सिस बैंक (55) प्रमुख हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का उद्देश्य विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना है। इनकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी तथा वर्तमान में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सिक्किम तथा गोवा को छोड़कर सारे भारत में की गई है।

नरसिंहम समिति की सिफारिशों के पश्चात् बैंकों के सुदृढीकरण हेतु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अपने लक्ष्य समूहों के बाहर भी ऋण एवं अन्य सेवाएँ मुहैया कराने की अनुमति प्रदान की गई है।

उत्तराखण्ड में भी ग्रामीण विकास को तीव्र करने हेतु ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई है तथा इनके कार्य क्षेत्र का दायरा उन जिलों में विस्तृत करने का प्रयास किया गया है जो कि औद्योगिक तौर पर अत्यधिक पिछड़े हुए क्षेत्र हैं या जिन्हें शून्य औद्योगिक जिला करार दिया गया है। राज्य में 2008 तक इन बैंकों की 135 शाखाएँ हैं। इसमें उत्तराखण्ड ग्रामीण की 04 तथा नैनीताल अल्मोडा ग्रामीण बैंक की 31 शाखाएँ हैं। वर्ष 2022 में, उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक की राज्य में 286 शाखाएँ हैं।

उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक की स्थापना 30 जून 2006 को तीन क्षेत्रीय बैंक अलंकनंदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गंगा यमुना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा पिथौरागढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण तीनों को आपस में मिलाकर की गई है। इन तीनों बैंकों के प्रवर्तक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पूंजी 50:15:35 के अनुपात में भारत सरकार, राज्य सरकार तथा प्रवर्तक बैंक के मध्य विभाजित होती है।

सहकारी बैंक: सहकारी बैंकों का गठन विभिन्न राज्यों में सहकारी नियम कानूनों के अन्तर्गत होता है। इन बैंकों को कृषि तथा गैर कृषि की श्रेणी में विभाजित किया जाता है। सहकारी बैंकों का कृषि क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनकी स्थापना का मुख्यतया उद्देश्य ग्रामीण एवं कृषि क्षेत्र का विकास है। इनका गठन निम्न तीन स्तरों पर होना है-

1. शीर्षस्थ स्तर पर राज्य सहकारी बैंक
2. मध्यम स्तर पर जिला या केन्द्रीय सहकारी बैंक
3. निचले स्तर पर प्राथमिक ऋण समितियां

प्राथमिक ऋण समितियों की स्थापना एक गाँव या क्षेत्र के कम से कम दस सदस्य मिलाकर कर सकते हैं। यह प्राथमिक कृषि समितियों के तौर पर भी जानी जाती है। यह सामान्यता अल्पकालीन अवधि यानि अधिकतम 1 वर्ष के लिए ऋण प्रदान करती है।

जिला सहकारी बैंक का कार्य क्षेत्र जिला स्तर तक सीमित रहता है तथा यह साख समितियों एवं राज्य सहकारी बैंकों के मध्य मध्यस्थ का कार्य करता है।

राज्य सहकारी बैंक शीर्ष सहकारी बैंक है। यह जिला सहकारी बैंको को ऋण प्रदान करने के साथ-साथ उन पर नियन्त्रण करता है। यह बैंक रिजर्व बैंक से ऋण प्राप्त करता है। उत्तराखण्ड में इसकी स्थापना 2004 में की गई है।

उत्तराखण्ड में राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय हल्द्वानी में है। राज्य में जिला सहकारी बैंको की 118 शाखायें सभी जिलों में स्थित है तथा इसके अतिरिक्त राज्य में शहरी सहकारी बैंक भी है। जिसमें अल्मोडा शहरी सरकारी बैंक प्रमुख जिसकी छः शाखायें कार्य कर रही है।

14.7 लीड बैंक योजना (Lead Bank Scheme)

गाडगिल समूह की संस्तुति के आधार पर क्षेत्रीय विकास को तीव्रता प्रदान करने हेतु रिजर्व बैंक द्वारा लीड बैंक योजना स्वीकार की है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में एक अनुसूचित बैंक को यह जिम्मेदारी दी जाती है कि वह उस जिले की सम्पूर्ण वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने साख के सन्दर्भ में योजना बनाना, समन्वय करना तथा स्थानीय समस्याओं का अध्ययन करना एवं उनके समाधान के लिए प्रयास करना आदि प्रमुख है।

उत्तराखण्ड में भी क्षेत्रीय विकास को संवेग देने हेतु लीड बैंक योजना सभी जिलों में क्रियान्वित की गई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक तथा बैंक ऑफ बड़ौदा यहां पर लीड बैंको की भूमिका में है। स्टेट बैंक 9 जिलो में, पंजाब नेशनल बैंक 2 जिलो में तथा बैंक ऑफ बड़ौदा 2 जिलो में लीड बैंक की भूमिका निभा रहे है।

14.8 गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ (Non-Banking Financial Intermediary)

वाणिज्य बैंको, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं सहकारी बैंको के अतिरिक्त भारतीय बैंकिंग तथा वित्त व्यवस्था में गैर बैंकिंग मध्यस्थ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। इसके अन्तर्गत वह सभी विकास संस्थान आते है जो कि दीर्घकालिक उद्देश्यों के तहत ऋण उपलब्ध कराते हैं। इसमें विकास संस्थान जैसे- आई.डी.बी.आई, आई.सी.आई.सी.आई., भूमि विकास बैंक, नाबार्ड, एक्जिम आदि शामिल है।

विकास बैंक - भारत मे विकास बैंको ने आर्थिक विकास की प्रक्रिया मे महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विकास बैंक मध्यम तथा दीर्घकालिक उद्देश्यों के तहत ऋण प्रदान करते है साथ ही आर्थिक विकास को बढ़ावा

देने के लिए अनेक प्रोत्साहन गतिविधियों का निष्पादन करते हैं। आम्र वाणिज्यिक बैंको के के विपरीत यह बैंक जनता से प्रत्यक्ष तौर पर जमाएं स्वीकार नहीं करते हैं। प्रमुख विकास संस्थान निम्न है -

1. भारतीय औद्योगिक विकास संस्थान (आई.बी.डी.आई.) - यह देश का सर्वोच्च औद्योगिक विकास बैंक है। इसकी स्थापना जुलाई 1964 में हुई थी। यह औद्योगिक विकास हेतु ऋण उपलब्ध कराता है एवं निर्यात हेतु भी ऋण प्रदान करता है। यह विकास बैंको के मध्य समन्वय के साथ साथ वित्त भी प्रदान करता है।

2. भारतीय औद्योगिक साख तथा निवेश निगम लिमिटेड (आई.सी.आई.सी.आई.) - इसकी स्थापना 1955 में निजी क्षेत्र के विकास बैंक के रूप में की गई थी। इसके गठन में बैंक, बीमा कम्पनियों एवं विदेशी संस्थानों विशेषतौर पर विश्व बैंक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। इस बैंक ने विशेषतौर पर दो क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। देश में अभिगोपन सुविधा को प्रोत्साहन देने एवं विदेशी मुद्रा में ऋणों के प्रावधान करने में प्रमुख भूमिका निभायी है।

3. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड: यह देश का प्रथम विकास संस्थान है तथा इसकी स्थापना 1948 में की गई थी, यह संस्थान औद्योगिक वित्त प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

4. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी):- लघु उद्योगों के विकास तथा उनकी विशेष जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से 1990 में सिडबी का गठन किया गया। इसका उद्देश्य लघु उद्योगों को सहायता, ऋण, रियायती ऋण तथा सुविधायें, राज्य लघु उद्योग निगमों को समर्थन प्रदान करना है। उत्तराखण्ड में भी सिडबी लघु उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राज्य इसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है।

5. राज्य औद्योगिक विकास निगम (सिडकुल):- राज्य में औद्योगिक अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास को उत्तराखण्ड राज्य में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा 2002 में सिडकुल की स्थापना की है। इसकी शेयर पूंजी 50 करोड़ तथा चुकता पूंजी 20 करोड़ रूपयें है। इसकी पूंजी ने राज्य सरकार के साथ साथ जीवन बीमा निगम, सिडबी तथा आई.सी.आई.सी.आई. का योगदान है। यह संस्था औद्योगिक सुविधाओं के विकास हेतु ऋण तथा सदस्यता प्रदान करती है। हरिद्वार, सितारगंज, पंतनगर एवं कोटद्वार में सिडकुल की सहायता से औद्योगिक इस्टेट विकसित की गई है। जहां 1500 से अधिक औद्योगिक ईकाई कार्यरत है जिसके 16,000 करोड़ रूपयें का निवेश किया जा रहा है। यहां पर प्रत्यक्ष तथा 1 लाख तथा अप्रत्यक्षतया 3 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है।

6. राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड):- इस बैंक का उद्देश्य कृषि तथा ग्रामीण विकास है। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। नाबार्ड ग्रामीण साख सुलभ कराने वाले संस्थानों की शीर्ष संस्था है। इसकी पूंजी में भारत सरकार तथा रिजर्व बैंक का बराबर का योगदान है। नाबार्ड कृषि तथा ग्रामीण विकास से जुड़े संस्थानों को ऋण तथा सहायता तथा पुर्न वित्त की सुविधा प्रदान करना है।

नाबार्ड ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का भी प्रबन्धन करना है जो कि ग्रामीण क्षेत्र में सड़क, सिंचाई, पुल, लघु ऊर्जा आदि सुविधाओं के विकास में सहायता करने के उद्देश्य से स्थापित है। वर्ष 2010 में उत्तराखण्ड में इसके द्वारा 220.45 करोड़ रूपयें की सहायता प्रदान की तथा अब तक यह 1191.41 करोड़ रूपयें की सहायता प्रदान कर चुका है। इसके अतिरिक्त नाबार्ड स्वयं सहायता समूहों के गठन के माध्यम से गरीबी निवारण के लिए राज्य में रणनीति बनाने वाला मुख्य संगठन है।

14.9 पूंजी बाजार (Capital Market)

पूंजी बाजार में मुख्यता दीर्घकालीन उद्देश्यों के तहत पूंजी का आदान प्रदान होता है। पूंजी बाजार के दो भाग हैं। जिसमें प्राथमिक पूंजी बाजार तथा द्वितीयक पूंजी बाजार आते हैं। प्राथमिक पूंजी बाजार में नए शेयरों का निर्गम होता है। जबकि द्वितीयक बाजार में पहले से ही निर्गमित शेयरों का कारोबार होता है। इसे स्टॉक बाजार भी कहते हैं। पूंजी बाजार में पूंजी की मांग मुख्यतया औद्योगिक क्षेत्र को की जाती है। जबकि पूंजी की आपूर्ति विकास बैंको, वित्तीय मध्यस्थ, म्यूचल फंड आदि के द्वारा की जाती है। देशभर में इस समय 24 स्टॉक एक्सचेंज हैं। भारत में इस समय पूंजी बाजार की नियामक संस्था भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड (सेबी) है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे प्राचीन शेयर बाजार है तथा 30 शेयरों का संवेदी सूचकांक सेनसेक्स यहां का मुख्य सूचकांक है। इसके अतिरिक्त नेशनल स्टॉक एक्सचेंज देश का पहला निगमीकृत बाजार है। इसका सूचकांक निफ्टी फिफ्टी है।

14.10 सूक्ष्म वित्त (Micro Finance)

सूक्ष्म वित्त वर्तमान परिवेश में गरीबी निवारण एवं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण रणनीति बनकर उभरा है। साथ ही साथ वित्तीय रूप से उपेक्षित जनता को मुख्य धारा में लाने के लिए आज यह पूरे विश्व में एक कारगर हथियार बन चुका है। इसीलिए वर्ष 2005 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा माइक्रो क्रेडिट वर्ष मनाया गया एवं बांग्लादेश के मशहूर अर्थशास्त्री तथा समाज सेवी मौहम्मद यूनूस को नोबोल शान्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मौहम्मद यूनूस ने बांग्लादेश में माइक्रो क्रेडिट तथा स्वयं सहायता समूह के माध्यम से न सिर्फ महिलाओं का सशक्तिकरण किया अपितु गरीबी निवारण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत में भी इस दिशा में नाबार्ड द्वारा 1992 में एक पायलट परियोजना आरम्भ की गई एवं 31.03.2010 तक 48.51 लाख रूपए स्वयं सहायता समूहों को 28,038 करोड़ रूपयें का ऋण प्रदान किया जा चुका है। आज सारे देश में स्वयं सहायता समूह, महिला सशक्तिकरण तथा गरीबी निवारण में प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं। सूक्ष्म वित्त से तात्पर्य गरीब लोगों को उनकी छोटी-छोटी आवश्यकताओं के मुताबिक अल्प अवधि हेतु अल्प ऋण देने की ऐसी व्यवस्था से है जहां पर लोगों को समूहों के माध्यम से न सिर्फ बचत प्रवृत्ति विकसित करने को प्रोत्साहित किया जाता है साथ ही उनमें उद्यमिता का विकास करने को प्रेरित किया जाता है। माइक्रो क्रेडिट में स्वयं सहायता समूह तथा माइक्रो फाइनेंसिंग संस्थायें महत्वपूर्ण भूमिकायें निभा रही हैं परन्तु बैंक द्वारा सम्बद्ध स्वयं सहायता समूहों का रास्ता अधिक कारगर है। इसके अन्तर्गत 10 से 20 की संख्या में महिलाओं को समूह में गठित कर उन्हें वित्त तथा सहायता प्रदान की जाती है।

उत्तराखंड में भी माइक्रो क्रेडिट संस्थाओं तथा स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से गरीबी निवारण तथा महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। राज्यभर में लगभग 38,487 स्वयं सहायता समूह स्थापित किए गए हैं जिसमें सर्वाधिक देहरादून में 5,241 तथा अल्मोड़ा में 4,205 हैं। वहीं सबसे कम सहायता समूह रुद्रप्रयाग जिले में 1,048 हैं। इन सहायता समूहों में सर्वाधिक भागेदारी वाणिज्यिक बैंको की है। साथ ही साथ ग्रामीण तथा सहकारी बैंक भी इस दिशा में योगदान कर रहे हैं। बैंको के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को सम्बद्ध करके उनका न सिर्फ वित्तीय सशक्तिकरण होता है बल्कि समूह के सदस्यों की वित्त तक सरल और सुलभ पहुंच हो जाती है। राज्यभर में स्वयं सहायता समूहों को 337.59 लाख रूपयें का ऋण प्रदान किया गया है। सर्वाधिक स्वयं सहायता समूह सम्पूर्ण ग्रामीण स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत गठित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त जलागम कार्यक्रम तथा स्वजल धारा कार्यक्रम के तहत स्वयं सहायता समूह गठित किए गए हैं।

माइक्रो क्रेडिट में माइक्रो सूक्ष्म वित्त मुहैया कराने वाली संस्थाओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। राज्य में कई वित्तीय संस्थाएँ तथा गैर सरकारी संगठन किस दिशा में प्रयास कर रहे हैं तथा उनके द्वारा सूक्ष्म वित्त के तौर पर ऋण तथा वित्तीय सहायता एवं सलाह प्रदान की जा रही है। इसमें मुख्य संस्थाएँ जैसे पहल एवं आजीविका अपना योगदान कर रही है। जोकि वित्तीय सेवाओं को देने के साथ साथ स्थानीय जनता में उद्यमिता का विकास करने के लिए शिक्षण एवं प्रशिक्षण भी प्रदान कर रहे हैं।

14.11 उत्तराखंड में बैंकिंग सुविधा (Banking Facility in Uttarakhand)

यदि उत्तराखंड में बैंकिंग सुविधाओं (अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक) पर जिलेवार विश्लेषण किया जाए तो निम्न तस्वीर उभर कर सामने आती है:

जिले का नाम	शाखाओं की संख्या	औसत साख प्रति जमा हजार में
अल्मोड़ा	76	6.0
बागेश्वर	26	6.0
चमोली	37	8.3
चम्पावत	23	7.5
देहरादून	241	18.5
पौड़ी	109	6.7
हरिद्वार	137	19.0
नैनीताल	104	14.1
पिथौरागढ़	55	8.0
रूद्रप्रयाग	21	8.2
टिहरी	68	5.9
ऊधमसिंह नगर	125	17.2
उत्तरकाशी	26	9.1
उत्तराखंड	1048	15.6

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि उत्तराखंड राज्य में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार बड़ा असमान है। राज्य में देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, नैनीताल एवं पौड़ी जिले में का 65 प्रतिशत बैंकिंग शाखाएँ स्थित है तथा देहरादून, हरिद्वार एवं ऊधमसिंह नगर का कुल साख में 74 प्रतिशत योगदान है। वहीं दूसरी ओर पहाड़ी जिलों में न सिर्फ बैंकिंग शाखाएँ कम है अपितु बैंकिंग सुविधाओं का विकास भी बहुत कम हुआ है। अतः यदि राज्य में विकास को तीव्र करना है तो पहाड़ी जिलों में भी बैंकिंग सुविधाओं का विकास करना आवश्यक होगा।

14.12 उत्तराखंड के विकास में बैंकिंग और वित्त का योगदान (Role of Banking & Finance in Development of Uttarkhand)

आर्थिक विकास की प्रक्रिया में पूंजी निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पूंजी निर्माण की प्रक्रिया में आर्थिक संसाधनों को गतिशीलता प्रदान कर उनका आबंटन उत्पादक क्षेत्र में करना अनिवार्य होता है जिससे अर्थव्यवस्था में बचत तथा निवेश दर निरंतर ऊँची बनी रहें, इस पूरी प्रक्रिया में बैंकिंग तथा वित्त की

सर्वाधिक निर्णायक भूमिका होती है। उत्तराखण्ड में भी आर्थिक संसाधनों को भी गतिशील बनाने के लिए बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है।

राज्य निर्माण के पश्चात बैंकिंग तथा वित्तीय सेवाओं के विस्तार में न सिर्फ तेजी आयी है बल्कि राज्य की जनता में वित्तीय जागरूकता भी बढ़ी है। 2001 में राज्य में जहां ऋण जमा अनुपात लगभग 20 का था। वह अब बढ़कर 54 का हो गया है। साथ ही साथ राज्य में सभी प्रकार के बैंको की शाखाओं का निरन्तर विस्तार हो रहा है। जिससे बैंकिंग सुविधायें आम जनता तक पहुंच रही है। राज्य भर में वर्ष 2009-2010 में बैंको द्वारा दी जाने वाली साख में 36 प्रतिशत की वृद्धि हुई और वार्षिक साख लगभग 5,114.08 करोड़ रूपयें प्रदान की गई है।

राज्य में औद्योगिक अवस्थापना तथा औद्योगिक विकास के क्षेत्र में विकास बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है। सिडकुल द्वारा राज्य में लगभग 8,000 एकड़ भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र (इन्डस्ट्रीयल स्टेट) विकसित किया गया है। जिससे लाखों लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिल रहा है साथ ही राज्य में पूंजी निवेश में भी भारी वृद्धि हो रही है।

बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र कृषि के विकास में भी निर्णायक भूमिका निभा रहा है। इसके अन्तर्गत राज्य में सहकारी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड आदि संस्थायें कृषि के विकास हेतु ऋण तथा वित्तीय सेवाएँ प्रदान कर रही है। किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उनकी वित्तीय समस्याओं का समाधान किया जा रहा है साथ ही सहकारिता के माध्यम से किसानों में अधिक मूल्य संबर्द्धन की खेती जैसे औषधीय पौधे, पुष्प एवं फलों के क्षेत्र में प्रोत्साहित किया जा रहा है।

गरीबी निवारण हेतु तथा गरीबों को बैंकिंग सुविधाओं के अन्तर्गत लाने के लिए सूक्ष्म वित्त एवं स्वयं सहायता समूहों की रणनीति अपनायी गई है। साथ ही बेरोजगारी निवारण के कार्यक्रमों जैसे सम्पूर्ण ग्रामीण स्वरोजगार योजना, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली रोजगार योजना आदि को बैंको से सरल और सुलभ वित्त प्रदान किया जा रहा है।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के माध्यम से भी उत्तराखण्ड में विद्युत परियोजनायें, सड़क परियोजनायें, पर्यावरण संरक्षण, पेयजल तथा आपदा प्रबन्धन आदि का वित्तीयन किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत एशियाई विकास बैंक द्वारा शहरी क्षेत्र के विकास हेतु 350 मिलियन डालर की सहायता प्रदान की गई है। वही विश्व बैंक द्वारा राज्य में पर्यावरण संरक्षण हेतु जलागम कार्यक्रम एवं विकास के लिए 7.98 बिलियन डालर की सहायता प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त ई गर्वरनेंस जल संसाधनों की सफाई और संरक्षण, वनों के संरक्षण और संबर्द्धन आदि क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से भरपूर सहायता प्राप्त हो रही है।

14.13 अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)

लघुउत्तरीय प्रश्न -

1. उत्तराखण्ड में सर्वाधिक विस्तार किस बैंक का है?
2. राज्य में किस जिले में बैंको की सर्वाधिक शाखा किस जिले में है?
3. नाबार्ड की स्थापना कब हुई?
4. सर्वोच्च विकास बैंक कौन सा है?

5. स्वयं सहायता समूह पर पायलट परियोजना किसने प्रारम्भ की ?

14.14 सारांश (Summary)

आर्थिक विकास को तीव्र करने के लिए जहां तक पूंजी को गतिशील करने की आवश्यकता है उसमें बैंकिंग तथा वित्त का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। परन्तु इसके अतिरिक्त राज्य में कृषि, उद्योग और बुनियादी सुविधायें आदि के विकास में बैंकिंग तथा वित्त निर्णायक भूमिका निभा सकता है। चूंकि उत्तराखण्ड में बैंकिंग सुविधाओं का विकास अत्यधिक असामान्य है इसलिए राज्य में समावेशी विकास को सार्थक करने के लिए बैंकिंग सुविधाओं का विकास पिछड़े जिलों में करना नितान्त आवश्यक हो गया है तभी आम व्यक्ति की भागीदारी विकास की प्रक्रिया तक हो पायेगी।

14.15 शब्दावली (Glossary)

- ट्रेजरी बिल - यह वह प्रपत्र है जिनके माध्यम से सरकार बाजार से ऋण लेती है।
- कालमनी मार्किट - यह अन्तर बैंक बाजार है। इसमें बैंक आपस में अल्पावधि के ऋणों का आदान प्रदान करते हैं।
- बैंक रेट - यह वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं।
- नगद आरक्षित अनुपात - प्रत्येक अनुसूचित बैंकों अपने नगद जमा का एक निश्चित अनुपात रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार रिजर्व बैंक में रखना होता है।
- खुले बाजार की क्रियायें - रिजर्व बैंक साख नियन्त्रण के लिए बाजार में प्रतिभूतियों का जब क्रय विक्रय करता है। तो उसे खुले बाजार की क्रियायें कहते हैं।
- वैधानिक तरलता अनुपात - रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार प्रत्येक बैंक को अपने नगद जमा का एक अनुपात अपने पास तरल रूप में रखना होता है।
- चुकता पूंजी - यह वह पूंजी होती है जिसे कोई भी कम्पनी जनता से मांगती है तथा जनता उसे प्रदान करती है।
- साख नियन्त्रण - रिजर्व बैंक जब मुद्रा बाजार में अतिरिक्त साख की आपूर्ति को नियन्त्रित करने के लिए मौद्रिक क्रियाओं का सहारा लेता है तो उसे साख नियन्त्रण कहते हैं।
- मौद्रिक नीति - रिजर्व बैंक देश में आर्थिक स्थायित्व तथा विकास के लिए जो नीति बनाता है। उसे मौद्रिक नीति कहते हैं।
- सूक्ष्म वित्त - इस वित्त से तात्पर्य अल्पकाल तथा छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए प्रदान करने वाले ऋण की व्यवस्था से है। इसमें स्वयं सहायता समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- मुद्रा आपूर्ति - मुद्रा आपूर्ति से तात्पर्य सामान्यतया जनता के पास कैश तथा बैंको के पास मांग जमा से होता है।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक - जिन बैंको में सरकार का प्रबन्धन पर नियन्त्रण होता है उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कहते हैं।

14.16 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answer for Practice Questions)

- | | | |
|--------------------------|-------------|---------|
| 1. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया | 2. देहरादून | 3. 1982 |
| 4. आई.डी.बी.आई. | 5. नाबार्ड | |

14.17 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची (Reference/Bibliography)

- विष्ट डॉ० नारायण सिंह;(2003), उत्तरांचल हिमालयी राज्य: पर्वतीय क्षेत्र में औद्योगिकरण, डॉ० नारायण संस्थान, शोध नियोजन एवं विकास, गोपेश्वर चमोली।
- उत्तराखण्ड इयर बुक 2011, (नवम्बर 2011) विनसर पब्लिशिंग कम्पनी, देहरादून।
- मिश्रा एस.के. एवं पुरी बी.के., भारतीय अर्थव्यवस्था (2006), हिमालय प्रकाशन हाउस, दिल्ली।
- चड्ढा अनिल एवं गौतम धर्मवीर, गरीबी उनमूलन में बैंको तथा वित्तीय संस्थाओं का योगदान (2005) बैंक मैगज़ीन प्रकाशन, दिल्ली।
- Monthly review of Uttrakhand Economy (March 2011), CMIE Dehradun.

14.18 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

1. आर्थिक विकास से क्या समझते हैं? आर्थिक विकास में बैंकिंग और वित्त का क्या योगदान है?
2. माइक्रो क्रेडिट से आप क्या समझते हैं? गरीबी निवारण तथा राज्य के विकास में इसकी क्या भूमिका है?
3. भारत का केन्द्रीय बैंक कौन सा है तथा इसके मुख्य कार्य कौन-कौन से हैं ?
4. विकास बैंकों से आप क्या समझते हैं ? उत्तराखण्ड राज्य के विकास में विकास बैंको की भूमिका पर प्रकाश डालिए।

इकाई- 15 लोक वित्त संरचना एवं क्षेत्रीय व्यापार (Structure of Public Finance and Regional Trade)

- 15.1 प्रस्तावना (Introduction)
- 15.2 उद्देश्य (Objective)
- 15.3 लोक वित्त का अर्थ एवं संरचना (Meaning and Structure of Public Finance)
- 15.4 लोक वित्त के उद्देश्य (Objectives of Public Finance)
- 15.5 केन्द्र तथा उत्तराखंड की लोक वित्त संरचना (Public Finance Structure of Centre and Uttarakhand)
- 15.6 लोक वित्त संरचना का विश्लेषण (Analysis of Public Finance Structure)
- 15.7 उत्तराखंड में सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण (Classification of Public Expenditure in Uttarakhand)
- 15.8 राज्य सरकार की प्राप्तियाँ (State Government Receipts)
- 15.9 करों का वर्गीकरण (Classification of Taxes)
- 15.10 मूल्य संवर्द्धित कर (Value Added Tax)
- 15.11 बजट प्रक्रिया (Budget Procedure)
- 15.12 सरकारों के प्रमुख घाटे (Major Deficits of Governments)
- 15.13 उत्तराखंड की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन (Evaluation of Financial Condition of Uttarakhand)
- 15.14 उत्तराखंड सरकार का 2011-12 के आम बजट की मुख्य विशेषतायें (Highlights of Uttarakhand Government's General Budget 2011-12)
- 15.15 क्षेत्रीय व्यापार के प्रकार (Types of Regional Trade)
- 15.16 कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण तथा क्षेत्रीय व्यापार (Agriculture and Food Processing and Regional Trade)

- 15.17 हस्त शिल्प, लघु उद्योग एवं क्षेत्रीय व्यापार (Handicrafts, Small Industries and Regional Trade)
- 15.18 औद्योगिक विकास तथा क्षेत्रीय व्यापार (Industrial Development and Regional Trade)
- 15.19 औद्योगिक विकास तथा क्षेत्रीय व्यापार (Industrial Development and Regional Trade)
- 15.20 सूचना तथा प्रौद्योगिकी एवं क्षेत्रीय व्यापार (Information and Technology and Regional Trade)
- 15.21 अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)
- 15.22 सारांश (Summary)
- 15.23 शब्दावली (Glossary)
- 15.24 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answer for Practice Questions)
- 15.25 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची (Reference/Bibliography)
- 15.26 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

15.1 प्रस्तावना (Introduction)

पिछली इकाई में हमने यह अध्ययन किया कि किस प्रकार बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र की भूमिका विकास हेतु संसाधनों को गतिशील करने की होती है। जिससे कृषि, उद्योग, व्यापार सहित समस्त उत्पादक क्षेत्रों को निरन्तर संसाधनों की प्राप्ति होती रहती है।

उत्तराखंड देश का नवोदित, पहाड़ी तथा आर्थिक तौर पर ऐसा पिछड़ा हुआ क्षेत्र रहा है जहाँ से संसाधनों का निरन्तर प्रवाह राज्य से बाहर की ओर बना हुआ है। ऐसे में राज्य में विकास हेतु अनुकूल दशाओं के निर्माण के लिए सरकार को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में व्यापक प्रयास करने होंगे। ऐसी परिस्थितियों में लोक वित्त की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।

लोक वित्त की भूमिका का विश्लेषण सरकार की आय के संसाधन, व्यय की प्राथमिकताओं के साथ साथ लोक वित्त के उद्देश्य, सिद्धान्त तथा लोक वित्त की संरचनाओं को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक हो जाता है। इस इकाई में अध्ययन दो भागों में किया जाएगा। प्रथम भाग में राज्य में विकास हेतु अनिवार्य दशाओं के निर्माण में उत्तराखंड राज्य की लोक वित्त संरचना की भूमिका का व्यापक अध्ययन किया जाएगा।

चूंकि वर्तमान समय में आर्थिक उदारीकरण तथा वैश्वीकरण का है। मौजूदा परिस्थितियों में व्यापार एक ऐसे स्रोत के रूप में उभरा है जिसमें विकास की असीमित संभावना है तथा सभी अर्थव्यवस्थाएँ व्यापार के माध्यम से विकास के नए अवसरों को तलाश कर रही है। ऐसे में क्षेत्रीय व्यापार उत्तराखंड में विकास को नया संवेग दे सकता है। चूंकि उत्तराखंड को पर्यटन, परम्परागत हस्तशिल्प उद्योग, वनोत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण, जड़ी बूटियों एवं औषधियों के क्षेत्र में तुलनात्मक बढत है। अतः उत्तराखंड का क्षेत्रीय व्यापार न सिर्फ उक्त क्षेत्रों के विकास में भूमिका निभा सकता है। अपितु राज्य में रोजगार तथा आय के अवसरों को पैदा करने की क्षमता भी रखता है। अतः इकाई के दूसरे भाग में क्षेत्रीय व्यापार का अध्ययन किया जाएगा।

15.2 उद्देश्य (Objective)

इस इकाई का अध्ययन दो भागों में किया जाएगा। प्रथम भाग में लोक वित्त संरचना के सम्बन्ध में तथा दूसरे भाग में क्षेत्रीय व्यापार के सम्बन्ध में अध्ययन किया जाएगा। प्रथम भाग के उद्देश्य निम्न हैं-

- ✓ लोक वित्त का अर्थ एवं संरचना।
- ✓ लोक वित्त के उद्देश्य।
- ✓ लोक वित्त का वर्गीकरण।
- ✓ करों के प्रकार।
- ✓ बजट प्रक्रिया।
- ✓ सरकार के लोक व्यय का मूल्यांकन।

दूसरे भाग के उद्देश्य निम्न हैं -

- ✓ क्षेत्रीय व्यापार के प्रकार।
- ✓ क्षेत्रीय व्यापार से लाभा।
- ✓ क्षेत्रीय व्यापार को बढावा देने के लिए सरकारी प्रयास।
- ✓ पर्यटन, उद्योग, कृषि, हस्तशिल्प आदि महत्वपूर्ण क्षेत्रों का क्षेत्रीय व्यापार से सम्बन्ध।

15.3 लोक वित्त का अर्थ एवं संरचना (Meaning and Structure of Public Finance)

लोक वित्त से तात्पर्य सरकार की आय तथा व्यय के लेखा जोखा से होता है। लोक वित्त को राजस्व भी कहा जाता है। जिसका अर्थ राजा के धन से होता है। प्रोफेसर डाल्टन के अनुसार, लोक वित्त के अन्तर्गत “सार्वजनिक सत्ताओं के आय तथा व्यय एवं उनका एक दूसरे से समायोजन का अध्ययन किया जाता है।”

यद्यपि लोक वित्त की संरचना तथा परिभाषा को अर्थशास्त्रियों द्वारा विभिन्न रूपों में परिभाषित किया गया है परन्तु सामान्यतया लोक वित्त की संरचना के निम्न भाग हैं-

1. सार्वजनिक व्यय
2. सार्वजनिक आय
3. सार्वजनिक ऋण
4. वित्तीय प्रशासन
5. राजकोषीय नीति

1. **सार्वजनिक व्यय** - इसके अन्तर्गत सरकार व्यय की मदों तथा उनके स्वरूप का अध्ययन किया जाता है।
2. **सार्वजनिक आय** - सरकारी व्ययों की पूर्ति हेतु राज्य को वित्त एकत्रित करने के स्रोतों तथा उनके सिद्धान्तों का अध्ययन किया जाता है, सार्वजनिक आय के स्रोतों में कर राजस्व, गैर कर राजस्व आदि आते हैं।
3. **सार्वजनिक ऋण**- यदि सार्वजनिक व्ययों को पूर्ण करने हेतु सार्वजनिक आय अपर्याप्त हो तो सरकार आन्तरिक एवं बाह्य स्रोतों से ऋण लेती है।
4. **वित्तीय प्रशासन** - इसके अन्तर्गत बजट का निर्माण तथा उसको प्रकाशित करने की संवैधानिक कार्यवाहियों को सम्मिलित किया जाता है।
5. **राजकोषीय नीति** - आर्थिक स्थायित्व लाने तथा विकास की प्रक्रिया को तीव्र करने हेतु सरकार सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय तथा सार्वजनिक ऋण के माध्यम से जो रणनीति अपनाती है उसका अध्ययन राजकोषीय नीति के अन्तर्गत किया जाता है।

15.4 लोक वित्त के उद्देश्य (Objectives of Public Finance)

परम्परागत अर्थशास्त्री जैसे एडम स्मिथ, जे.बी.से आदि ने लोक वित्त के उद्देश्यों को बहुत सीमित रखा। क्योंकि यह अर्थशास्त्री न्यूनतम कर एवं न्यूनतम व्यय के पक्ष में थे। परन्तु आधुनिक समय में लोक वित्त की भूमिका राज्य के विकास तथा समाज के कल्याण की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो गई है। स्वयं लोक वित्त के विद्वान तथा मशहूर अर्थशास्त्री प्रो० डाल्टन ने लोक वित्त के मुख्य सिद्धान्त “अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धान्त” का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार लोक वित्त का मुख्य उद्देश्य समाज के कल्याण को अधिकतम करना है। संक्षेप में लोक वित्त के उद्देश्य निम्नवत हैं-

1. बचत तथा निवेश दर को बढ़ाकर पूँजी निर्माण को प्रोत्साहित करना।
2. उत्पादक क्षेत्रों जैसे कृषि तथा उद्योग का विकास करना।
3. मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करना।
4. पूर्ण रोजगार की प्राप्ति करना।
5. न्यायपूर्ण वितरण एवं समानतापूर्ण विकास करना।
6. सामाजिक कल्याण को अधिकतम करना।

15.5 केन्द्र तथा उत्तराखंड की लोक वित्त संरचना (Public Finance Structure of Centre and Uttarakhand)

भारत में संघीय व्यवस्था के अन्तर्गत केन्द्र तथा राज्य सरकारों के आय तथा व्यय के स्रोतों को संविधान द्वारा सुनिश्चित किया गया है तथा संविधान की सातवीं सूची में केन्द्र, राज्य तथा समवर्ती सूची का उल्लेख है। केन्द्र सरकार केंद्र सूची के अनुसार, राज्य सरकारों को राज्य सूची के अनुसार विभिन्न विषयों विधान बनाने तथा उन पर कर आरोपित करने का अधिकार है जबकि समवर्ती सूची में दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। यद्यपि समवर्ती सूची में ऐसे विषय हैं जोकि कर स्रोतों को समाहित नहीं करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार प्रत्येक पाँच वर्षों में वित्त आयोग का गठन किया जाता है जो कि केन्द्र तथा राज्यों के मध्य करों तथा शुल्कों के विभाजन के सन्दर्भ में मापदंड तय करता है। साथ ही साथ केन्द्र से राज्यों को मिलने वाले अनुदानों (Grant in Aid) को संविधान के अनुच्छेद 275 के अनुसार तय करता है।

राज्यों को भारत में केन्द्र से अनुदान योजना आयोग की संस्तुतियों के अनुसार भी प्राप्त होते हैं। योजना आयोग कि संविधानेतर संस्था है तथा इसके द्वारा प्राप्त राज्यों की अनुदान केन्द्र सरकार के विवेकाधीन अनुदानों से प्राप्त होते हैं। राज्य के वित्तीय स्रोतों में योजना आयोग के माध्यम से प्राप्त अनुदानों की चूँकि महत्वपूर्ण भूमिका होती है अतः राज्यों की लोक वित्त संरचना में योजना आयोग की भी निर्णायक भूमिका रहती है। उत्तराखंड भी योजना आयोग की संस्तुति के आधार पर भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2001 से “विशेष श्रेणी” के राज्यों में सम्मिलित हो गया, यह विशेष सुविधा पाने वाला उत्तराखंड 11वाँ राज्य है जहाँ कि विशेष श्रेणी के राज्य को निम्न सुविधायें मिलती हैं:

1. केन्द्रीय सहायता में से 90 प्रतिशत भाग अनुदान के रूप में तथा शेष 10 प्रतिशत भाग ऋणों के रूप में प्राप्त होता है।
2. अन्य राज्यों को प्रदत्त केन्द्रीय सहायता में 70 प्रतिशत ऋण का तथा 30 प्रतिशत भाग अनुदान का होता है।
3. इससे न सिर्फ विशेष श्रेणी के राज्यों को विकास में सहायता मिलती है बल्कि राज्य की लोक वित्त संरचना पर कर्जे का अतिरिक्त दबाव भी नहीं पड़ता है।

15.6 लोक वित्त संरचना का विश्लेषण (Analysis of Public Finance Structure)

उत्तराखंड राज्य की लोक वित्त संरचना में राज्य के आय तथा व्यय के स्रोतों का विश्लेषण आवश्यक है तथा राज्य के आय व्यय का विश्लेषण संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार प्रत्येक वर्ष राज्य की विधान सभा में प्रस्तावित व्यय तथा प्रस्तावित प्राप्तियों का “वार्षिक वित्तीय दस्तावेज” बहस तथा वोट हेतु प्रस्तुत किया जाता है जिसे बजट भी कहते हैं। राज्य सरकार के सभी व्यय तथा प्राप्तियों का लेखा जोखा संचित निधि, आकस्मिक निधि एवं लोक निधि में सम्मिलित रहता है। लोक वित्त संरचना में सरकार की आय तथा व्यय का लेखा जोखा होता है।

15.7 उत्तराखंड में सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण (Classification of Public Expenditure in Uttarakhand)

केन्द्र सरकार ने जिस प्रकार अपने आय व्यय के वर्गीकरण के लिए आर्थिक वर्गीकरण को 1957-58 से अपना लिया था उसी प्रकार से उत्तराखण्ड में भी आय-व्यय के वर्गीकरण में आर्थिक वर्गीकरण को अपनाया गया है।

उत्तराखण्ड सरकार के व्यय का वर्गीकरण निम्न खातों में किया जाता है।

अ. राजस्व खाता ब. पूँजी खाता

अ. राजस्व खाते में शामिल होने वाली महत्वपूर्ण मदें निम्न हैं:

- 1) प्रशासनिक तथा सामान्य सेवाओं पर व्यय
- 2) ऋण सेवा हेतु ब्याज का भुगतान
- 3) पेंशन
- 4) सामाजिक सेवाएँ जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ सफाई तथा सामाजिक कल्याण पर व्यय
- 5) आर्थिक सेवाएँ जैसे कृषि, सिंचाई, ऊर्जा, परिवहन आदि पर व्यय

ब. पूँजी खाते के व्यय में भौतिक परिसंपत्तियों तथा वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश, ऋण प्रदान करना आदि को सम्मिलित किया जाता है।

इसके अतिरिक्त जो व्यय पंचवर्षीय योजनाओं के अनुरूप किए जाते हैं, उन्हें योजना व्यय तथा शेष व्यय को गैर योजना व्यय के अन्तर्गत शामिल किया जाता है।

15.8 राज्य सरकार की प्राप्तियाँ (State Government Receipts)

राज्य सरकारों को होने वाली प्राप्तियों को निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है-

अ. राजस्व प्राप्तियाँ ब. पूँजीगत प्राप्तियाँ

अ. राजस्व प्राप्तियाँ निम्न दो प्रकार की होती हैं-

1. कर राजस्व
2. गैर कर राजस्व

1. कर राजस्व में राज्य सरकार द्वारा आरोपित कर शामिल किए जाते हैं, जिनमें बिक्री तथा व्यापार कर, राजकीय उत्पाद शुल्क (शराब तथा नशीले पदार्थ पर), स्टाम्प तथा रजिस्ट्री शुल्क, मनोरंजन कर, भूमिकर, मोटरस्प्रिट पर कर, वाहनों पर कर आदि को शामिल किया जाता है।

2. गैर कर राजस्व में लाईसेंस शुल्क, ब्याज की प्राप्ति, लाभांश तथा लाभ, राजकोषीय सेवा से, आर्थिक तथा सामाजिक सेवाओं से आय, अनुदान आदि को शामिल किया जाता है।

ब. पूँजीगत प्राप्तियों में ऋण तथा अग्रिम, ऋणों तथा अग्रिम की वापसी, रिजर्व बैंक के उधार, राज्य भविष्य निधि तथा अन्य प्राप्तियों को शामिल किया जाता है।

उपरोक्त प्राप्तियों के अतिरिक्त राज्य सरकार को वित्त आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार से संग्रहित करो जैसे आयकर तथा उत्पाद कर पर भी अंश प्राप्त होता है।

15.9 करों का वर्गीकरण (Classification of Taxes)

करों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है:

प्रत्यक्ष कर - प्रत्यक्ष कर वो कर होते हैं जिन्हें वही व्यक्ति वहन करता है जिस पर वह वैधानिक तौर पर आरोपित किए जाते हैं अर्थात् जिनके भार को टाला नहीं जा सकता है। इस कर में कर का विवर्तन नहीं हो सकता तथा करापात और कराघात एक ही व्यक्ति पर पड़ता है। यह कर केन्द्र तथा राज्य सरकार दोनों के द्वारा लगाये जाते हैं, केन्द्र सरकार द्वारा लगाये प्रत्यक्ष करों में आय कर निगम कर, सम्पत्ति कर, उपहार कर आदि शामिल हैं जबकि राज्य द्वारा लगाये प्रत्यक्ष कर में कृषि आय पर कर आते हैं।

अप्रत्यक्ष कर - अप्रत्यक्ष कर वो कर होते हैं जिन्हें वैधानिक तौर पर तो किसी पर आरोपित किया जाता है परन्तु जिनका भार किसी और द्वारा वहन किया जाता है अर्थात् जिन करों का भार टाला जा सकता है। इस कर का विवर्तन किया जा सकता है तथा इसमें कराघात एक व्यक्ति पर तथा करापात दूसरे व्यक्ति पर पड़ता है। यह कर केन्द्र तथा राज्य दोनों सरकारों द्वारा आरोपित किए जाते हैं। केन्द्र सरकार द्वारा आरोपित अप्रत्यक्ष करों में सीमा या कस्टम् शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवाकर आदि शामिल होते हैं जबकि राज्य सरकार द्वारा लगाये अप्रत्यक्ष करों में बिक्री तथा व्यापार कर आदि शामिल हैं।

कर विभाजन संघीय शासन प्रणाली में करारोपण करने वाली सरकार के आधार पर भी किया जा सकता है। केन्द्र सरकार जिन करों को आरोपित करती है उन करों में आय कर, उत्पाद कर कस्टम शुल्क, सेवा शुल्क, निगम कर आदि कर शामिल होते हैं। राज्य सरकार द्वारा आरोपित करों में बिक्री कर, मनोरंजन कर, भूमिकर, स्टाम्प शुल्क आदि कर शामिल होते हैं। स्थानीय संस्थाओं जैसे पंचायत एवं नगर पालिकायें भी कर का आरोपण करती हैं। इस प्रकार के करों में भवन कर, जल कर, वाहन कर, आबकारी, साफ सफाई कर आदि शामिल होते हैं।

15.10 मूल्य संवर्द्धित कर (Value Added Tax)

पूरे देश में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में व्यापक सुधार हेतु तथा अप्रत्यक्ष प्रणाली अधिक उत्पादक, सरल, लोचपूर्ण, विवेकपूर्ण बनाने के लिए भारत में मूल्य संवर्द्धित कर की अवधारणा को अपनाया गया है। मूल्य संवर्द्धित कर की मुख्य विशेषताओं निम्नवत् हैं:

1. मूल्य संवर्द्धित कर या वैट, मूल्य संवर्द्धन के प्रत्येक स्तर पर आरोपित होता यानि उत्पादन के बिंदु से उपयोग के मध्य तक जहाँ पर भी मूल्य संवर्द्धन होगा वही पर यह कर आरोपित किया जाएगा। यदि किसी वस्तु के उत्पादन में लागत 70 ₹ तथा उसकी बिक्री 120 ₹ तो कर मूल्य संवर्द्धन यानि $120-70 = 50$ ₹ पर ही आरोपित किया जाएगा।
2. सामान्य अर्थों में इसे "आऊट पुट - इनपुट कर" भी कहते हैं एवं इस कर के निर्धारण में इन वायस विधी का इस्तेमाल होता है। यदि उत्पादन के इनपुट के क्रय पर कर दिया है तो उसे अंतिम कर देनदारी में से घटा दिया जाएगा।
3. वैट में इनपुट पर दिया कर अंतिम कीमत में शामिल नहीं होता है जिससे कीमतों में अनावश्यक वृद्धि नहीं होती है।

4. बहुत सारे कर के एक ही आधार पर लगने से कैसकैड प्रभाव के कारण लागत अत्याधिक हो जाती है वैट के कारण इसकी संभावना न्यूनतम हो जाती है।
5. वैट में कर वंचना तथा कर के परिहार की सम्भावना कम से कम रहती है।
6. वैट चूँकि उत्पादन से उपयोग तक की श्रृंखला में मूल्य सवर्द्धन के प्रत्येक स्तर पर इन वापस विधी से आरोपित होने के कारण न सिर्फ 'कर वंचना' की संभावना न्यूनतम होती है साथ ही राजस्व में भी वृद्धि होती है।
7. वैट से बहुत सारे अप्रत्यक्ष करों की जटिलतायें कम होकर सरल कर प्रणाली विकसित होती हैं।
8. केन्द्र से राज्यों के मध्य एक जैसी कर प्रणाली से कर विवाद न सिर्फ कम होते हैं अपितु एकीकृत राष्ट्रीय बाजार के विकास में मदद मिलती है।
9. वैट कर में पूँजीगत इनपुट की खरीद पर दिये कर में छूट मिलने के कारण निवेश को प्रोत्साहन मिलता है तथा लागतों के स्तर में कमी आने से निर्यात भी प्रोत्साहित होता है।
10. कर प्रशासन हेतु निगरानी तथा संभावित कर का अनुमान लगाने में सरलता रहती है।

वैट कर सर्वप्रथम फ्रांस में 1994 में लगाया गया तथा यह वर्तमान में 129 से भी अधिक देशों में महत्वपूर्ण कर प्रणाली के रूप में कार्य कर रहा है। अप्रत्यक्ष कर सुधार पर बनी "एल के झा" कमेटी द्वारा वैट के भारत में क्रियान्वयन सम्बन्धी महत्वपूर्ण संस्तुतियाँ की थी। 1986 में तत्कालीन वित्तमंत्री वी0पी0 सिंह द्वारा 'मॉडवैट' कर केन्द्रीय उत्पादक में सुधार करने दृष्टिकोण से आरोपित किया गया। सन् 2000 में तत्कालीन केन्द्र सरकार में वित्त मंत्री द्वारा सैनवैट यानि केन्द्रीय वैट को आरोपित किया गया। परन्तु देश व्यापी स्तर पर वैट का तभी क्रियान्वयन किया जा सकता था जबकि राज्य भी इसमें भागीदारी कर बिक्री कर में सुधार कर वैट को आरोपित करे। इस दिशा में प0 बंगाल के तत्कालीन वित्तमंत्री असीमदास गुप्ता के नेतृत्व में एक एम्पावर्ड कमेटी बनी जिसने पूरे देश में वैट लागू करने हेतु एक रोडमैप तैयार किया। सर्वप्रथम हरियाणा द्वारा 1 अप्रैल 2003 से इसे लागू किया गया तथा उत्तराखण्ड द्वारा 1 अक्टूबर 2005 से इसे लागू किया गया है। इसके अन्तर्गत लगभग 530 वस्तुओं को छॉट कर कर के चार वर्ग 1 प्रतिशत, 4 प्रतिशत, 12.5 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत के बनाये गए हैं। अधिकांश कच्चे माल, आवश्यकताओं तथा महत्वपूर्ण इनपुटों को 1 प्रतिशत तथा 4 प्रतिशत के वर्ग में रखा गया है तथा उपभोक्ता वस्तुओं विलासिता तथा हानिकारक वस्तुओं को 12.5 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत के वर्ग में रखा गया है।

यद्यपि वैट इस समय देश के सभी राज्यों में लागू कर दिया गया है परन्तु फिर भी पूरे देश में सही मायने में एक आर्दश वैट प्रणाली विकसित नहीं हो पायी है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए तथा सम्पूर्ण देश में एक समान अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के विकास करने हेतु एकीकृत अप्रत्यक्ष कर प्रणाली यानि "सामान्य वस्तु तथा सेवा कर" (जी0एस0टी0) जुलाई 2017 से लागू किया गया है।

15.11 बजट प्रक्रिया (Budget Procedure)

बजट सामान्य तौर पर आगामी वित्तीय वर्ष हेतु सरकार के आय और व्यय के लेखा-जोखा सम्बन्धी दस्तावेज होता है। बजट का मुख्य उद्देश्य कार्यपालिका पर विधायिका का नियंत्रण स्थापित करना रहा है साथ ही साथ बजट के माध्यम से सरकार अपनी राजकोषीय नीति का क्रियान्वयन करती है। केन्द्र सरकार बजट को तैयार कर लोकसभा तथा राज्य सरकार विधान सभा में बहस तथा मतदाता हेतु बजट को पेश करती है बजट में मतदान योग्य तथा मतदान हेतु अयोग्य माँगे दोनो शामिल होती है।

जेण्डर बजटिंग- केन्द्र सरकार की भाँति बजट निर्माण तथा बजट की नीतियों को लैंगिक तौर पर संवेदनशील होने के उद्देश्य से तथा बजट की महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका के निर्वहन हेतु जेण्डर बजट की प्रक्रिया को उत्तराखण्ड सरकार द्वारा 2007-08 में अपनाया गया है। इसका अर्थ मात्र यह नहीं है कि सरकारी योजनाओं में अधिक से अधिक धन महिलाओं के लिए ऑवटित किया जाए बल्कि सरकारी आय तथा व्यय की प्रथमिकताओं को इस प्रकार से पुनः निर्धारित किया जाए कि जिससे सरकार का लैंगिक प्रतिबद्धता तथा लैंगिक संवेदनशीलता स्पष्ट हो जाए। सरकारी बजट के लिंग आधारित परिणामों को ज्ञात करने हेतु बजट का विभक्तिकरण ही जेण्डर बजटिंग है तथा इसका उद्देश्य महिला एवं बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। वर्ष 2010-11 में इस हेतु विभागों का चयन कर लैंगिक बजट हेतु 1417.79 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है जो कि पिछले बजट से 17.69 प्रतिशत अधिक है।

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम (Fiscal Responsibility and Budget Management Act- FRBM): केन्द्र सरकार के एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम 2003 की भाँति उत्तराखण्ड सरकार ने अपने राजकोषीय तथा बजटीय व्यवहारों में अधिक अनुशासन, पारदर्शिता एवं बेहतर प्रबन्धन का समावेश करने हेतु तथा राजकोषीय नीति के प्रभावी संचालन के लिए 27 अक्टूबर 2009 को एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम को पारित कर दिया गया है। इसके मुख्य विशेषतायें निम्नवत् हैं-

राज्य सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विधान सभा में वार्षिक बजट के साथ मध्यकालिक राजकोषीय नीति प्रस्तुत करेगी। राजकोषीय नीति में राजकोषीय सूचकांकों के साथ त्रिवर्षीय लक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे।

1. प्रणाली में सुधार कर राजस्व में वृद्धि की जाए तथा विशेष प्रोत्साहनों, रियायतों तथा छूटों को न्यूनीकृत किया जाए।
2. राजस्व घाटे को दूर करने एवं संपोषणीय स्तर पर राजकोषीय घाटा नियंत्रित करने तथा पर्याप्त राजस्व अधिशेष निर्मित करने के समुचित प्रयास किए जाए तथा राजस्व घाटा 31/3/2009 तक शून्य के स्तर तक एवं राजकोषीय घाटा तीन प्रतिशत सकल राज्य घरेलू उत्पाद के स्तर तक लाया जाए।

1/4/2009 से 31/3/2019 तक के दस वर्षों में सरकार यह सुनिश्चित करे कि अंतिम वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कुल दायित्व सकल राज्य घरेलू उत्पाद के पच्चीस प्रतिशत से अधिक न हों। एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम में सरकार के मुख्य घाटों को परिभाषित किया गया है। साथ ही इस अधिनियम का मूल्य उद्देश्य सरकारों की वित्तीय स्थिति को मजबूत एवं पोषणीय बनाना है।

15.12 सरकारों के प्रमुख घाटे (Major Deficits of Government)

बजटीय घाटा =	कुल प्राप्तियाँ - कुल व्यय
राजस्व घाटा =	राजस्व प्राप्तियाँ - राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा =	बजटीय घाटा - उधार तथा अन्यदेयताये
राजकोषीय घाटा =	(राजस्व प्राप्तियाँ+ऋणों की वसूली+ अन्य प्राप्तियाँ) - (कुलव्यय)
प्राथमिक घाटा =	राजकोषीय घाटा - ब्याज की अदायगी

15.13 उत्तराखण्ड की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन (Analysis of Financial Condition of Uttarakhand)

इसका मूल्यांकन विभिन्न घाटों के आधारों पर किया जा सकता है:

	2001-02	2010-11	2023-24*
राजस्व घाटा (करोड़ ₹0)	1224.24	968.97	4309.55
प्राथमिक घाटा (करोड़ ₹0)	-1188.3	-900.03	2885.51
राजकोषीय घाटा (करोड़ ₹0)	-1719.41	-2028.19	9046.91

स्रोत: बजट एक नजर में, वित्तीय वर्ष 2023-24, बजट विभाग, उत्तराखण्ड सरकार।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि जहाँ राजस्व घाटा को समाप्त कर उत्तराखण्ड में राजस्व खातों में अतिरिक्त पैदा किया गया है वहीं घाटे की स्थिति में सुधार हुआ है। प्राथमिक तथा राजकोषीय घाटे का स्तर भी लगभग उतना ही बना हुआ है परन्तु यदि उपरोक्त सभी घाटों का मूल्यांकन सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में किया जाए तो राजस्व एवं प्राथमिक एवं राजकोषीय घाटे तीनों में काफी सुधार हुआ है। वर्ष 2001-02 में जहाँ राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद 4.96 प्रतिशत पर रहा था। वहीं यह 2010-11 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3.41 प्रतिशत पर आ गया है। उत्तराखण्ड राज्य की बेहतर तथा अनुशासित राजकोषीय तथा वित्तीय स्थिति को देखते हुए 13वें वित्त आयोग द्वारा 1000 करोड़ रुपये का विशिष्ट निष्पादन प्रोत्साहन अनुदान प्रदान किया है।

उत्तराखण्ड के लोक व्यय का मूल्यांकन- उत्तराखण्ड सरकार के व्यय को वर्गीकृत कर उसका तुलनात्मक अध्ययन निम्न रूप में किया जा सकता है:

	2001-02	2010-11
आयोजन व्यय (करोड़ ₹0)	1,429.90	9,681.64
गैर आयोजन व्यय(करोड़ ₹0)	3,076.29	11,233.11
कुल व्यय (करोड़ ₹0)	4,909.79	16,914.79

	2001-02	2010-11	2021-22(संशोधित अनुमान)
पूँजीगत व्यय (करोड़ ₹0)	748.66	4,142.73	7,112
राजस्व व्यय (करोड़ ₹0)	3,797.09	12,772.02	41,466
कुल व्यय (करोड़ ₹0)	4,909.79	16,914.79	48,628

जहाँ गैर आयोजन व्यय 2001-02 में कुल व्यय का 68 प्रतिशत था तथा यह 2010-11 में भी कुल व्यय का 66 प्रतिशत पर ही बना हुआ है।

राजस्व व्यय 2001-02 में कुल व्यय का 82 प्रतिशत या वहीं 2010-11 के बजट में यह लगभग 79 प्रतिशत के स्तर पर बना हुआ है। वर्ष 2021-22 में राजस्व व्यय कुल व्यय का 85 प्रतिशत है।

15.14 उत्तराखंड सरकार का 2023-24 के आम बजट की मुख्य विशेषतायें (Highlights of Uttarakhand Government's General Budget 2023-24)

बजट सरकार का महत्वपूर्ण नीतिगत दस्तावेज होता है। इसमें सरकार के आय व्यय के समस्त ऑकलन के साथ-साथ सरकार की विकास नीतियों का विवरण होता है। बजट के माध्यम से ही सरकार कर नीति, सार्वजनिक ऋण नीति तथा राजकोषीय नीति को क्रियान्वित करती है। बजट 2023-24 की मुख्य विशेषतायें निम्नवत् हैं-

1. वर्ष 2023-24 के लिए प्रदेश सरकार का बजट राज्य के वित्त मंत्री श्री प्रेम चन्द्र अगरवाल द्वारा प्रस्तुत किया गया।
2. बजट में कुल व्यय रु 77,407.09 करोड़ का है इसमें राजस्व व्यय रु 52,747.71 करोड़ तथा पूंजीगत व्यय रु 24659.38 करोड़ का प्रस्तावित किया गया है।
3. राजस्व प्राप्तियां रु 57,057.26 करोड़ तथा पूंजीगत प्राप्तियां रु 19,535.28 करोड़ की अनुमानित है, राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व रु 31,402.48 करोड़ अनुमानित हैं। गैर कर राजस्व रु 25,654.78 करोड़ अनुमानित है। पूंजीगत प्राप्तियों में उधार तथा देनदारियों का अंश रु 19,485.28 करोड़ का अनुमानित है। कुल प्राप्तियां राजस्व तथा पूंजीगत मिलाकर रु 76,592.54 करोड़ की है।
4. बजट में राजस्व खाते में अतिरेक रु 4309.55 करोड़, राजकोषीय अथवा वित्तीय घाटा रु 9046.91 तथा प्राथमिक घाटा रु 2885.51 करोड़ का अनुमानित है।

15.15 क्षेत्रीय व्यापार के प्रकार (Types of Regional Trade)

उत्तराखंड राज्य में आर्थिक विकास को तीव्र करने के लिए क्षेत्रीय व्यापार अत्यधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। जिसका व्यापक विश्लेषण क्षेत्रीय व्यापार को तीन भागों में बांटकर किया जा सकता है:

1. अन्तः राज्यीय व्यापार
2. अन्तर्राज्यीय व्यापार
3. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार

अन्तः राज्यीय व्यापार:- इस प्रकार के व्यापार में उत्तराखंड राज्य के ही अंदर होने वाली व्यापारिक गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है। अन्तः राज्यीय व्यापार को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकारें मेले, मंडी, हाट तथा सहकारी समितियों के माध्यम विपणन आदि को बढ़ावा देती है। स्थानीय संस्थायें जैसे नगर पालिका तथा पंचायत इस प्रकार की व्यापारिक गतिविधियों का नियमन करती है। उत्तराखंड की जनजातियां जैसे जाड़,

मरछा, शौका, वनरौत आदि की अर्थव्यवस्था आज भी वस्तु विनिमय पर आधारित है। इन क्षेत्रों में जनजाति समाज के लोग वनोत्पाद, जड़ी बूटियों, पशु उत्पाद एवं हस्तशिल्प से बने उत्पाद कालीन ऊनी वस्त्र आदि का व्यापार करते हैं। यह लोग मौसम के हिसाब से अपने आवास क्षेत्रों में भी बदलाव करते हैं। शीतकाल में यह मैदानी क्षेत्रों के साथ आकर व्यापार करते हैं तथा ग्रीष्मकाल में पुनः अपने मूल क्षेत्रों में लौट आते हैं।

तिब्बत से निर्वासित तिब्बतीय भी उत्तराखंड के मुख्य व्यापारिक तथा पर्यटक केन्द्रों जैसे देहरादून, नैनीताल आदि स्थानों पर मशहूर तिब्बती बाजारों से अपने महत्वपूर्ण व्यापारिक कार्यों को क्रियान्वित करते हैं।

अन्तर्राज्यीय व्यापार - एक राज्य से दूसरे राज्य के निवासियों के मध्य होने वाले व्यापारिक आदान प्रदान इसके अन्तर्गत आते हैं। उत्तराखंड राज्य से दूसरे राज्यों को होने वाले वस्तु तथा सेवाओं के व्यापार इसमें सम्मिलित हैं। राज्य के मुख्य व्यापारिक केन्द्रों में देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, रूद्रपुर, काशीपुर आदि नगर मुख्य हैं। इन शहरों से वस्तु तथा सेवाओं का व्यापार उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों तथा अन्य राज्यों से होता है। रूद्रपुर, काशीपुर, सितारगंज, पंतनगर आदि यहां के प्रमुख औद्योगिक नगर हैं। कपड़ा, कागज, चीनी तथा वनोत्पाद पर आधारित उद्योग जैसे लीसा, दियासलाई, औषधि आदि यहां के प्रमुख उद्योग हैं। कोटद्वार, काठगोदाम तथा हल्द्वानी अंग्रेजों के समय से ही टिम्बर टाउन के रूप में मशहूर है। यहां से काफी मात्रा में ईमारती लकड़ी का व्यापार हो रहा है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार - उत्तराखंड राज्य का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के साथ जो वस्तुओं का विनिमय होता है वह इसके अन्तर्गत आता है। यानि उत्तराखंड राज्य से भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में योगदान होता है। उसे इसके अन्तर्गत शामिल कर सकते हैं। परम्परागत अर्थशास्त्री जैसे एडम स्मिथ ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को “विकास का इंजन” बताया है साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था में भी विशेष तौर पर 1991 की उदारीकरण की प्रक्रिया अपनाने के पश्चात् अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को तीव्र कर आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार अपनी आयात निर्यात नीति के माध्यम से विभिन्न राज्यों में निर्यात जोनों तथा विशिष्ट आर्थिक जोनों (सैज) की स्थापना पर जोर दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वस्तु व्यापार के साथ-साथ सेवाओं का व्यापार भी शामिल होता है। जिनमें पर्यटन, वित्त बीमा, बैंकिंग, सूचना प्रौद्योगिकी आदि प्रमुख हैं।

उत्तराखंड प्राचीन काल से ही जड़ी-बूटियों, औषधियों, मसालों, फल, फूलों, हस्तशिल्प जैसे ऊनी कपड़ों, कालीन, गलीचों आदि के व्यापार में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी प्रसिद्ध रहा है। साथ ही साथ उत्तराखंड अपने पर्यटन तथा तीर्थाटन के लिए भी पूरे विश्व में मशहूर है। उत्तराखंड के परम्परागत एवं मशहूर मेले-कौतूह्य तथा यात्रायें अपने व्यापारिक तथा धार्मिक सांस्कृतिक कारकों का मिलजुला परिणाम रही हैं। जिनमें हिल जात्रा, राज जात, कुंभ मेला आदि में प्राचीन काल से ही सुदूर देश-विदेश से लोग आकर व्यापारिक सांस्कृतिक गतिविधियों में हिस्सेदारी करते रहे हैं।

उत्तराखंड के पिथौरागढ़, चमोली तथा उत्तरकाशी जनपद की सीमायें तिब्बत से लगी हुयी है। इस सीमांत क्षेत्र के नीति, माणा, दारमा, व्यास-चौदास, जोहार, नीलांग, कोपांग आदि गांवों में भोटिया जनजाति के लोग निवास करते हैं। इन्हे पिथौरागढ़ में शौका, चमोली में मारछा एवं उत्तरकाशी में जाड़ भी कहा जाता है। प्राचीन काल से ही इनका व्यापार हिमालय के प्रमुख दरों लिपुलेख, थंगला, मुंगलिगला, माणा, नीति आदि से होकर तिब्बत के साथ होता रहा है। ग्रीष्म काल में जनजातिया लोग इन्हीं महत्वपूर्ण दरों से होते हुए पश्चिमी

तिब्बत के गरतोक, खिंगतुंग, तकलाकोट की मण्डियों में पहुंचते थे तथा वहां यह अपने भेड़ों के साथ अनाज, सूती वस्त्र, चाय, गुड, तेल, बर्तन, मसाले आदि समान पहुंचाते थे एवं वहां से नमक, कस्तूरी, ऊन, औषधियां, जड़ी-बूटियां, चंवर, रत्न, ऊनी वस्त्र, कालीन, गलीचे, स्वर्ण चूर्ण रत्न एवं मूल्यवान धातुओं आदि को उत्तराखंड की मशहूर मंडियों धारचूला, मनुस्यारी, पिथौरागढ़ तथा जोशीमठ आदि तक लाते थे। यह व्यापार पूरी तरीके से वस्तुविनिमय पर आधारित था तथा इसके कारण उत्तराखंड के सीमावर्ती गांवों में सुख समृद्धि निरंतर बनी रहती थी। परन्तु चीन के 1949 में तिब्बत पर कब्जे के पश्चात तथा विशेष तौर पर 1962 के भारत चीन युद्ध के पश्चात् यह हिमालय के आर-पार होने वाला व्यापार एकदम समाप्त हो गया। जिससे महत्वपूर्ण मंडिया तथा व्यापारिक केन्द्र एकदम से वीरान हो गए एवं उत्तराखंड और विशेष तौर पर सीमावर्ती जिलों की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। भारत सरकार तथा चीन के मध्य व्यापारिक सम्बन्धों में सुधार के चलते हिमालय के आर-पार व्यापार को पुनः आरम्भ करने हेतु लिपुलेख (उत्तराखंड), शिपकी ला (हिमाचल प्रदेश) एवं नाथू ला (सिक्किम) जैसे दरों को भारत तिब्बत व्यापार हेतु खोल दिया गया है। लिपुलेख को 1992, शिपकी ला को 1994 तथा नाथूला 2006 में खोला गया है। लिपुलेख से होकर महत्वपूर्ण कैलाश मानसरोवर यात्रा जाती है। यह लिपुलेख तिब्बत के महत्वपूर्ण व्यापारिक क्षेत्र पुरांग (तकलाकोट) को जोड़ता है। भारत की ओर से निर्यात वस्तुयें तम्बाकू, गुड, मिसरी, मसाले, दाले, तेल, घी तथा उपभोक्ता वस्तुयें हैं जबकि आयातित मर्चों में ऊन, पशमिना, सिल्क, कालीन, वोरिक्स तथा पशु उत्पाद है। सन् 2006 तक इस दर्रे से होने वाला सालाना व्यापार लगभग रू 1.9 करोड़ का हो गया है।

उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़, चम्पावत तथा ऊधमसिंह नगर जिलों की सीमा नेपाल से मिलती है। दोनों क्षेत्रों के मध्य प्राचीन काल से व्यापार होता आया है। वर्तमान समय में भारत तथा नेपाल दोनों दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) के सदस्य हैं। जिसका उद्देश्य सदस्य देशों के मध्य क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देकर दक्षिण एशियाई क्षेत्र में मुक्त व्यापार क्षेत्र को स्थापित करना है। भारत सरकार तथा नेपाल के मध्य व्यापारिक संधि 2009 में पुनर्संशोधित सार्क के उद्देश्यों के तहत की गई है परन्तु नेपाल में चल रही राजनैतिक अस्थिरता के चलते उत्तराखंड के माध्यम से नेपाल को होने वाला अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार अपने वांछित स्तर तक नहीं पहुंच पा रहा है।

15.16 कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण तथा क्षेत्रीय व्यापार (Agriculture and Food Processing and Regional Trade)

उत्तराखंड में क्षेत्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले क्षेत्र में कृषि, खाद्य, प्रसंस्करण, औषधीय तथा सुगंधित पौधे, फल-फूल उत्पादन आदि प्रमुख हैं। उपरोक्त सभी क्षेत्रों में यद्यपि संभावनायें अपार हैं परन्तु कृषक की सीमित आर्थिक क्षमताओं, संगठन तथा जागरूकता के आभाव में एवं भंडारण, संग्रहण, श्रेणीकरण एवं विपणन की यथोचित सुविधाओं की कमी के कारण से इन क्षेत्रों का पूरी क्षमता के साथ दोहन नहीं हो पा रहा है। अतः राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में निम्न महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं-

1. प्रदेश सरकार द्वारा निजी क्षेत्र की सहभागिता के माध्यम से कृषि तथा खाद्य पार्कों की स्थापना एवं भंडारण, संग्रहण, श्रेणीकरण तथा विपणन हेतु बुनियादी सुविधाओं का विस्तार कर रही है।

2. घरेलू तथा विशेष तौर पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के सहयोग से लीची, औषधीय पौधों, बासमती चावल तथा होल्टीकल्चर हेतु चार कृषि निर्यात जोनों (ए.ई.जेड.) की स्थापना की गई है।

3. कृषकों को उच्चमूल्य की खेती जैसे औषधीय तथा सुगंधित पुष्पों, फल-फूल उत्पादन हेतु आसान शर्तों पर ऋण तथा बेहतर बीज एवं प्रशिक्षण सुविधायें प्रदान की जा रही है तथा कृषकों को सहकारी खेती हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है।

4. प्रदेश सरकार कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात संस्थान (APEDA), नेशनल होल्टीकल्चर बोर्ड (NHB), खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय (MFPI) तथा राष्ट्रीय औषधीय पौधों के बोर्ड (NPMB) के माध्यम से विभिन्न किस्म की परियोजनाओं के विकास हेतु 20 लाख रु तक की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है।

15.17 हस्त शिल्प, लघु उद्योग एवं क्षेत्रीय व्यापार (Handicrafts, Small Industries and Regional Trade)

उत्तराखंड राज्य में परम्परागत कलाकौशल पर आधारित एवं लघु उद्योगों में व्यापार की अभूतपूर्व क्षमतायें हैं। राज्य के हस्तशिल्प, हथकरघा, ऊन तथा कालीन उद्योग काफी मशहूर हैं। अतः इस दिशा में व्यापार को बढ़ाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा निम्न प्रयास किए जा रहे हैं -

1. राज्य के हस्त शिल्पियों को प्रशिक्षण तथा हस्तशिल्प को पर्यटन से जोड़ने हेतु महत्वपूर्ण स्थलों पर "शिल्प ग्राम" विकसित किए जा रहे हैं। भारत सरकार की बाबा साहब अम्बेडकर हस्त शिल्प योजना के माध्यम से हस्तशिल्प तथा हस्तशिल्पियों के विकास हेतु 'एकीकृत कलस्टर' योजना चलायी जा रही है।
2. हथकरघा आधारित उद्योगों के लिए दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना चलायी जा रही है तथा राज्य सरकार हथकरघा के विकास हेतु "हथकरघा काम्पलैक्स" की स्थापना एवं विकास की कार्य योजना बनायी है।
3. हस्तशिल्पियों तथा हथकरघा को आर्थिक सहायता के साथ साथ सरकार द्वारा खादी तथा ग्रामीण उद्योगों के लिए पैकेजिंग तथा विपणन हेतु प्रोत्साहन तथा सहायता प्रदान कर रही है। राज्य सरकार के प्रयास से 'घराट' जो कि पनविद्युत हेतु ग्रामीण स्तर पर स्थानीय जनता द्वारा स्थापित किए जाते हैं को केन्द्र सरकार द्वारा घराट को 'कॉटेज' उद्योग का दर्जा दिया गया है एवं खादी बोर्ड के माध्यम से मुख्यमंत्री "क्लस्टर विकास योजना" चलायी जा रही है।
4. उत्तराखंड के कला कौशल आधारित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए व्यापार मेलों का आयोजन समय समय पर किया जाता है तथा देहरादून में शहरी हाट केन्द्र स्थापित किया गया है। राज्य से बाहर लगने वाले व्यापार मेलों जैसे दिल्ली, सूरजकुंड आदि में भी उत्तराखंड के हस्तशिल्प को प्रचारित प्रसारित किया जाता है।
5. प्रदेश में हथकरघा एवं हस्त शिल्प उत्पादों की राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलवाने के लिए "हिमाद्रि" ब्रांड को लोकप्रिय बनाया जा रहा है।

15.18 औद्योगिक विकास तथा क्षेत्रीय व्यापार (Industrial Development & Regional Trade)

औद्योगिक विकास तथा क्षेत्रीय व्यापार में गहरा सम्बन्ध है। राज्य में औद्योगिक विकास के जरिये वाणिज्य तथा व्यापार को तीव्र किया जा सकता है। उत्तराखण्ड राज्य में औद्योगीकरण की प्रक्रिया में संवृद्धि करने हेतु केन्द्र सरकार की सहायता से औद्योगिक पैकेज 2003 में प्रदान किया जा चुका है। प्रदेश सरकार द्वारा औद्योगीकरण हेतु निम्न प्रयास किए गए हैं:

राज्य की स्थापना के पश्चात बुनियादी ढांचागत सुविधाओं सड़क परिवहन, ऊर्जा, उड्डयन, संचार आदि का विस्तार किया गया है। राज्य में औद्योगिक अवस्थापना की सुविधाओं के लिए राज्य औद्योगिक विकास निगम (सिडकुल) कार्यरत है।

औद्योगिक विकास हेतु औद्योगिक नीति बनाई गई है तथा पर्वतीय क्षेत्रों के लिए विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2008 घोषित की गई है जिसके मुख्य बिन्दु निम्नवत हैं-

इसके तहत राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों को दो भागों में बांटा गया है:

क. ए श्रेणी- ए श्रेणी में पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, चम्पावत, रुद्रप्रयाग जिले सम्मिलित है।

ख. बी श्रेणी- बी श्रेणी में पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा तथा बागेश्वर के सम्पूर्ण तथा देहरादून एवं नैनीताल के पहाड़ी विकास खंड शामिल है।

इसके अन्तर्गत पूंजी निवेश, भूमि आवंटन, कच्चे माल के परिवहन, ऋणों की उपलब्धता, विद्युत बिलो आदि पर सहायता के साथ-साथ कर रियायतें प्रदान की गई है। साथ ही राज्य में औद्योगिक पार्क और औद्योगिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना कर औद्योगीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है।

15.19 पर्यटन तथा क्षेत्रीय व्यापार (Tourism & Regional Trade)

पर्यटन उत्तराखण्ड के क्षेत्रीय व्यापार को गति प्रदान करने वाले महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है। पर्यटन के माध्यम से न केवल राज्य को आय प्राप्त होती है बल्कि राज्य के उद्योगों, हस्तशिल्प तथा औषधियों के व्यापार को भी नया बल मिलता है। राज्य में प्रदेश सरकार द्वारा राज्य की छवि पर्यटन के रूप में उभारने हेतु पर्यटन नीति बनायी गई है तथा पर्यटन के लिए बुनियादी सेवाओं का विस्तार किया गया है। पर्यटन के सभी आयामों को जैसे तीर्थोत्तन, मनोरंजन पर्यटन, साहसिक पर्यटन, चिकित्सीय पर्यटन आदि चिन्हित कर सभी दिशाओं में ठोस प्रयास किए जा रहे तथा निजी क्षेत्र की सहभागिता को पर्यटन हेतु प्रोत्साहित किया गया है। बुनियादी सुविधाओं के विस्तार तथा युवा उद्यमी को प्रोत्साहित करने हेतु "वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार" योजना को क्रियान्वित किया गया है।

15.20 सूचना तथा प्रौद्योगिकी एवं क्षेत्रीय व्यापार (Information & Technology and Regional Trade)

सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) न सिर्फ उद्योगों, पर्यटन, शिक्षा, गर्वनेस, वाणिज्य तथा व्यापार के विकास में सकारात्मक योगदान प्रदान करती है अपितु यहाँ स्वयं अपने आप में एक महत्वपूर्ण नवीन अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो गई है। उत्तराखण्ड की जलवायु तथा यहां का शैक्षणिक विकास का स्तर आई.टी. तथा आई.टी. आधारित सेवाओं के विस्तार हेतु तुलनात्मक बढत का कार्य करता है। इस दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा निम्न प्रयास किए जा रहे हैं-

1. प्रदेश सरकार द्वारा सूचना तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा नौसकॉम (Nass Com) की सहायता से राज्य में आई.टी. हेतु बुनियादी सुविधायें को तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है इस दिशा में संयुक्त कार्यदल भी गठित किया गया है।
2. साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क तथा आई.टी. पार्क की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण में प्राथमिकता, सहायता तथा रियायते प्रदान की गई है। देहरादून में आई.टी. पार्क तथा अर्थस्टेशन को स्थापित किया गया है।
3. आई.टी. मानव संसाधन विकास हेतु आई.आई.टी. रूडकी तथा प्रदेश के विश्वविद्यालयों में विशेष पाठ्यक्रम चलाये जा रहे हैं तथा राज्य में भारतीय सूचना तथा प्रौद्योगिकी संस्थान प्रस्तावित है।

15.21 अभ्यास प्रश्न (Practice Question)

लघुउत्तरीय प्रश्न -

1. अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धान्त किसने दिया?
2. उत्तराखण्ड को विश्व श्रेणी का राज्य किस आयोग ने घोषित दिया?

15.22 सारांश (Summary)

इस इकाई को पढने के बाद आप यह जान चुके हैं लोक वित्त संरचना के विभिन्न भागों के मूल्यांकन करने पर स्पष्ट है कि सुधार के बावजूद भी उत्तराखण्ड में सरकार का अधिकांश व्यय गैर विकासात्मक, अनुत्पादक तथा कमीटेड प्रवृत्ति का है क्योंकि गैर आयोजन एवं राजस्व व्यय में ब्याज भुगतान, पेंशन, सरकार के सामान्य व्यय सरकारी कर्मचारी के भुगतान समेत सब्सिडी आदि आते हैं। अतः आयोजन व्यय तथा पूँजीगत व्यय के अपेक्षित स्तर पर ना होने से भविष्य में राज्य की विकास के मार्ग पर वित्तीय समस्यायें भी आ सकती हैं। यह वित्तीय स्थिति उस समय भी गम्भीर समस्या का विषय बन सकती है जबकि राज्य की कुल पूँजीगत वसूली में ऋणों का योगदान 92 प्रतिशत के आस-पास है एवं ऋण भविष्य में न सिर्फ देनदारी का बोझ बढ़ाते हैं साथ-साथ वित्तीय स्थिति पर दबाव बढ़ाकर राज्य विकास को भी प्रभावित कर सकते हैं। अतः उत्तराखण्ड सरकार को व्यय की गुणवत्ता में निरंतर सुधार जारी रखना होगा।

व्यय की गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ सरकार को आय के नए स्रोतों की निरन्तर तलाश में रहना होगा। जिसके लिए सरकार को करों के दायरे को व्यापक करना होगा साथ ही कर चोरी एवं कर परिहार को न्यूनतम करना होगा। इसके अतिरिक्त सरकारी सहायता को युक्ति संगत बनाते हुए सरकारी सेवाओं पर विवेकपूर्ण लागत वसूलनी होगी एवं सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता को लाना होगा। तभी राज्य में मजबूत लोक वित्त संरचना का आधार बनाया जा सकेगा तथा राज्य विकास के पथ पर अग्रसर होगा। उत्तराखण्ड राज्य के क्षेत्रीय व्यापार के व्यापक विश्लेषण के पश्चात यह निष्कर्ष सामने आता है कि उत्तराखण्ड में क्षेत्रीय व्यापार निःसन्देह एक बहुत महत्वपूर्ण विकास स्रोत बनकर उभर रहा है। यद्यपि इस दिशा में अभी बहुत सारी बाधायें

तथा समस्यायें परन्तु इस समस्याओं के निस्तारण हेतु सभी पहलुओं पर समग्रता से प्रयास करने की आवश्यकता है।

जहां तक क्षेत्रीय व्यापार का प्रश्न है राज्य में पलायन, बेरोजगारी तथा आय के नए स्रोतों को पैदा करने के लिए क्षेत्रीय व्यापार एक निर्णायक भूमिका निभा सकता है। साथ ही राज्य के पर्यटन उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, जड़ी बूटी एवं औषधियों को ही निरन्तर प्रोत्साहित कर सकता है। इस दिशा में निजी क्षेत्र की भागीदारी से सरकार को कारगर योजनाओं को क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। जिससे राज्य में विकास तीव्र गति से होता है।

15.23 शब्दावली (Glossary)

- **संचित निधि** - इसके लिए प्रावधान संविधान के अनु0 266 के अनुसार किया जाता है। इसके अन्तर्गत सरकार की सभी कर तथा गैरकर प्राप्ति, ऋण आदि आते हैं तथा भारतिय व्यय के प्रावधान जैसे राज्यपाल, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन सम्बन्धी प्रावधान भी आते हैं। इस प्रकार के व्यय पर मतदान की आवश्यकता नहीं होती है तथा अन्य प्रकार के व्यय सदन द्वारा अनुमति के बाद ही किए जा सकते हैं।
- **आकस्मिक निधि** - राज्य सरकार को अनुच्छेद 267 के तहत आकस्मिक व्ययों की पूर्ति के लिए इसका प्रावधान किया गया है तथा इस निधि से व्यय हेतु विधान सभा से अनुमति नहीं लेनी होती है।
- **लोक निधि** - इस निधि पर सदन में मतदान की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार की निधि में अल्पबचत, भविष्य निधि आदि समाहित होते हैं तथा इस प्रकार की निधि में सरकार की भूमिका ट्रस्टी के रूप में रहती है।
- **कर भार** - जब भी कोई कर किसी व्यक्ति पर आरोपित किया जाता है तो कर दाता को सर्वप्रथम मौद्रिक रूप में कर का भुगतान करना पड़ता है, यह कर का मौद्रिक भार कहलाता है। परन्तु इसके कारण व्यक्ति को वास्तविक रूप में उपयोग एवं कल्याण में जो त्याग करना पड़ता है वह कर का वास्तविक भार कहलाता है।
- **कराघात** - कराघात कर का प्रथम या तात्कालिक परिणाम होता है। कर जब भी किसी व्यक्ति पर आरोपित होता है तो वह कर का तुरन्त भुगतान करता है। मौद्रिक रूप में कर के प्रथम भार को वहन करने की प्रक्रिया को कराघात कहते हैं।
- **कर विवर्तन** - कर का विवर्तन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई कर के भार को दूसरे व्यक्ति पर स्थानान्तरित कर देता है। यह कर का विवर्तन अग्रगामी तथा पच्छगामी दोनों रूप में हो सकता है।
- **करापात** - कर के अंतिम भार को करापात कहते हैं क्योंकि कर के विवर्तन के पश्चात् कर का अंतिम भार दूसरे व्यक्ति को ही वहन करना पड़ता है। कर के अंतिम भार वहन करने की प्रक्रिया को ही करापात कहते हैं।
- **कर वंचना** - कर की सीधे-सीधे चोरी को कर वंचना कहते हैं। कर वंचना से सरकार को न सिर्फ भारी हानि होती है अपितु काला धन की समस्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। कर की वंचना कानून का उल्लंघन है।
- **कर का परिहार** - जब कोई करदाता कर के नियम कानून में मौजूद विभिन्न छूटों एवं प्रावधानों में जोड़ तोड़ कर कर के दायित्व से बच जाता है तो उसे कर का परिहार कहते हैं। इस प्रक्रिया में करदाता कानून का प्रत्यक्षतया उल्लंघन न करते हुए वह कानून की मंशा तथा भावना का उल्लंघन करता है। वर्तमान समय में का परिहार केन्द्र तथा राज्य सरकारों के राजस्व में हानि का मुख्य कारण बन रहा है।

- अनुदान/रियायत - सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता को अनुदान कहते हैं तथा कर में दी जाने वाली छूट को कर रियायत कहते हैं।

15.24 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answer for Practice Questions)

1. प्रो0 डाल्टन
2. योजना आयोग

15.25 संदर्भ ग्रन्थ सूची (Reference/Bibliography)

- त्यागी बी0पी0 (1997), लोक वित्त, जयनाथ प्रकाशन मेरठ।
- बिष्ट डॉ0 नारायण सिंह;(2003), उत्तरांचल हिमालयी राज्य: पर्वतीय क्षेत्र में औद्योगिकरण, डॉ0 नारायण संस्थान, शोध नियोजन एवं विकास, गोपेश्वर चमोली।
- उत्तराखंड इयर बुक 2011, (नवम्बर 2011) विनसर पब्लिशिंग कम्पनी, देहरादून।
- Chelliah R.J. (2001) "The nature of fiscal crisis in the indian federation"
- Monthly review of Uttarakhand Economy(March 2011), CMIE Dehradun
- <https://budget.uk.gov.in/>

15.26 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

1. लोक वित्त संरचना के अर्थ उद्देश्य तथा भाग लिखिये।
2. उत्तराखंड सरकार के व्यय का वर्गीकरण तथा विश्लेषण कीजिये।
3. उत्तराखंड सरकार के आय के स्रोतों का वर्गीकरण एवं वैट कर प्रणाली की विशेषतायें लिखिये।
4. क्षेत्रीय व्यापार के लाभ, प्रकार तथा पर्यटन के माध्यम से किस प्रकार क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ाया जा सकता है। स्पष्ट कीजिये।

इकाई -16 पर्यटन उद्योग एवं पर्यावरण (Tourism Industry and Environment)

- 16.1 प्रस्तावना (Introduction)
- 16.2 उद्देश्य (Objective)
- 16.3 पर्यटन उद्योग की संभावनाएं (Porspect of Tourism Industry)
- 16.4 पर्यटन तथा आय के अवसर (Tourism and Opportunity of Income)
- 16.5 पर्यटन तथा वाणिज्य एवं व्यापार (Tourism and Commerce & Trade)
- 16.6 पर्यटन एवं बुनियादी संरचना (Tourism and Basic Infrastructure)
- 16.7 पर्यटन तथा पर्यावरण (Tourism and Environment)
- 16.8 पर्यटन उद्योग की समस्यायें (Problems of Tourism Industry)
- 16.9 पर्यटन नीति (Tourism Policy)
- 16.10 पर्यावरण एवं विकास में अन्तर सम्बन्ध (Interrelationship between Environment and development)
- 16.11 पर्यावरण समस्यायें (Environmental Problems)
- 16.12 उत्तराखंड में जनसंख्या वृद्धि एवं पर्यावरण (Population Growth and Environment in Uttarakhand)
- 16.13 औद्योगिक विकास एवं पर्यावरण (Industrial Development & Environment)
- 16.14 स्वच्छ ऊर्जा का विकास एवं पर्यावरण (Development of Clean Energy and Environment)
- 16.15 जल संसाधन एवं पर्यावरण (Water Resources & Environment)
- 16.16 आपदा प्रबन्धन एवं पर्यावरण (Disaster Management & Environment)
- 16.17 वनों का आर्थिक महत्व एवं पर्यावरण (Economic Importance of Forests and Environment)
- 16.18 वनों के संरक्षण तथा संवर्द्धन हेतु प्रयास (Efforts for Conservation and Promotion of Forests)
- 16.19 कृषि तथा पर्यावरण (Agriculture & Environment)
- 16.20 शहरीकरण तथा पर्यावरण (Urbanization and Environment)
- 16.21 अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)
- 16.22 सारांश (Summary)

- 16.23 शब्दावली (Glossary)
- 16.24 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answer for Practice Questions)
- 16.25 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची (Reference/Bibliography)
- 16.26 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

16.1 प्रस्तावना (Introduction)

पूर्व की इकाई में यह अध्ययन किया गया था कि किस प्रकार राज्य में विकास हेतु अनुकूल दशाओं के निर्माण तथा विकास की प्रक्रिया को संवेग देने के लिए लोक वित्त संरचना एवं क्षेत्रीय व्यापार की महत्वपूर्ण भूमिका है। लोक वित्त संरचना एवं क्षेत्रीय व्यापार से न केवल अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों का विकास निर्भर करता है साथ ही साथ राज्य में संवृद्धि के भावी अवसर भी सृजित होते हैं।

उत्तराखंड में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं तथा पर्यटन राज्य में आय के नए अवसरों को पैदा करने, रोजगार प्रदान करने, वाणिज्य तथा व्यापार को नई तीव्रता प्रदान करने के लिए, राज्य के राजस्व में वृद्धि करने के साथ-साथ सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान के आदान-प्रदान का मुख्य स्रोत बनकर राज्य के विकास को नवीन गति प्रदान कर सकता है।

चूँकि उत्तराखंड का पर्यावरण अत्यधिक समृद्ध परन्तु संवेदनशील है। अतः विकास की प्रक्रिया में राज्य में पर्यावरण संतुलन का ध्यान रखना एक महत्वपूर्ण चुनौती है। राज्य में विकास के साथ साथ पर्यावरण के साथ सामंजस्य बनाने के लिए सरकार के साथ साथ आम जनता की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तभी विकास टिकाऊ एवं दीर्घकालिक होता है।

16.2 उद्देश्य (Objective)

वर्तमान इकाई में हम पर्यटन उद्योग तथा पर्यावरण के विभिन्न आयामों के बारे में अध्ययन करेंगे। इकाई के प्रथम भाग में पर्यटन उद्योग तथा द्वितीय भाग में पर्यावरण के बारे में अध्ययन किया जाएगा।

- ✓ पर्यटन उद्योग से विकास की क्या संभावनाएं हैं?
- ✓ पर्यटन उद्योग के माध्यम से रोजगार तथा आय के अवसर कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं?
- ✓ पर्यटन उद्योग एवं बुनियादी संरचना तथा इस सम्बन्ध में सरकार की क्या भूमिका है?
- ✓ पर्यटन एवं पर्यावरण में अन्तर सम्बन्ध।
- ✓ पर्यटन उद्योग की मुख्य समस्याएँ कौन सी हैं तथा सरकार की पर्यटन नीति क्या है?

16.3 पर्यटन उद्योग की संभावनाएं (Prospects of Tourism Industry)

यदि उत्तराखंड के पर्यटन की संभावनाओं पर विचार किया जाए तो सर्वप्रथम धार्मिक तथा तीर्थों के भ्रमण हेतु उत्तराखंड की ऐतिहासिक महत्व सामने आता है। राज्य में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, पूर्णागिरी, गौमुख, रूद्रनाथ, तुंगनाथ, मदमहेश्वर, हेमकुण्ड साहेब, लोकपाल तथा पिरान कालियर जैसे तीर्थ स्थान हैं। साथ ही उत्तराखंड भागीरथी, अलकनंदा, यमुना, जान्हवी, मंदाकिनी जैसी पवित्र नदियों का उद्गम है। यही नहीं शिव के निवास कैलाश मानसरोवर की यात्रा का मार्ग यही से होकर जाता है एवं कुम्भ की नगरी हरिद्वार में करोड़ों श्रद्धालु हमेशा से आते रहे हैं। अतः यह धार्मिक पर्यटन उत्तराखंड के विकास हेतु महत्वपूर्ण संसाधनों को गतिशील बनाने में एक प्रभावी विकल्प हो सकता है।

राज्य में सरोवर नगरी नैनीताल, पहाड़ों की रानी मसूरी, भारत का स्विटजरलैण्ड कौसानी, अल्मोड़ा, फूलों की घाटी, पिथौरागढ़, रानीखेत, धनौली जैसे कई विश्वविख्यात पर्यटन स्थल हैं जहाँ वर्ष भर सैलानी

सामान्य तौर पर मनोरंजन एवं घूमने के दृष्टिकोण से आते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में प्रथम वन्य जीवों के लिए विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान तथा टाईगर रिजर्व जिम कार्वेट राष्ट्रीय उद्यान समेत छः राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित हैं। साथ ही अनेक वन जीव अभयारण्य हैं जिसमें दुर्लभ प्रजाति के पशु-पक्षी एवं पेड़-पौधे मौजूद हैं जो कि वर्ष भर सैलानियों के आकर्षण का केन्द्र बने रहते हैं।

उत्तराखण्ड में पर्वतारोहण, रिवर राफ्टिंग, स्कीईंग जैसे साहसिक पर्यटन स्थलों की भरमार है। जिनमें नेहरू पर्वतारोहण केन्द्र उत्तरकाशी, विश्वप्रसिद्ध स्कीईंग केन्द्र औली, रिवर राफ्टिंग केन्द्र शिवपुरी अवस्थित हैं जो कि साहसिक पर्यटन एवं शीतकालीन खेलों के लिए विश्वविख्यात हैं। वर्ष 2011 में औली में प्रथम दक्षिण एशियाई शीतकालीन खेलों के आयोजन से राज्य की छवि साहसिक खेलों के क्षेत्र में पुनः प्रतिष्ठित हुई है।

उत्तराखण्ड में ईको टूरिज्म और बायोटूरिज्म की अपार संभावनाएँ हैं। चूँकि राज्य की स्वास्थ्यवर्धक जलवायु, वन तथा औषधीय उत्पाद एवं यहाँ की संस्कृति व आध्यात्मिकता के कारण राज्य योग, आयुर्वेद तथा प्राकृतिक चिकित्सा के केन्द्र के रूप में देशी ही नहीं बल्कि विदेशियों के मध्य तीव्रता के साथ आकर्षण का केन्द्र बनकर उभर रहा है। बाबा रामदेव द्वारा स्थापित पंतजलि योगपीठ हरिद्वार एवं महर्षि योगी द्वारा उत्तरकाशी में स्थापित योगपीठ का इस दिशा में उल्लेख किया जा सकता है।

उत्तराखण्ड लोक गीत-संगीत, मेलों-कौतीग, लोक नृत्यों जैसे झोडा, चौफला, छोलिया, रम्माण, चौचरी आदि सुदूर तक विख्यात हैं। यहाँ का परम्पारगत पहाड़ी खान-पान, वेश-भूषा, भाषा बोली आदि सभी अपने आप में आद्वितीय हैं जोकि पर्यटन को नया आयाम देकर विकास के नए अवसरों को प्रशस्त कर सकता है।

16.4 पर्यटन तथा आय के अवसर (Tourism and Income Opportunity)

उत्तराखण्ड की भौगोलिक तथा जलवायुवीय परिस्थितियाँ इस प्रकार की हैं कि राज्य में आय के अवसरों की तीव्रता से गति प्रदान करने के लिए तीव्र औद्योगीकरण एवं विनिर्माण सम्बन्धी गतिविधियों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है। ऐसे में यहाँ के पर्यावरण के अनुरूप तथा राज्य की पर्यटन की दिशा में तुलनात्मक बढ़त को देखते हुए पर्यटन राज्य में आय के नए अवसरों को पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस दिशा में पर्यटन से जुड़े क्षेत्रों में होटल, रेस्टोरेन्ट, मोटल, पर्यटन वाहन, टैन्टनुमा आवासीय योजनाएँ, टूरिस्ट गाईड, पर्वतारोहण के संस्थान एवं प्रशिक्षक, साहसिक खेलों की परियोजनाएँ तथा उक्त के लिए मानव संसाधनों का विकास आदि ऐसे क्षेत्र हैं जिनसे न केवल स्थानीय लोगों को आय तथा रोजगार के नए अवसर मिल सकते हैं अपितु यहाँ पर पलायन जैसी समस्या को भी नियंत्रित किया जा सकता है। राज्य में प्रत्येक वर्ष लगभग 2.5 करोड़ देशी विदेशी पर्यटक भ्रमण करने आते हैं। इससे राज्य की पर्यटन क्षमता का पता चलता है। अतः स्थानीय लोगों को पर्यटन की गतिविधियों से जोड़ने तथा रोजगार के नए अवसरों को सृजित करने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना आरम्भ की गई है।

यद्यपि उत्तराखण्ड में पर्यटन के माध्यम से विकास के असीमित अवसर उपलब्ध हैं परन्तु अभी भी पर्यटन क्षेत्र में आय तथा रोजगार में संवृद्धि अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच पा रही है। पर्यटन की अपार संभावनाओं के बावजूद भी राज्य की राष्ट्रीय पर्यटन में भागीदारी मात्र 0.75 प्रतिशत की है तथा विदेशी पर्यटकों की वार्षिक संवृद्धि दर राज्य में 12.3 प्रतिशत है जोकि राष्ट्रीय संवृद्धि दर 14 प्रतिशत से कम है। वहीं उत्तराखण्ड के समान भौगोलिक, सांस्कृतिक परिवेश वाले पड़ोसी राज्य हिमाचल में पर्यटन की स्थिति उत्तराखण्ड

की तुलना में काफी बेहतर है। अतः यदि राज्य को पर्यटन के माध्यम से आर्थिक विकास को तीव्र करना है तो पर्यटन हेतु बुनियादी सुविधाओं का विस्तार नितान्त आवश्यक होगा।

16.5 पर्यटन तथा वाणिज्य एवं व्यापार (Tourism and Commerce & Trade)

वाणिज्यिक तथा व्यापारिक गतिविधियों को पर्यटन के माध्यम से नई दिशाएँ प्राप्त होती हैं। उत्तराखण्ड की स्थानीय परम्परागत हस्तशिल्प तथा कलाकौशल के साथ-साथ यहाँ की जड़ी बूटियों सुदूर तक प्रसिद्ध हैं जिन्हें प्रचार प्रसार के साथ साथ बाजार की आवश्यकता है। पर्यटन के जरिये उत्तराखण्ड के वाणिज्य तथा व्यापार को राष्ट्रीय अन्तरराष्ट्रीय स्तर की पहचान एवं एक गतिशील बाजार स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो जाता है।

उत्तराखण्ड में रिंगाल, बाँस, भगेल, ताँबे तथा काष्ठ से बने हस्त शिल्प एवं सीमावर्ती जिलों में उन से बने उत्पाद जिनमें कालीन, पश्मीना, कम्बल आदि अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। साथ ही राज्य के स्थानीय जड़ी बूटी तथा फल-फूलों से तैयार परम्परागत खाद्य एवं पेय पदार्थ काफी लोकप्रिय हैं। राज्य सरकार द्वारा स्थानीय कला कौशल से तैयार उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु एवं उन्हें पर्यटन से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों पर शिल्प ग्राम विकसित किए जा रहे हैं तथा देहरादून में शहरी हाट को विकसित किया जा रहा है। राज्य में तथा राज्य के बाहर जैसे दिल्ली, सूरजकुंड आदि स्थलों पर उत्तराखण्ड महोत्सव के माध्यम यहाँ के उत्पादों को प्रचारित एवं प्रसारित किया जा रहा है तथा उत्कृष्ट उत्पादों की छवि हेतु “हिमाद्री” ब्रांड को स्थापित किया जा रहा है।

16.6 पर्यटन एवं बुनियादी संरचना (Tourism and Basic Infrastructure)

प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाओं को विदोहित करने हेतु ठोस बुनियादी ढाँचे तथा सुविधाओं जैसे सड़क, रेल एवं वायु परिवहन तथा उत्तम विश्राम ग्रहों, संचार सुविधाओं आदि के विस्तार की नितांत आवश्यकता है। जिसके लिए सरकारी प्रयास के साथ-साथ निजी क्षेत्रों की भागीदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इस दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा निम्न प्रयास किए गए हैं -

1. स्थानीय जनता को पर्यटन की गतिविधियों जोड़ने एवं पर्यटकों के लिए गुणवत्तापरक सुविधाओं के विस्तार हेतु “वीर चन्द्र सिंह गढवाली पर्यटन स्वरोजगार योजना” आरम्भ की गई है। इसके तहत पर्यटन से जुड़ी योजनाओं जैसे होटल, रेस्तरां, टेन्टनुमा आवास, वाहन तथा अन्य सुविधाओं के विकास हेतु उद्यमियों को ₹ 10 लाख तक का ऋण पर्यटन विभाग बैंकों के माध्यम से उपलब्ध करायेगा। जिसमें स्वीकृत धनराशि पर 20 प्रतिशत राजकीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। वर्ष 2022 तक इस योजना से प्रत्यक्ष रूप से सात हजार से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं।
2. राज्य में पर्यटन के विकास हेतु तथा पर्यटन उद्योग के नियमन के लिए पर्यटन बोर्ड का गठन किया गया है।
3. बेहतर सम्पर्क स्थापित करने हेतु गौचर (चमोली), चिन्याली सौड़ (उत्तरकाशी), नैनी सैनी (पिथौरागढ़) में हवाई पट्टियों को क्रियाशील कर विस्तारित किया गया है। पंतनगर तथा जौलीग्रांट(देहरादून) हवाई अड्डों से उड़ानों को नियमित करने के साथ-साथ सुविधाओं का विस्तार किया गया है।

4. विभिन्न पर्यटन स्थलों में अवस्थापना की सुविधाओं के लिए 13वें वित्त आयोग के माध्यम से अगले पाँच सालों में रू 100 करोड़ प्राप्त होगा तथा एशियन डेबलपमेन्ट बैंक से पर्यटन योजनाओं तथा सुविधाओं के विस्तार हेतु रू 350 करोड़ की सहायता पर सैद्धान्तिक सहमति दी है।
5. चार धाम विकास के लिए चार धाम विकास परिषद का गठन किया गया है तथा हेमकुंड समेत चारों धामों हेतु हेलीकाप्टर सेवा आरम्भ की गई है।
6. केदारनाथ तथा यमुनोत्री के पैदल मार्ग का सुदृढीकरण एवं विस्तारीकरण तथा पूर्णांगिरी, जानकी चट्टी, यमुनोत्री एवं मसूरी में रज्जू मार्गों का निर्माण किया जाएगा।
7. निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु पर्यटन महायोजना पर आधारित रू 2000 करोड़ के पूँजी निवेश के माध्यम से पर्यटन योजनाओं की एक-एक श्रृंखला तैयार की गई है।
8. बृहद पर्यटन हबों की स्थापना जिसके अन्तर्गत रामनगर के निकट 802 एकड़ भूमि पर लगभग रू 500 करोड़ की कार्बेटइन्ट्री नामक ईको सिटी, मसूरी में ईको पार्क रिजॉर्ट, टिहरी में पर्यटन झील स्थापना एवं नौकायन की सुविधा, दयारा बुग्याल में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का स्की रिजॉर्ट विकसित किया जाएगा।
9. कुंभ की तर्ज पर आगामी “नंदा देवी राजजात” का आयोजन किया जाएगा।
10. भारत सरकार की सहायता से विभिन्न पर्यटन परिपथों का विस्तार किया जाएगा जिससे हरिद्वार-ऋषिकेश-मुनी की रेती-स्वर्गाश्रम में मेगा पर्यटन सर्किट सहित देहरादून-हरिद्वार पर्यटन सर्किट, गोविन्द घाट-घांघरिया-फूलों की घाटी-हेमकुण्ड सहित निर्मल गंगोत्री पर्यटन सर्किट पुरोला-नैटवाड़, खिसू-लैन्सडाउन-पौड़ी तथा कुमाऊँ में भिकियासैण-नीलेश्वर मंदिर, चौखुटिया-द्वाराहाट, कौसानी-बागेश्वर, मुक्तेश्वर-भीमताल-सातताल-हल्द्वानी, पिथौरागढ़-मुनस्यारी पर्यटन सर्किट तथा औली ईको टूरिज्म के केन्द्र के रूप में विकसित किए जा रहे हैं।
11. तीर्थाटन, साहासिक पर्यटन, कला तथा संस्कृतिक पर्यटन तथा ईको पर्यटन पर विशेष समितियाँ गठित की गई हैं।
12. उत्तराखंड को पर्यटन के मानचित्र पर लाने हेतु व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जिसके लिए इंटरनेट, वेबसाइट, सीडी रोम, प्रिंट तथा इलैक्ट्रॉनिक मीडिया का सहारा लिया जा रहा है। साथ ही विभिन्न स्थानों जैसे दिल्ली, चेन्नई, सूरजकुंड में उत्तराखंड के महोत्सवों का आयोजन किया जा रहा है।

16.7 पर्यटन तथा पर्यावरण (Tourism and Environment)

उत्तराखंड का प्राकृतिक पर्यावरण एवं जलवायु पर्यटकों को हमेशा आकर्षित करता है। सरकार ने भी ईकों टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। टूरिज्म की परियोजनाओं को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया है। रामनगर में ईको सिटी एवं मसूरी में सर जार्ज एवरेस्ट ईको पार्क बनाया गया है साथ ही साथ सरकार द्वारा प्रदेश के नगरों को सुन्दर, स्वच्छ तथा हरा-भरा बनाने हेतु हर्बल वाटिकाओं, हर्बल पार्कों को विभिन्न नगरों में स्थापित करने की योजना है। देहरादून को ग्रीन सिटी के तौर पर विकसित किया जा रहा है।

उत्तराखंड का पर्यावरण समृद्ध परन्तु संवेदनशील है। अतः अत्याधिक पर्यटकों की आवाजाही से वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, कूड़े-कचरे एवं अपशिष्टों की समस्याये गहराती हैं। अतः सरकार द्वारा चारों धामों समेत देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल आदि में सुव्यवस्थित कूड़ा निस्तारण विधि अपनायी गई है। नैनीताल समेत प्रदेश की महत्वपूर्ण झीलों, सरोवरों की साफ सफाई का प्रावधान किया गया है तथा पतित पावन गंगा समेत उसकी सहायक नदियों की सफाई तथा स्वच्छता हेतु “स्पर्श गंगा” अभियान आरम्भ किया गया है।

पर्यटक तथा पर्यावरण में बड़ा ही नाजुक अन्तरसम्बन्ध है। अतः पर्यटन के विकास में उत्तराखंड के समृद्ध किन्तु संवेदनशील पर्यावरण का ध्यान रखकर ही इस दिशा में विकास नीति बनाने की आवश्यकता है।

16.8 पर्यटन उद्योग की समस्यायें (Problems of Tourism Industry)

यद्यपि उत्तराखंड में पर्यटन उद्योग में व्यापार क्षमतायें हैं परन्तु अभी भी यह उद्योग अपनी पूरी क्षमता के साथ विकास नहीं कर पा रहा है। इस दिशा में निम्न समस्यायें एवं चुनौतियां सामने आ रही हैं-

1. पर्यटन हेतु गुणवत्तापरक बुनियादी सुविधाओं का अपेक्षित स्तर का ना होना तथा बुनियादी सुविधाओं की पहुँच प्रत्येक पर्यटन क्षेत्र एवं प्रत्येक पर्यटक तक ना हो पाना सबसे प्रमुख समस्या है।
2. पर्यटन के नए-नए क्षेत्रों को विकसित करना एवं नए क्षेत्रों में पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु आकर्षक एवं पेशेवराना रणनीति का सुदृढ ना हो पाना।
3. बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु भारी पूँजी निवेश की आवश्यकता का होना।
4. निजी क्षेत्र एवं स्थानीय जनता की भागीदारी का कुछ ही वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति तक ही सीमित हो पाता है।
5. पर्यटन क्षेत्र का स्थानीय कला, संस्कृति, कुटीर उद्योगों, आश्रमों, योग एवं ध्यान के केन्द्रों से अपेक्षित जुड़ाव का न हो पाना।
6. उत्तराखंड को अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर प्रचारित प्रसारित करने के लिए राज्य की छवि बेहतर पर्यटन सेवा प्रस्तुत करने वाली होनी चाहिये परन्तु अभी भी राज्य की छवि पर्यटन के सन्दर्भ में अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं है।
7. राज्य का पर्यावरण अत्यधिक नाजुक तथा प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील है। पर्यटन के साथ साथ भीड़ भाड़ बढ़ने से राज्य में प्रदूषण एवं अपशिष्ट की समस्या बढ़ती जा रही है।

16.9 पर्यटन नीति (Tourism Policy)

उत्तराखंड में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने पर्यटन को सुनियोजित रूप से विकसित करने हेतु 2001 में पर्यटन नीति का निर्माण किया। राज्य की पर्यटन नीति का मुख्य उद्देश्य विश्व के मानचित्र में उत्तराखंड को महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करना है, इस नीति के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं-

1. उत्तराखंड को पर्यटन प्रदेश के रूप में विकसित करना।
2. पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए यहाँ की सांस्कृतिक विविधताओं एवं सम्भावनाओं को उजागर करना।

3. पर्यटन को पर्यावरण के अनुकूल एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के अनुरूप बनाने के लिए ईको टूरिज्म को प्रोत्साहित करना।
4. पर्यटकों के लिए उनकी रुचि तथा आर्थिक क्षमता के अनुरूप सुविधाओं के विस्तार हेतु निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र की सहभागिता को बढ़ाना।
5. प्रदेश के पर्यटन स्थलों का राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय स्तर तक प्रचार प्रसार करने के लिए सूचना तथा प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना।
6. मनोरंजन पर्यटन के साथ-साथ संस्थागत एवं साहसिक पर्यटन का विकास करना।
7. पर्यटन मंत्री की अध्यक्षता में पर्यटन नीति की कार्य योजनाओं के सुदृढीकरण के लिए पर्यटन विकास परिषद् गठन किया गया है।
8. पर्यटन के विकास हेतु विभिन्न स्रोतों से पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करना।
9. पर्यटन के विकास हेतु गढ़वाल तथा कुमाऊँ मंडल विकास निगमों में परस्पर समन्वय स्थापित करना।
10. पर्यटकों की सुविधा हेतु सड़क परिवहन के साथ-साथ रेल तथा वायु परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराना।
11. पर्यटन के क्षेत्रों में स्वरोजगार के उद्देश्य से “उत्तराखण्ड पर्यटन विकास योजनाओं” को “क्रियान्वित करना।
12. तीर्थ यात्रियों को पर्यटकों के रूप में आकर्षित करने के लिए प्रबन्धन व्यवस्था में सुधार करना तथा तीर्थटन एवं पर्यटन का समेकित विकास करना, तनाव से मुक्ति के उद्देश्य से उत्तराखण्ड के प्राकृतिक स्थलों को विश्रामात्मक पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करना।

16.10 पर्यावरण एवं विकास में अन्तर सम्बन्ध (Interrelationship between Environment and Development)

पर्यावरण ‘परि’ तथा ‘आवरण’ दो शब्दों से मिल कर बना है, जिसका सीधा अर्थ है पृथ्वी के चारों ओर का आवरण। पर्यावरण के विभिन्न घटक जल, वनस्पतियाँ, मृदा, वायु आदि आपस में परस्पर अन्तर्क्रियाएँ करके जटिल एवं नाजुक तंत्र का निर्माण करते हैं। पर्यावरण के घटकों की यही परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया पर्यावरण में एक समायोजन क्षमता प्रदान करते हुए पर्यावरण को संतुलित बनाए रखती हैं। यदि किसी कारणवश पर्यावरण में असंतुलन पैदा हो जाता है तो पर्यावरण की यही अन्तः समायोजन क्षमता पर्यावरण को पुनः संतुलन में ला देती है। परन्तु आधुनिक समय में जनसंख्या विस्फोट, आर्थिक विकास, औद्योगीकरण, नगरीकरण, अत्याधिक उपभोक्तावाद, लाभ की लालसा आदि के चलते मानव ने पर्यावरण में इस कदर हस्तक्षेप किया है कि पर्यावरण की समायोजन क्षमता निरन्तर क्षीण होती जा रही है तथा पर्यावरण संकट का गंभीर खतरा पूरे विश्व के सामने गहराने लगा है। पर्यावरण तथा विकास पर बने “विश्व आयोग” की “ऑवर कॉमन फ्यूचर” रिपोर्ट 1987 के अनुसार “आधुनिक प्रगति ने पर्यावरण को भी उत्पाद बना दिया है” एवं “पर्यावरण अवनयन समस्त विश्व के अस्तित्व हेतु सबसे बड़ा संकट है।”

पर्यावरण तथा विकास में आपस में सामंजस्य स्थापित करने हेतु सर्वप्रथम बर्टलैण्ड कमीशन द्वारा पोषणीय विकास की अवधारणा को स्थापित किया गया। जिसके अनुसार, “आज की आवश्यकताओं को इस

प्रकार से पूरा किया जायें कि आने वाली पीढ़ियों को किसी प्रकार के संसाधनों की कमी से न गुजरना पड़े।” सन् 2002 में पर्यावरण तथा विकास के मसले पर हुए दक्षिण अफ्रीका में जोहन्सबर्ग के “पोषणीय विकास पर वैश्विक सम्मेलन” में तत्कालीन संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान द्वारा निम्न पाँच महत्वपूर्ण मसलों पर पर्यावरण एवं विकास की दृष्टि से विशेष ध्यान देने को कहा-

1. जल, सफाई एवं स्वास्थ्य।
2. स्वच्छ ऊर्जा।
3. गरीबी निवारण।
4. कृषि तथा खाद्यान्न सुरक्षा।
5. जैव विविधता।

जहाँ तक उत्तराखंड राज्य के पर्यावरण का प्रश्न है, राज्य पूर्णतया हिमालय के पर्वतों, घाटियों तथा तराई क्षेत्र में अवस्थित है। सम्पूर्ण हिमालय क्षेत्र एवं विशेषतौर पर उत्तराखंड राज्य पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अत्यन्त समृद्ध एवं विविधता पूर्ण है। जहाँ स्थित हिमालय पर्वत न सिर्फ भारत की जलवायु को नियंत्रित करता है अपितु यहाँ के हिमनदों द्वारा जो सदानीरा सरितायें निकलकर प्रवाहित होती हैं वह सम्पूर्ण उत्तर भारतीय मैदानों का निर्माण एवं पोषण करती हैं। लेकिन उत्तराखंड का यह समृद्ध पर्यावरण बड़ा ही नाजुक तथा संवेदशील है तथा राज्य पूरी तरह से भूकम्प के अत्याधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में आता है। समय-समय पर उत्तराखंड में बाढ़, बादल फटना, भूस्खलन तथा भूकम्प जैसी प्राकृतिक आपदायें आती रही हैं जिसके कारण उत्तराखंड में हमेशा से ही जनसमुदाय न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबन्धन में सक्रिय रहा है अपितु यहाँ कई जन आंदोलन पर्यावरण के बचाव के लिए मशहूर हुए हैं। सत्तर के दशक में गौरा देवी, चंडीप्रसाद भट्ट एवं सुन्दरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में वनों के बचाव तथा अनियंत्रित कटाई के विरुद्ध जो “चिपको” आंदोलन हुआ वह शीघ्र ही पूरे विश्व में मशहूर हो गया। बड़ी बाँध परियोजना जैसे टिहरी बाँध परियोजना, खान तथा खनन के विरुद्ध भी सम्पूर्ण उत्तराखंड में जनव्यापी आंदोलन हुए हैं, वनों के संरक्षण तथा संवर्द्धन हेतु कल्याण सिंह रावत द्वारा “मैती” आन्दोलन चलाया गया जोकि अब एक संस्कार का रूप ले चुका है। इसके अतिरिक्त रक्षासूत्र आन्दोलन तथा वृद्ध मानव वीरेन्द्र सकलानी द्वारा चलाए गए वृक्षारोपण के आन्दोलन राज्य में बेहद लोकप्रिय हुए हैं।

अतः उत्तराखंड में आज विकास की प्रक्रिया को तीव्र करने के साथ-साथ आज पर्यावरण का अध्ययन आवश्यक हो गया है क्योंकि औद्योगीकरण, नगरीकरण, बड़ी परियोजनाओं के विकास, परिवहन, खनन एवं प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन का पर्यावरण पर प्रभाव निरन्तर पड़ रहा है। अतः ऐसे में सरकार की भूमिका यहाँ बड़ी ही महत्वपूर्ण हो जाती है कि किस प्रकार वह विकास के जरिये जन आकांक्षाओं की पूर्ति के साथ-साथ पर्यावरण सुरक्षा भी सुनिश्चित करे।

16.11 पर्यावरण समस्यायें (Environmental Problems)

उत्तराखंड में पर्यावरण के सामने मुख्य समस्यायें निम्न हैं-

1. तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या से राज्य के पर्यावरण पर दबाव बढ़ता जा रहा है।
2. औद्योगीकरण तथा शहरीकरण से राज्य में पर्यावरण प्रदूषण निरन्तर बढ़ रहा है।

3. बड़ी परियोजनाओं जैसे - ऊर्जा परियोजना (जैसे टिहरी बांध परियोजना), सड़क निर्माण, औद्योगिक निर्माण, खान-खनन आदि के कारण राज्य के पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही स्थानीय जनता भी विस्थापन का शिकार हो रही है।
4. राज्य में स्थायी जनसंख्या के साथ साथ पर्यटन के कारण से भारी पैमाने पर गतिशील जनसंख्या राज्य में आवाजाही करती रहती है। जिसके कारण से राज्य के पर्यावरण पर अतिरिक्त दबाव बना रहता है।
5. राज्य में प्राकृतिक एवं मानवीय कारकों से जो आपदायें आती हैं उनसे भी राज्य के पर्यावरण पर निरन्तर दबाव सा बना रहता है। भूकंप, भूस्खलन, हिमस्खलन, दावानल आदि के घटित होने से राज्य में जान माल की क्षति के साथ साथ पर्यावरण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है।
6. आर्थिक विकास को तीव्र करने तथा प्राकृतिक संसाधनों के अविवेकपूर्ण दोहन से एवं प्राकृतिक संसाधनों के समुचित प्रबन्धन ना होने से राज्य के पर्यावरण पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ रहा है।
7. पर्यावरण प्रबन्धन में सरकार एवं स्थानीय जनता के मध्य सामंजस्य के अपेक्षित ना होने से पर्यावरण का संरक्षण एवं प्रबन्धन समुचित नहीं हो पा रहा है।
8. अवैध कटान, अवैध खनन एवं नियम कानूनों की उपेक्षा कर आवश्यकता से अधिक विनिर्माण सम्बन्धी गतिविधियों से राज्य में पर्यावरण पर खतरा बढ़ता जा रहा है।

16.12 उत्तराखंड में जनसंख्या वृद्धि एवं पर्यावरण (Population Growth and Environment in Uttarakhand)

उत्तराखंड की जनसंख्या वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार 1,00,86,292 तथा जनसंख्या घनत्व 189 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 2001-11 तक 18.81 प्रतिशत रही है। विभिन्न दशकों में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत निम्नवत् है -

1951-1961	1961-1971	1971-1981	1981-1991	1991-2001	2001-11
22.57	24.42	27.45	23.43	19.20	18.81

उत्तराखण्ड की अधिकांश जनसंख्या का दबाव देहरादून से लेकर टनकपुर तक हिमालय के संकीर्ण तराई क्षेत्र में निवास करती है। ऐसे में जनसंख्या वृद्धि तथा आर्थिक विकास की आवश्यकताओं का दबाव राज्य की संवेदनशील पर्यावरण पर निश्चित तौर पर होगा। उत्तराखंड पर्यटन के दृष्टिकोण से अत्याधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है तथा यहाँ के तीर्थ तथा पर्यटन स्थलों पर हर वर्ष लाखों तीर्थ यात्री एवं पर्यटक आते हैं। ऐसे में स्थायी जनसंख्या के साथ-साथ अस्थायी जनसंख्या का भारी दबाव उत्तराखंड के नाजुक पर्यावरण पर निरन्तर रहेगा। राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अनुसार राज्य में जनसंख्या नीति को विकास तथा जनसंख्या नियंत्रण के दृष्टिकोण से लागू किया गया है।

16.13 औद्योगिक विकास एवं पर्यावरण (Industrial Development & Environment)

उत्तराखंड नवोदित राज्य है तथा लम्बे समय से यह आर्थिक तकनीकी दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ क्षेत्र रहा है। यदि राज्य में तीव्र गति से विकास करना है तो राज्य में औद्योगीकरण, यातायात एवं परिवहन सुविधायें, ऊर्जा के संसाधनों, संचार व्यवस्था आदि सभी क्षेत्रों में व्यापक प्रयास करने होंगे जिनका प्रभाव पर्यावरण पर पड़ना अवश्यभावी है, साथ ही आर्थिक विकास के तीव्र होने से नगरीकरण, उपभोक्तावादी जीवन शैली, अनियंत्रित भीड़ तथा वाहनों की समस्या आदि के चलते विकास के नकरात्मक प्रभाव पर्यावरण प्रदूषण रूप में सामने आने लगे हैं। अतः पर्यावरण के सभी पहलुओं पर विकास के प्रभाव का व्यापक अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है।

राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए विशेष एकत्रित औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2008 में घोषित की गई है। जिसके अन्तर्गत पहाड़ी क्षेत्रों को ए तथा बी श्रेणियों में विभाजित कर वहाँ पर स्थानीय पर्यावरण के अनुकूल उद्योगों की स्थापना करने हेतु आर्थिक सहायता तथा छूटें दी जा रही हैं। राज्य की औद्योगिक परियोजनाओं सहित किसी भी परियोजनाओं के निर्माण से पूर्व उनका पर्यावरण पर प्रभाव का आंकलन अनिवार्य बना दिया गया है।

16.14 स्वच्छ ऊर्जा का विकास एवं पर्यावरण (Development of Clean Energy and Environment)

उत्तराखंड में जल विद्युत द्वारा ऊर्जा के विकास की अपार संभावनाएं हैं। परन्तु ऊर्जा के विकास हेतु बनी व्यापक तथा वृहद परियोजनाओं में लगने वाले समय, लागत, भारी विस्थापन राजनैतिक विवाद तथा पर्यावरण पर उनके प्रभाव के चलते सरकार द्वारा लघु तथा मध्यम आकार की जलविद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है जिससे स्वच्छ ऊर्जा की जरूरतों को भी पूरा किया जा सके साथ पर्यावरण सुरक्षा को भी बढ़ावा मिले।

इस उद्देश्य से राज्य में ऊर्जा नीति अपनायी गई जिसमें पर्यावरण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नवत् है -

1. अक्षय ऊर्जा को ऊर्जा नीति में शामिल कर रियायत एवं सहायता दी जा रही है।
2. अक्षय ऊर्जा में पवन चक्की, बायोमास, जियो थर्मल, सौर, अपशिष्ट द्वारा ऊर्जा को शामिल किया गया है।
3. 25 मेगावाट तक ऊर्जा की जल विद्युत परियोजनाओं को स्थानीय उद्यमियों को ऑवटित किया जाएगा तथा 5 मेगावाट से कम क्षमता की जल विद्युत परियोजनाओं की रायल्टी में छूट प्रदान की जाएगी।
4. राज्य में उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास ऐजेन्सी का गठन नवीकरणीय साधनों तथा पर्यावरण के अनुकूल विधियों से ऊर्जा के विकास हेतु किया गया है।
5. राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण तथा सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले गरीबी रेखा के नीचे व्यक्तियों को सौर लालटेनो का ऑवटन किया गया है।
6. घराट तथा पनचक्की को कार्टेज उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया है।

16.15 जल संसाधन एवं पर्यावरण (Water Resources & Environment)

नदी घाटियों में बसे उत्तराखंड की जनता का जल संरक्षण एवं उसके उपभोग के प्रति बड़ा ही आत्मीय रिश्ता रहा है। नदी घाटियों ने यहाँ के जीवन को आर्थिक आधार तो दिया ही है साथ ही प्राकृतिक पर्यावरण के साथ समन्वय से जीवन जीने की प्रेरणा भी दी है। सदियों से जल समेत समस्त पर्यावरण के प्रति रिश्ता उत्तराखंड की संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है।

जल संसाधन उत्तराखंड के पर्यावरण का महत्वपूर्ण घटक है। यहाँ के हिमनद गंगा, यमुना, काली जैसी सदानीराओं का उद्गम है जिसके ऊपर समस्त उत्तर भारत के मैदानों का आर्थिक, सांस्कृतिक आस्तित्व बना हुआ है। परन्तु बढ़ती आर्थिक आवश्यकताओं, प्रदूषण तथा जनसंख्या वृद्धि के चलते जलसंसाधन की न सिर्फ गुणवत्ता प्रभावित हुई है अपितु अब तो जल के अस्तित्व पर संकट मडराने लगा है। जलवायु परिवर्तन पर बने “अंतर सरकारी समिति” की रिपोर्ट के अनुसार इक्कीसवीं शताब्दी में यदि प्रदूषण को न रोका गया तो शीघ्र ही हिमालय के हिमनदों तथा नदियों पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है।

अतः जल के प्रति इन्हीं चिन्ताओं ने उत्तराखंड में कई आन्दोलनों को जन्म दिया जहाँ प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुन्दर लाल बहुगुणा द्वारा तो यह टिप्पणी की गई है कि “विवादित टिहरी बाँध हमारे आँसूओं पर बना है।”

गाँधीवादी संगठन “लक्ष्मी आश्रम” कौसानी द्वारा “उत्तराखंड नदी बचाओं” आंदोलन आरम्भ सन् 2007 में किया गया। वहीं आई. आई. टी. कानपुर के सेवानिवृत्त डीन डॉ. जी. डी. अग्रवाल द्वारा गंगा को बचाने हेतु आमरण अनशन किया गया एवं कथा वाचक गोपालमणि द्वारा दिल्ली से गंगोत्री तक की पद यात्रा गंगा जी को बचाने हेतु की गई। कुल मिलाकर उत्तराखंड की जनता, गैर सरकारी संगठन, समाजसेवी तथा बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा जल संसाधनों तथा पर्यावरण की सुरक्षा हेतु निरन्तर प्रयास राज्य सरकार के सहयोग से निम्नवत् तरीकों से किए जा रहे हैं -

1. केन्द्र सरकार द्वारा गंगा को राष्ट्रीय नदी तथा गंगा एक्शन प्लान चलाया गया है।
2. राज्य सरकार द्वारा गंगा तथा गंगा की सहायक नदियों की साफ सफाई हेतु स्पर्श गंगा अभियान का आरम्भ किया गया है।
3. जैविक तथा अजैविक कूड़े के निस्तारण हेतु पर्यावरण मित्र योजनायें आरम्भ की गई हैं।
4. जल वनस्पति एवं मृदा के संरक्षण तथा संवर्द्धन हेतु जनसहभागिता के माध्यम से जलागम कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
5. राज्य के नगरों में सीवेज ट्रीटमेंट तथा अवशिष्टों के निस्तारण के व्यवस्था की जा रही है।

16.16 आपदा प्रबन्धन एवं पर्यावरण (Disaster Management & Environment)

विशिष्ट भौगोलिक संरचना के कारण राज्य भूहलचलों की दृष्टि से अत्यन्त संवेदनशील जोन 5 तथा जोन 4 में आता है। समय-समय पर उत्तराखंड में महाविनाशक भूकम्प आते रहे हैं जिसमें 1991 में उत्तरकाशी तथा 1999 में रुद्रप्रयाग में आये भूकम्प प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड में भूस्खलन, हिमस्खलन, अतिवृष्टि, बादल फटने के कारण आपदायें आती रहती हैं जैसे उत्तरकाशी में वरूणावत पर्वत में आये भूस्खलन एवं सितम्बर 2010 में अतिवृष्टि तथा बाढ़ के कारण से जान-माल के साथ-साथ पर्यावरण को भी गम्भीर क्षति पहुँची है।

अतः आपदाओं के प्रभावों को न्यून करने के लिए आपदा प्रबन्धन मंत्री की अध्यक्षता आपदा प्रबन्धन एवं न्यूनीकरण केन्द्र का गठन किया गया है। इस केन्द्र के अधीन भूगर्भिक पर्यावरणीय, अभियांत्रिकी एवं अन्य महत्वपूर्ण अवयवों की व्यवस्था के साथ-साथ जी0 आई0 एस0 प्रणाली का उपयोग एवं सामाजिक तथा आर्थिक विशेषज्ञों का सहारा लिया गया है। आपदा प्रबन्धन के लिए सुविधायें सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक जिला अधिकारी के पास एक 50 लाख का आपदा प्रबन्धन कोष गठित किया गया है।

16.17 वनों का आर्थिक महत्व एवं पर्यावरण (Economic Importance of Forests and Environment)

उत्तराखण्ड के वन विभाग के अनुसार वर्ष 2021 में राज्य के 71.05 प्रतिशत भू भाग पर वन क्षेत्र है। वन न केवल उत्तराखण्ड के पर्यावरण को समृद्धता प्रदान करते हैं अपितु वनों की भूमिका उत्तराखण्ड के आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक जन जीवन में हमेशा से ही महत्वपूर्ण रही है। वन, उपवनों से उत्तराखण्ड राज्य को राजस्व, उद्योगों को वन उत्पाद तथा लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। वहीं दूसरी ओर अनियंत्रित विदोहन, अवैध कटान, बढ़ती जनसंख्या का दबाव तथा दवानल, भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं से वनों पर निरन्तर दबाव बढ़ता जा रहा है। जिससे पर्यावरण पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना बनी रहती है।

उत्तराखण्ड में वनों को भौगोलिक रूप से निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है-

- (अ) उष्ण कटिबंधीय वन।
- (ब) कोण धारी वन।
- (स) पर्वतीय शीतोष्ण वन।
- (द) अल्पाइ वन।
- (ड.) घास के मैदान।

प्रशासनिक दृष्टिकोण से वनों को निम्न भागों में बाँटा जा सकता है-

- (अ) वन विभाग के अन्तर्गत वन।
- (ब) सिविल सोयम वन।
- (स) पंचायती वन।
- (द) निजी वन।

निजी वन- इनमें निजी संस्थाओं, नगरपालिका एवं अन्य संस्थाओं द्वारा प्रबन्धन किए जाने वाले वन हैं जो कि कुल वनों के 0.41 प्रतिशत भागों पर मौजूद हैं।

वनों का आर्थिक महत्व - वनों का उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था में बड़ा ही महत्व है। वनों से लकड़ी, ईंधन, चारा, जड़ी-बूटियाँ तो प्राप्त होती हैं साथ ही कई महत्वपूर्ण लघु उत्पाद जैसे- रेशा, गोंद, लाख, कत्था, तेंदू, केन, शहद आदि महत्वपूर्ण उत्पाद प्राप्त होते हैं जिन पर कई महत्वपूर्ण उद्योग जैसे टिम्बर तथा निर्माण उद्योग, कागज उद्योग, माचिस उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, जड़ी-बूटी एवं दवा उद्योग आदि सभी

प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। वनों से प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष तौर पर भारी मात्रा में लोगों को रोजगार की प्राप्ति होती है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय जरूरतों में ईंधन, चारा आदि हेतु ग्रामीण पूरी तरह से वनों पर ही निर्भर है।

उत्तराखंड के वनों में जिम कार्बेट, राजाजी तथा फूलों की घाटी समेत छः राष्ट्रीय उद्यान तथा सात वन्य जीव बिहार हैं जिसमें हर वर्ष भारी आय तथा आम जनता को रोजगार प्राप्त होता है। साथ ही ऊँचें हिमालय में स्थिति "बुग्याल" साहसिक पर्यटन को निरन्तर आकर्षित करते जा रहे हैं।

यदि वनों से मिलने वाली सरकार को रायल्टी का आंकलन किया जाए तो वनों का महत्व और भी अधिक स्पष्ट हो जाएगा -

वर्ष	करोड़ रुपये
2004-05	69.53
2006-07	100.33
2009-10	119.48

वनों की समस्याएँ - उत्तराखंड में बनने पर बढ़ती जनसंख्या से लेकर आर्थिक आवश्यकताओं का दबाव निरन्तर बढ़ता जा रहा है वनों की समस्याओं को संक्षेप निम्न बिन्दुओं में विक्षेपित किया जा सकता है-

1. यद्यपि उत्तराखंड के 71.05 प्रतिशत भू-भाग पर वन है परन्तु वनाच्छादित क्षेत्र मात्र 45.44 प्रतिशत भाग पर ही उपस्थित है जबकि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यावरणीय संतुलन के दृष्टिकोण से 60 प्रतिशत भू-भाग वनाच्छादित होना आवश्यक है।
2. उत्तराखंड की बढ़ती जनसंख्या का निरन्तर दबाव वन संसाधनों पर पड़ रहा है जिससे पर्यावरण असंतुलन की समस्या बढ़ रही है।
3. अनियंत्रित, अवैज्ञानिक तथा अवैध तरीकों से वनों की कटाई तथा वन क्षेत्रों खनन समेत अन्य आर्थिक गतिविधियों का प्रभाव वनों पर काफी पड़ रही है।
4. विकास परियोजनायें जैसे जल विद्युत परियोजनाओं सड़क रेल, औद्योगिक तथा अन्य के कारण वन तथा वन भूमि का अतिक्रमण से वनों की परिस्थितिकी पर निरन्तर दबाव बढ़ रहा है।
5. प्राकृतिक आपदायें जैसे भूकम्प, भूस्खलन, बाढ़, सूखा दावानल आदि से वनों तथा वन उपज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तथा अक्सर मानवीय क्रियाकलापों से भी आग आदि की परिस्थितियाँ पैदा हो जाती हैं जिनसे वनों को भारी नुकसान पहुँचता है।

16.18 वनों के संरक्षण तथा संवर्द्धन हेतु प्रयास (Efforts for Conservation and Promotion of Forests)

भारत सरकार द्वारा वर्ष 1986 में वन नीति की घोषणा की गई जो कि उत्तराखंड समेत सारे प्रदेशों में लागू है। इस नीति के मुख्य उद्देश्य निम्नवत् हैं-

1. पर्यावरण स्थिति तथा परिस्थितिकी संतुलन बनाना।
2. सामाजिक वानिकी तथा कृषि वानिकी को लोकप्रिय बनाना।

3. वृक्षारोपण तथा वृक्षों के संरक्षण को प्रोत्साहित करना।
4. जैव विविधता तथा वन्य जीव जन्तुओं के संरक्षण की कार्यनीति तैयार कर उसे क्रियान्वित करना।
5. वनों के विषय में अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना।

उत्तराखण्ड में राज्य सरकार द्वारा वनों के संरक्षण व संवर्द्धन हेतु निम्न प्रयास किए जा रहे हैं -

1. उत्तराखण्ड में सरकार द्वारा आम जनता की भागीदारी वनों के प्रबन्धन में बढ़ाने हेतु राजस्व ग्राम में एक वन पंचायत स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में 14,643 राजस्व ग्रामों में 12,167 वन पंचायतें कार्यरत हैं तथा राज्य में संयुक्त वन प्रबन्धन के सिद्धान्त के अनुसार आम जनता की भागीदारी के माध्यम से वन विभाग वनों के संरक्षण तथा संवर्द्धन का दायित्व सुनिश्चित कर रहा है।
2. राज्य में छः राष्ट्रीय उद्यान तथा सात वन्य जीव बिहार स्थापित किए गए हैं एवं नंदा देवी जीव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है जिससे वनों तथा वन्य जीवों का संरक्षण तथा संवर्द्धन हो सके।
3. वन विभाग को आधुनिक प्रौद्योगिकी द्वारा सुविधासम्पन्न कर राज्य सूचना नेटवर्क को मजबूती प्रदान की गई है।
4. सरकार ईको टूरिज्म के विकास का प्रयास कर रही है। 2010-11 में वन विभाग के अन्तर्गत रु 309.47 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
5. "तदर्थ कैम्पा" के माध्यम से आगामी दस वर्षों में रु 873.61 करोड़ की वन सुरक्षा, मृदा जलसंरक्षण, वन पंचायतों का सुदृढीकरण, ईकोटूरिज्म आदि की विभिन्न योजनायें चलायी जाएगी।
6. वर्ष 2014-15 में उत्तराखण्ड वन संसाधन परियोजना (जायका पोषित) प्रारंभ की गई जिसकी कुल लागत 807 करोड़ रुपए है। यह परियोजना के अंतर्गत 8 वर्ष में 750 वन पंचायतों के 37,500 हेक्टेयर (50 हेक्टेयर प्रति वन पंचायत) क्षेत्र में इको रेस्टोरेशन (Eco-restoration) का कार्य किया गया।
7. 15 अगस्त 2022 तक 133 अमृत सरोवरों का निर्माण किया गया है।

शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण हेतु मुख्यमंत्री हरित विकास योजना को कार्य रूप दिया गया है एवं हर्बल गार्डन नक्षत्र वाटिका की स्थापना की जाएगी।

1. 9 सितम्बर को वन पंचायत दिवस घोषित किया गया है तथा महिलाओं की भूमिका वानकी में बढ़ाने हेतु उत्तराखण्ड कैम्पा सोसाईटी का गठन किया गया है। युवाओं में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु रु 3 लाख का तरुश्री सम्मान आरम्भ किया गया है।
2. राज्य में बैम्बु एंड फाइबर डैवलपमेंट बोर्ड वन विकास निधि, हर्बल गार्डन, हाई टैक नर्सरी तथा रामनगर के समीप सेन्टर फार ईको टूरिज्म एंड सस्टेनबल लिवलीहुड की स्थापना वनों से जुड़े विभिन्न पहलुओं अनुसंधान एवं विकास के लिए की गई है। साथ राज्य में विश्व स्तरीय वन अनुसंधान केन्द्र अनुसंधान विकास एवं प्रशिक्षण हेतु लम्बे समय से कार्यरत है।

16.19 कृषि तथा पर्यावरण (Agriculture & Environment)

कृषि कार्यों का पर्यावरण से गहरा सम्बन्ध है। बढ़ती जनसंख्या के दबाव तथा पर्यावरण के अनुकूल कृषि कार्यों के न होने से पर्यावरण पर प्रभाव पड़ रहा है। अतः सरकार द्वारा कृषकों को पर्यावरण के प्रति

जागरूक बनाने एवं कृषकों को अतिरिक्त आय के अवसरों को पैदा करने हेतु कृषि वानिकी की योजना आरम्भ की गई है जिससे राज्य में कृषकों की वृक्षों के संरक्षण तथा सर्वद्वन्द के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण में भागीदारी सुनिश्चित हो पायेगी एवं कृषकों को फल, रेशा, ईंधन के लिए अतिरिक्त स्रोत भी प्राप्त हो पायेंगे। विश्व बैंक के सहयोग से प्रदेश में जलागम विकास कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, जिनके तहत कृषकों की सहभागिता के द्वारा उनको प्रशिक्षण प्रदान कर कृषि के विकास के साथ-साथ मृदा, जल तथा वनस्पतियों के संरक्षण को सुनिश्चित कर पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान की जा सके।

16.20 शहरीकरण तथा पर्यावरण (Urbanization and Environment)

वर्तमान में राज्य की 30.23 प्रतिशत जनसंख्या शहरों में निवास करती है तथा उत्तराखण्ड में भी देश के अन्य प्रदेशों की भाँति ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर निरन्तर पलायन हो रहा है। साथ ही शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या की अत्याधिक वृद्धि से शहरों के पर्यावरण पर निरन्तर ध्वनि, वायु तथा जल प्रदूषण से दबाव बढ़ता जा रहा है। शहरों में कूड़े कचरे अशुद्ध जलमल तथा ठोस अपशिष्टों के निस्तारण की समस्या बढ़ती जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा शहरों में जनसंख्या के अतिरिक्त दबाव को रोकने के उद्देश्य तथा पर्यावरण संतुलन स्थापित करने हेतु निम्न उपाय किए जा रहे हैं-

1. पर्वतीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन को नियन्त्रित करने के उद्देश्य से ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में आर्थिक विकास के जरिये रोजगार तथा आय के अवसर पैदा किए जा रहे हैं। साथ ही बुनियादी सेवाओं सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा का विस्तार प्रभावी तौर पर किया जा रहा है।
2. जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन के अन्तर्गत रू 734 करोड़ के कार्य शहरी क्षेत्रों में सौन्दर्यीकरण, स्वच्छीकरण तथा बुनियादी सेवा के विस्तार हेतु सुरक्षित है।
3. देहरादून को ग्रीन सिटी के तौर पर विकसित किया जा रहा है तथा राज्य के बड़े नगरों में सुव्यवस्थित कूड़ा निस्तारण व्यवस्था लागू की गई है। इसके लिए "पर्यावरण मित्र" योजना चलायी जा रही है जिसके अर्न्तगत रिक्शा चालकों के माध्यम से घर-घर जाकर जैविक तथा अजैविक कचरा एकत्रित किया जा रहा है।
4. नगरों के सौन्दर्यीकरण के लिए शहरी वानिकी, हर्बल वाटिकायें तथा हर्बल गार्डन विकसित किए जा रहे हैं।
5. शहरों को मलिन बस्ती विहीन बनाने एवं शहरों में अपशिष्ट प्रबन्धन की पुख्ता व्यवस्था लागू करने की योजना बनायी गई है।
6. सुन्दर तथा स्वच्छ नगरों को श्यामा प्रसाद मुखर्जी निर्मल शहर पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।
7. शहरी क्षेत्रों में वृक्षरोपण को बढ़ावा देने हेतु मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड हरित विकास योजना चलायी जा रही है।

16.21 अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)

लघु उत्तरीय प्रश्न:

1. स्थानीय जनता के पर्यटन के माध्यम से रोजगार देने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है?

2. राज्य में ईको पार्क कहां स्थापित किया गया है?
3. राज्य में गंगा की सफाई के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है?
4. राज्य के किस शहर को ग्रीन सिटी के तौर पर विकसित किया जा रहा है?
5. शहरों को स्वच्छ पर्यावरण रखने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जा रहा है?

16.22 सारांश (Summary)

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप यह जान चुके हैं कि उत्तराखंड राज्य में आर्थिक विकास को तीव्र करने के लिए व्यापक पैमाने पर संसाधनों को गतिशील करना होगा। साथ ही राज्य में विकास के अनुकूल दशाओं का निर्माण करना होगा। इसके लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में व्यापक प्रयास करने की आवश्यकता है। चूंकि उत्तराखंड एक नवोदित एवं आर्थिक तौर पर उपेक्षित राज्य रहा है एवं राज्य की भौगोलिक एवं पर्यावरणीय परिस्थितियां ऐसी रही हैं कि यहां पर व्यापक औद्योगिक एवं विनिर्माण सम्बन्धी गतिविधियों के माध्यम से आर्थिक विकास को संवेग देना अल्प काल में उचित नहीं है। इसलिए यहां पर पर्यटन उद्योग आर्थिक विकास में ना सिर्फ महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है बल्कि स्थानीय स्तर पर ही आय के अवसरों को पैदा कर राज्य की प्रमुख समस्यायें जैसे - बेरोजगारी एवं पलायन को भी नियंत्रित कर सकता है। साथ ही साथ पर्यटन उद्योग उत्तराखंड राज्य की सकारात्मक छवि को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित कर सकता है। इस दिशा में सरकार एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ साथ विवेकपूर्ण नीतियों को क्रियान्वित करने की आवश्यकता है तभी यह उद्योग अपनी क्षमता के अनुसार राज्य के विकास में योगदान कर पायेगा।

राज्य में आर्थिक विकास की प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए इस प्रकार से रणनीति बनानी होगी कि राज्य का पर्यावरण न सिर्फ संरक्षित रह सके बल्कि उसका संवर्धन भी निरंतर होता रहे। चूंकि राज्य का पर्यावरण अत्यधिक संवेदनशील है एवं इसके ऊपर व्यापक क्षेत्र की जलवायुवीय एवं आर्थिक परिस्थितियां निर्भर करती हैं। इसलिए राज्य के पर्यावरण का संवर्धन एवं संरक्षण और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबन्धन में सरकार के साथ साथ स्थानीय जनता की भागीदारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यद्यपि राज्य में स्थानीय जनता हमेशा से ही पर्यावरण के प्रति सजग एवं संवेदनशील रही है। जिसके कारण राज्य में हमेशा से ही पर्यावरण के प्रति सरोकारों के चलते कई महत्वपूर्ण आंदोलन हुए हैं। मौजूदा समय में स्थानीय जनता की संवेदनशीलता के साथ साथ उनके आर्थिक सरोकारों को भी पर्यावरण से जोड़कर देखने की आवश्यकता है तभी टिकाऊ एवं दीर्घकालिक विकास की संकल्पना साकार हो पायेगी।

16.23 शब्दावली (Glossary)

- **टिकाऊ एवं दीर्घकालिक विकास** - इसे पोषणीय विकास भी कहा जाता है। सर्वप्रथम बर्टलैण्ड कमीशन द्वारा पोषणीय विकास की अवधारणा को स्थापित किया गया। जिसके अनुसार, “आज की आवश्यकताओं को इस प्रकार से पूरा किया जायें कि आने वाली पीढ़ियों को किसी प्रकार के संसाधनों की कमी से न गुजरना पड़े।”
- **कर रियायत एवं सहायता** - सरकार द्वारा दी जाने वाली करों में छूट को रियायत कहते हैं तथा किसी वस्तु या सेवा को सस्ते में उपलब्ध कराने को सहायता कहते हैं।
- **उष्ण कटिबंधीय वन** - हिमालय की तराई तथा निचले पहाड़ी क्षेत्र में यह वन पाये जाते हैं इनमें साल सागौन, खैर, शिशम आदि के वन प्रमुख हैं।
- **कोण धारी वन** - यह वन 900 मीटर से 1500 मीटर तक के मध्य पाये जाते हैं इसमें चीड़ प्रमुख है।

- **पर्वतीय शीतोष्ण वन** - यह वन 1500 मीटर से 2400 मीटर तक के मध्य पाये जाते हैं इनमें बाँझ, बुराँस, देवदार आदि के वन प्रमुख हैं।
- **अल्पाइन वन** - यह वन 2400 मीटर से 3000 मीटर तक के मध्य पाये जाते हैं इनमें देवदार, भोजपत्र, कैल आदि प्रमुख हैं।
- **घास के मैदान** - यहाँ 2700 मीटर की उँचाई से घास के मैदान आरम्भ हो जाते हैं। जिन्हें बुग्याल कहा जाता है।
- **वन विभाग के अन्तर्गत वन**- वन विभाग द्वारा उत्तराखण्ड के 64.6 प्रतिशत वन आते हैं। इसमें आरक्षित एवं संरक्षित वन दोनों प्रकार के वन आते हैं।
- **सिविल सोयम वन**- राजस्व विभाग द्वारा प्रबन्धित वनों का इन वनों के अन्तर्गत शामिल किया जाता है। इन वनों में उत्तराखण्ड के वनों का 26.2 प्रतिशत भाग आता है।
- **पंचायती वन**- ग्राम पंचायतों द्वारा प्रबन्धन किए जाने वाले वन इनके अन्तर्गत आते हैं जो कि कुल वनों का 8.26 प्रतिशत है।
- **सामाजिक वानिकी** - समाज की भागीदारी के माध्यम से वनों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के प्रयास को सामाजिक वानिकी कहते हैं।

16.24 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answer for Practice Questions)

- | | | |
|---------------------------------|--|----------------|
| 1. वीर चन्द्र सिंह गढवाली योजना | 2. मसूरी | 3. स्पर्श गंगा |
| 4. देहरादून | 5. श्यामा प्रसाद मुखर्जी निर्मल पुरस्कार | |

16.25 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची (Reference/Bibliography)

- बिष्ट डॉ० नारायण सिंह; (2003) उत्तरांचल हिमालयी राज्य: पर्वतीय क्षेत्र में औद्योगिकरण डॉ० नारायण संस्थान, शोध नियोजन एवं विकास, गोपेश्वर चमोली.
- उत्तराखण्ड इयर बुक 2011, (नवम्बर 2011) विनसर पब्लिशिंग कम्पनी, देहरादून
- आर्थिक सर्वेक्षण (2011), भारत सरकार
- हुसैन माजिद (2000), मानव भूगोल, रावत पब्लिकेशन जयपुर।
- Thirlwall A.P. (1994), **Growth and development**, (MacMillianPress), London

16.26 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

1. पर्यटन उद्योग की समस्यायें क्या हैं तथा इस दिशा में सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?
2. राज्य में पर्यटन उद्योग की सम्भावनाओं पर टिप्पणी करते हुए आर्थिक विकास में इसका महत्व बताइयें?
3. पोषणीय विकास किसे कहते हैं? पर्यावरण तथा आर्थिक विकास में अन्तरसंबंधों को समझाइयें?
4. वनों की समस्याओं को बताते हुए वनों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए राज्य में क्या प्रयास किए जा रहे हैं। इस पर विस्तार से लिखिये